अनुसन्धान मार्गदर्शिका एवं सामान्य विधि विज्ञान संदर्शिका

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd February, 2024

S.O.848(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1st day of July. 2024 as the date on which the provisions of the said Sanhita, except the provisions of the entry relating to section 106(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, in the First Schedule, shall come into force.

[F. No. 1/3/2023-Judicial Cell-I]
SHRI PRAKASH, Jt. Secy.

Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 replaces CrPC, 1973 now has 531 sections, 160 sections of old law have been changed, 10 new sections have been added and 11 sections have been repealed.

अनुसंधान अधिकारियों के लिए

अनुसंधान मार्गदर्शिका एवं सामान्य विधि विज्ञान संदर्शिका

राजस्थान पुलिस

पुलिस अधिकारियों के लिए अनुसंधान मार्गदर्शिका एवं सामान्य विधि विज्ञान संदर्शिका (राजस्थान राज्य के विशेष परिप्रेक्ष्य में) के

सम्पादन एवं हितधारकों के प्रशिक्षण हेतु गठित समिति के सदस्यगण

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, अति. महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर
2. श्री उमेश चन्द दत्ता, महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेन्ज
3. श्री दीपक भार्गव, निदेशक इन्टेलीजेन्स ट्रेनिंग अकादमी जयपुर
4. श्री शान्तनू कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण

प्रशिक्षण हेतु गठित सहायक समिति के सदस्यगण

1. श्री राहुल कोटोकी, उप महानिरीक्षक पुलिस, प्रशिक्षण जयपुर
2. श्रीमती शालिनी सक्सेना, अति. पुलिस अधीक्षक, इन्टेलिजेन्स ट्रेनिंग अकादमी जयपुर
3. श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
4. श्री दीपक यादव, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
5. श्री पंकज राज माथुर, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर

सहयोग

1. श्री अवनीश कुमार शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
2. श्रीमती सुशीला यादव, अति. पुलिस अधीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
3. श्री देवेन्द्रसिंह, स्टाफ ऑफिसर, अति. महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राज., जयपुर
4. श्री रमेश चौधरी, अभियोजन अधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

संकलन एवं सम्पादन

पंकज राज माथुर,
निरीक्षक पुलिस,
राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र,
जोधपुर

संदेश

पुलिस अनुसंधान आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। किसी अपराध से जुड़े तथ्यों को निर्धारित करने के लिए पुलिस अनुसंधान आवश्यक है। अपराध अनुसंधान के लिए पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान कौशल के साथ–साथ कानूनों की जानकारी होना भी नितान्त आवश्यक है।

आने वाले समय में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रुप में नवीन कानून पूरे देश में लागू होने जा रहे है। इन कानूनों से पुलिस कर्मियों की दक्षता को बढाने व पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।

राजस्थान पुलिस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इन कानूनों के अनुरुप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। इन कानूनों तथा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली की जानकारी हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिकारियों के लिए नवीन आपराधिक विधि के परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान मार्गदर्शिका एवं सामान्य विधि विज्ञान संदर्शिका तैयार की गई है।

यह मार्गदर्शिका निश्चित रुप से पुलिस अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन तथा अनुसंधान कार्यो में सहायक सिद्ध होगी। इस मार्गदर्शिका में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों, परिपत्रों तथा आदेशों को भी समावेशित किया गया है, जो पुलिस अनुसंधान में माननीय न्यायालयों तथा राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों की जानकारी हेतु उपयोगी है।

मैं इस मार्गदर्शिका को तैयार करने में सहभागी रही श्रीमती मालिनी अग्रवाल, अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशिक्षण) एवं उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

(यू आर साहू)
महानिदेशक पुलिस

संदेश

भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2024 से देश में वर्तमान समय की मांग के अनुरूप एवं समाज के व्यापक हित में दण्डात्मक पहलुओं के स्थान पर न्याय पर केंद्रित नये आपराधिक कानून लागू किए जा रहे है। इसमें पुलिस अनुसंधान पर विशेष फोकस किया गया है।

कानून व्यवस्था बनाये रखने के साथ साथ आपराधिक मामलों का अनुसंधान पुलिस अधिकारियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पुलिस अनुसंधान कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाये रखने या बहाल करने में मदद करता है। अपराधियों को दण्डित करते हुए कानून का शासन स्थापित करने के लिए पारदर्शी तरीके से पुलिस अनुसंधान बेहद जरूरी है।

पुलिस अनुसंधान एवं समाज और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच विश्वास बढाता है, सहयोग और आपसी सम्मान को बढावा देता है। कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने, न्याय सुनिश्चित करने और कानून के ढांचे के अन्तर्गत पीड़ितों और संदिग्धों दोनो के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस अनुसंधान सबसे अहम कड़ी है।

पुलिस अधिकारियों के लिए कानून की जानकारी होना एवं कानून के अनुरूप कार्य प्रणाली अपनाना अत्यंन्त महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों के लिए नवीन आपराधिक विधि के परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान मार्गदर्शिका एवं सामान्य विधि विज्ञान संदर्शिका प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा तैयार की गयी है।

इस मार्गदर्शिका में अनुसंधान के विभिन्न सोपानों तथा पुलिस कार्य प्रणाली में दैनिक रूप से काम आने वाली प्रणाली के बारे में विस्तार तथा विधि अनुरूप जानकारी का संकलन किया गया है। यह संकलन अनुसंधान से जुड़े अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के लिए उपयोगी साबित होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस अधिकारी इस मार्गदर्शिका की मदद से अपने कार्य को और अधिक पारदर्शी बनाकर प्रभावी अनुसंधान से पीडितों को न्याय तथा अपराधियों को सजा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगें।

शुभकामनाओं सहित

(जंगा श्रीनिवास राव)
महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण)

संदेश

''आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय'' के ध्येय के साथ राजस्थान पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था बनाने तथा लोगों के जानमाल की रक्षा करने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी कर रही है। इसके साथ ही अनुसंधान के क्षेत्र में भी राजस्थान पुलिस अपनी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिए जानी जाती है।

पुलिस अनुसंधान एक ऐसा विषय है, जिसमें पुलिस अधिकारी पीडितों को न्याय तथा अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य करता है। इन कार्यो को सम्पादित करने के लिये उन्हें अनुसंधान कौशल एवं कानून की जानकारी होना नितान्त आवश्यक है।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए यह अनुसंधान मार्गदर्शिका एवं सामान्य विधि विज्ञान संदर्शिका प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा तैयार की गई है। इस मार्गदर्शिका में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से लेकर न्यायालय में अन्तिम परिणाम प्रस्तुत करने तक के सभी सोपानों को विस्तार से समझाया गया है। इसके साथ ही पुलिस अनुसंधान में काम आने वाले विधि विज्ञान के महत्वपूर्ण विषयों को भी सरल भाषा में संकलित किया गया है।

इस मार्गदर्शिका को तैयार करने में श्री पी.राम जी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, श्री उमेश दत्ता, महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर, श्री राहुल कोटोकी, उप महानिरीक्षक पुलिस (प्रशिक्षण), श्री दीपक भार्गव, उप महानिरीक्षक पुलिस एवं निदेशक, इंटेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, श्री हरेन्द्र महावर, प्रधानाचार्य आरपीटीसी जोधुपर, श्री शान्तनु कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, श्री अवनीश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आरपीए, श्रीमती शालिनी सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इंटेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, श्रीमती सुशीला यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आरपीए, श्री देवेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, श्री दीपक यादव, पुलिस निरीक्षक, आरपीए एवं सुश्री सोनिया उप निरीक्षक, आरपीए को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूं।

साथ ही इस मार्गदर्शिका को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले श्री पंकज राज माथुर, पुलिस निरीक्षक, आरपीटीसी, जोधपुर की मैं मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करती हूॅ, जिन्होने नवीन आपराधिक विधियों का गहराई से अध्ययन और मनन कर, अपने अथक प्रयासों से, कमेटी के सुझावों को अन्तर्विष्ट करते हुए, कड़ी मेहनत और लगन से कार्य को कम समय मे पूर्ण किया।

शुभकामनाओं सहित

(मालिनी अग्रवाल)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण)
एवं अध्यक्ष, हितधारक NCLs प्रशिक्षण समिति

पुलिस अधिकारियों के लिए

नवीन आपराधिक विधि

(New Criminal Laws : BNSS, BNS, BSA-2023)

के परिप्रेक्ष्य में

अनुसंधान मार्गदर्शिका एवं सामान्य विधि विज्ञान संदर्शिका

(राजस्थान राज्य के विशेष परिप्रेक्ष्य में)

महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों तथा

राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय, राजस्थान के

महत्त्वपूर्ण परिपत्रों व आदेशों के समावेशन सहित

अनुक्रमणिका

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	पेज संख्या
1	नवीन आपराधिक विधियों का परिचय	01—09
2	अभियोग/मुकदमा (एफ.आई.आर.) पंजिबद्ध/दर्ज करना	10—23
3	कार्यवाही पुलिस	24
4	अन्वेषण करने की शक्ति	25—29
5	पुलिस डायरी/केस डायरी	30—31
6	घटनास्थल का निरीक्षण	32—33
7	बयान	34—38
8	पीड़िता/पीड़ित की मेडिकल जाँच	39—40
9	गवाह का मेडिकल	41—42
10	अभियुक्त का मेडिकल	43—45
11	मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान	46—48
12	अनुसंधान को बन्द करना	49
13	साक्षीयों को सफीना	50—52
14	दस्तावेज या अन्य चीजे पेश करने का सम्मन	53
15	गिरफ्तारी	54—65
16	पूछताछ—नोट	66—67
17	मुलजिम द्वारा दी गई ईत्तिला	68
18	घटनास्थल तस्दीक	69
19	अभियुक्त को न्यायालय में पेश करना	70
20	पुलिस द्वारा रिमांड	71—73
21	प्रोडक्शन वारंट	74
22	ट्रांजिट रिमांड	75—76
23	शिनाख्त परेड (Test Identification परेड)	77—78
24	किसी व्यक्ति के शरीर अथवा स्थान विशेष की तलाशी	79—84
25	जब्ती की कार्यवाही	85—87
26	गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई	88
27	आपराधिक मामले का चालान	89—90
28	पुलिस रिपोर्ट/अंतिम रिपोर्ट	91—93
29	किसी मामले के अनुसंधान का पेडिंग रखा जाना	94
30	फरार चल रहे अभियुक्त की उद्घोषणा एवं कुर्की की कार्यवाही	95—97
31	अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण	98
32	सुल्तानी गवाह/अप्रुवर को क्षमा दान	99—100
33	न्यायालय में संज्ञान	101—102
34	मामले को सेशन न्यायालय में कमिट/अंतरित किया जाना	103—104
35	अभियुक्त का उन्मोचन	105
36	न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करना	106—107
37	न्यायालय के द्वारा साक्षियों की परीक्षा	108—109

38	न्यायालय के द्वारा अभियुक्त की परीक्षा	110—111
39	सरकारी विशेषज्ञों की रिपोर्ट	112—113
40	न्यायालय द्वारा अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना	114
41	अपराधों का शमन	115—116
42	अभियोजन वापिस लेना	117
43	दोषमुक्ति या दोष सिद्धि	118—119
44	न्यायिक निर्णय	120—125
45	पीड़ित प्रतिकर	126—127
46	दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील	128
47	दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील	129—130
48	कतिपय मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील	131
49	उच्च न्यायालय को रेफरेंस किया जाना	132
50	उच्च न्यायालय के द्वारा रिव्यु/पुनरीक्षण	133
51	उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ एवं दया याचिका	134—135
52	जमानत एवं बंध—पत्र संबंधी प्रावधान	136—144
53	संपत्ति का व्ययन एवं माल/मालखाने का निस्तारण	145—149
54	न्यायालय द्वारा मामलों का संज्ञान लिये जाने के संबंध में परिसीमा—काल	150—152
55	विशिष्ट समय सीमाऐं	153—158
56	लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना/पुलिस का निवारक कार्य एवं निरोधात्मक कार्यवाही	159—171
57	सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का सारांश	172—175
58	विधि विज्ञान	176—177
59	जैविक साक्ष्य	178—191
60	भौतिक साक्ष्य	192—209
61	रासायनिक साक्ष्य	210—221
62	त्रुटियाँ, प्रभाव और निदान	222—229
63	राजस्थान पुलिस के अनुसंधान के संदर्भ में महत्वपुर्ण परिपत्र एवं स्थायी आदेश	230—280
64	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का तुलनात्मक चार्ट	281—308
65	भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का तुलनात्मक चार्ट	309—343
66	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का तुलनात्मक चार्ट	344—355
67	भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन बढाये गये कारावास के दंड की अवधि का तुलनात्मक चार्ट	356
68	अनुसंधान एवं विचारण प्रक्रिया का फ्लो—चार्ट	357—360

***डिस्क्लेमर :—इस पुस्तक की रचना केवल पुलिस प्रशिक्षण के उद्देश्य से की गई है। आपराधिक विधि के अध्ययन हेतु भारत सरकार के राजपत्र में इस संदर्भ में प्रकाशित की गई अधिसूचना एवं वृहद आपराधिक मूल विधि** (Bare Acts) **का अवलोकन करें। इस पुस्तक के गुणवत्तावर्धन हेतु सभी सुधी पाठकों के सुझावों का सदैव स्वागत है।**

अध्याय–1

नवीन आपराधिक विधियों का परिचय

भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ने भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था का आधारभूत ढांचा तैयार किया था। बदलते परिवेश में जैसे–जैसे अपराध की प्रकृति बदलती गयी वैसे–वैसे उनके अनुसंधान के तरीकों में नवाचार एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता बढ़ती चली गयी। समय के साथ–साथ पुराने आपराधिक कानून में वर्णित कई प्रावधान असंगत हो गये और नवीन प्रक्रियाओं के समावेशन की आवश्यकता महसूस हुयी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय–समय पर अपने निर्णयादेशो के द्वारा अनुसंधानिक प्रक्रियाओं एवं विधियों का संविधान की मूल भावनाओं के सन्दर्भ में परीक्षण कर अनेक सुधारो हेतु मार्ग प्रशस्त किया।

नवीन आपराधिक विधि की पूर्ववर्ती के रूप में उपर्युक्त तीनों आपराधिक वृहद् संहिताओं (भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1971 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872) ने न केवल अपराधों और प्रक्रियाओं को परिभाषित किया अपितु दांडिक व्यवस्था, दंड को देने की प्रक्रिया तथा साक्ष्य की सुसंगताओं, साक्ष्य की ग्राह्यता एवं परिस्थितियों का सुस्पष्ट निर्धारण भी किया।

परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नए प्रकार के अपराधों की पृष्ठभूमि और अपराधों के अनुसंधान में नवीन तकनीको के समावेशन को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारकों द्वारा आमजन की भावनाओं तथा न्यायिक सुधार के साथ सुगम एवं त्वरित न्याय के मूल अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए नए आपराधिक कानून की आवश्यकता समझी गई।

वर्तमान परिस्थितियों में चुनौती बनकर उभर रहे अपराधों जैसे– साइबर अपराध, लैंगिक असमानता, आतंकवाद इत्यादि को अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रविधियों (सांइटिफिक एड्स टू इनवेस्टिगेशन के साथ समावेशित करते हुए नवीन आपराधिक संहिताएं संसद द्वारा पारित की गई।

भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) को लोकसभा में दिनांक 20 दिसंबर 2023 को तथा राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया, जिस पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा 25 दिसंबर 2023 को हस्ताक्षर कर अधिनियमित कर दिया गया।

इन नवीन अपराधिक विधियों का उद्देश्य इस प्रकार समझा जा सकता है–

1. उपनिवेश कालीन कानून को प्रतिस्थापित करना
2. भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाना
3. सजा के स्थान पर न्याय पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना।

RAJASTHAN POLICE

<u>भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की विशेषताएं</u>

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उत्तरवर्ती के रूप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों जैसे– न्यायालय में लंबे समय तक चल रहे मामलों की संख्या, सजा की कम दर, विधिक व्यवस्था में तकनीक का बहुत कम समावेशन, अनुसंधान में लगने वाला बहुत अधिक समय तथा फॉरेंसिक साइंस का बहुत कम उपयोग इत्यादि का समाधान कर इसमें कई सारे परिवर्तनों के साथ इसे अधिनियमित किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समाहित नवीन विशेषताएं इस प्रकार है–

1. <u>जीरो FIR</u>

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 BNSS में इस बात का विशिष्ट उल्लेख करते हुए कि <u>"चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में गठित हुआ हो"</u> पुलिस के लिए किसी भी संज्ञेय अपराध की इत्तिला को दर्ज करना आवश्यक है, चाहे अपराध उस थाना क्षेत्र में घटित हुआ हो अथवा नहीं। जीरो नंबरी FIR दर्ज होने के पश्चात उसे अग्रिम अनुसंधान के लिए अपराध के घटित होने वाले थाना क्षेत्र को भेज दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त धारा 173 (2) BNSS में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना प्राप्त होने पर तीन दिवस में हस्ताक्षर करवाकर अभिलिखित करने का प्रावधान किया गया है।

2. <u>प्राथमिक जांच</u>

धारा 173(3) BNSS में ऐसे संज्ञेय अपराधों, जिसमें सजा 03 वर्ष से अधिक परंतु 07 वर्ष से कम है, में अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए डिप्टी एसपी से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर अनुसंधान से पूर्व प्राथमिक जांच किए जाने का प्रावधान किया गया है।

यह प्राथमिक जांच संज्ञेय अपराध की इत्तिला मिलने के 14 दिवस की अवधि के भीतर भीतर पूर्ण कर ली जाएगी तथा जांच पूर्ण होने के पश्चात प्रथम दृष्टया अपराध होना पाया जाने पर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

3. <u>प्रक्रियाओं के लिए समय अवधि का निर्धारण</u>

भारतीय नागरिक न्याय संहिता में विभिन्न विधिक प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित समय सीमा तय की गई है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो सके। यह समय सीमा न केवल अनुसंधान अपितु विचारण, जमानत, निर्णयादेश, अपील और दया याचिका के लिए भी निर्धारित की गई है।

RAJASTHAN POLICE

धारा 230 BNSS में किसी ऐसे मामले में जहां कार्यवाही को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया है, वहां मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के और मामले में अभियुक्त को पेश करने या उसके उपस्थित होने की तारीख से 14 दिवस के भीतर पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि अभियुक्त और पीड़ित को निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा।

धारा 232 BNSS में सेशन ट्रायल मामलों को मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात 90 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय को कमिट कर दिया जाएगा, परंतु यदि आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए इसे ऐसी अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, जो 180 दिनों से अधिक ना हो।

धारा 250 BNSS सेशन ट्रायल मामले के सेशन कोर्ट में कमिट होने के 60 दिन के भीतर अभियुक्त द्वारा उन्मोचन के लिए आवेदन करने का प्रावधान करता है।

धारा 263 BNSS में प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिवस की अवधि के भीतर लिखित रूप से आरोप विरचित करेगा।

धारा 346 BNSS में प्रावधान किया गया है कि विचारण में कार्यवाहियां, सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक, दिन–प्रतिदिन जारी रखी जाएगी, साथ ही परिस्थितियां पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर होने पर न्यायालय प्रत्येक पक्षकार के लिए अधिकतम दो बार ही मामले को अगली तारीख पेशी के लिए स्थगित कर सकेगा।

धारा 258 BNSS के तहत न्यायाधीश बहस पूर्ण होने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर मामले में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय देगा, परन्तु इस अवधि को कारणों को अभिलिखित करते हुए 45 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा।

4. फॉरेंसिक अनुसंधान की अनिवार्यता

धारा 176 (3) BNSS में प्रावधान किया गया है कि, ऐसे अपराधों जिसमें न्यूनतम सजा 07 वर्ष का कारावास है, उसमें आवश्यक रूप से फॉरेंसिक अनुसंधान किया जाएगा तथा ऐसे घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्यों का एकत्रीकरण कर दस्तावेज इत्यादि तैयार किए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाईल फोन या वीडियो कैमरा इत्यादि का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। ऐसे फोरेंसिक एक्सपर्ट की साक्ष्यों को समुचित तरीके से एकत्रित करने तथा प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जिन राज्यों में फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां वे अन्य राज्यों से यह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

5. डिजिटलीकरण तथा विचारण एवं प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग

धारा 173 BNSS में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त सूचना पर भी एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है, जिसमें 03 दिवस के भीतर–भीतर हस्ताक्षर करवाया जाकर लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही सभी विधिक कार्रवाई जिसमें जांच तथा विचरण भी सम्मिलित है, को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करवाया जाने का प्रावधान भी किया गया है।

न्यायालय को भी ऑडियो–वीडियो माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा विभिन्न न्यायालयिक प्रक्रियाओं जैसे– सम्मन–वारंट की तामिल, जांच, गवाहों का परीक्षण, विचारण तथा अपील की प्रक्रियाएं इत्यादि संपन्न करने के लिए सशक्त किया गया है।

धारा 355 BNSS में दिये गए स्पष्टीकरण में, अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति के प्रयोजन में, अभियुक्त की दृश्य–श्रव्य साधन के माध्यम से उपस्थित को भी सम्मिलित किया गया है।

6. विचारण के दौरान अभियुक्त के अधिकतम निरोध की अवधि

पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रावधान था कि, जैर विचारण अभियुक्त को, उसके अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधी तक के निरोध में रहने के पश्चात न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

परंतु, धारा 479 BNSS में अभियुक्त की इस सुविधा को पुनर्निर्धारित किया गया है। जिसमें प्रथम बार अपराध करने के आरोपी को उसके अपराध की अधिकतम सजा की एक तिहाई अवधि की सजा काटने के बाद जमानत पर छोड़ा जाएगा।

अन्य मामलों के विचाराधीन आरोपी को अधिकतम सजा की आधी अवधि की सजा काटने के बाद जमानत पर छोड़ा जाएगा।

लेकिन यदि ऐसा अभियुक्त, जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध अथवा एक से अधिक मामलों का विचारण भुगत रहा है, उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा।

7. लचीली पुलिस अभिरक्षा

धारा 187 BNSS में अधिकतम 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

परंतु इन 15 दिनों की अभिरक्षा का उपयोग, न्यायिक अभिरक्षा की कुल 60 या 90 दिवस की अवधि में से शुरुआत के क्रमशः 40 और 60 दिवस की अवधि में किए जाने का उपबंध किया गया है।

पुलिस अभिरक्षा की 15 दिवस की अवधि एक साथ अथवा अलग–अलग टुकड़ों में हो सकेगी।

RAJASTHAN POLICE

8. चिकित्सकीय जांच

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जहां गंभीर अपराधों जैसे– बलात्कार इत्यादि में, चिकित्सकिय जांच के लिए उप–निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का अधिकारी आवेदन कर सकता था, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में कोई भी रैंक का पुलिस अधिकारी इस प्रकार की मेडिकल परीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

9. हस्ताक्षर एवम फिंगरप्रिंट के साथ वॉइस सैंपल लेने का अधिकार

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जहां मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं हस्तलेख के नमूने लेने का अधिकार था, वही धारा 349 BNSS में इसका क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया है।

अब मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर व फिंगरप्रिंट के साथ ही आवाज के नमूने भी प्राप्त कर सकता है।

यह प्रावधान उन व्यक्तियों पर भी लागू है, जिन्हें अनुसंधान के दौरान अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

10. अचल संपत्तियों की जब्ती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 BNSS में नये प्रावधानों के द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की तुलना में पुलिस की संपत्तियों को जप्त करने की शक्ति को बढ़ा दिया गया है।

जहां दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में चुराई हुई अथवा अपराध में प्रयुक्त संपत्ति को ही जब्त करने की अधिकारिता पुलिस के पास थी, वहीं नए कानून BNSS में पुलिस द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित अचल संपत्तियों को भी जब्त/अटैच किया जा सकता है।

11. उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण

नए प्रावधान में विचारण से बचने के लिए फरार चल रहे, किसी उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में भी विचारण पूर्ण किया जाकर अपराधी के विरुद्ध सजा का निर्णय आदेश पारित किया जा सकता है।

12. बायोमैट्रिक डाटा का संग्रहण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में न केवल हस्ताक्षर एवं हस्तलेख अपितु फिंगरप्रिंट तथा आवाज के नमूनों को भी अनुसंधान अथवा कानूनी प्रक्रिया में उपयोग में लेने हेतु संग्रहित करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

महत्वपूर्ण यह है कि, यह बायोमैट्रिक डाटा ऐसे व्यक्तियों से भी प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें किसी प्रकरण में अब तक औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है।

RAJASTHAN POLICE

13. विचारण एवं प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS सभी विचारण, जांचों तथा अन्य प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ ही इस नई संहिता में अनुसंधान, विचारण और जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उपकरणों तथा डिजिटल साक्ष्यों को भी ग्राह्य बनाया गया है।

इस बाबत् धारा 105 BNSS द्वारा ''श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेखन करना'' तथा धारा 530 BNSS द्वारा ''इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना'' नये प्रावधान जोड़े गये है।

14. दया याचिका की प्रक्रिया का समावेशन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 472 के रूप में मृत्यु दण्ड से दण्डित किये गये व्यक्ति को द्वारा राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत दया याचिका के निस्तारण की प्रक्रिया तथा उसमें लगने वाले समय को कानूनन समयबद्ध किया गया है। पूर्व में दया याचिका संबंधित प्रावधान राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की शक्तियों के रूप में क्रमशः अनुच्छेद 161 व अनुच्छेद 72 में संविधान में तो उल्लेखित थे, परन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता में इसका उल्लेख नहीं था।

RAJASTHAN POLICE

जाँच अधिकारी के लिये कुछ ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

1. संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर क्षेत्र पर विचार किए बिना Zero FIR दर्ज की जाएगी।

2. इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त संज्ञेय अपराथ की सूचना में, सूचना देने वाले के 3 दिन के अंदर हस्ताक्षर करवाये जाकर लेखबद्ध की जाएगी व अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

3. 03 से 07 साल तक की सजा वाले अपराधों में प्रारम्भिक जाँच का प्रावधान।

4. पीड़ित को 90 दिन के अन्दर मुकदमें की प्रगति रिपोर्ट बताई जाएगी।

5. प्रत्येक मुकदमा में दिये गये निर्धारित समय का ध्यान रखा जायेगा।

6. किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे मे लेने की प्रक्रिया व उनकी सूची तैयार करने की प्रक्रिया को मोबाईल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से वीडियो रिकोर्डिंग और फोटोग्राफी की जायेगी तथा रिकोर्डिंग को इलाका मजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा।

7. धारा 398 BNSSके द्वारा गवाह सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार गवाह सुरक्षा स्कीम तैयार करके अधिसूचित करेगी।

8. हथकड़ी के प्रयोग का प्रावधान धारा 43(3) BNSS के अनुसार अपराध की गम्भीरता को देखते हुये किया जा सकता है।

9. फोरेन्सिक विशेषज्ञ का 7 साल या इससे ज्यादा सजा के अपराधो में घटनास्थल से फोरेन्सिक साक्ष्यों को अनिवार्य रूप से एकत्रित करने का प्रावधान।

RAJASTHAN POLICE

BNSS के प्रमुख नवीन प्रक्रियागत प्रावधानों का विश्लेषण

1. पुलिस अभिरक्षा का बड़ा हुआ दायरा

नया BNSS कानून 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा की अनुमति देता है, जो न्यायिक अभिरक्षा के 60 और 90 दिवस में क्रमशः प्रथम 40 और 60 दिवस के मध्य एक साथ अथवा टुकड़ों–टुकड़ों में ली जा सकती है।

इसका फायदा यह होगा कि जब तक पुलिस अपने 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा की सुविधा का पूरा उपयोग नहीं कर लेगी, तब तक अभियुक्त को जमानत देने से न्यायालय इनकार कर सकेगा।

2. अचल संपत्ति का अटैचमेंट

अपराध के द्वारा अर्जित की गई अचल संपत्ति को पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान जब्त किया जा सकता है।

इस सम्बंध में धारा 107 BNSS में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय ऐसे व्यक्ति को 14 दिवस में कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा तथा ऐसा व्यक्ति यदि 14 दिवस में न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय एक पक्षीय आदेश पारित कर सकेगा।

3. एक से अधिक आरोप के विचारण के दौरान जमानत के अधिकारों को सीमित किया जाना

जहां दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी अभियुक्त द्वारा अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के पश्चात न्यायालय द्वारा जमानत ले ली जाती थी, वही नए कानून में यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक आरोपों का विचारण चल रहा है तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी।

4. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी हथकड़ी का उपयोग करने का अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हथकड़ी का उपयोग करने के संबंध में दिए गए विस्तृत निर्देशों की विरोधाभास में नए कानून में कुछ अपराधों जैसे– आर्थिक अपराध इत्यादि में हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है।

5. सेवानिवृत्त और स्थानांतरित लोकसेवकों, विशेषज्ञों, पुलिसअधिकारी के द्वारा संकलित किए गए साक्ष्यों का उसके उत्तरवर्ती अधिकारी द्वारा पेश किया जाना।

नये कानून में धारा 336 BNSS में सेवानिवृत हो चुके अथवा स्थानांतरित या मृत या साक्ष्य देने में असमर्थ हो चुके अधिकारी के उत्तरवर्ती अनुसंधान अधिकारी द्वारा, अपने पूर्व के अनुसंधान अधिकारी के द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होने के प्रावधान किए गए हैं।

यह प्रावधान साक्ष्य अधिनियम के उन परंपरागत प्रावधानों के विपरीत है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसने साक्ष्य संकलित किया है, उसकी प्रति परीक्षा की जानी होती है।

परन्तु ऐसे विशेषज्ञों को न्यायालय मे तब ही बुलाया जाएगा जब ऐसे अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारण या अन्य कार्यवाहियों के दौरान किसी पक्षकार का विवाद हो।

6. नये जोड़े गये तथा विलोपित/ निरसित किये गए प्रावधान

भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 में नई जोड़ी गयी धाराएं इस प्रकार है–

धाराएं	शीर्षक
2(1)(क)	श्रव्य–दृश्य इलैक्टॉनिक साधन
2(1)(ख)	ज्मानत
2(1)(घ)	जमानत–पत्र
2(1)(ड़)	बंध–पत्र
2(1)(झ)	इलेक्ट्रॉनिक संसूचना
35(7)	पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी (कुछ मामलों में डिप्टी एसपी की अनुमति आवश्यक)
86	उद्घोषित व्यक्ति की सम्पत्ति की पहचान एवं कुर्की
105	श्रव्य–दृश्य इलैक्टॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना
107	संपत्ति की कुर्की, जब्ती एवं वापसी
172	व्यक्तियों का पुलिस के युक्ति–युक्त निदेशों के अनुरूप बाध्य होना
336	कतिपय मामलों में लोकसेवकों, विशेषज्ञो, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य
356	उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जाँच, विचारण और निर्णय
398	साक्षी संरक्षण स्कीम
472	मृत्यु दण्डादेश मामलों में दया याचिका
530	इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना

भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 में सम्मिलित नहीं की गयी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराएं इस प्रकार है–

धाराएं	शीर्षक
2(च)	भारत
2(ट)	महानगर क्षेत्र
2(थ)	प्लीडर
2(न)	थ्वहित
8	महानगर क्षेत्र
10	सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना
16	महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय
17	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
18	विशेष महानगर मजिस्ट्रेट
19	महानगर मजिस्ट्रेटों को अधीनस्थ होना
27	किशोरों के संबंध में अधिकारिता
144 क	आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामुहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति
153	बाटों और मापों का निरीक्षण
355	महानगर मजिस्ट्रेटों का निर्णय
404	महा. मजि. के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्याया. के द्वारा विचार किया जाना

अध्याय–2

अभियोग / मुकदमा (एफ.आई.आर.) पंजिबद्ध / दर्ज करना

पुलिस द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान कार्य का सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पहला दस्तावेज प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है जो सम्पूर्ण अनुसंधान का मूल आधार होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अपराध के घटित होने का सम्पूर्ण विवरण होता है। जिसके आधार पर अपराध के संज्ञेय अथवा असंज्ञेय होने की प्रकृति का निर्धारण होता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसंधान को मजबूत बनाने वाले 11 W का उल्लेख होना चाहिए। यदि परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपराध संबधित सम्पूर्ण विवरण नहीं है तो प्रकरण पंजिबद्ध करने वाले अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट के पृष्ठांकन में उपर्युक्त शेष रही जानकारी को परिवादी से पूछकर विस्तृत उल्लेख करना चाहिए।

कतिपय मामलों जैसे महिला अपराध इत्यादि में प्रथम सूचना रिपोर्ट उपनिरीक्षक से अनिम्न पक्तिं की महिला अधिकारी द्वारा लिखी जानी चाहिए तथा इस दौरान दरियाफ्त पर पृष्ठांकन के दौरान विडीयोग्राफी भी करवानी चाहिए।

पुलिस थानों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट विभिन्न माध्यमों अर्थात लिखित, मौखिक या इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त हो सकती है जिसे अलग–अलग तरीको से पंजिबद्ध किया जाएगा। परिवादी द्वारा संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट सीधे पुलिस थाने पर अथवा पुलिस अधीक्षक के सामने प्रस्तुत करके अथवा न्यायालय के समक्ष इस्तगासे के रूप में पेश की जा सकती है।

- 173(1) BNSS (धारा 154(1) CrPC)- सीधे मुस्तगीस द्वारा थाने पर प्रस्तुत
- 173(4) BNSS (धारा 154(3) CrPC)- मुस्तगीस द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत परिवाद द्वारा
- 175(3) BNSS (धारा 156(3) CrPC)– न्यायालय के आदेश द्वारा

– धारा 175(3) BNSS (धारा 156(3) CrPC) के संबन्ध में **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तरप्रदेशमें सर्वोच्च न्यायालय** ने कहा कि न्यायालय का पीठासीन अधिकारी पोस्टमैन की तरह कार्य नही करेगा अपितु यह भी देखेगा कि फरियादी ने मुकदमा करवाने के सभी विकल्पों का उपयोग कर लिया है। और वह इस बाबत शपथ–पत्रों को भी देखेगा।

RAJASTHAN POLICE

यदि थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर भी FIR दर्ज नहीं करेगा तो भारसाधक अधिकारी के विरूद्ध धारा 199 BNS (धारा 166(ए)(3) IPC) मे प्रकरण दर्ज होगा।

यदि किसी स्त्री के विरुद्ध धारा– 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या 124 (1), 124 (2) BNS (धारा 376 (1), 376 (2), 376 (3), 376 (एबी), 376 (ए), 376 (बी), 376 (सी) 376 (डी), 376 (डीए), 376 (डीबी), 354, 354 (ए), 354 (बी), 354 (सी) या 509 IPC) का अपराध हुआ है तो–

ऐसे मामलों में इत्तिला महिला पुलिस अधिकारी अथवा महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जावेगी।

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति यदि निःशक्त है तो उसकी इच्छानुसार उसके निवास या उसके विकल्प के स्थान पर किसी दुभाषिये या प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जावेगी साथ ही विडियो रिकॉर्डिंग भी की जावेगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तरप्रदेश के वाद में कहा गया कि धारा 173 BNSS (धारा 154 CrPC) के प्रावधान आदेशात्मक है, निर्देशात्मक नहीं। अतः उक्त प्रावधान में वर्णित विधि की पालना करना अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं। इस प्रावधान की पालना करने में त्रुटि रहने पर भारसाधक अधिकारी के विरूद्ध धारा 199 BNS (धारा 166(ए)(3) IPC) मे प्रकरण दर्ज होगा। साथ ही अवमानना की कार्यवाही भी की जायेगी।

– **ललिता कुमारी बनाम उत्तरप्रदेश** के मामले में निर्णित किया गया कि –

i. कि संज्ञेय अपराध के मामलों में धारा 173 BNSS (धारा154 CrPC)के प्रावधान आदेशात्मक है, निर्देशात्मक नही
ii. यदि मामला वैवाहिक अपराध, वाणिज्यक अपराध, चिकित्सकीयलापरवाही, भ्रष्टाचार, या 03 माह से पुराना हो तो
iii. SHO मामले के संज्ञेय या असंज्ञेय होने बाबत जाँच करने के लिये अधिकतम 07 दिन जाँच में रख सकता है।

– **ललिता कुमारी बनाम उत्तरप्रदेश** में निर्णित किया गया है कि यदि मामला निम्नलिखित पाँच चीजो से संबन्धित है यथा–

(ए) वैवाहिक अपराध
(बी) वाणिज्यिक अपराध
(सी) चिकित्सकीय लापरवाही
(डी) भ्रष्टाचार के मामले
(ई) 03 माह से पुराने मामले

तो मामले के संज्ञेय या असंज्ञेय होने के संबध में जाँच करने के लिये अधिकतम 07 दिन तक भारसाधक अधिकारीजाँच में रख सकेगा और 07 दिन में जाँच पूर्ण कर परिवादी को अवगत करवायेगा।

– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 व 207 (धारा 193 व 230 BNSS) के अनुसार पुलिस रिपोर्ट की प्रति अभियुक्त को अभियोजन द्वारा निःशुल्क दी जाती है।

राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन 1948 में वर्णित प्रथम सूचना रिर्पोट से संबन्धित सुसंगत नियम

– राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन 1948 के नियम 285 में एफ.आई.आर. लेखबद्ध करने, हियर–से रिपोर्ट, वेग रूमर, टेलीग्राम, टेलीफोन से प्राप्त इत्तला के संबध में व्यवस्था दी गई है।

– हियर–से रिपोर्ट मिलने की दशा में वास्तविक परिवादी या चश्मदीद गवाह हेतु इंतजार किये बिना एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। अस्पष्ट अफवाह (Vague Rumour) के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन उसका सत्यापन पश्चाद्वर्ती सूचना के आधार पर किया जा सकता है।

– टेलीग्राम से प्राप्त संज्ञेय अपराध की सूचना के आधार पर यदि कार्यवाही करना न्यायसंगत प्रतीत हो तो पुलिस अधिकारी को एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहिए।

– एफ.आई.आर. दर्ज करने में परिवाद की सत्यता की परख करने तथा मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने के आधार पर विलम्ब नहीं किया जा सकता।

– कानिस्टेबल किसी भी दशा में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कर सकता। अगर कानिस्टेबल को संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो वह उसका सार रोजनामचा आम में इन्द्राज करते हुए शीघ्र ही भारसाधक अधिकारी को सूचित करेगा।

– एफ.आई.आर. थानाधिकारी द्वारा निरस्त नहीं की जा सकती।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित प्रथम सूचना रिर्पोट से संबन्धित सुसंगत धाराएं

– प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्य होता है, चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट ही वह बिन्दु हैं, जहाँ से आपराधिक विधि गति में आती है और अनुसंधान के विभिन्न चरणों द्वारा पुलिस अभियुक्त तक पहुँचती है।

– भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 157 के अनुसार एफ.आई.आर. को दर्ज कराने वाले व्यक्ति के न्यायालय में बयान के दौरान पूर्व कथन के रूप में सम्पुष्टि हेतु उपयोग में लिया जाता है।

– भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 के अनुसार एफ.आई.आर. को दर्ज कराने वाले व्यक्ति के न्यायालय में बयान के दौरान प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त द्वारा खण्डन करने के उपयोग में लिया जाता है।

– भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा देखे गये, सुने गये व अनुभव किये जाने वाले तथ्य प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। रिपोर्टकर्ता द्वारा देखे गये व सुने गये तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती है।

– भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 व 21 के अनुसार एफ.आई.आर. देने वाले व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का इकबाल साबित करने के लिए एफ.आई.आर. उपयोग में लाई जा सकती है।

– कभी–कभी एफ.आई.आर. स्वयं अपराधी द्वारा लेखबद्ध कराई जाती है और उसमें अपराधी द्वारा कुछ संस्वीकृतियां की जाती हैं, तब ऐसी संस्वीकृति के फलस्वरूप यदि नये तथ्य प्रकाश (discovery) में आते हैं तो एफ.आई.आर का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत महत्त्व है।

– भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले व्यक्ति का पश्चातवर्ती आचरण साबित करने के लिए साक्ष्यिक महत्व रखती है।

RAJASTHAN POLICE

– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर एफ.आई.आर. मृत्युकालीन घोषणा के रूप में साक्ष्यिक महत्व रखती है।
– चूँकि एफ.आई.आर. का लेखबद्ध (reduced to writing) होना आवश्यक है, अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के अनुसार साबित की जानी चाहिये।
– अभियुक्त की पहचान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत सुसंगत होती है। रिपोर्टकर्ता जब इस तथ्य का उल्लेख करे कि सामने आने पर वह अभियुक्त को पहचान सकता है तथा कार्यवाही शिनाख्तगी में सही पहचान हो जाने पर एफ.आई.आर. का साक्ष्यिक मूल्य है।
– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा बयान बदलने पर उसकी विश्वसनीयता की परख हेतु एफ.आई.आर. का महत्व है।
– विचारण के समय प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचना के तथ्य याद न होने की दशा में यदि वह यह कहता है कि प्रथम सूचना में बताए तथ्य ही सही थे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 के अनुसार इसका साक्ष्यिक मूल्य है।
– एफ.आई.आर. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, जो कि लोक प्राधिकारी है, द्वारा उसके आधिकारिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में तैयार की जाती है, अतः यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 के अर्थों में लोक दस्तावेज है।
– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 के अनुसार दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के सबूत के रूप में एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रतिलिपि भी न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
– एफ.आई.आर. न तो सारवान् साक्ष्य (substantive piece of evidence) है और न ही इनसाईक्लोपीडिया (encyclopedia) परन्तु परिवादी के साक्ष्य की सम्पुष्टि (corroboration) तथा विरोधाभास (contradiction) के रूप में साक्ष्यिक महत्व रखती है।

RAJASTHAN POLICE

अनुसंधान के संबंध में अनुसंधान अधिकारियों के ध्यान रखने योग्य बातें

- संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर क्षेत्र पर विचार किये बिना Zero FIR दर्ज की जायेगी।
- मौखिक या इलैक्ट्रोनिक माध्यन से संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर कार्यवाही की जायेगी।
- सूचना मौखिक दी गई है तो लेखबद्ध की जायेगी व शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाएगें। अगर इलैक्ट्रोनिक माध्यम से दी गई है तो शिकायतर्कता के 3 दिन के अंदर हस्ताक्षर करवाए जायेंगे।
- यदि अपराध धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 BNS (धारा 376(1),(2),(3), 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376(ए), 354, 354क, 354ख, 354ग, 354ड़, 509, 326क, 326ख IPC) का है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी महिला अधिकारी द्वारा बयान लेखबद्ध किये जाएगें। यदि उपरोक्त धारा के लिये पीडित महिला स्थाई या अस्थाई रुप से मानसिक या शारीरिक रुप से (disable) असक्षम व निःशक्त है तो उसके निवास स्थान या सुगम स्थान पर बयान लिखे जाएंगे तथा इसे किसी दुभाषिया या विशेष प्रबोधक की सहायता से लिखा जाएगा।
- इस इत्तिला के अभिलेख की Videography की जाएगी।
- धारा 183(6) BNSS के अनुसार जितनी जल्दी हो सके, न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति के बयान को पुलिस अधिकारी अभिलिखित करवाएगा।
- FIR की कापी शिकायतकर्ता व पीडित व्यक्ति को निःशुल्क में दी जायेगी।
- धारा 175 BNSS के तहत अन्वेषण के दौरान जहाँ किसी अपराध की सजा 3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 साल से अधिक अवधि की नहीं हो तो थाना प्रबंधक मामले की प्रकृति वा गम्भीरता को देखते हुऐ उपपुलिस अधीक्षक (Dy.S.P.) की पूर्व अनुमति से 14 दिन की प्राथमिक जाँच के आदेश लेगा।
- अगर थाना प्रभारी धारा 173(1) BNSS के तहत कार्यवाही करने, जाँच में देरी या इनकार करता है तो पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत दे सकता है या वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास भी अपनी शिकायत दे सकता है।
- असंज्ञेय अपराध में सूचना की DDR दर्ज की जायेगी। व सूचना देने वाले को Court में जाने का निर्देश देना होगा।
- ऐसे सभी मामलों की DDR रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी।
- मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण अधिकारी असंज्ञेय अपराधों की जाँच नहीं करेगा।

- अगर दो मामलों में से एक अपराध संज्ञेय है व दूसरा असंज्ञेय है तो उसे संज्ञेय अपराध की तरह ही अन्वेषण किया जायेगा।
- थाना प्रभारी अपने थाने की सीमाओं के अन्दर संज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकता है।
- धारा 210 BNSS के तहत मजिस्ट्रेट धारा 173(4) BNSS के तहत, शिकायत पर विचार करने के बाद अन्वेषण या तफतीश करने के लिये पुलिस अधिकारी को आदेश दे सकता है।
- यदि थाना प्रभारी को कोई सूचना प्राप्त हो या कोई संदेह हो कि कोई अपराध हुआ है जिसकी धारा 175 BNSS के तहत वह तफतीश करने का अधिकार रखता है इसकी तत्काल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो उस मामले में संज्ञान के लिये सशक्त है और अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिये नियुक्त करेगा।
- अगर थाना प्रभारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले में तफतीश नहीं करेगा।
- यदि अपराध बलात्कार से संबंधित है तो पीड़िता का कथन उसके निवास स्थान पर या उसके पसंद के स्थान पर किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके माता पिता या संरक्षक या इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जायेगा तथा इसको इलेक्ट्रोनिक माध्यम व मोबाइल फोन से भी रिकोर्ड किया जा सकता है।
- यदि अपराध जिसमें सज़ा 7 साल या उससे अधिक हो तो फोरेन्सिक विशेषज्ञ की टीम को मौका पर फोरेन्सिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिये बुलाया जायेगा।
- इस सब की वीडियोग्राफी मोवाईल फोन या अन्य इलैक्ट्रोनिक यंत्र के माध्यम से करवाई जायेगी।
- मजिस्ट्रेट को धारा 176 BNSS के अधीन भेजी जाने वाली रिपोर्ट किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से दी जायेगी।
- मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट बिना देरी के भेजी जाएगी।
- धारा 176 BNSS के अधीन अगर कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी तो वह उसकी जाँच व निपटारा खुद या किसी अन्य व्यक्ति को तफतीश या प्रारम्भिक जाँच करने का निर्देश दे सकता है।
- धारा 179 BNSS में उल्लेख है कि गवाहों को लिखत आदेश से बुलाया जा सकता है परंतु 15 वर्ष से कम आयु के बालक व 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या महिला या

RAJASTHAN POLICE

मानसिक वा शारीरिक रुप से असक्षम या गंम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के बयान उनके घर पर ही लिखे जायेंगे व अन्य स्थान पर नही बुलाया जायेगा।

- अगर कोई गवाह अपनी मर्जी से पुलिस थाना में आना चाहे तो उसे रोका नही जायेगा।
- पुलिस अधिकारी उन गवाहों के बयान लिखेगा जिसको उस मुकदमे के तथ्यों व हालातों की जानकारी हो।
- महिला सबंधित अपराधों में धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79 व 124 BNS के तहत अपराधों के बयान महिला पुलिस अधिकारी या अन्य महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज किए जाएंगे।
- गवाह को किसी प्रकार का प्रलोभन, Inducement व धमकी या Promise नही किया जाएगा।
- इकबालिया बयान मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए जाऐंगे तथा ऐसा बयान अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भी करवाया जा सकता है।
- महिला सबंधित अपराधों में धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 व 124 के तहत अपराधों में Statement Recording महिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। यदि महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं होगी तो Male Magistrate एक महिला की उपस्थिति में बयान दर्ज करेगा।
- ऐसे अपराध जिसमें सजा 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक कारावास या आजीवन या मृत्युदण्ड से दण्डनीय है, उन अपराधों में पुलिस द्वारा गवाह का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाना अनिवार्य है।
- बलात्कार से पीड़ित महिला की डाक्टरी जाँच 24 घंटे के अंदर Registered Medical Practitioner द्वारा पीड़ित महिला की सहमति या उसकी और से सहमती देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमती से की जाएगी।
- Registered Medical Practitioner बिना विलंम्ब के पीड़िता की जाँच करेगा व 7 दिन के अन्दर ऐसी जाँच की रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा, जो धारा 193(6) BNSS के तहत दस्तावेज के रुप में मानी जाएगी।
- पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान अपने थाना के इलाके में Search कर सकता है तथा ऐसी Search को इलैक्ट्रोनिक माध्यम जैसे कि मोबाईल फोन से Record करेगा व इस बाबत् Case Dairy में उल्लेख करेगा।

RAJASTHAN POLICE

- इस तलाशी की रिपोर्ट 48 घंटे के अन्दर मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और जिस जगह की तलाशी की गई है उस जगह के मालिक व Possession रखने वाले व्यक्ति को Search Article की लिस्ट की प्रति निःशुल्क में मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी।
- जब कोई अन्वेषण अधिकारी जो उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का ना हो, दूसरे थाने के क्षेत्राधिकार में सर्च करेगा तो सर्च नोटिस की इत्तिला Concerned पुलिस थाना प्रभारी को भेजेगा जिसके इलाके में सर्च हुई है व इसके साथ लिस्ट की कापी भी भेजेगा।
- उस जगह के मालिक या Possession रखने वाले व्यक्ति को सामान की सूची मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी।
- जब तफतीशी अधिकारी किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध में गिरफतार करता है और उसे लगता है कि मुकदमे की तफतीश 24 घंटे में पुरी नहीं की जा सकती तो वह पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा व उसकी Police Custody की दरखास्त करेगा जो कि 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी। परंतु अब यह Police Custody हिरासत के समय से शुरुआती 40 दिन/60 दिन के अंदर लिया जा सकता है जहाँ मुकदमा 60 दिन / 90 दिन के अनुसार पेश करना अनिवार्य हो।
- अगर तफतीश अधीनस्थ अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा की गई हो तो तफतीश के परिणाम की रिपोर्ट थाना प्रभारी को दी जाएगी।
- प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपने मुकदमा में दिन–प्रतिदिन की तफतीश की रिपोर्ट केस डायरी में दर्ज करेगा।
- प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपने मुकदमा की तफतीश की रिपोर्ट बिना देरी निर्धारित समय में पूरी करेगा।
- धारा 193 BNSS के अनुसार अपराध धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 BNS और अपराध धारा 4, 6, 8, 10 POCSO अधिनियम से संबंधित केसों की रिपोर्ट अपराध दर्ज होने के दिनांक से 60 दिन के अंदर कोर्ट में पेश करेगा।
- धारा 230 BNSS के अनुसार प्रत्येक तफतीशी पुलिस अधिकारी प्रत्येक मुलजिम के लिये चालान की एक कॉपी अलग से तैयार करेगा।
- प्रत्येक पुलिस अधिकारी 90 दिन की अवधि के अन्दर अपने मुकदमा की तफतीश की प्रगति रिपोर्ट इलैक्ट्रोनिक माध्यम से सूचना देने वाले को या पीडित व्यक्ति को देगा।
- धारा 193(9) BNSS के अनुसार यदि मुकदमे का चालान कोर्ट में देने के बाद कोई तफतीश बकाया है तो कोर्ट की अनुमति के साथ 90 दिन में पूरी करनी होगी और फिर भी यदि तफतीश पूरी नहीं हुई है तो कोर्ट की अनुमति के साथ आगे भी की जा सकती है।

RAJASTHAN POLICE

– सोशल मिडिया पर आपराधिक घटना का विडियों वायरल करने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 25–102 दिनांक 24.02.2020** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 245)

– अपराध की सुचना मिलने पर तत्काल विधिक प्रक्रिया/अभियोग पंजीबद्ध करने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा पत्र संख्या 2375–431 दिनांक 05.02.2020** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 246)

– महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम, अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण हेतु स्पेशल इन्वेस्टिगेशन युनिट फॉर क्राईम अगेन्स्ट वुमन (SIUCAW)के कार्यविवरण के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 10301–65 दिनांक 13.08.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 265)

– जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की सुविधा आमजन को उपलब्ध करवाने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 10827–902 दिनांक 29.05.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 268)

– बीएनएसएस 2023 में आपराधिक कार्यवाही को आरंभ करने के संबंध में समय–सीमा निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
आपराधिक कार्यवाही का आरम्भ	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज होना	तत्काल
	संज्ञेय अपराध की सुचना इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज होना	सुचना प्राप्त होने के 03 दिन के भीतर प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। **धारा 173(1)(ii)**
	03 वर्ष से अधिक और 07 वर्ष से कम अवधि के कारावास के दण्डनीय संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्राथमिक जॉच का प्रावधान।	प्राथमिक जॉच 14 दिन में पूर्ण की जायेगी। **धारा 173(3)**
	पुलिस द्वारा असंज्ञेय अपराध की सूचना मजिस्ट्रेट को भेजना	14 दिन में एक बार **धारा 174(1)(ii)**
अनुसंधान	पीडित/परिवादी को अनुसंधान के स्टेट्स/स्थिति की जानकारी देना।	90 दिन के भीतर **धारा 193(3)(ii)**

<u>संज्ञेय मामलों की इत्तिला मिलने पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 173. संज्ञेय मामलों में इत्तिला

(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी।
(i)यदि इतिला मौखिक रूप से दी गई है, तो लेखबद्ध कर लिया जाएगा और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी।
प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;
(ii) यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी।

परंतु यदि किसी महिला द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79, या धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी :

परन्तु यह और कि–

(क) यदि वह व्यक्ति, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी:
(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी;
(ग) पुलिस अधिकारी धारा 183 की उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा ।

– धारा 175. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति

(1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के अधीन है।

परन्तु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए. पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा।

RAJASTHAN POLICE

(3) धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा (4) के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, किए जाने के पश्चात् तथा इस संबंध में किए गए निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेशकर सकता है।

असंज्ञेय मामलों की इतला मिलने पर प्रक्रिया

असंज्ञेय मामलों को धारा 2(1)(ण) BNSS (धारा 2(ठ) CrPC) में परिभाषित किया गया है। ऐसे अपराधों में पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होता है तथा इन्हें इस संहिता की प्रथम अनुसूची में असंज्ञेय अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

इन अपराधों की सूचना प्राप्त होने पर इस सूचना के सारांश को असंज्ञेय अपराधों की इतिला के लिखे जाने के रजिस्टर में एनसीआर (नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट) में दर्ज किया जाता है तथा इस रिपोर्ट को संबंधित न्यायालय में प्रत्येक 15 दिवस में प्रेषित किया जाता है। इसके साथ ही परिवादी को न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट भी किया जाता है।

असंज्ञेय मामलों की इतला मिलने पर कार्यवाही करने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 174. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण. –

(1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला दी जाती है तब वह ऐसी इत्तिला का सार, ऐसी पुस्तक में, जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगी, जो राज्य सरकार, इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे, प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट करवाएगा और–

(i) इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा ।

(ii) सभी ऐसे मामलों की पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है।

(3) कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर (वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्तिके सिवाय) अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामले में कर सकता है ।

(4) जहां मामले का संबंध ऐसे दो या अधिक अपराधों से है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय है, वहां इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय है, वह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा ।

RAJASTHAN POLICE

<u>अप्राकृतिक मृत्यु की इतला प्राप्त होने पर प्रक्रिया</u>

किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर मृत्यु के कारणों की जाँच करने हेतु पुलिस थाने पर मर्ग पंजीबद्ध किया जाता है।

यदि किसी महिला के विवाह के 07 वर्ष के भीतर आत्महत्या करने या संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने या महिला की मृत्यु बाबत् कोई संदेह होने अथवा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु हो जाती है तो उसकी जाँच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। शेष मामलों में अप्राकृतिक मृत्यु बाबत् जाँच पुलिस द्वारा की जाती है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में अप्राकृतिक मृत्यु पर दर्ज मर्ग की जाँच थाना अधिकारी द्वारा स्वंय की जायेगी। साथ ही आवश्यक होने अथवा संदिग्ध मृत्यु होने अथवा महिला द्वारा आत्महत्या के मामलों में संबंधित वृत अधिकारी द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया जायेगा।

<u>राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.33</u> में शव को खोदकर निकालने की प्रक्रिया तथा नियम 6.34 में मरणान्वेषण प्रतिवेदन के बारे में प्रक्रिया व प्रारूप का उल्लेख है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
अनुसंधान	मर्ग रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रट को भेजा जाना	24 घण्टे के भीतर **धारा 194(2)**

<u>अप्राकृतिक मृत्यु की इतला मिलने पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में नवीन BNSS 2023में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 194. आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना.–

(1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह इत्तिला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव–जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, या कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा और वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे घावों, अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिह्नों का जो शरीर पर पाए जाएं, वर्णन होगा और यह कथन होगा कि ऐसे चिह्न किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा (यदि कोई हो) किए गए प्रतीत होते हैं।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा, या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं, हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को चौबीस घंटों के भीतर तत्काल भेज दी जाएगी।

(3) जब–

(i) मामले में किसी महिला द्वारा उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है; या

(ii) मामला किसी महिला की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियोंमें मृत्यु से संबंधित है जो यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में कोई अपराध किया है; या

(iii) मामला किसी महिला की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस महिला के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है; या

(iv) मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है; या

(v) किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है,

तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए उस मृत शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से. निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजेगा ।

(4) कार्यपालक (जिला मजिस्ट्रेट व उप खण्ड मजिस्ट्रेट या विशेष रूप से सशक्त मजिस्ट्रेट) भी मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं।

– धारा 196. मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच.–

(1) जब मामला धारा 194 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तब मृत्यु के कारण की जांच, पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त, वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु– समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 194 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा; और यदि वह ऐसा करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होंगी, जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती।

(2) जहां,–

(क) कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, या

(ख) किसी महिला के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित है,

तो उस दशा में जब कि ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस अभिरक्षा या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है, वहां पुलिस द्वारा की गई जांच के अतिरिक्त, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है, जांच की जाएगी ।

RAJASTHAN POLICE

(4) जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में यह समीचीन है कि किसी व्यक्ति के, जो पहले ही गाड़ दिया गया है, मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाए ताकि उसकी मृत्यु के कारण का पता चल सके, तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा करा सकता है।

(6) उपधारा (2) के अधीन कोई जांच या अन्वेषण करने वाला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या अन्य अर्हित चिकित्सक को भेजेगा।

<u>न्यायालय द्वारा किसी परिवाद को जाँच हेतु (मुकदमा दर्ज करने हेतु नहीं) पुलिस को भेजा जाना (धारा 202 CrPC की जाँच)</u>—

धारा 225 BNSS में प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा कतिपय परिस्थियों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद को संज्ञान लेने के पश्चात् उचित समझने पर न्यायालय द्वारा यह भी निश्चित करने के लिए की कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो वह स्वंय जाँच कर सकता है या जाँच के लिए पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को निदेश दे सकता है।

<u>न्यायालय द्वारा आदेशिका के जारी किये जाने को मुलतवी करने (न्यायालय द्वारा किसी परिवाद को जाँच हेतु (मुकदमा दर्ज करने हेतु नहीं) पुलिस को भेजे जाने) पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>—

— धारा 225. आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना

(1) यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत हैं, अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि, कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है। परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निदेश वहां नहीं दिया जाएगा—

(क) जहां मामला अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है; या

(ख) जहां परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट, ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–3

कार्यवाही पुलिस

किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर, यदि वह लेखबद्ध नहीं है तो, उसे लेखबद्ध किया जायेगा तथा उस रिपोर्ट पर पृष्ठाकंन भी किया जाऐगा। पृष्ठाकंन में उन सभी कमियों को परिवादी से दरियाफ्त कर पूरा किया जाएगा जो लिखित रिपोर्ट में रह गयी है। तत्पश्चात् उस अपराध के संज्ञेय अथवा असंज्ञेय होने का विनिश्चय कर, संज्ञेय होने की स्थिति में, रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार BNS की धाराऐं लगायी जाकर, प्रकरण पंजिबद्ध किया जायेगा तथा अनुसंधान हेतु किसी सक्षम अनुसंधान अधिकारी को नाम निर्दिष्ट भी किया जायेगा।

– कार्यवाही पुलिस FIR का भाग है।

–कार्यवाही पुलिस 173 BNSS (धारा 154 CrPC) में कवर है।

संज्ञेय मामलों की इत्तिला मिलने पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 173. संज्ञेय मामलों में इत्तिला

(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला उस क्षेत्र पर विचार किये बिना जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी।

(i) यदि इतिला मौखिक रूप से दी गई है, तो लेखबद्ध कर लिया जाएगा और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी।

(ii) यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी।

परंतु यदि किसी महिला द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79, या धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

परन्तु यह और कि–

(क) यदि वह व्यक्ति, मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, किसी द्विभाषिए की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी।

(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।

(ग) पुलिस अधिकारी धारा 183(6)(क) BNSS के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन शीघ्र अभिलिखित कराएगा।

अध्याय–4

अन्वेषण करने की शक्ति

– धारा 175 BNSS (धारा 156 CrPC) में पुलिस अधिकारी की पुलिस अनुसंधान की शक्ति उल्लेखित है।
– धारा 176 BNSS (धारा 157 CrPC) में पुलिस अनुसंधान की प्रक्रिया उल्लेखित है।
– धारा 112 BNSS (धारा 166क CrPC) में भारत से बाहर अनुसंधान करने की प्रक्रिया हेतु अनुरोध पत्र दाण्डिक न्यायालय द्वारा उस देश/क्षेत्र के सक्षम प्राधिकरी को भेजे जाने की शक्ति उल्लेखित है।
– अन्वेषण की परिभाषा धारा 2(1)(ठ) BNSS (धारा 2(ज) CrPC)में उल्लेखित है।
– थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामलों का अन्वेषण कर सकता है।
– संज्ञेय मामलों के अन्वेषण हेतु मजिस्ट्रेट आदेश की आवश्यकता नही है।
– धारा 210 BNSS (धारा 190 CrPC) में मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश दे सकता है।
– धारा 175(3) BNSS (धारा 156(3) CrPC)में जिनमें मजिस्ट्रेट को Pre Cognizance के वे मामले आते है जिनमें मजिस्ट्रेट को धारा 210 BNSS (धारा 190 CrPC)में संज्ञान लेने की अधिकारिता है, वह पुलिस को अनुसंधान के लिये भेज सकता है।
– धारा 225 BNSS (धारा 202 CrPC)में Post Cognizance के वे मामले आते हैं जिनमें मजिस्ट्रेट ने उचित समझने पर संज्ञान लिया है, और यह विनिश्चित करने के लिये कि कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो वह स्वयं जांच कर सकता है या अनुसंधान के लिये पुलिस या अन्य व्याति को निदेश दे सकता है।
– धारा 2(1)(ठ) BNSS (धारा 2(ज) CrPC) में अन्वेषण को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार किसी आपराधिक मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिये अधिकृत किया गया हो, द्वारा साक्ष्य संकलन के लिये की गई सभी कार्यवाहियाँ अन्वेषण कहलाती हैं।
– अन्वेषण की प्रकृति गैर–न्यायिक होती है क्योंकि साक्ष्य शपथ पर नहीं ली जाती है।
– अन्वेषण को जाँच, विचारण तथा न्यायिक कार्यवाही से भिन्न समझा जाना चाहिये।
– धारा 2(1)(ट) BNSS (धारा 2(छ) CrPC) के अुनसार आपराधिक मामले में मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किसी तथ्य की सत्यता का निर्धारण करने के लिए विचारण से भिन्न की गई प्रत्येक कार्यवाही जाँच कहलाती है।
– इस प्रकार जाँच की प्रकृति न्यायिक होती है तथा इसका संचालन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। धारा 2(1)(ड) BNSS (धारा 2(i) CrPC) के अनुसार जिस कार्यवाही के अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकता है, वह न्यायिक कार्यवाही कहलाती है।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 में वर्णित अन्वेषण से संबन्धित प्रमुख नियम

– **राजस्थान पुलिस नियम 1965 के अध्याय 6** में अन्वेषण के संबंध में नियम दिये गये हैं।

– **राजस्थान पुलिस नियम1965 नियम 6.1** के अनुसार पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (धारा 175 BNSS) के अनुसार अपने क्षेत्र में हुए संज्ञेय अपराध के अन्वेषण की शक्तियाँ रखता है। धारा 157 CrPC (धारा 176 BNSS) के तहत मामले की परिस्थितिजन्य घटनाओं और तथ्यों के अन्वेषण हेतु घटनास्थल पर जाने के लिए अपने अधीनस्थ को नियुक्त करने की शक्ति रखता है और अपराधियों को खोजने व गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है। पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्र में कार्यरत गुप्तचर विभाग के प्रत्येक अधिकारी की आवश्यकता होने पर पूरी सहायता करेगा।

– **राजस्थान पुलिस नियम 1965 नियम 6.2** के अनुसार अन्वेषण अधिकारियों की शक्तियाँ –

– अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी की शक्तियों व सुविधाओं का उल्लेख दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 से 175 तक दिया गया है। अन्वेषण अधिकारी किसी व्यक्ति को अन्वेषण के संबंध में उपस्थिति होने के लिए लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है और आदेश की दूसरी प्रति को केस डायरी के साथ संलग्न किया जाता है। पूछताछ के लिए समन किये व्यक्ति को अनावश्यक कष्ट व निरुद्ध नहीं किया जायेगा। अन्वेषण अधिकारी का कर्त्तव्य मामले की सत्यता, वास्तविक तथ्यों व अपराधियों का पता लगाना व उन्हें गिरफ्तार करना है।

– **राजस्थान पुलिस नियम 1965 नियम 6.9** – वैकल्पिक अन्वेषण

– जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मामले में अन्वेषण के पर्याप्त आधार न होने पर अन्वेषण नहीं करने का निर्णय लेता है तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर अन्वेषण की आवश्यकता न होने की टिप्पणी लिखते हुए कारण अंकित किये जायेंगे। मामले की सूचना वृताधिकारी को दी जायेगी जो इस नियम के अधीन आदेश जारी करेंगे।

– **राजस्थान पुलिस नियम 1965 नियम 6.11** – असंज्ञेय मामलों का अन्वेषण

– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155(2) व 202(1) के तहत असंज्ञेय मामले में अन्वेषण के आदेश प्राप्त होने पर अन्वेषण अधिकारी केस डायरी में प्रतिदिन की कार्यवाही लिखते हुए प्रति वृताधिकारी के माध्यम से आदेश करने वाले न्यायालय को भेजेगा। पुलिस द्वारा केस डायरी की कोई प्रति नहीं रखी जायेगी।

– **राजस्थान पुलिस नियम 1965 नियम 6.12** – प्रत्येक असंज्ञेय मामले में सभी आदेश यथा गिरफ्तारी आदेश, तलाशी आदेश, समन करने का आदेश लिखित में प्राप्त किये जायेंगे तथा केस डायरी के साथ संलग्न किये जायेंगे।

RAJASTHAN POLICE

– प्रकरणों का अनुसंधान करने हेतु मानक संचालन प्रणाली/परामर्श दात्री (एस0ओ0पी0) जारी करने हेतु **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 1150–1222 दिनांक 17.01.2020** जारी कर **विस्तृत एस0ओ0पी0** जारी की गयी है, जिसमें अनुसंधान की कार्ययोजना, गवाहन का परीक्षण, घटना स्थल का निरीक्षण, मालखाना रजिस्टर व रोजनामचा आम में इन्द्राज, मेडिकल परीक्षण/इलाज, दस्तावेज परीक्षण, प्रक्रियात्मक अनुसंधान, अभियुक्त की गिरफ्तारी, सीडीआर/फोटोग्राफी/विडियोग्राफी/सीडी का विश्लेषण तथा चालान/एफआर प्रतिवेदन बाबत् विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 247)

– आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान अभियुक्त, जमानत देने वाले व्यक्ति तथा गवाहन के पहचान–पत्र लिये जाने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा स्थायी आदेश संख्या 04/2019 दिनांक 07.02.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 274)

– आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान महिलाओं को अन्वेषण हेतु बुलाये जाने व पुलिस हिरासत में रखे जाने के संबंध में **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 526–575 दिनांक 02.02.2011** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 277)

– आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान अपराध मानचित्र (घटना स्थल नक्शा–मौका) सुव्यवस्थित तरीके से तैयार करने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा स्थायी आदेश संख्या 02/2008 दिनांक 08.05.2008** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 279)

पुलिस की अनुसंधान करने की शक्ति व प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

175. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति

(1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर है।

परन्तु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा।

(2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था।

RAJASTHAN POLICE

— धारा 176. अन्वेषण के लिए प्रक्रिया

(1) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, इत्तिला प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 175 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों (जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे) में से एक को भेजेगा।

परंतु—

(क) जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तिला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे;

(ख) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा।

परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, पीड़ित का कथन, पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता—पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसा कथन किसी श्रृव्य—दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों, जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है, के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

(3) किसी ऐसे अपराध के जो सात वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है, के होने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी तारीख से जो इस संबंध में पांच वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अपराध में फोरेन्सिक विज्ञान संबंधी साक्ष्य संग्रहण करने के लिए फोरेन्सिक विज्ञान संबंधी दल को अपराध स्थल पर भेज सकेगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी बनवाएगा।

परन्तु जहां ऐसे किसी अपराध के संबंध में फोरेन्सिक विज्ञान संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां राज्य सरकार जब तक उस मामले के संबंध में सुविधा नियोजित नहीं हो जाती या राज्य द्वारा नहीं की जाती, अन्य राज्य सरकार से ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित कर सकेगी।

RAJASTHAN POLICE

– धारा 112. भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोधपत्र–

(1) यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ कोई अधिकारी यह आवेदन करता है कि भारत के बाहर किसी देश यास्थान में साक्ष्य उपलभ्य हो सकता है, तो कोई दांडिक न्यायालय अनुरोधपत्र भेजकर उस देश के ऐसे न्यायालय से, जो ऐसे अनुरोधपत्र पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, यह अनुरोध कर सकेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे, जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से उस मामले से संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीज को पेश करने की अपेक्षा करे जो उसके कब्जे में है। इस प्रकार लिए गए सभी साक्ष्य या उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपि भारत में स्थित ऐसा पत्र भेजने वाले न्यायालय को अग्रेषित करे।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–5

पुलिस डायरी/केस डायरी

– पुलिस डायरी/केस डायरी का धारा 192 BNSS (धारा 172 CrPC)में उल्लेख है।
– इसे केस डायरी भी कहते है।
– इसका उपयोग अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्मृति ताजा करने में किया जा सकता है।
– स्मृति ताजा करने का प्रावधान धारा 162 तथा धारा 163 BSA (धारा 159 व 160 IEA) में है।
– पीठासीन अधिकारी अपनी राय कायम करने में इसकी सहायता ले सकता है।

– न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्रों में सुनवाई के समय केस डायरी चाहे जाने पर केस डायरी (अनुसंधान पत्रावली) न्यायालय में समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में **विशिष्ट शासन सचिव गृह (विधि), राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्रांक प.2(14)/ गृह–10/2020 दिनांक 02.12.2020** द्वारा विशेष निर्देश प्रदान किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 235)

– इस संबंध में **माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना में पत्रांक PA/AAG/VBS/CCP/Gen.letter/21 दिनांक 29.01.2021** द्वारा विशेष निर्देश प्रदान किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 233)

पुलिस डायरी/केस डायरी के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 192. अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी

(1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन–प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय जब उसे इत्तिला मिली, वह समय जब उसने अन्वेषण आरंभ किया और जब समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहां वह गया और अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा।

(2) धारा 180 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन केस डायरी में अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डायरी के पृष्ठ सम्यक् रूप से संख्यांकित होंगे।

RAJASTHAN POLICE

(4) कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है और ऐसी डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में तो नहीं किंतु ऐसी जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है।

(5) न तो अभियुक्त और न उसके अभिकर्ता, ऐसी डायरियों को मंगाने के हकदार होंगे और न वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे कि वे न्यायालय द्वारा देखी गई हैं, किंतु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसने उन्हें लिखा है, अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, या यदि न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की, यथास्थिति, धारा 148 या धारा 164 के उपबंध लागू होंगे।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–6

घटनास्थल का निरीक्षण

पुलिस द्वारा अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान किसी संज्ञेय अपराध के गठित होने के स्थान पर समुचित साक्ष्य संकलन हेतु घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है। घटना स्थल का निरीक्षण परिवादी की निशानदेही से किया जाता है तथा इस प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र गवाहन को साथ रखा जाता है।

घटना की गंभीरता के आधार पर साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलन किया जाता है।

धारा 176 BNSS में प्रावधान किया गया है कि, ऐसे अपराधों जिसमें न्यूनतम सजा 07 वर्ष का कारावास है, उसमें आवश्यक रूप से फॉरेंसिक अनुसंधान किया जाएगा तथा ऐसे घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्यों का एकत्रीकरण कर दस्तावेज इत्यादि तैयार किए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाईल फोन या वीडियो कैमरा इत्यादि का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। ऐसे फोरेंसिक एक्सपर्ट की साक्ष्यों को समुचित तरीके से एकत्रित करने तथा प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जिन राज्यों में फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां वे अन्य राज्यों से यह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

– घटना स्थल का अनुसंधान अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना धारा 176 BNSS (धारा 157 CrPC)में उल्लेखित अन्वेषण के लिए प्रक्रिया में सम्मिलित है।
– घटना स्थल का अनुसंधान अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना तथा नक्शा मौका व हालात मौका मुर्तिब करना धारा 05 BSA (धारा 07 IEA) में सुसंगत होता है।

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तोरी सिंह व अन्य बनाम यू.पी. राज्य** के वाद में कहा गया कि अन्वेषण अधिकारी को फर्द नक्शा–मौका में वे ही तथ्य दर्शाने चाहिये जो उसने घटनास्थल पर देखे (Officer's Personal Observation) हैं। गवाहों के बयानों के आधार पर नक्शा मौका तैयार कर उस पर गवाह के हस्ताक्षर करवाने से नक्शा मौका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से विरोधात्मक हो जाता है।
– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम भवानी व अन्य** के वाद में कहा गया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहों के बयान के आधार पर फर्द नक्शा–मौका में अंकित बातें साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं।

– आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान अपराध मानचित्र (घटना स्थल नक्शा–मौका) सुव्यवस्थित तरीके से तैयार करने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा स्थायी आदेश संख्या 02/2008 दिनांक 08.05.2008** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 279)

राजस्थान पुलिस नियम 1965 में वर्णित घटनास्थल निरीक्षण से संबन्धित प्रमुख नियम

– **राजस्थान पुलिस नियम 1965 नियम 6.10**– घटनास्थल पर अविलम्ब पहुँचना –
संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस अधिकारी तुरन्त घटनास्थल के लिए रवाना हो जायेंगे। यदि ऐसा अधिकारी अन्वेषण के लिए अधिकृत नहीं है तो घटनास्थल को सुरक्षित करके विवरण लिखेगा, साक्षियों को रोके रखेगा, मामले की सूचनाएँ एकत्रित करेगा और अपराधी को गिरफ्तार करेगा।

– **राजस्थान पुलिस नियम 1965 नियम 6.13**– घटनास्थल का मानचित्र/नक्शा मौका –
कसी भी मामले में घटनास्थल के दो मानचित्र तैयार किये जायेंगे। एक मानचित्र आरोप पत्र या अंतिम प्रतिवेदन के साथ तथा दूसरा मानचित्र अभियोजन की दृष्टि से विभागीय उपयोग हेतु रखा जाता है।

– गंभीर मामलों तथा जमीन विवाद के मामलों में पटवारी से दो प्रति में मानचित्र बनवाया जायेगा। पहली प्रति में पुलिस अधिकारी द्वारा देखे गये तथ्य प्रविष्ट किये जायेंगे जो न्यायालय में पेश की जायेगी। दूसरी प्रति में साक्षियों के बयानों पर आधारित बातें लिखी जायेगी जो केवल विभागीय उपयोग में लाया जायेगा क्योंकि इसका साक्ष्य की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है।

– पुलिस अधिकारी द्वारा पटवारी को मानचित्र में दर्शाये जाने वाले भूमि संकेत तथा मुख्य प्राकृतिक बिन्दु बताये जायेंगे। मानचित्र में प्रविष्टियां पटवारी द्वारा काली स्याही से तथा पुलिस द्वारा लाल स्याही से की जानी चाहिये।

– मजिस्ट्रेट द्वारा घटनास्थल निरीक्षण –

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 310 (धारा 347 BNSS) के तहत कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट संबंधित पक्षों को उचित नोटिस देने के उपरांत अपराध के घटनास्थल का निरीक्षण कर सुसंगत सूचनाओं की फर्द बना सकता है।

– भूमि संबंधी मामलों में पटवारी द्वारा नक्शा–मौका तैयार करवाना –

भूमि विवाद से संबंधित मामलों में पटवारी से रेवेन्यू रिकॉर्ड व खसरा नम्बर इत्यादि सूचनाएँ प्राप्त करने के बाद फर्द नक्शा–मौका तैयार की जानी चाहिये। पटवारी से भूमि के नक्शे का प्रारूप अवश्य बनवा लेना चाहिये।

– अपराध के घटनास्थल की एनालॉग व डिजीटल फोटोग्राफी –

क. घटनास्थल की फोटोग्राफी से सम्पूर्ण घटनास्थल का सही चित्रण सामने आता है और मजिस्ट्रेट के दिमाग में घटनास्थल की परिस्थितियों की पुनःस्थापना करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 09 (धारा 07 BSA) के तहत फोटोग्राफी साक्ष्यिक मूल्य रखती है।

ख. फोटोग्राफी करते समय एक फोटो में सम्पूर्ण घटनास्थल तथा अन्य क्लोज–अप फोटोग्राफ्स में महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य व फुट–प्रिन्ट इत्यादि कवर किये जाने चाहिये।

ग. एनेलॉग फोटोग्राफी की स्थिति में नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिये और डिजीटल फोटोग्राफी की स्थिति में हैश–वेल्यू निकालनी चाहिये ताकि न्यायालय को डिजीटल फोटोग्राफ्स के साथ छेड़छाड़ का संदेह न हो।

अध्याय–7

बयान

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान अपराध के घटित होने के संबंध में साक्ष्य संकलन करने और घटना की मॉडस–ऑपरेन्डी जानने के लिए साक्षियों की परीक्षा की जाती है तथा साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया जाता है।

पुलिस को अनुसंधान/जाँच के दौरान किसी घटना के बारे मे जानकारी रखने तथा कोई दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध करवाने अथवा घटना और अपराधी के बारे में कोई तथ्य बताने वाले व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है।

– अनुसंधान के दौरान धारा 180 BNSS (धारा 161 CrPC) में पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा की जाती है। यह परीक्षा साक्षी के कथनों को लेखबद्ध करके अथवा प्रश्नोतर के रूप में लेखबद्ध करके की जा सकती है।
– अनुसंधान के दौरान धारा 192 BNSS (धारा 172 CrPC) में पुलिस द्वारा साक्षियों के कथनों और बयानो को जो पुलिस द्वारा धारा 180 BNSS (धारा 161 CrPC) के तहत लिए गए है, को केस डायरी में आवश्यक रूप से लिखे जायेंगे।
– यदि पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरानगवाहो के बयान केस डायरी में नहीं लिखे गये और इससे अभियोजन पक्ष को नुकसान पहुँचा तो ऐसे अनुसंधान अधिकारी के विरूद्ध धारा 199 BNS (धारा 166(ए)(2) IPC) में कार्यवाही होगी।
– धारा 199 BNS (धारा 166(ए)(2) IPC) में लोक सेवक द्वारा विधि के निदेश की जानबूझ कर अवहेलना पर दण्ड का प्रावधान उल्लेखित है।
– धारा 181 BNSS (धारा 162 CrPC) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पुलिस बयान पर हस्ताक्षर नहीं करवा सकती है।
– अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा गवाह के बयान लेखबद्ध करने की प्रक्रिया का दण्ड प्रक्रिया संहिता की चार धाराओं 160, 161, 162 व 163 (धारा 179, 180, 181, 182 BNSS) में उल्लेखित है।

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा A. K. एन्थोनी बनाम उत्तर प्रदेश** के वाद में कहा गया कि पुलिस द्वारा धारा 180 BNSS (धारा 161 CrPC) में लिये गये बयानों पर धारा 181 BNSS (धारा 162 CrPC) के अनुसार हस्ताक्षर नहीं करवायेगी परन्तु

यदि पुलिस द्वारा धारा 180 BNSS (धारा 161 CrPC) के बयान पर गवाह के हस्ताक्षर करवा दिए तो केवल इस कारण से मामले को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में साक्षी की प्रतिपरीक्षा सावधानी पूर्वक की जायेगी।

RAJASTHAN POLICE

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य** के वाद में कहा गया कि यदि किसी मामले में औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व गवाह के बयान अभिलिखित किये जाते हैं तो भी ऐसे बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के बयान की श्रेणी में आयेंगे और हस्ताक्षर करवाये जाने पर धारा 162 के दायरे में आते हैं।

– धारा 162 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं होते हैं परन्तु दो परिस्थितियां इसके अपवाद हैं –

क. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त की सूचना पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होते हैं।

ख. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार मृत्युकालीन कथन पर कथन करने वाले के हस्ताक्षर होते हैं।

– सम्पत्ति की चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद रिपोर्टकर्ता ने चोरी गये सामान की हस्ताक्षरित सूची भारसाधक अधिकारी को पेश की। यदि यह सूची अनुसंधान के दौरान पेश की जाती है तो यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के प्रतिकूल होगा। यदि सूची एफ.आई.आर. दर्ज होने के पश्चात् लेकिन दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 157 के तहत अनुसंधान प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का भाग मानी जायेगी।

– अभियुक्त द्वारा लिखित कोई भी दस्तावेज धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्थ में बयान नहीं है। इसी प्रकार फर्द जब्ती व बरामदगी भी इस अर्थ में बयान नहीं है। अतः ये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के दायरे में नहीं आते हैं।

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यू.पी. राज्य बनाम बूटासिंह** के वाद में कहा गया कि किसी मामले के अन्वेषण में पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से स्पेसीमेन हेण्डराईटिंग लिया जाना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के दायरे में नहीं आता।

<u>मृत्युकालिक कथन के संबन्ध में प्रावधान</u>

– किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण व परिस्थितियों के बारे में किया गया कथन मृत्युकालीन घोषणा कहलाता है।

– मृत्युकालीन घोषणा के संबंध में कानूनी प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) में वर्णित है।

– जब किसी व्यक्ति द्वारा लिखित या मौखिक कथन किये जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के कारण (Cause of Death) या संव्यवहार की परिस्थिति (Circumstances of Transaction) के बारे में उसके द्वारा किया गया कथन स्वयमेव सुसंगत होता है भले ही कथन लेने वाले व्यक्ति को कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु की प्रत्याशंका (Expectation of Death) न हो।

– मृत्युकालीन घोषणा के तत्व –

क. कथन घटना से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा दिया जाना
ख. पीड़ित व्यक्ति का मरणासन्न होना
ग. कथन का मृत्यु के कारण के बारे में होना
घ. कथन में मृत्युकारक परिस्थितियों का वर्णन होना

– मृत्युकालीन घोषणा की साक्ष्य में ग्रह्यता के कारण –

क. विश्वसनीयता – मृत्यु के समय मनुष्य के झूठ नहीं बोलने की अवधारणा
ख. आवश्यकता – अन्य किसी साक्ष्य का अभाव

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पोम्पिया बनाम बम्बई राज्य** के वाद में कहा गया कि जब किसी मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता और मृतक व्यक्ति का कथन ही एकमात्र साक्ष्य रह जाता है तो ऐसी दशा में कथन के सत्य व विश्वसनीय होने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है।

– मृत्युकालीन कथन कौन अभिलिखित कर सकता है –

✓ मजिस्ट्रेट –

– मृत्युकालीन कथन यथासंभव मजिस्ट्रेट के द्वारा ही लेखबद्ध किये जाने चाहिये।

✓ पुलिस अधिकारी –

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दलीप सिंह पंजाब राज्य** के वाद में कहा गया कि मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो मृत्युकालीन कथन पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जा सकते हैं।

– **राजस्थान पुलिस नियम 1965के नियम 6.22 के अनुसार**– पुलिस अधिकारी दो स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षियों की उपस्थिति में मृत्युकालीन कथन अभिलिखित कर सकता है।

– मृत्युकालीन कथन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये जाने चाहिये लेकिन उसकी अनुपस्थिति में हैड कानिस्टेबल द्वारा भी लिखे जा सकते हैं।

✓ चिकित्साधिकारी –

– अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्साधिकारी द्वारा मृत्युकालीन कथन अभिलिखित किये जा सकते हैं।

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल मजीद बनाम राज्य** के वाद में कहा गया कि चिकित्साधिकारी के स्वतंत्र, निष्पक्ष व प्रतिष्ठित होने से अभिलिखित कथन विश्वसनीय है।

✓ स्वयं मरणासन्न व्यक्ति –

– यदि मरणासन्न व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से मृत्युकालीन घोषणा लिखकर देता है तो वह साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

RAJASTHAN POLICE

✓ निकटस्थ अन्य व्यक्ति –

– जब मरणासन्न व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर है जहां से किसी पुलिस अधिकारी व मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम प्राधिकारी को सूचना नहीं दी जा सकती और चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं है तो वहाँ मौजूद किसी अन्य व्यक्ति या उसके परिजन के समक्ष की गई मृत्युकालीन घोषणा साक्ष्य में ग्राह्य है।

– मृत्युकालीन घोषणा अभिलिखित करने की रीति –

- सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि पीड़ित व्यक्ति बयान देने की स्थिति में है अथवा नहीं। चिकित्सक से उक्त आशय का प्रमाण–पत्र अवश्य लेना चाहिये।
- बयान पीड़ित व्यक्ति की भाषा में शब्दशः (Satement Verbatim) लिखे जाने चाहिये। बयान को प्रश्नोत्तर के रूप में लिखना चाहिये।
- 'मृत्युकालीन घोषणा' में यथासंभव घटना से संबंधित सभी तथ्यों का उल्लेख होना चाहिये लेकिन कोई बात छूट भी जाती है तो केवल इस आधार पर अमान्य नहीं हो जाती।
- मत्युकालीन कथन लेखबद्ध करते समय अपराध में लिप्त होने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को पास में खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट मरणासन्न व्यक्ति द्वारा ही दर्ज कराई गई है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे बयान मृत्युकालीन घोषणा माना जा सकता है।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 में वर्णित कथनों को लेखबद्ध किये जाने के संबन्ध में नियम

– राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 6.18 के अनुसार धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान केस डायरी का हिस्सा नहीं होते हैं परन्तु बयान अलग से लिखे जाकर केस डायरी के साथ लगाये जायेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी केस डायरी में बयानों को लगाये जाने के निर्देश दिये हैं।

– अनुसंधान अधिकारियों के द्वारा अनुसंधान के दौरान धारा 161 CrPC में मौखिक साक्ष्यों की विडियों रिकोर्डिंग के संबंध में **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 9971–10011 दिनांक 14.05.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 271)

– आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान महिलाओं को अन्वेषण हेतु बुलाये जाने व पुलिस हिरासत में रखे जाने के संबंध में **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 526–575 दिनांक 02.02.2011** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 277)

<u>पुलिस की अनुसंधान के दौरान गवाहों की परीक्षा करने की शक्ति व प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–</u>

– धारा 180. पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा. –

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो अध्याय–13 के अधीन अन्वेषण कर रहा है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है।

(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही–सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है।

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भीकथन को लेखबद्ध कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक् और सही अभिलेख बनाएगा, जिसका कथन वह अभिलिखित करता है।

परंतु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी महिला का कथन, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71. धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अधिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

– धारा 181. पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग

(1) किसी व्यक्ति द्वारा किसीपुलिस अधिकारी से अध्याय–13 के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा।

परंतु जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है तब यदि उसके कथन का कोई भाग, सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है तो, अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 148 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–8

पीड़िता/पीड़ित की मेडिकल जाँच

किसी आपराधिक प्रकरण के अनुसंधान के दौरान यदि परिवादी अथवा पिड़ित व्यक्ति के शरीर पर घटना के दौरान कोई चोट अथवा क्षति कारित की गयी है तो उस चोट का मेडिकल मुआयना मेडिकल ज्युरिस्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर द्वारा करवायी जाकर उसका चोट प्रतिवेदन (इंजरी रिपोर्ट) प्राप्त किया जाना महत्वपुर्ण है।

यदि पीड़िता बलात्संग के अपराध की पीड़िता है तो ऐसी महिला की मेडिकल जाँच यथासंभव महिला चिकित्सक द्वारा की जाएगी और जाँच के दौरान डीएनए प्रोफाईलिंग करवाये जाने हेतु बल्ड सैंपल (एफटीए कार्ड पर) आवश्यक रूप से लिए जायेंगे।

पीड़ित व्यक्ति की चोट प्रतिवेदन (इंजरी रिपोर्ट) अथवा बलात्संग पीड़िता की मेडिकल जाँच रिपोर्ट व डीएनए प्रोफाईलिंग रिपोर्ट विशेषज्ञ की राय के रूप में धारा 39(1) BSA (धारा 45 IEA) के तहत सुसंगत होगें

– धारा 176 BNSS (धारा 157 CrPC) में अन्वेषण के लिये प्रक्रिया के रूप में पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल जाँच करवायी जाती है।
– धारा 184 BNSS (धारा 164(ए) CrPC) में बलात्कार पीड़िता की DNA जाँच एवं डीएनए प्रोफाईलिंग आवश्यक रूप से की जायेगी।

– अनुसंधान के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा पीड़ित/पीड़िता की जांच रिपोर्ट अनुसंधान अधिकारी को सौंपे जाने हेतु लगने वाले समय को बीएनएसएस में समयबद्ध कर निर्धारित कर दिया गया है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
अनुसंधान	डॉक्टर/चिकित्सा व्यवसायी द्वारा मेडिकल जाँच रिपोर्ट पुलिस को सौंपा जाना।	बिना किसी देरी के **धारा 51(3)**
	बलात्कार पीडिता की इत्तिला प्राप्त होने पर मेडिकल जाँच हेतु भेजा जाना।	24 घण्टे के भीतर **धारा 184**
	डॉक्टर/चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बलात्कार पीडिता की मेडिकल जाँच रिपोर्ट पुलिस अनुसंधान अधिकारी को सौंपा जाना।	07 दिन के भीतर **धारा 184(6)**

<u>पुलिस की अनुसंधान के दौरान पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल जाँच व बलात्संग पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षा व डीएन प्रोफाईलिंग करवाने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–</u>

– धारा 184. बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा

(1) जहां, ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है उस महिला के शरीर की, जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्थापित है वहां ऐसी परीक्षा, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, ऐसी महिला की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी महिला को, ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला प्राप्त होने के समय से चौबीस घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा जाएगा।

(2) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसके पास ऐसी महिला भेजी जाती है. बिना किसी विलंब के, उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे, अर्थात् :–
(i) महिला का, और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है. नाम और पता।
(ii) महिला की आयु।
(iii) डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन।
(iv) महिला के शरीर पर क्षति के, यदि कोई हैं, चिह्न।
(v) महिला की साधारण मानसिक दशा; और।
(vi) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए महिला की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति, अभिप्राप्त करली गई है।

(5) रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी अंकित किया जाएगा ।

(6) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, सात दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा।

अध्याय–9

गवाह का मेडिकल

किसी आपराधिक प्रकरण के अनुसंधान के दौरान यदि परिवादी अथवा पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर घटना के दौरान कोई चोट अथवा क्षति कारित की गयी है तो उस चोट का मेडिकल मुआयना मेडिकल ज्युरिस्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा करवायी जाकर उसका चोट प्रतिवेदन (इंजरी रिपोर्ट) प्राप्त किया जाना महत्वपुर्ण है।

पीड़ित व्यक्ति की चोट प्रतिवेदन (इंजरी रिपोर्ट) अथवा बलात्संग पीड़िता की मेडिकल जाँच रिपोर्ट व डीएनए प्रोफाईलिंग रिपोर्ट विशेषज्ञ की राय के रूप में धारा 39(1) BSA (धारा 45 IEA) के तहत सुसंगत होगें।

– धारा 176 BNSS (धारा 157 CrPC) में अन्वेषण के लिये प्रक्रिया के रूप में पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल जाँच करवायी जाती है।
– धारा 184 BNSS (धारा 164(ए) CrPC) में बलात्कार पीड़िता की DNA जाँच एवं डीएनए प्रोफाईलिंग आवश्यक रूप से की जायेगी।

<u>पुलिस की अनुसंधान करने की शक्ति व प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 176. अन्वेषण के लिए प्रक्रिया

(1) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, इत्तिला प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 175 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा।

परंतु–

(क) जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तिता किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे;

(ख) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा।

परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, पीड़ित का कथन, पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता–पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसा कथन किसी श्रृव्य–दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों, जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है, के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

(3) किसी ऐसे अपराध के जो सात वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है, के होने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी तारीख से जो इस संबंध में पांच वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अपराध में फोरेन्सिक विज्ञान संबंधी साक्ष्य संग्रहण करने के लिएफोरेन्सिक विज्ञान संबंधी दल को अपराध स्थल पर भेज सकेगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी बनवाएगा।

परन्तु जहां ऐसे किसी अपराध के संबंध में फोरेन्सिक विज्ञान संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां राज्य सरकार जब तक उस मामले के संबंध में सुविधा नियोजित नहीं हो जाती या राज्य द्वारा नहीं की जाती, अन्य राज्य सरकार से ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित कर सकेगी।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–10

अभियुक्त का मेडिकल

अनुसंधान के दौरान आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय पुलिस की प्रार्थना पर मेडिकल जाँच करवायी जाती है जिसमें उसके शरीर पर चोटों इत्यादि के संबंध में उल्लेख किया जाता है। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के स्वास्थ्य परिक्षण का निर्देश न केवल BNSS अथवा CrPC अपितु संविधान के अनुच्छेद 22(1) में भी उल्लेखित है।

पुलिस अनुसंधान के दौरान आरोपी को रिमांड पर लिये जाने पर प्रत्येक 48 घंटे में आरोपी का स्वास्थ्य परिक्षण करवाया जाना अनिवार्य है।

किसी महिला अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा महिला चिकित्सक द्वारा ही की जायेगी तथा अभियुक्त की मेडिकल परीक्षा रिपोर्ट बिना देरी के अनुसंधान अधिकारी को दी जायेगी।

– धारा 51 BNSS (धारा 53 CrPC)में पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा किये जाने का प्रावधान है।
– धारा 52 BNSS (धारा 53(ए) CrPC) में बलात्कार के मुलजिम की चिकित्सा परीक्षा एवं DNA जाँच तथा डीएनए प्रोफाईलिंग हेतु अभियुक्त के शरीर से जैविक सेंपल (आवश्यकता होने पर बल पूर्वक भी) आवश्यक रूप से लिये जाने का प्रावधान है।
– धारा 53 BNSS (धारा 54 CrPC) में अभियुक्त की प्रार्थना पर पुलिस अभिरक्षा के दौरान अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा करवाये जाने का प्रावधान है। इस धारा के तहत अभियुक्त की मेडिकल जाँच की रिपोर्ट गिरफ्तार किये गये व्यक्ति या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जायेगी।

पुलिस अनुसंधान के दौरान अभियुक्त व्यक्ति की मेडिकल जाँच व बलात्संग अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा व डीएन प्रोफाईलिंग करवाने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 51. पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा. –

(1)जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जिसके बारे में यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो किसी पुलिस अधिकारी (जो उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का ना हो) की, प्रार्थना पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को, जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है।

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी महिला की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी ।
(3) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी देर किए बिना अन्वेषण अधिकारी को परीक्षा रिपोर्ट तुरंत भेजेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में और धारा 52 तथा धारा 53 में–

(क) "परीक्षा" में खून, खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, थूक और स्वेद, बाल के नमूनों और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के, जिनके अंतर्गत डी.एन.ए. प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है, सम्मिलित होंगे।

– धारा 52. बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा

(1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है. 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी पुलिस अधिकारी के निवेदन पर, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी के लिए,ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना किसी विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थातः–
(i) अभियुक्त और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पताः
(ii) अभियुक्त की आयु,
(iii) अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान, यदि कोई होंः
(iv) डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन और
(अ) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां।
(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएंगे, जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया
(4) परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा।
(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी, बिना किसी विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।

– धारा 53. गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा

(1) जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात् उसकी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी :

परंतु यदि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति की एक और परीक्षा की जानी आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकेगा :

परंतु यह और कि जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, वहां उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, या उसके पर्यवेक्षणाधीन की जाएगी।

(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस प्रकार परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिह्नों तथा अनुमानित समय का वर्णन करेगा जब ऐसी क्षति या चिह्न पहुंचाए गए होंगे।

(3) ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति.रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–11

मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान

अनुसंधान के दौरान कतिपय मामलों में, विशेषतः महिला अपराध से संबंधित मामलों में गवाह अथवा पीड़ित/पीड़िता का पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाया जाता है। तथा मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित किया जाता है।

मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाये गये बयानों तथा संस्वीकृतियों का उपयोग कर मामले को मजबूत बनाया जा सकता है।

मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान न केवल महिला अपराध पीड़िताओं अपितु अप्रुवर या सुल्तानी गवाह के इकबालिया बयान भी पुलिस द्वारा करवाया जाता है।

– धारा 183 BNSS (धारा 164 CrPC) में संस्वीकृतियों व कथन अभिलिखित किये जाने का प्रावधान उल्लेखित है।
– धारा 183(6)(क) BNSS (धारा 164(5)(ए) CrPC) में धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 124 BNS (धारा 354, 354–क,ख,ग, धारा 376(1), 376(2), 376–क, कख, ख, ग, घ, घक, घख और धारा 509 IPC) में पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाया जाना आवश्यक है।

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैद्यनाथ शाह बनाम उत्तर प्रदेश** में निर्णित किया गया कि यद्यपि धारा 183 BNSS (धारा 164 CrPC) के बयानों से मामला मजबूत बन जाता है परन्तु सजा होगी ही यह जरूरी नहीं है।

केवल धारा 183 BNSS (धारा 164 CrPC) के बयानों के आधार पर सजा देना तब तक सुरक्षित नही है जब तक कि तथ्यों व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से भी पुष्टि नहीं हो जाती है।

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मु. वलसम्मन बनाम राजस्थान** में निर्णित किया गया कि यदि किसी गवाह को आशंका है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस सही बयान नहीं लिखेगी और धारा 164 CrPC के तहत पुलिस गवाह के मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान नहीं कराती है तो गवाह स्वयं जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हेतु निवेदन कर सकता है।

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुन्ना बनाम राजस्थान राज्य** में निर्णित किया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किसी गवाह के

RAJASTHAN POLICE

बयान सारभूत–साक्ष्य नहीं है और इनका उपयोग गवाह का खण्डन या सम्पुष्टि करने के लिए किया जाता है।

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जे.एन. नायडू बनाम महाराष्ट्र राज्य** में निर्णित किया गया कि संस्वीकृति को अभिलिखित करते समय पुलिस अधिकारी को उपस्थित नहीं रहने देना चाहिये।

– राजस्थान पुलिस नियम 1965 कानियम 6.28 इस बात का उपबन्ध करता है कि संस्वीकृति को अभिलिखित करते समय पुलिस अधिकारी को उपस्थित नहीं रहने देना चाहिये।

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 183. संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना

(1) उस जिले का कोई मजिस्ट्रेट जिसमें किसी अपराध के किए जाने के बारे में इत्तिला रजिस्ट्रीकृत की गई है. चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो, जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है।

परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी।

(2) मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को, जो संस्वीकृति कर रहा है, यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है।

(6) (क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68 धारा 69, धारा 70. धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 (धारा 354, 354–क,ख,ग, धारा 376(1), 376(2), 376–क, कख, ख, ग, घ, घक, घख धारा 509 IPC) के अधीन दंडनीय मामलों में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा।

परन्तु ऐसा कथन जहां तक साध्य हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा सकेगा।

RAJASTHAN POLICE

परन्तु यह और कि ऐसे अपराध से संबंधित मामले में जो दस वर्ष या उससे अधिक कारावास से या आजीवन या मृत्युदंड से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करेगा।

परन्तु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा।

परन्तु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों, अधिमानतः मोबाइल फोन के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा।

(7) इस धारा के अधीन संस्वीकृति या कथन अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट, उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा उस मामले की जॉच या विचारण किया जाना है।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–12

अनुसंधान को बन्द करना

अनुसंधान हेतु पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इतिला प्राप्त होने पर या तो अन्वेषण हेतु वह स्वयं चाहेगा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से किसी एक को भेजेगा।

परन्तु यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतित होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण नहीं करेगा।

– धारा 176(1)(बी) BNSS (धारा 157(1)(बी) CrPC) में थाना अधिकारी द्वारा अन्वेषण के लिए पर्याप्त आधार नहीं होने पर उस मामले का अनुसंधान बंद करने का प्रावधान है।
– जब SHO को लगे कि मामले में अनुसंधान की कोई आवश्यकता नहीं है तो वह अनुसंधान बन्द कर सकेगा। (पर्याप्त आधार नही होने पर)

थानाधिकारी द्वारा अनुसंधान को बंद करने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

धारा 176. अन्वेषण के लिए प्रक्रिया

(1) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, इत्तिला प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 175 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा।

परंतु–

(ख) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–13

साक्षीयों को सफीना

अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामले के गवाह को बयान देने और उनकी मामले के संबंध में परीक्षा करने हेतु तलब कर सकता है। किसी गवाह को जो मामले में साक्ष्य उपलब्ध करवा सकता है को बयानों हेतु तलब करने लिए अनुसंधान अधिकारी द्वारा नोटिस/सफीना जारी किया जा सकता है।

– धारा 179 BNSS (धारा 160 CrPC) में साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति उल्लेखित है।
– I/O द्वारा धारा 179 BNSS (धारा 160 CrPC) के सफीना द्वारा किसी भी गवाह या अभियुक्त को तलब किया जा सकता है।
– पुलिस द्वारा 15 वर्ष से छोटे, 65 वर्ष से बड़े, महिला, मानसिक व शारीरिक निःशक्त को सफीने से नही बुलाया जा सकता है बल्की पुलिस को ऐसे व्यक्तियों के निवास या विकल्प के स्थान पर स्वयं जाना होगा।
– गवाह को बयान हेतु तलब करने के लिए धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 179 BNSS) के तहत नोटिस दिया जाता है जिसे पुलिस बोलचाल में "सफीना" (Subpoena) कहा जाता है जो लेटिन शब्द से बना है।

- गवाह को बुलाने हेतु धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 179 BNSS) का लिखित में आदेश जारी करना चाहिये।
- अनुसंधान अधिकारी द्वारा नोटिस गवाह को संबोधित करते हुए जारी करना चाहिए न कि किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को।
- नोटिस में गवाह को उपस्थित होने के समय, स्थान व दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।
- गवाह को उपस्थित होने हेतु अनुसंधान अधिकारी विवश नहीं कर सकेगा। यदि गवाह आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174 (धारा 208 BNS) की कार्यवाही की जा सकती है। इस हेतु आवश्यक है कि नोटिस लिखित में हो तथा उसकी तामील हो।
- किसी स्त्री या 15 वर्ष से कम आयु के पुरुष व्यक्ति को उनके निवास स्थान के अलावा अन्य स्थान पर बयान लेखबद्ध करने हेतु नहीं बुलाया जा सकता है।
- गवाह को निवास से भिन्न स्थान पर बुलाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराया भत्ता देय है।
- अभियुक्त को पूछताछ हेतु बुलाने के लिए भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 (धारा 179 BNSS) का ही नोटिस जारी किया जाता है।

RAJASTHAN POLICE

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती नंदिनी सत्पथि बनाम पी.एल.दानी** में निर्णित किया गया किदण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में 'कोई व्यक्ति' (Any Person) पदावली प्रयुक्त की गई है जिसमें गवाह, संदिग्ध तथा अभियुक्त व्यक्ति शामिल है।

– राजस्थान पुलिस नियम 1965 का नियम 6.2 स्पष्ट करता है कि उक्त लिखित आदेश में गवाह के आने–जाने के समय व दिनांक का उल्लेख होगा तथा बुलाये गये व्यक्ति को अनावश्यक नहीं रोका जायेगा।

पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुसंधान अधिकारियों के लिये परिपत्र जारी कर इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये हुए है।

– यदि सफीने की Limit को Cross किया तो ऐसे अनुसंधान अधिकारी के विरूद्ध धारा 199 BNS (धारा 166(ए) IPC) में कार्यवाही हो सकेगी।
– यदि गवाह नें सफीने का उल्लंघन किया तो ऐसे गवाह के विरूद्ध धारा 208 BNS (धारा 174 IPC) में इस्तगासा किया जा सकेगा।
– अनुसंधान एवं विचारण के दौरान पागल व्यक्ति, बच्चे, वृद्ध आदि भी कुछ सीमाओं तक सक्षम साक्ष्य हो सकेगा, इसका प्रावधान धारा 124 BSA (धारा 118 IEA) में उल्लेखित है।

गवाह को बयान हेतु तलब करने के लिए प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 179. साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति.–

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका दी गई इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है. अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा।

परंतु किसी पुरुष से जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का या साठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी महिला से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या महिला निवास करती है. भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

RAJASTHAN POLICE

– धारा 195. व्यक्तियों को समन करने की शक्ति

(1) धारा 194 BNSS (धारा 174 CrPC) के अन्तर्गत कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त मर्ग जाँच के प्रयोजन से लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए आबद्ध होगा।

परन्तु पंद्रह वर्ष से कम की आयु या साठ वर्ष की आयु से ऊपर के किसी व्यक्ति या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति से, उस स्थान के सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति रहता है. किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति थाने पर हाजिर होने और उत्तर देने के लिए सहमत हो तो उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–14

दस्तावेज या अन्य चीजे पेश करने का समन

अनुसंधान के दौरान जब अनुसंधान अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होता है कि, किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा दस्तावेज अथवा कोई ऐसी चीज है, जो उस मामले में जिसका वह अनुसंधान कर रहा है में, कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम आ सकती है तो वह अनुसंधान अधिकारी उस व्यक्ति से, वह दस्तावेज अथवा चीज अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का नोटिस/समन दे सकता है।

जिस व्यक्ति को अनुसंधान अधिकारी द्वारा दस्तावेज या अन्य चीजे पेश करने के लिये नोटिस/समन जारी किया जाता है वह व्यक्ति उस नोटिस मे प्रदत निर्देशों की पालना करने के लिए बाध्य है, जिसका उल्लघंन करने पर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही संस्थित की जा सकती है।

– धारा 94 BNSS (धारा 91 CrPC) में दस्तावेज या अन्य चीजे पेश करने केलिये समन जारी करवाने की अनुसंधान अधिकारी की शक्ति का उल्लेख है।
– धारा 94 BNSS (धारा 91 CrPC) के तहत दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने हेतु समन न्यायालय या पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
– धारा 94 BNSS (धारा 91 CrPC) के नोटिस में दस्तावेज प्राप्त करने की शक्ति है।
– धारा 94 BNSS (धारा 91 CrPC) के उल्लंघन करने पर धारा 210 BNS (धारा 175 IPC) के तहत इस्तगासा न्यायालय में पेश किया जाता है।

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान दस्तावेज या अन्य चीजे पेश करने हेतु समन किये जाने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 94. दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन.

(1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसा दस्तावेज या चीज या कोई इलेक्ट्रिॉनिक कम्यूनिकेशन डिवाइस जिसमें कोई डिजीटल साक्ष्य के होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसा न्यायालय समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे या हाजिर हो और उसे पेश करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।
(इलेक्ट्रॉनिक दृश्य–श्रव्य डिवाइस को भारतीय न्याय सहिंता की धारा 2(8) में परिभाषित किया गया है।)

अध्याय–15

गिरफ्तारी

अनुसंधान के दौरान कतिपय मामलों में जो अजामनतीय प्रकृति के होते है उनमें अभियुक्त को पुछताछ के लिए, अपराध के मोटिव/हेतुक को जानने, अपराध के मोडस ऑपरेन्डि/अपराध करने के तरीके को जानने के लिए, अपराध में शरीक मुलजीमों के बारे में पता लगाने, अपराध में प्रयुक्त सामग्री को बरामद करने तथा चुराई गई अथवा महत्वपुर्ण साक्ष्य की छुपाई गयी सामग्री को पता करने के लिए हिरासत में लिया जाना/गिरफ्तार किया जाना आवश्यक होता है।

– धारा 35(1) BNSS (धारा 41(1) CrPC) के तहत पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है।
– कुछ मामलों (जिनमें सजा की अवधि 07 वर्ष अथवा इससे कम है) में धारा 35(3) BNSS (धारा 41(ए) CrPC) के तहत पुलिस द्वारा अभियुक्त को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने (उपसंजाति) का नोटिस दिया जा सकता है।

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार (2014)** के मामले में निर्णित किया गयाकि –

- पुलिस द्वारा 07 वर्ष तक (इसमे 07 वर्ष भी शामिल है) अवधि के दण्डनीय अपराधों में अभियुक्त को पहले धारा 35(3) BNSS (धारा 41(ए) CrPC) का नोटिस दिया जायेगा।
- पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने अथवा नही करने के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।
- पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पूर्व एक चैक लिस्ट बनायी जायेगी जिसमें निम्नांकित बिन्दु होंगे।

1) आरोपी को कोई अपराध भविष्य मे कारित करने से रोकने के लिये।
2) अनुसंधान उचित रुप से पूर्ण करने के लिये।
3) आरोपी को अपराध के साक्ष्य नष्ट करने या किसी अन्य तरीके से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिये।
4) आरोपी को किसी ऐसे व्यक्ति जो प्रकरण के तथ्यो से अवगत हो तो उत्प्रेरणा व धमकी या वायदा करने जिससे वह न्यायालय या पुलिस को ऐसे तथ्य नही बतायें, जिससे वह न्यायालय या पुलिस को ऐसे तथ्य नही बताने से रोकने के लिये।
5) गिरफ्तार किये बिना आरोपी की उपस्थिति निश्चित दिन व समय पर न्यायालय मे सुनिश्चित नही की जा सकती।

RAJASTHAN POLICE

- गिरफ्तारी यन्त्रवत तरीके से नहीं होनी चाहिए।
- धारा 47 BNSS (धारा 50 CrPC) के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जायेगा, जो निम्न हो सकते है –
  1 अपराध के उचित अन्वेषण के लिये।
  2 अन्य अपराध कारित करने से निवारित करने के लिये।
  3 अपराध के साक्ष्य का लोभ या उसे दूषित करने से निवारित करने के लिये।
  4 मामले के तथ्यो से परिचित गवाह को उत्प्रेरित धमकी या वचन देने से निवारित करने के लिये ।
  5 माननीय न्यायालय मे अपराधी की उपस्थिती सुनिश्चित करने के लिये।
  6 अनुसंधान मे बरामदगी शेष होने के कारण।

- यदि गिरफ्तारी मनमाने ढंग से की गई तो पीठासीन अधिकारी पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही के लिये लिखेगा।
- संबंधित उच्च न्यायालय में भी अवमानना की कार्यवाही की जायेगी।
- मुकदमा दर्ज होने के 14 दिवस के भीतर I/O यह निर्णय लेगा कि 07 वर्ष से कम सजा वाले मामले मे अभियुक्त को गिरफ्तार करना है अथवा नहीं।
- यदि मल्जिम को गिरफ्तार नहीं करना है तो 14 दिवस के भीतर–भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट को इस संबंध में सूचना भेजेगा।
- यदि I/O इस अवधि में यह Decide नही कर पा रहा है कि गिरफ्तार किया जायेगा या नहीं तो जिला SP इस 14 दिवस की अवधि को Extend कर सकेगा, परन्तु कितना Extend करेगा इसका उल्लेख नहीं है।
- यदि पीठासीन अधिकारी ने बिना चैक लिस्ट के अभियुक्त को J/C या P/C कर दिया और I/O के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एस.पी. को नहीं लिखा तो संबंधित उच्च न्यायालय उस पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगा।
- धारा 43 BNSS (धारा 46 CrPC) में महिला की गिरफ्तारी हेतु विशिष्ट प्रावधान दिये गये है, जिनकी पालना किया जाना अनिवार्य है।
- धारा 42 BNSS (धारा 45 CrPC) में सेना व सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है।

RAJASTHAN POLICE

गिरफ्तारी के संबंध में अनुसंधान अधिकारियों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें

- जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है। तब उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।
- धारा 35(3) BNSS के तहत पुलिस अधिकारी ऐसे अन्य सभी मामलों में जिनमें उपधारा (1) के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जरुरी नहीं है, उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देश जारी करेगा।
- धारा 35(7) BNSS के तहत जिन अपराधों में सजा 3 साल से कम है और आरोपी गम्भीर बिमारी से पीडित है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस उपअधीक्षक (DySP) की अनुमति से ही की जा सकेगी।
- धारा 36(ख) BNSS के तहत प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय–अपने नाम व रैंक की सही व स्पष्ट पहचान धारण करेगा।
- फर्द गिरफ्तारी तैयार करके उस पर कम से कम एक गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाएगा।
- धारा 38 BNSS के तहत पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पंसद के वकील से मिलने का हकदार है, परन्तु सम्पूर्ण पुछताछ के दौरान नहीं।
- धारा 58 BNSS के तहत यदि 24 घण्टे के अन्दर ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति का नाम व पता सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
- धारा 43 BNSS के तहत गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के शरीर को छुकर और बोलकर, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा।
- धारा 43(1) BNSS के तहत महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जायेगी तथा विकट परिस्थितियों के अलावा पुरुष पुलिस अधिकारी महिला को नही छू सकता।
- पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए किसी आदतन अपराधी, आंतकवादी गतिविधि या ड्रग्स से सम्बन्धित अपराध, एसिड अटैक, करेंसी नोट का कूटकरण, मानव तस्करी, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरूद्ध अपराध किया हो तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या न्यायालय के सामने पेश करते समय पुलिस अधिकारी हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है।
- धारा 43(5) BNSS के तहत अगर महिला दोषी की गिरफ्तारी विकट परिस्थितियों या किसी मजबूर हालातों में रात के समय करनी हो, तो उन हालातों में ऐसी गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में रिपोर्ट करके प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के साथ ही की जाएगी।
- धारा 44 BNSS के तहत किसी पुलिस अधिकारी को या वारन्ट के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति को यकिन है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में छिपा है या उस स्थान का निवासी है या उस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति उस स्थान के अन्दर है, तो उस स्थान का मालिक, उस अधिकारी को तलाशी लेने के लिए उचित सुविधाऐं उपलब्ध करवाएगा।

RAJASTHAN POLICE

- धारा 47 BNSS के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकार के बारे में बताया जाएगा।
- धारा 48 BNSS के तहत पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है के बारे गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार या मित्र या अन्य कोई जिसे गिरफ्तार व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की सूचना देना चाहे, दी जाएगी। अगर अपराध जमानतीय है तो उसको जमानत के अधिकार के बारे में बताएगा।
- धारा 52 BNSS के तहत जब किसी व्यक्ति को बलात्कार या बलात्कार का प्रयत्न करने के अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी चिकित्सा परीक्षा Registered Medical Practitioner के द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा निवेदन करने पर की जाएगी।
- धारा 52(5) BNSS के तहत चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी देरी के रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट में अभियुक्त की सभी जानकारी व DNA प्रोफाइल के लिए गए सैम्पल की सामग्री का वर्णन करेगा। और बिना किसी देरी के रिर्पोट तैयार करके तफ्तीशी अधिकारी को भेजेगा।
- धारा 53(3) BNSS के तहत चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जाँच की जाएगी और उसकी तैयार की गई रिपोर्ट की एक कॉपी गिरफ्तार व्यक्ति या उसके द्वारा बतलाए गए व्यक्ति को दी जाएगी।
- धारा 53(1) BNSS के तहतयदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला है तो उसकी शारीरिक जाँच, महिला चिकित्सा अधिकारी से करवाई जाएगी।
- धारा 55 BNSS के तहत पुलिस थाने का थाना प्रभारी अपने अधीन किसी अन्य पुलिस अधिकारी को लिखित आदेश देकर, किसी व्यक्ति को बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त कर सकता है।
- धारा 56 BNSS के तहत अभियुक्त को हिरासत में रखने वाले अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की उचित देखभाल करेगा।
- धारा 57 BNSS के तहत बिना वारन्ट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी बिना देरी के थाना प्रभारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा।
- बिना वारन्ट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
- धारा 61 BNSS के तहत यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक हिरासत से भागता है या छुड़ा लिया जाता है, तो उसको तुरन्त पीछा करके भारत के किसी भी स्थान से गिरफ्तार किया जा सकता है।

RAJASTHAN POLICE

– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दुखी सिंह बनाम राज्य** के मामले में निर्णित किया गया कि यदि मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी में प्रतिरोध किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने के दौरान कोई अन्य विकल्प न होने पर ही मृत्यु कारित की जा सकती है।

– **अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार (2014)** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तारी हेतु धारा 41, 41–ए CrPC की पालना के संबंध में **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा राजस्थान द्वारा परिपत्र संख्या 3820–90 दिनांक 29.04.2020** द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। इसके साथ ही समुचित प्रारूप के नमुने भी जारी किए गये। (पृष्ठ संख्या– 236)

– पुलिस हिरासत में आत्महत्या, मृत्यु एवं अवैध हिरासत के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 629 दिनांक 28.02.2020** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 242)

– पुलिस हिरासत में आत्महत्या, मृत्यु एवं बलात्कार की घटनाओं के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 5013 दिनांक 31.10.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 243)

– पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में पुलिस कर्मियों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 4899 दिनांक 18.10.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है। (पृष्ठ संख्या– 261)

– आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान अभियुक्त, जमानत देने वाले व्यक्ति तथा गवाहान के पहचान–पत्र लिये जाने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा स्थायी आदेश संख्या 04/2019 दिनांक 07.02.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 274)

– हिरासत में लिये गये व्यक्ति की समुचित तलाशी लिये जाने के संबंध में **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मानव तस्करी विरोधी, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 1904 दिनांक 07.04.2016** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 276)

RAJASTHAN POLICE

राजस्थान पुलिस नियम 1965 में वर्णित गिरफ्तारी से संबन्धित महत्वपूर्ण प्रावधान

– राजस्थान पुलिस नियम 1965 का **नियम 7.3** के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तु दर्शित होंगी।
– राजस्थान पुलिस नियम 1965 का **नियम 7.26** के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की अनिवार्यता है।
– राजस्थान पुलिस नियम 1965 के **नियम 7.4** के अुनसार हवालात में बंदी को पर्याप्त बिस्तर, दरी व कम्बल इत्यादि उपलब्ध कराई जायेगी।

– प्राईवेट व्यक्ति द्वारा गिरफतारी के पश्चात किसी गिरफतारशुदा व्यक्ति को संबंधित भारसाधक अधिकारी के पास प्रस्तुत करने हेतू बीएनएसएस में समय–सीमा निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है–

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
गिरफ्तारी	यदि गिरफ्तारी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा की गयी है तो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को निकटतम पुलिस थाने पर लाया जाना।	06 घंटे के भीतर **धारा 40**

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 35. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी. –

(1) कोई पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा–
(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है; या
(ख) जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है।
यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्:–
(i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, सूचना या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।
(ii) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है–
(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए, या
(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए या

(ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, या
(घ) उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है. उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, रोकने के लिए, या
(ङ) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती,और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।
(ग) जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से अधिक की हो सकेगी,या मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है; या
(घ) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है; या
(ङ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है।
(च) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है,या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है; या
(छ) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है; या
(ज) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है।
(झ) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 394 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता हैः या
(ञ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है।

(2) धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ।

(3) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपसंजात होने के लिए निदेश देते हुए सूचना जारी करेगा।

(4) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे ।

(5) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

(6) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

(7) कोई भी गिरफ्तारी, ऐसे अपराध के मामले में जो तीन वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या साठ वर्ष से अधिक की उम्र का है. ऐसे अधिकारी, जो पुलिस उप–अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।

– धारा 43. गिरफ्तारी कैसे की जाएगी

(1) गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो।

परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तिला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा।

2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है।

(3) पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, अम्ल हमला, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध को कारित किया है।

(4) इस धारा की कोई बात, ऐसे व्यक्ति की, जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है ।

(5) असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां महिला पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।

RAJASTHAN POLICE

– धारा 42. सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण.

(1) धारा 35 और धारा 39 से धारा 41 तक की धाराओं में (दोनों सहित) किसी बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती।

– धारा 36. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य. –

प्रत्येक पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी करते समय, –

(क) अपने नाम की सही, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके।

(ख) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा, जो–

(i) कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का, जहां गिरफ्तारी की गई है, प्रतिष्ठित सदस्य है।

(ii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(ग) जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए।

– धारा 37. पदाभिहित पुलिस अधिकारी. –

राज्य सरकार.–

(क) प्रत्येक जिला तथा राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी।

(ख) प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाना में एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेगी, जो सहायक पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, वह गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और पता के बारे में जानकरी रखने के लिए उत्तरदायी होगा, अपराध की प्रकृति, जिसके साथ वह आरोपित किया गया है, प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से जिसके अन्तर्गत डिजिटल मोड भी है, प्रदर्शित किया जाएगा।

– धारा 38. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार. –

जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं।

RAJASTHAN POLICE

– धारा 39. नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी

(1) जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है. उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है. तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तारकिया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके।
(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है, तब वह इस बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा।

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह जमानतपत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा।

(3) यदि गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा।

– धारा 40. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया

(1) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, या किसी उद्‌द्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना, छह घंटे के भीतर, पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा।

(2) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 35 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन आता है तो पुलिस अधिकारी उसे अभिरक्षा में लेगा।

(3) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 39 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगीः किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा।

– धारा 41. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी

(1) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है।
(2) कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निदेश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और परिस्थितियों में वारण्ट जारी करने के लिए सक्षम है।

– धारा 47. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना. –

(1) किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा।

(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभुओं का इंतजाम करे।

– धारा 48. गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता.–

(1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में, जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी, उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए तथा जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।

(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी।

(4) उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है।

RAJASTHAN POLICE

— धारा 49. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी.—

(1) जब कभी, —

(i) पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है या ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है; तथा

(ii) जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है।

और तलाशी के दौरान पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्तिको एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तु दर्शित होंगी।

(2) जब कभी किसी महिला की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा की जाएगी।

अध्याय–16

पूछताछ–नोट

अनुसंधान के दौरान हिरासत में लिए गये/गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अपराध के बारे में तात्विक बातों तथा अपराध से जुड़े तथ्यों एवं साक्ष्यों की जानकारी लेने एवं उनको बरामद/जब्त किया जाकर ऑन रिकोर्ड लिया जाने हेतु पुछताछ नोट महत्वपुर्ण दस्तावेज होता है।

पुछताछ नोट के द्वारा ही किसी अपराधी के द्वारा किये गये पूर्व अपराधों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है इसके साथ–ही अपराधी के द्वारा कोई अन्य अपराध अकेले अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ करने की तैयारी के अपराधिक षडयंत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

पुछताछ नोट में अभियुक्त द्वारा बताये गये पूर्व अपराधों एवं आगामी आपराधिक षडयंत्र की जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही करने में सहायता मिलती है।

किसी संदिग्ध अथवा आरोपी व्यक्ति का पुछताछ नोट बनाने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाना जरूरी नहीं है।

– किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर अपराध के करने के कारणों, उसके Mens Rea तथा उन परिस्थितियों जिनमें अपराध किया गया एवं अपराध के Modus Oprendi को जानने के लिए धारा 176 BNSS (धारा 157 CrPC) के तहत अनुसंधान के दौरान पूछताछ नोट बनाया जाता है।

– परन्तु धारा 25 BSA (धारा 25 IEA) के तहत पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृती के साबित नहीं किये जाने के कारण ऐसी स्वीकृति सुसंगत नहीं है।

–अभियुक्त के भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बयान लेखबद्ध किये जा सकते हैं, परन्तु पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की संस्वीकृति होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 BSA (धारा 25 IEA) के तहत मान्य नहीं है।

– पुलिस अधिकारी द्वारा किये गये सभी प्रश्नों का सही–सही उत्तर देने के लिए गवाह व अभियुक्त कानूनन बाध्य है। यदि गवाह बयान देने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 179 (धारा 214 BNS) के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

– कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्नों का जबाव देने के लिए बाध्य नहीं है जो उसे अपराध में लिप्त करने वाले हों क्योंकि प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्माभिशंसन (Self-Incrimination) से संरक्षण प्राप्त है। यदि गवाह पुलिस अधिकारी द्वारा किये गये किसी प्रश्न का आत्माभिशंसन के आधार पर जबाव देने से मना करता है तो उसके खिलाफ धारा 179 भारतीय दण्ड संहिता (धारा 214 BNS) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

<u>पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी से की गयी संस्वीकृति के संबंध में नवीन BSA 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 23 - पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति. –

(1) किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी।

(2) कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, उसके विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक, कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो।

परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यकित से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति कीकोटि में आती हो या नहीं, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–17

मुलजिम द्वारा दी गई इत्तिला

अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये अभियुक्त द्वारा यदि स्वेच्छा से कोई ऐसी इतिला दी जाती है जो उस मामले के अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध करवाती है अथवा कोई ऐसा नया तथ्य डिस्कवर/प्रकट करती है जिसे साबित किया जा सकता है तो पुलिस अभिरक्षा में दी गयी ऐसी इत्तिला उस सीमा तक ग्राह्य है जिस सीमा तक उसे साबित किया जा सकता है।

यद्यपि पुलिस अभिरक्षा में की गयी संस्वीकृति मान्य नहीं है तथापि ऐसी इत्तिला जिससे कोई नया तथ्य प्रकट हो रहा है वह उस सीमा तक ग्राह्य हो सकती है जिससे कोई अपराध से संस्क्त वस्तु बरामद होती है या कोई तथ्य साबित हो पाता है।

– गिरफ्तारशुदा मुलजिम द्वारा पुलिस हिरासत में स्वेच्छा से दी गई इत्तिला मान्य है।
– पुलिस हिरासत में मुलजिम द्वारा दी गयी इत्तिला धारा 23(2) BSA (धारा 27 IEA) के तहत सुसंगत है।
– इत्तिला से नया Fact Discover होना चाहिए।
– इत्तिला उतनी साबित की जा सकेगी जितनी बरामदगी हो सकेगी।

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान अभियुक्त द्वारा दी गयी के संबंध में नवीन BSA 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 23. पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति

(1) किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी।

(2) कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, उसके विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो।

परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

अध्याय–18

घटनास्थल तस्दीक

– किसी अभियुक्त द्वारा अपराध को कारित किये जाने के स्थान को धारा 176 BNSS (धारा 157 CrPC) के तहत अनुसंधान के लिए I/O द्वारा घटना की सत्यता परखने हेतु अभियुक्त की निशान देही से घटनास्थल तस्दीक किया जाता है।

– घटनास्थल तस्दीक करना धारा 07 BSA (धारा 09 IEA) सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण व पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्यों के रूप में सुसंगत है।

–धारा 176(3) BNSS में प्रावधान किया गया है कि, ऐसे अपराधों जिसमें न्यूनतम सजा 07 वर्ष का कारावास है, उसमें आवश्यक रूप से फॉरेंसिक अनुसंधान किया जाएगा तथा ऐसे घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्यों का एकत्रीकरण कर दस्तावेज इत्यादि तैयार किए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाईल फोन या वीडियो कैमरा इत्यादि का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। ऐसे फोरेंसिक एक्सपर्ट की साक्ष्यों को समुचित तरीके से एकत्रित करने तथा प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जिन राज्यों में फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां वे अन्य राज्यों से यह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की निशादेही से किये गये घटनास्थल तस्दीक के संबंध में नवीन BSA 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 7. विवाद्यक तथ्य तथा सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य–

वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्य तथा सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक है या जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते है या जो किसी व्यक्ति या वस्तु जिसकी अनन्यता सुसंगत हो,से अनन्यता स्थापित करते है या वह समय या स्थान स्थिर करते है जब या जहां कोई विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ हो या उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते है जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत है जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

अध्याय–19

अभियुक्त को न्यायालय में पेश करना

अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने के पश्चात 24 घंटे के भीतर–भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। यदि कतिपय परिस्थितियों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो पाये तो ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को कारणो को अभिलिखित करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है।

– धारा 58 BNSS (धारा 57 CrPC) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरद्ध नहीं किया जा सकता है।
– संविधान के अनुच्छेद 22 में इसका स्पष्ट प्रावधान है।
– **सर्वोच्च न्यायालय ने डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल (1997)** के निर्णय में गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया है।

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 58. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना.–

कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा 187 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी, चाहे उसकी अधिकारिता है या नहीं।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–20

पुलिस द्वारा रिमांड

अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के संबंध में जब 24 घंटे के भीतर अनुसंधान पूर्ण न हो सके तब पुलिस द्वारा उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायालय से उस व्यक्ति की अभिरक्षा हेतु निवेदन किया जा सकता है।

कतिपय मामलों में गिरफ्तार शुदा व्यक्ति से पुछताछ, बरामदगी अथवा अन्य सहअभियुक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करना शेष होती है या घटना स्थल की तस्दीक की जानी अपेक्षित होती है तो पुलिस द्वारा न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा P/C (पुलिस कस्टडी) प्राप्त की जा सकती है।

– धारा 187 BNSS (धारा 167 CrPC) के तहत जब 24 घंटे में अन्वेषण पूरा न हो सके तब प्रक्रिया के रूप में पुलिस रिमांड का उल्लेख किया गया है।
– पुलिस रिमांड अधिकतम 15 दिवस के लिये ही लिया जा सकता है।
– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुपमा कुलकर्णी बनाम सीबीआई (1992)** के मामले में निर्णित किया गया किपुलिस रिमांड की अधिकतम अवधी 15 दिन हो सकती है, परन्तु यह 15 दिन शुरुआत के 15 दिन ही हो सकते है। (पुलिस हिरासत के प्रथम 24 घंटो को छोड़कर)
– धारा 187 BNSS में अधिकतम 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

परंतु धारा 87(2) BNSS में इन 15 दिनों की अभिरक्षा का उपयोग, न्यायिक अभिरक्षा की कुल 60 या 90 दिवस की अवधि में से शुरुआत के क्रमशः 40 और 60 दिवस की अवधि में किए जाने का उपबंध किया गया है।

पुलिस अभिरक्षा की 15 दिवस की अवधि एक साथ अथवा अलग–अलग टुकड़ों में हो सकेगी।

– न्यायिक अभिरक्षा J/C रिमांड भी एक समय में 15 दिन का ही हो सकता है, जो समय–समय पर बढ़ाया जा सकेगा।
– अभियुक्त को विचारण के दौरान उसके द्वारा कारित अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि से अधिक J/C नहीं रखा जा सकता है।
– मृत्युदण्ड आजीवन कारावास, दस वर्ष से अन्यून अपराध में अधिकतम निरोध 90 दिन हो सकेगा।
– दस वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में अधिकतम निरोध 60 दिन हो सकेगा।
– मजिस्ट्रेट अभियुक्त की J/C या P/C से सीधे ही जमानत ले सकेगा।
– यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नही हो पा रहा है तो अन्तिम विकल्प के रूप में कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी P/C दे सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक बार में अधिकतम 07 दिन हेतु पर किसी भी परिस्थिति में अधिकतम 15 दिन से अधिक P/C नही दे सकता है।

RAJASTHAN POLICE

– पुलिस रिमांड और जूडिशियल रिमान्ड में अन्तर

पुलिस रिमांड	जूडिशियल रिमान्ड
1. पुलिस रिमांड दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (धारा 187 BNSS) के अनुसार दिया जाता है।	1. जूडीशियल रिमाण्ड दो बार दिया जाता है प्रथम धारा 167 द.प्र.सं. (धारा 187 BNSS) के अनुसार व दूसरी बार द.प्र.सं. की धारा 309 (धारा 346 BNSS) के अनुसार दिया जाता है।
2. पुलिस रिमाण्ड पुलिस अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र देने पर अभियुक्त की उपस्थिति में दिया जाता है।	2. दूसरा जूडीशियल रिमाण्ड अभियुक्त की गैरहाजिरी में भी दिया जा सकता है यदि रिमाण्ड शिनाख्त परेड के उद्देश्य से लिया जाए।
3. पुलिस रिमाण्ड प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय ने अधिकार दिया हो, दे सकता है।	3. प्रथम रिमाण्ड किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है चाहे उसे अधिकार प्राप्त न भी हो।
4. पुलिस रिमाण्ड 15 दिन की अवधि से अधिक नहीं दिया जा सकता है।	4. जूडीशियल रिमाण्ड एक बार में अधिक से अधिक 15 दिन तक दिया जा सकता है।

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 187. जब चौबीस घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके, तब प्रक्रिया.–

(1) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 58 द्वारा नियत चौबीस घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, जो उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह निकटतम मजिस्ट्रेट को विहित मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, यह विचार किये बिना, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या ना हो अभियुक्त को ऐसी अभिरक्षा में, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पूर्णतः या भागतः पंद्रह दिन से अधिक न होगी, उसकी निरुद्ध अवधि में से पहले चालीस दिन या साठ दिन के दौरान किसी भी समय निरुद्ध किया जाना समय–समय पर प्राधिकृत कर सकता है।

(3) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध पंद्रह दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि

RAJASTHAN POLICE

ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस उपधारा के अधीन अभिरक्षा में निरोध–

(i) कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष की अवधि या अधिक के लिए कारावास से दंडनीय है;

(ii) कुल मिलाकर साठ दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है।

और यथास्थिति नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

(4) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रनिक साधनों द्वारा पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और बढ़ा सकेगा।

परंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला की दशा में, किसी प्रतिप्रेषण गृह या मान्यताप्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध किए जाने को प्राधिकृत किया जाएगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–21

प्रोडक्शन वारंट

अनुसंधान के दौरान जब किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना अथवा उसकी अभिरक्षा प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो जो पूर्व से ही किसी मामलें में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है तो उसकी अभिरक्षा प्राप्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जाता है।

जब किसी अभियुक्त को प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त किया जाता है तो जेल से प्राप्त करने के तत्काल पश्चात् ऐसे अभियुक्त की मेडिकल जाँच करवायी जाती है तत्पश्चात उससे मामले में अनुसंधान किया जाता है।

प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त अभियुक्त से यदि अनुसंधान निर्धारित समयावधि में पूर्ण ना हो सके तो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते उस संबंधित मामले में पूर्व में उसकी पुलिस रिमांड की अवधि 15 दिन ना हो गयी हो।

– धारा 302 BNSS (धारा 267 CrPC) के तहत अनुसंधान के दौरान बन्दियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति का उल्लेख किया गया।

– न्याय के उद्देश्यों के लिए या अभियुक्त के विरूद्ध किन्ही कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए जेल में निरूद्ध अथवा न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बन्दी को अनुसंधान के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र दाखिल कर बन्दी को अनुसंधान हेतु प्राप्त किया जा सकता है।

– जेल से बन्दी को प्राप्त कर पहले उसका मेडिकल मुआयना करवाया जाकर तत्पश्चात अनुसंधान कर पुनः मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पुनः न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जाएगा।

जेल→ मेडिकल →अनुसंधान→मजिस्ट्रेट→जेल

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किये जाने के संबंध में की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 302. बन्दियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति

(1) जब कभी अनुसंधान या विचारण की प्रक्रिया के दौरान किसी दंड न्यायालय को यह प्रतीत होताहै कि –

(क) कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिएः या

(ख) न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए,

तब वह न्यायालय, कारागार के भारसाधक अधिकारी से यह अपेक्षा करने वाला आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए या साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करे।

अध्याय–22

<u>ट्रांजिट रिमांड</u>

– यद्यपि ट्राजिट रिमांड का कानून में कहीं उल्लेख नही है।

– तथापि धारा 187 BNSS (धारा 167 CrPC) एवं संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अभियुक्त अनुसधांन हेतु एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाने हेतु ट्रांजिट रिमांड न्यायालय से प्राप्त किया जाता है।

– ट्रांजिट रिमांड उस अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया जाता है जिसकी अधिकारिता से किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाकर अन्यत्र दुरस्थ स्थान पर यात्रा करके ले जाया जाना अपेक्षित है।

<u>पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–</u>

– धारा 187. जब चौबीस घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके, तब प्रक्रिया.–

(1) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 58 द्वारा नियत चौबीस घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, जो उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह निकटतम मजिस्ट्रेट को विहित मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है अभियुक्त को ऐसी अभिरक्षा में, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पूर्णतः या भागतः पंद्रह दिन से अधिक न होगी, उसकी निरुद्ध अवधि में से पहले चालीस दिन या साठ दिन के दौरान किसी भी समय निरुद्ध किया जाना समय–समय पर प्राधिकृत कर सकता है।

(3) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध पंद्रह दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस उपधारा के अधीन अभिरक्षा में निरोध–

RAJASTHAN POLICE

(i) कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष की अवधि या अधिक के लिए कारावास से दंडनीय है;

(ii) कुल मिलाकर साठ दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है।

और यथा स्थिति नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

(4) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रनिक साधनों द्वारा पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और बढ़ा सकेगा।

परंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला की दशा में, किसी प्रतिप्रेषण गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध किए जाने को प्राधिकृत किया जाएगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–23

शिनाख्त परेड (Test Identification Parade)

अनुसंधान के दौरान जब घटना कारित करने वाला अभियुक्त अज्ञात होता है। परन्तु परिवादी एवं गवाहान द्वारा उसे देखकर पहचान लेने का तथ्य बयानों के दौरान बताया जाता है तो उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करवाने तथा उस व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में मामले से संसक्त करने के लिये पहचान परेड या शिनाख्त परेड एक आवश्यक विधिक प्रक्रिया है।

जिन मामलों में पुलिस के द्वारा अज्ञात अभियुक्त की पहचान परिवादी और गवाहान से करवानी अपेक्षित होती है ऐसे मामलों में संदिग्ध/अभियुक्त को बापर्दा गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के समक्ष भी बापर्दा ही पेश किया जाता है ताकि गिरफ्तार शुदा व्यक्ति की पहचान शिनाख्त परेड से पहले उजागर न हो सके।
इसी प्रकार शिनाख्त परेड के द्वारा अपराध से संबंधित सम्पत्ति या वस्तु की पहचान का भी समर्थन करवाया जा सकता है।

– धारा 54 BNSS (धारा 54(ए) CrPC) में शिनाख्त परेड करवाये जाने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है।

– शिनाख्त परेड की कार्यवाही धारा 07 BSA (धारा 09 IEA) सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण व पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्यों के रूप में सुसंगत है।

– यह कार्यवाही SHO के निवेदन परन्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिये जाने पर होती है।

– यह कार्यवाही प्रायः कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित होती है।

– शिनाख्त अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों द्वारा (जिनकी शारीरिक बनावट व कद–काठि इत्यादि संदिग्ध से मिलती–जुलती होती है) की जाती है।

– शिनाख्त करने वाला व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त है तो शिनाख्त प्रक्रिया की विडियोग्राफी करवायी जायेगी।

– राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 7.32 में सम्पत्ति की पहचान से संबंधित प्रकिया दी गई है।

RAJASTHAN POLICE

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की शिनाख्त परेड की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 54. गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त,

जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा।

परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों और शिनाख्त प्रक्रिया किसी श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

– धारा 327. मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट.

(1) कोई दस्तावेज, जिसका किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के संबंध में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्व–हस्ताक्षरित शिनाख्त रिपोर्ट होना तात्पर्यित है. इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा, यद्यपि ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है :

परन्तु जहां ऐसी रिपोर्ट में ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्ति या साक्षी का विवरण है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 19, धारा 26, धारा 27, धारा 158 या धारा 160 के उपबंध लागू होते हैं, वहां, ऐसा विवरण इस उपधारा के अधीन, उन धाराओं के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझता है और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे मजिस्ट्रेट को समन कर सकेगा और उक्त रिपोर्ट की विषय–वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा और करेगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–24

किसी व्यक्ति के शरीर अथवा स्थान विशेष की तलाशी

अनुसंधान के दौरान अपराध के किये जाने से संबंधित साक्ष्यों को संदिग्ध व्यक्ति अथवा हिरासत में लिये गये व्यक्ति के शरीर पर होने का युक्ति–युक्त संदेह होने पर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की जामा तलाशी ले सकता है।

इसी प्रकार यदि सक्षम पुलिस अधिकारी को यह विश्वसनीय सुचना है कि किसी स्थान पर कोई अपराध किये जाने से संबंधित साक्ष्य मौजूद हो सकते है तो वह न्यायालय अथवा सक्षम अधिकारी से तलाशी वारन्ट प्राप्त कर स्थान विशेष की खाना तलाशी ले सकता है।

परन्तु यदि पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया में लगने वाले समय के दौरान अपराध के किये जाने के साक्ष्य नष्ट किये जा सकते है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए बिना तलाशी वारंट भी किसी स्थान विशेष की तलाशी ले सकता है।

यदि किसी ऐसे स्थान की तलाशी ली जानी है जो निवास के लिए काम लिया जाता है तथा जिसमे महिलाऐं भी निवास करती है तो ऐसी तलाशी महिला पुलिस अधिकारी की मौजुदगी में शिष्टता का ध्यान रखते हुए ली जाएगी।

– धारा 103(3) BNSS (धारा 100(3) CrPC) के तहत यदि किसी ऐसेव्यक्ति जिसके बारे में यह संदेह किया जाता है कि उसने अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाये हुए है जिसके लिये तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी ली जा सकेगी।

– किसी महिला की तलाशी अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का ध्यान रखते हुए ली जावेगी।

– तलाशी के दौरान दो या अधिक स्वतन्त्र गवाहान रखे जावें।

–मौतबिर/गवाह रहने के लिये धारा 103(4) BNSS (धारा 100(4) CrPC) के तहत किसी व्यक्ति को नोटिस दिया जा सकता है।

– धारा 103(4) BNSS (धारा 100(4) CrPC) के तहत दिये गये नोटिस की पालना नहीं करने पर धारा 222 BNS (धारा 187 IPC) के तहत इस्तगासा न्यायालय में पेश किया जायेगा।

– जब अनुसंधान के दौरान किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करने का साक्ष्य प्राप्त होता है तो ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए संभावित स्थानों की तलाशी ली जाती है। इसी प्रकार किसी स्थान पर किसी अपराध के संबंध में साक्ष्य मिलने की संभावना होती है तो उस स्थान की तलाशी ली जाती है। किसी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी शारीरिक या व्यक्तिगत तलाशी ली जाती है।

RAJASTHAN POLICE

– इस प्रकार तलाशी दो प्रकार की होती है –
- जामा तलाशी – शरीर की तलाशी
- खाना तलाशी – स्थान की तलाशी

– जामा तलाशी के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51, 100 (3) व (7) CrPC (धारा 49, 103 BNSS) में प्रावधान है और खाना तलाशी के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 47, 100, 165 व 166 CrPC (धारा 44, 103, 185, 186 BNSS) में प्रावधान है।

– <u>लावारिस सम्पत्ति के संबन्ध में विशिष्ट प्रावधान इस प्रकार है</u> –

- **राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 38** के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा अदावाकृत लावारिस सम्पत्ति को अपने कब्जे में लिया जाता है। राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 7 व 8 के अनुसार लावारिस सम्पत्ति का निस्तारण किया जाता है।
- **राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 7** के अनुसार पुलिस अधिकारी लावारिस सम्पत्ति को कब्जे में लेते समय सम्पत्ति की सूची तैयार करते हुए समय, स्थान, मात्रा व पहचान का विवरण लिखेगा और सूची पर दो साक्षी व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराना आवश्यक है। सम्पत्ति को जब्त करने वाला पुलिस अधिकारी सम्पत्ति भारसाधक अधिकारी को सुपुर्द करेगा जिसकी प्रविष्टि रोजनामचा आम में की जाकर सम्पत्ति सुपुर्द करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये जायेंगे। लावारिस सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी भारसाधक अधिकारी की होगी।
- **राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 8** के तहत लावारिस सम्पत्ति को प्राप्त करने वाला भारसाधक अधिकारी 15 दिन में रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त को भेजेगा।
- शीघ्र नष्ट होने योग्य वस्तु को बिना विलम्ब के पुलिस अधीक्षक के आदेश से नीलाम कर दिया जायेगा।
- पुलिस अधीक्षक लावारिस सम्पत्ति के दावेदार व्यक्ति को तीन माह के भीतर दावा साबित करने के संबंध में उद्घोषणा जारी करेगा जो स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थानों के सहज दिखाई देने वाले स्थान और पुलिस की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।
- यदि सम्पत्ति का मूल्य 50 हजार से अधिक हो तो स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशन किया जायेगा।
- किसी दावेदार के हक से संतुष्ट होने पर पुलिस अधीक्षक उसे सम्पत्ति परिदत्त करने का आदेश कर सकेगा।
- पुलिस अधिकारी सम्पत्ति परिदत्त करते समय दावेदार से उचित प्रतिभूति ले सकता है।
- यदि लावारिस सम्पत्ति के बारे में कोई दावा साबित नहीं कर पाता है तो सम्पत्ति पुलिस अधीक्षक के आदेश से नीलाम कर दी जायेगी और राशि का व्ययन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

RAJASTHAN POLICE

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
अनुसंधान	फर्द खाना तलाशी/निवास स्थान की तलाशी की रिपोर्ट स्थानीय अधिकारिता (जो अपराध का संज्ञान लेने हेतु अधिकृत है) वाले मजिस्ट्रेट को भेजा जाना।	48 घण्टे के भीतर बिना किसी देरी के। **धारा 185(5)**
	तलाशी तथा जब्ती की कार्यवाही की ऑडियो-विडियो रिकोर्डिंग का पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाना।	बिना किसी देरी के तत्काल **धारा 105**

<u>पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान अभियुक्त के शरीर अथवा किसी स्थान की तलाशी किये जाने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–</u>

– धारा 103. बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे.–

(1) जब कभी तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा।

(3) जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह व्यक्ति महिला है, तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा ली जाएगी।

(4) तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मुहल्ले के, दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को (उस मोहल्ले के नहीं मिलने पर अन्य मोहल्ले के) बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा।

RAJASTHAN POLICE

(5) तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सब चीजों की और जिन–जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(6) तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी।

(7) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा (3) के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार को जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(8) कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए लिखित आदेश द्वारा, बुलाए जाने पर, ऐसा करने से उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 222 (पुरानी धारा 187 आईपीसी) के अधीन अपराध किया है।

– धारा 108. मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है–

कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है।

– धारा 185. पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी

(1) जब कभी पुलिस थाने के भारसाधक या अनुसंधान अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की, जिसका वह भारसाधक है सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा अधिकारी केस डायरी में अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने, और यथासंभव उस चीज को, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, ऐसे तथ्यलिखित में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात् उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी कर सकता है या तलाशी करवा सकता है।

परन्तु इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी अधिमानतयाः मोबाइल फोन श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी।

RAJASTHAN POLICE

(3) यदि वह तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है तो अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी ले और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा।
(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल, किन्तु अड़तालीस घंटों के पश्चात् न हो, ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएंगी, जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है।

और जिस स्थान की तलाशी ली गई है, उसके स्वामी या अधिभोगी को, उसके आवेदन पर, उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी।

– धारा 186. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है

(1) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी, जो अन्वेषण कर रहा है, किसी दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी करवाने की अपेक्षा कर सकता है, जिसमें पूर्वकथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी करवा सकता है।

(2) ऐसा अधिकारी ऐसी अपेक्षा किए जाने पर धारा 185 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा और यदि कोई चीज मिले तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा, जिसकी अपेक्षा पर तलाशी ली गई है।

(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से उपधारा (1) के अधीन तलाशी करवाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, तब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए, जो अध्याय–13 के अधीन अन्वेषण कर रहा है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान की धारा 185 के उपबंधों के अनुसार ऐसी तलाशी करे या तलाशी करवाए, मानो ऐसा स्थान उसके अपने थाने की सीमाओं के भीतर हो।

(4) कोई अधिकारी, जो उपधारा (3) के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी सीमाओं के भीतर ऐसा स्थान है, तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा और ऐसी सूचना के साथ धारा 103 के अधीन तैयार की गई सूची की (यदि कोई हो) प्रतिलिपि भी भेजेगा और उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को धारा 185 की उपधारा (1) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी भेजेगा।

(5) जिस स्थान की तलाशी ली गई है, उसके स्वामी या अधिभोगी को, आवेदन करने पर उस अभिलेख की, जो मजिस्ट्रेट को उपधारा (4) के अधीन भेजा जाए, प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी।
(यह धारा सीआरपीसी की धारा 166 के अनुरूप है।)

RAJASTHAN POLICE

– धारा 96. तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है.–

(1) जहां–

(क) किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति, जिसको धारा 94 के अधीन समन या आदेश या धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करे; या

(ख) ऐसे दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है; या

(ग) न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी,

वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है; और वह व्यक्ति, जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है, उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है।

(2) यदि, न्यायालय ठीक समझता है, तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा; तथा वह व्यक्ति, जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है, केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा, जो ऐसे विनिर्दिष्ट है।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–25

जब्ती की कार्यवाही

अनुसंधान के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा किसी ऐसी वस्तु जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी अपराध में संलिप्त हो सकती है उसे जब्त किया जा सकता है।

– धारा 106(1) BNSS (धारा 102(1) CrPC) के तहत सम्पत्ति अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति का उल्लेख किया गया है।

– पुलिस अधिकारी किसी ऐसी सम्पति को अभिग्रहित कर सकता है जिसके बारे में यह संदेह हो कि वह वस्तु चुराई हुई है या किसी अपराध में संलिप्त है।

– यदि सम्पत्ति शीघ्रतया व प्रकृत्या क्षयशील है और ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 500 रू से कम है तोपुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जा सकेगा।

–दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 52, 102, 165 व 166 (धारा 50, 106, 185, 186 BNSS) में धारा 51 (1), 100 (5), (6) व (7) (धारा 49, 103 BNSS) से संदर्भित जब्ती से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं।

– **राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 में वर्णित लावारिस सम्पत्ति की जब्ती के विशिष्ट प्रावधान इस प्रकार है–**

- **राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 38** के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा अदावाकृत लावारिस सम्पत्ति को अपने कब्जे में लिया जाता है।
- **राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 7 व 8** के अनुसार लावारिस सम्पत्ति का निस्तारण किया जाता है।
- **राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 7** के अनुसार पुलिस अधिकारी लावारिस सम्पत्ति को कब्जे में लेते समय सम्पत्ति की सूची तैयार करते हुए समय, स्थान, मात्रा व पहचान का विवरण लिखेगा और सूची पर दो साक्षी व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराना आवश्यक है।
- सम्पत्ति को जब्त करने वाला पुलिस अधिकारी सम्पत्ति भारसाधक अधिकारी को सुपुर्द करेगा जिसकी प्रविष्टि रोजनामचा आम में की जाकर सम्पत्ति सुपुर्द करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये जायेंगे। लावारिस सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी भारसाधक अधिकारी की होगी।
- **राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 8** के तहत लावारिस सम्पत्ति को प्राप्त करने वाला भारसाधक अधिकारी 15 दिन में रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त को भेजेगा।

RAJASTHAN POLICE

- शीघ्र नष्ट होने योग्य वस्तु को बिना विलम्ब के पुलिस अधीक्षक के आदेश से नीलाम कर दिया जायेगा।
- पुलिस अधीक्षक लावारिस सम्पत्ति के दावेदार व्यक्ति को तीन माह के भीतर दावा साबित करने के संबंध में उद्घोषणा जारी करेगा जो स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थानों के सहज दिखाई देने वाले स्थान और पुलिस की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।
- यदि सम्पत्ति का मूल्य 50 हजार से अधिक हो तो स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशन किया जायेगा।
- किसी दावेदार के हक से संतुष्ट होने पर पुलिस अधीक्षक उसे सम्पत्ति परिदत्त करने का आदेश कर सकेगा।
- पुलिस अधिकारी सम्पत्ति परिदत्त करते समय दावेदार से उचित प्रतिभूति ले सकता है।
- यदि लावारिस सम्पत्ति के बारे में कोई दावा साबित नहीं कर पाता है तो सम्पत्ति पुलिस अधीक्षक के आदेश से नीलाम कर दी जायेगी और राशि का व्ययन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
अनुसंधान	फर्द खाना तलाशी/निवास स्थान की तलाशी की रिपोर्ट स्थानीय अधिकारिता (जो अपराध का संज्ञान लेने हेतु अधिकृत है) वाले मजिस्ट्रेट को भेजा जाना।	48 घण्टे के भीतर बिना किसी देरी के। **धारा 185(5)**
	तलाशी तथा जब्ती की कार्यवाही की ऑडियो–विडियो रिकोर्डिंग का पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट/ न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाना।	बिना किसी देरी के तत्काल **धारा 105**
	अपराध से अर्जित संपति को अटैच करने से पुर्व व्यक्ति को न्यायालय/मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर कारण दर्शित करने के लिए नोटिस की अवधि।	14 दिन **धारा 107(2)**
	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध तथा अपराध से अर्जित संपति के अटैचमेन्ट/जब्ती की कार्यवाही से प्राप्त आगमों का वितरण अपराध से प्रभावित हुए व्यक्तियों को अनुपातिक रूप से करना।	60 दिन **धारा 107(7)**

RAJASTHAN POLICE

<u>पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान संपति अभिग्रहित करने/जब्त करने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 106. कुछ संपत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति. –

(1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को, अभिगृहीत कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है, जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो।

(2) यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा और जहां अभिगृहीत संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है, या जहां अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है वहां वह उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबंध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए तब न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसके व्ययन की बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन करेगा :

परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत की गई संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपए से कम है, तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जा सकेगा और BNSS की धारा 503 और धारा 504 के उपबंध, यथा साध्य निकटतम रूप में, ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे।

अध्याय–26

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की रिहाई

अनुसंधान के दौरान जब किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है एवं तदन्तर में उसे पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है एवं उसके पश्चावर्ती अनुसंधान के दौरान ऐसे तथ्य एवं साक्ष्य प्राप्त होते है जो उसकी निर्दोषिता को प्रकट करते है अथवा उस गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के विरूद्ध पूर्व में संकलित साक्ष्यों का खण्डन करते है तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश कर रिहा करवाया जाता है।

– धारा 189 BNSS (धारा 169 CrPC) के तहत जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब उस अभियुक्त का छोड़ा जाना उल्लेखित किया गया है।
– किसी व्यक्ति को अनुसंधान के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा देने के पश्चात् जब अग्रिम अनुसंधान व साक्ष्य संकलन से यह ज्ञात हो कि किसी व्यक्ति को पुर्व में समुचित साक्ष्य के बगैर अथवा छदम साक्ष्यों के कारण गिरफ्तार किया गया है और वह व्यक्ति निरपराध है तो न्यायालय में धारा 189 BNSS (धारा 169 CrPC) के तहत प्रार्थना–पत्र दाखिल कर उसकी रिहायी करवायी जा सकती है।

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अपर्याप्त साक्ष्य के कारण छोड़े जाने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 189. जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना–

यदि इस अध्याय के अधीनअन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है, जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है तो ऐसा अधिकारी उस दशा में, जिसमें वह व्यक्ति अभिरक्षा में है, उसके द्वारा जैसा ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करे, यह बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने पर उसे छोड़ देगा कि यदि और जब अपेक्षा की जाए, तो और तब वह ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा, जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए, और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त है।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–27

आपराधिक मामले का चालान

जब अनुसंधान से किसी मामले में किसी अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध कारित करने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हो जाते है तब मामले का अनुसंधान अधिकारी/थाने का भारसाधक अधिकारी अपने पर्यवेक्षण अधिकारी से मामले के आरोप पत्र को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश प्राप्त करेगा।

अनुसंधान पूर्ण होने पर तथा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद होने पर उस मामले को मजिस्ट्रेट के समक्ष संज्ञान हेतु भेजा जायेगा।

– धारा 190 BNSS (धारा 170 CrPC) के तहत जब किसी मामले में अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना उल्लेखित है।

– न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के संबंध में **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र संख्या 20627–710 दिनांक 21.11.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 258)

– न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इंगित किये गये अन्वेषण/ट्रायल/अन्य विधिक कार्यवाही मे त्रुटि/लापरवाही एवं विभिन्न आक्षेपों के संबंध में पुलिस सुधार की दृष्टि से **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा आदेश संख्या 16069–16143 दिनांक 11.11.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 259)

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
आरोप–पत्र	विचारण न्यायलय से अनुमति प्राप्त होने पर, आरोप–पत्र पेश करने के पश्चात् भी विचारण के दौरान अग्रिम अनुसंधान।	90 दिन में अनुसंधान पुर्ण करना होगा परन्तु न्यायालय चाहे तो अवधि बढ़ा सकता है। **धारा 193(9)**
मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का आरम्भ होना	विचारण न्यायलय से अनुमति प्राप्त होने पर, आरोप–पत्र पेश करने के पश्चात् भी विचारण के दौरान अग्रिम अनुसंधान।	अभियुक्त के पेश होने या पेश किये जाने के दिवस से 14 दिन के भीतर **धारा 193(9)**

RAJASTHAN POLICE

<u>पुलिस द्वारा अनुसंधान के पश्चात् किसी मामले में पर्याप्त साक्ष्य संकलित हो जाने पर मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिये जाने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 190. जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना.–

(1) यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा।

परन्तु यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ले सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसी रिपोर्ट भेजी गई है, इस आधार पर कि अभियुक्त को अभिरक्षा में नहीं भेजा गया है, उसे स्वीकृत करने से इन्कार नहीं करेगा।

(2) जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके हाजिर होने के इस विषय में साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा।

अध्याय–28

पुलिस रिपोर्ट/अंतिम रिपोर्ट

अनुसंधान के पश्चात जब किसी मामले में ऐसे पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त नहीं होते है जिसके आधार पर मामले को मजिस्ट्रेट के समक्ष सज्ञान के लिये भेजा जाये तो पुलिस अधिकारी अन्वेषण को समाप्त कर पुलिस रिपोर्ट/अंतिम रिपोर्ट संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश कर सकेगा।

कतिपय मामलों में साक्ष्यों की अपर्याप्तता, झूठे तथ्यों के आधार पर प्रकरण पंजिबद्ध करवाने, तथ्य की भूल से प्रकरण पंजीबद्ध करवाने अथवा किसी अपराधी या चोरित् सामग्री के नहीं मिल पाने की स्थिति में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामले को समाप्त करने हेतु अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

– धारा 193 BNSS (धारा 173(2) CrPC) के तहत अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट का उल्लेख है।
– धारा 02(1)(न) BNSS (धारा 02(द) CrPC) में पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा है।

पुलिस द्वारा अनुसंधान के पश्चात् किसी मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अंतिम रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिये जाने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 193. अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट. –

(1) इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा।

(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67. धारा 68, धारा 70 या धारा 71 या लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 4. धारा 6. धारा 8 या धारा 10 के अधीन किसी अपराध के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी. दो मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा ।

(3) (i) जैसे ही जांच पूरी होती है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को, राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का माध्यम भी है, एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होगीः–
(अर्थात् चार्जशीट इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती है।)

(क) पक्षकारों के नामः
(ख) इत्तिला का स्वरूप;
(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नामः
(घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है, तो किसके द्वारा;
(ङ) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है;
(च) क्या अभियुक्त अपने बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया गया हैः
(छ) क्या अभियुक्त धारा 190 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है;
(ज) जहां अन्वेषण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 71 के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या महिला की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है।
(झ) इलेक्ट्रॉनिक युक्ति की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम;
(ii) पुलिस अधिकारी नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अन्वेषण की प्रगति की सूचना, किन्हीं साधनों द्वारा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी है, सूचना देने वाले या पीड़ित को देगा।
(iii) वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तिला दी, उस रीति से देगा, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे।

(4) जहां धारा 177 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है वहां ऐसे किसी मामले में, जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी और वह, मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निदेश दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करे।

(5) जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया गया है. तब मजिस्ट्रेट उस बंधपत्र या जमानतपत्र के उन्मोचनके लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(6) जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है, जिसको धारा 190 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ–साथ निम्नलिखित भी भेजेगाः–

(क) वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण, जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न हैं जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है; (सूची दस्तावेज)
(ख) उन सब व्यक्तियों के, जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, धारा 180 के अधीन अभिलिखित कथन। (सूची गवाहान्)

(7) यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही कीविषयवस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए असमीचीन है तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में से उस भाग को निकाल देने के लिए निवेदन करते हुए और ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(8) उपधारा (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी धारा 230 के अधीन यथा अपेक्षित अभियुक्त को प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट को सम्यक्रूप से सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की उतनी संख्या में प्रतियां जो अपेक्षित की जाएं, भी प्रस्तुत करेगा।

परन्तु इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के प्रदाय को सम्यक् रूप से तामील हुआ माना जाएगा।

(9) इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा (3) के अधीन मजिस्ट्रेट कोरिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात् आगे और अन्वेषण को प्रवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में भेजेगा; और उपधारा (3) से उपधारा (8) तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (3) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।

परन्तु विचारण के दौरान और अन्वेषण मामले का विचार करने वाले न्यायालय की अनुज्ञा से संचालित किया जा सकेगा और जो नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जिसका विस्तार न्यायालय की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–29

किसी मामले के अनुसंधान का पेडिंग रखा जाना

जब किसी मामले में अनंसंधान से एक से अधिक अभियुक्तों का अपराध कारित करने संबंधित तथ्य प्रकट होते है अथवा अनुसंधान अधिकारी को कुछ और साक्ष्यों को जुटाया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना अपेक्षित होता है तो प्रथमतः अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोपी के विरूद्व आरोप पत्र को मुख्य आरोप पत्र के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाता है।

जबकि कुछ और साक्ष्यों के संकलन करने हेतु आरोप पत्र को आशिंक रूप से भागतः धारा 193 BNSS (धारा 173(8) CrPC) में पेडिंग रख दिया जाता है तथा सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण हो जाने के पश्चात् पुरक चार्जशीट को न्यायालय में पेश किया जाता है।

पुलिस द्वारा अनुसंधान के पश्चात् किसी मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अंतिम रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिये जाने की प्रक्रिया के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 193. अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट. –

(1) इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा।

(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67. धारा 68, धारा 70 या धारा 71 या लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 4. धारा 6. धारा 8 या धारा 10 के अधीन किसी अपराध के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी. दो मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा ।

(3) (i) जैसे ही जांच पूरी होती है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को, राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का माध्यम भी है, एक रिपोर्ट भेजेगा।

अध्याय–30

फरार चल रहे अभियुक्त की उद्घोषणा एवं कुर्की की कार्यवाही

जब किसी मामले का विचारण न्यायालय के समक्ष चल रहा है तथा उस मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा समन, जामनती वारंट एवं गिरफ्तारी वारंट से तलब करने पर भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तब न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी कर दिया जाता है।

गिरफ्तारी के स्थायी वारंट जारी होने पर भी अभियुक्त के न्यायालय में पेश नहीं होने पर मफरूरी बयान करवाया जाकर ऐसे अभियुक्त की न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी के रूप में उद्घोषणा जारी की जाती है।

उद्घोषणा जारी किये जाने के पश्चात् ऐसे उद्घोषित अपराधी की चल–अचल संपति का विवरण न्यायालय के समक्ष रखा जाता है तथा न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधी की चल–अचल संपति को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त कर दिया जाता है।

– उद्घोषणा के संबंध में धारा 84 BNSS (धारा 82 CrPC) में प्रावधान दिये गये है।
– कुर्की के संबंध में धारा 85 BNSS (धारा 83 CrPC) में प्रावधान दिये गये है।
– यदि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है और वह लगातार अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए फरार चल रहा है, तो संबंधित थानाधिकारी माननीय न्यायालय से ऐसे अभियुक्त के विरूद्ध राजस्थान पुलिस अधिनियम की धारा 37 के तहत गिरफ्तारी का वारण्ट जारी करवा सकता है। ऐसा वारण्ट जारी किये जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय के समक्ष बीट कानिस्टेबल का मफरूरी बयान करवाया जाना आवश्यक होता है।

– धारा 84. फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा

(1) यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर हो।

(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगीः–
(i) (क) वह उस नगर या ग्राम के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी।
(ख) वह उस गृह या वासस्थान के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी।

(ग) उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाई जाएगी।
(ii) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निदेश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में, परिचालित किसी दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है।

(3) उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा (2) के खंड (प) में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक् रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध जिसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दस वर्ष या अधिक के कारावास से या आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दंडनीय बनाया गया है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय, तब ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन कीगई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं।

– धारा 85. फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की

(1) धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर, या दोनों प्रकार की, किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है।

परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है–
(क) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है; या
(ख) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है,तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है।

(2) ऐसा आदेश उस जिले में, जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है. पृष्ठांकित कर दिया जाए।

(3) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ऋण या अन्य जंगम संपत्ति इस धारा के अधीन कुर्की–

(क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी; या

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी; या

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी; या

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(4) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं में, –

(क) कब्जा लेकर की जाएगी; या

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी; या

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी; या

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(5) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो, यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–31

अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण

जब न्यायालय द्वारा किसी मामले का विचारण आरंभ किया जाना हो और उस मामले का अभियुक्त अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए फरार चल रहा हो तथा जिस अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में उद्घोषणा जारी कि जाकर उसकी संपति की कुर्की किये जाने की कार्यवाही संपन कर दी गयी हो तो ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी विचारण किया जा सकता है।

– अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण का प्रावधान धारा 335 BNSS (धारा 299 CrPC) में उल्लेखित है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
विचारण	उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण आरम्भ होना।	आरोप विरचित होने की दिनांक के 90 दिवस पश्चात् **धारा 356(1)**
	न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण आरम्भ करने हेतु 02 क्रमागत वारंट जारी करना।	02 क्रमागत वारंटों की तामील में 30 दिवस की अवधि का अन्तराल होना **धारा 356(2)(1)**
	समाचार पत्र में उद्घोषित अपराधी के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के नोटिस का प्रकाशन।	नोटिस अवधि 30 दिवस **धारा 356(2)(ii)**

न्यायालय द्वारा अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण करने और साक्ष्य का अभिलेख करने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 335. अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख

(1) यदि यह साबित कर दियाजाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरन्त गिरफ्तार किए जाने की कोई सम्भावनानहीं है तो उस अपराध के लिए, जिसका परिवाद किया गया है, उस व्यक्ति का विचारण करने के लिएया विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्षियों की (यदि कोई हों), उसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर, उस अपराध की जांच या विचारण में, जिसका उस पर आरोप है, उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है यदि अभिसाक्षी मर गया है, या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या मिल नहीं सकता है या उसकी हाजिरी इतने विलम्ब, व्यय या असुविधा के बिना, जितनी कि मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, नहीं कराई जा सकती।

अध्याय–32

सुल्तानी गवाह/अप्रुवर को क्षमा दान

किसी गंभीर मामले के अनुसंधान के दौरान जब किसी मुख्य अभियुक्त के विरूद्ध अन्य दस्तावेजी या परिस्थितिजन्य या चक्षूदर्शी साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाते है तब मामले को मजबुत बनाने तथा मुख्य आरोपी को सजा दिलवाने के लिये उस अपराध में मुख्य आरोपी के सहायक रहे सहअपराधी को सुल्तानी गवाह बना लिया जाता है।

सुल्तानी गवाह अथवा अप्रुवर को पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 BNSS (धारा 164 CrPC) के बयान करवाकर उसके द्वारा किये गये अपराध की संस्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष करवायी जाती है।

ऐसे सुल्तानी गवाह को अप्रुवर घोषित करवाया जाकर विचारण के दौरान उसके द्वारा इकबालिया बयान दिलवाये जाते है। विचारण चलने तक सुल्तानी गवाह न्यायिक अभिरक्षा में रहता है तथा विचारण समाप्त होने के पश्चात् मुख्य आरोपी को सजा होने के पश्चात् अप्रुवर को न्यायालय द्वारा क्षमा दान दिया जाता है।

– सह–आरोपी को क्षमादान दिये जाने के संबंध में प्रावधान धारा 343 BNSS (धारा 306 CrPC) में उल्लेखित है।

<u>पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान सह–अभियुक्त के सुल्तानी गवाह/अप्रुवर बन जाने पर क्षमादान की प्रक्रिया के संबंध में BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 343. सह–अपराधी को क्षमा–दान.–

(1) किसी ऐसे अपराध से, जिसे यह धारा लागू होती है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में. और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा–दान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का, जिनकी उसे जानकारी हो. पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे।

(2) यह धारा निम्नलिखित को लागू होती है–

(क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध।

RAJASTHAN POLICE

(ख) ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध।

(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट, जो उपधारा (1) के अधीन क्षमा–दान करता है–

(क) ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

(ख) यह अभिलिखित करेगा कि क्षमा–दान उस व्यक्ति द्वारा, जिसको कि वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं,और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क देगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन क्षमा–दान स्वीकार करने वाले–

(क) प्रत्येक व्यक्ति के अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चात्वर्ती विचारण में यदि कोई हो, साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो, विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा।

(5) जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन किया गया क्षमा–दान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा (4) के अधीन परीक्षा की जा चुकी है. वहां अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना, –

(क) मामले को–

(i) यदि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो, उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा।

(ii) यदि अपराध अनन्यतः तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा।

(ख) किसी अन्य दशा में, मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो उसका विचारण स्वयं करेगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय—33

न्यायालय में संज्ञान

अनुसंधान पूर्ण होने पर मामले को पर्याप्त साक्ष्य होने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर अभियुक्त पर लगे आरोपों के संबंध में दोनों पक्षों के वकिल द्वारा चार्ज बहस की जाती है।

चार्ज बहस के पश्चात् आरोपी पर आरोपों की विरचना की जाती है एवं तदन्तर में न्यायालय मे उस मामले में अपराध किये जाने के संबंध में प्रसंज्ञान लिया जाता है।

– न्यायालय में संज्ञान लिये जाने के संबंध में प्रावधान धारा 210 BNSS (धारा 190 CrPC) में उल्लेखित है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
संज्ञान	कुछ अपराधों में लिमिटेशन पीरियड की अवधि समाप्त हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना	जुर्माने से दण्डनिय अपराध की एफआईआर दर्ज होने या मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज किये जाने की दिनांक के 06 माह तक **धारा 514(2)**
	कुछ अपराधों में लिमिटेशन पीरियड की अवधि समाप्त हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना	01 वर्ष के कारावास से दण्डनिय अपराध की एफआईआर दर्ज होने या मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज किये जाने की दिनांक के 01 वर्ष तक **धारा 514(2)**
	कुछ अपराधों में लिमिटेशन पीरियड की अवधि समाप्त हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना	01 वर्ष से अधिक व 03 वर्ष तक के कारावास से दण्डनिय अपराध की एफआईआर दर्ज होने या मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज किये जाने की दिनांक के 03 वर्ष तक। **धारा 514(2)**
	लोक सेवको, जजों इत्यादि के विरूद्ध सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृती जारी किया जाना	यदि 120 दिन में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अभियोजन स्वीकृति स्वतः ही जारी की गयी मानी जायेगी। **धारा 218(1)**

न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिये जाने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 210. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान. –

(1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा (2) के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है:

(क) उन तथ्यों का, जिसमें किसी विशेष विधि के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया कोई परिवाद शामिल है, जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर;

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में (इलेक्ट्रॉनिक रीति सहित किसी रीति में प्रस्तुत) पुलिस रिपोर्ट पर;

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का, जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के भीतर है, उपधारा (1) के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–34

मामले को सेशन न्यायालय में कमिट/अंतरित किया जाना

जब किसी मामले को पुलिस द्वारा आरोप पत्र के रूप में स्थानीय अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उस न्यायालय में चार्ज बहस के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध ऐसे आरोपों की विरचना होती है जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराधों के संबंध में होती है। तो वह मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों को नियत अवधि में सत्र न्यायालय में कमिट/अन्तरित कर देता है।

– मामले को मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय में कमिट किये जाने का प्रावधान धारा 232 BNSS (धारा 209 CrPC) में उल्लेखित है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
सेशन न्यायालय में मामले का कमिट किया जाना	सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को सेशन न्यायालय को कमिट किया जाना।	कमिट किये जाने की कार्यवाही 90 दिन में संपन्न कर दि जायेगी जो कारण अभिलिखित किये जाने पर 180 दिन तक बढायी जा सकेगी। **धारा 232**
आरोप	सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों में अभियुक्त द्वारा दोषमुक्ति हेतू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना।	मामले का सेशन न्यायालय का कमिट होने की दिनांक से 60 दिवस के भीतर **धारा 250(1)**

न्यायालय द्वारा मामले को सेशन न्यायालय में कमिट/अंतरित किये जाने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 232. जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है

तब मामला उसे सुपुर्द करना. जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह–

(क) धारा 230 या धारा 231 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रतिप्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती हैः

(ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा;

(ग) मामले का अभिलेख तथा दस्तावेजें और वस्तुएं, यदि कोई हों, जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना है, उस न्यायालय को भेजेगा;

(घ) मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा :

परन्तु इस धारा के अधीन प्रक्रियाएं संज्ञान लेने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी और मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसी अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी जो एक सौ अस्सी दिनों की अवधि से अधिक न हो :

परन्तु यह और कि जहां कोई आवेदन सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले में अभियुक्त या पीड़ित या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल किया गया तो मामले को सुपुर्द करने के लिए सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा ।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–35

अभियुक्त का उन्मोचन

जब अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और चार्ज बहस के दौरान पत्रावली पर मौजुद साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचीत करने हेतु पर्याप्त नहीं होते है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में अभियुक्त को आरोपों से मुक्त कर उन्मोचित कर सकता है।

– मामले में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा उन्मोचित किये जाने का प्रावधान धारा 250 BNSS (धारा 227 CrPC) में उल्लेखित है।

न्यायालय द्वारा मामले में अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 250. उन्मोचन,–

(1) यदि अभियुक्त, धारा 232 के अधीन वाद की सुपुर्दगी की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–36

न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करना

अनुसंधान पूर्ण होने पर मामले को पर्याप्त साक्ष्य होने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर अभियुक्त पर लगे आरोपों के संबंध में दोनों पक्षों के वकील द्वारा चार्ज बहस की जाती है।

चार्ज बहस के पश्चात् आरोपी पर आरोपों की विरचना की जाती है एवं तदन्तर में न्यायालय मे उस मामले में अपराध किये जाने के संबंध में प्रसंज्ञान लिया जाता है।

– न्यायालय में आरोप विरचित किये जाने के संबंध में प्रावधान धारा 251 BNSS (धारा 228 CrPC) में उल्लेखित है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
आरोप–पत्र	विचारण न्यायलय से अनुमति प्राप्त होने पर, आरोप–पत्र पेश करने के पश्चात् भी विचारण के दौरान अग्रिम अनुसंधान।	90 दिन में अनुसंधान पुर्ण करना होगा परन्तु न्यायालय चाहे तो अवधि बढ़ा सकता है। **धारा 193(9)**
मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का आरम्भ होना	विचारण न्यायलय से अनुमति प्राप्त होने पर, आरोप–पत्र पेश करने के पश्चात् भी विचारण के दौरान अग्रिम अनुसंधान।	अभियुक्त के पेश होने या पेश किये जाने के दिवस से 14 दिन के भीतर **धारा 193(9)**
आरोप	मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य एवं दण्डनिय मामलों में मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करना	आरोप की प्रथम सुनवायी की दिनांक से 60 दिन के भीतर **धारा 263(1)**
तर्क सौदागरी	अभियुक्त द्वारा उस न्यायालय के समक्ष तर्क सौदागरी हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना जिसके समक्ष अपराध का विचारण किया जा रहा है।	आरोप विरचित होन की दिनांक के 30 दिन के भीतर **धारा 290(1)**

<u>न्यायालय द्वारा आरोपों की विरचना किये जाने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–</u>

– धारा 251. आरोप विरचित करना.–

(1) यदि पूर्वोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात्, न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो,

(क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा, मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर सकता है या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे, अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निदेश दे सकेगा, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

(ख) अनन्यतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा ।

(2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, वहां वह आरोप या तो शारीरिक रूप से या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उपस्थित अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है, दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है।

अध्याय–37

न्यायालय के द्वारा साक्षियों की परीक्षा

पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर देने के पश्चात् न्यायालय द्वारा आरोपों की विरचना कर प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात् मामले का विचारण आरंभ होता है।

मामले के विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा मामले के विभिन्न साक्षियों की परीक्षा की जाती है।

– न्यायालय द्वारा साक्षियों की परीक्षा किये जाने के संबंध में प्रावधान धारा 348 व 349 BNSS (धारा 311 व 311क CrPC) में उल्लेखित है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति	किसी विशेष मामले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सहायक लोक अभियोजक को नियुक्त करना। जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को इससे पुर्व ऐसी नियुक्ति के लिए नोटिस जारी करेगा।	राज्य सरकार को सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति किये जाने के संबंध में नोटिस दिये जाने की दिनांक से 14 दिवस की नोटिस अवधि के पश्चात्। **धारा 19(3)**
विचारण	अभियोजन एवं वकील अभियुक्त के द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार करना एवं अस्वीकार करना।	दस्तावेज उपलब्ध करवाने के तत्काल पश्चात 30 दिवस के भीतर। न्यायालय उचित समझे तो कारण अभिलिखित करते हुए समय–सीमा बढा सकता है। **धारा 330(1)**

RAJASTHAN POLICE

<u>न्यायालय द्वारा साक्षियों की परीक्षा किये जाने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 348. आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति–

कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है; और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

– धारा 349. नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति. –

यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी है, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख या आवाज का सैंपल देने के लिए निर्देश देना समीचीन है, तो वह उस आशय का आदेश कर सकेगा और उस दशा में, वह व्यक्ति, जिससे आदेश संबंधित है, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर पेश किया जाएगा या वहां उपस्थित होगा और अपने नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख या आवाज का प्रतिदर्श देगा।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो।

परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना ऐसा नमूना या प्रतिदर्श देने के लिए आदेश कर सकेगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–38

न्यायालय के द्वारा अभियुक्त की परीक्षा

पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर देने के पश्चात् न्यायालय द्वारा आरोपों की विरचना कर प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात् मामले का विचारण आरंभ होता है।

मामले के विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा मामले के विभिन्न साक्षियों की परीक्षा किये जाने के पश्चात् अभियुक्त की भी परीक्षा की जाती है।

– न्यायालय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा किये जाने के संबंध में प्रावधान धारा 351 व 353 BNSS (धारा 313 व 315 CrPC) में उल्लेखित है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
विचारण	न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में मौजुद अभियुक्त की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परीक्षा	ऐसी परीक्षा के बाद 72 घण्टे में अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाये जाने होंगे **धारा 316**

<u>न्यायालय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा किये जाने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–</u>

– धारा 351. अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति

(1) प्रत्येक जांच या विचारण में, इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके, न्यायालय–
(क) किसी प्रक्रम में, अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना, उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे।
(ख) अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा किए जाने के पश्चात् और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न करेगा।

परन्तु किसी समन मामले में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी है, वहां वह खंड (ख) के अधीन उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे सकता है।

(2) जब अभियुक्त की उपधारा (1) के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ न दिलाई जाएगी।

RAJASTHAN POLICE

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इंकार करने से या उसके मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय न हो जाएगा।

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है और किसी अन्य ऐसे अपराध की, जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो. किसी अन्य जांच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है।

(5) न्यायालय ऐसे सुसंगत प्रश्न तैयार करने में, जो अभियुक्त से पूछे जाने हैं, अभियोजक और प्रतिरक्षा काउंसेल की सहायता ले सकेगा और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन फाइल किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

– धारा 353. अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना

(1) कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के लिएकिसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है :

परन्तु –

(क) वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा;
(ख) उसका स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका–टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और न ही उसे उसके, या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा ही की जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दंड न्यायालय में धारा 101 या धारा 126 या धारा 127 या धारा 128 या धारा 129 के अधीन या अध्याय 10 के अधीन या अध्याय 11 के भाग ख. भाग गया भाग घ के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं, ऐसी कार्यवाहियों में अपने आपको साक्षी के रूप में पेश कर सकता हैः

परन्तु धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्यवाहियों में ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका–टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और न उससे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध उसी जांच में ऐसे व्यक्ति के साथ कार्यवाही की गई है, कोई उपधारणा ही की जाएगी।

अध्याय–39

सरकारी विशेषज्ञों की रिपोर्ट

अनुसंधान के दौरान तथा विचारण के समय विशेषज्ञ के रूप में टकसाल के अधिकारी तथा कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट को विशेषज्ञ की राय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

टकसाल के अधिकारियों तथा कुछ वैज्ञानिक संस्थानों जैसे–फिंगर प्रिन्ट ब्यौरो, मुख्य विस्पोटक नियंत्रक, हॉफकिन संस्थान के निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक तथा सीरम विज्ञान संस्थान के निदेशक इत्यादि को सरकारी विशेषज्ञ माना गया है।

– सरकारी विशेषज्ञों की रायके संबंध में प्रावधान धारा 328 तथा 329 BNSS (धारा 292 व 293 CrPC) में उल्लेखित है।
– सरकारी विशेषज्ञों की राय धारा 39(1) BSA (धारा 45 IEA) में सुसंगत है।

सरकारी विशेषज्ञों की रिपोर्टो के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 329. कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट

(1) कोई दस्तावेज, जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की, जिसे यह धारा लागू होती है. इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक् रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्यित है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी।

(2) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषयवस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा।

(3) जहां ऐसे किसी विशेषज्ञ को न्यायालय द्वारा समन किया जाता है और वह स्वयं हाजिर होने में असमर्थ है वहां, उस दशा के सिवाय जिसमें न्यायालय ने उसे स्वयं हाजिर होने के लिए स्पष्ट रूप से निदेश दिया है, वह अपने साथ काम करने वाले किसी जिम्मेदार अधिकारी को न्यायालय में हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है यदि वह अधिकारी मामले के तथ्यों से अवगत है तथान्यायालय में उसकी ओर से समाधानप्रद रूप में अभिसाक्ष्य दे सकता है।

(4) यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है. अर्थात् :–

(क) सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक।
(ख) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक।
(ग) निदेशक अंगुली–छाप ब्यूरो।
(घ) निदेशक, हाफकीन संस्थान, मुम्बई।
(ङ) किसी केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला या किसी राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला का निदेशक, उप–निदेशक या सहायक निदेशक।
(च) सरकारी सीरम विज्ञानी।
(छ) कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

– धारा 328. टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य

(1) कोई दस्तावेज, जो किसी टकसाल या नोटछपाई मुद्राणालय के या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के (जिसके अन्तर्गत स्टांप और लेखन सामग्री नियंत्रक का कार्यालय भी है) या न्याय संबंधी विभाग या न्यायालयिक प्रयोगशाला प्रभाग के किसी राजपत्रित अधिकारी की या प्रश्नगत दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक या प्रश्नगत दस्तावेजों के राज्य परीक्षक की जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा और रिपोर्ट के लिए सम्यक् रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्यित है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी, यद्यपि ऐसे अधिकारी को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है।

(2) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे अधिकारी को समन कर सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषय–वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है:

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी किन्हीं ऐसे अभिलेखों को पेश करने के लिए समन नहीं किया जाएगा जिन पर रिपोर्ट आधारित है।

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कोई अधिकारी, किसी टकसाल या नोट छपाई मुद्रणालय या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस या न्याय संबंधी विभाग के महाप्रबंधक या किसी अन्य भारसाधक अधिकारी या न्यायातयिक प्रयोगशाला के भारसाधक किसी अधिकारी या प्रश्नगत दस्तावेज संगठन के सरकारी परीक्षक या प्रश्नगत दस्तावेज संगठन के राज्य परीक्षक की अनुज्ञा के बिना, –
(क) ऐसे अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से, जिन पर रिपोर्ट आधारित है, प्राप्त कोई साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा; या

(ख) किसी सामग्री या चीज की परीक्षा के दौरान उसके द्वारा किए गए परीक्षण के स्वरूप या विशिष्टियों को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

अध्याय–40

न्यायालय द्वारा अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना

किसी मामले के विचारण के दौरान यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इस मामले में कुछ और व्यक्ति भी अपराध में सम्मिलित हो सकते है तो न्यायालय द्वारा उन व्यक्तियों को न्यायालय में समन किया जा सकता है तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

– न्यायालय द्वारा अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रावधान धारा 358 BNSS (धारा 319 CrPC) में उल्लेखित है।

न्यायालय द्वारा अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 358. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति. –

(1) जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार, गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है।

(4) जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है, वहां– (क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाहियां फिर से प्रारंभ की जाएंगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा; (ख) खंड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकतीहै, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था जिस पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया था।

अध्याय–41

अपराधों का शमन

अनुसंधान से अभिनिर्धारित किये गये अपराध को दो श्रेणियों में बाँटा गया है। इनमें से कुछ अपराध सरल प्रकृति के है, जिसमें न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष परस्पर राजिनामा कर सकते है, इन्हे प्रशमन योग्य अपराध कहा गया है। जबकि कुछ गंभीर प्रकृति के अपराधों को राजिनामा योग्य नहीं माना गया है।

– अपराधों का ऐसा वर्गीकरण के संबंध में प्रावधान धारा 359 BNSS (धारा 320 CrPC) में उल्लेखित है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
आरोप	असंज्ञेय तथा प्रशमन योग्य मामलों में परिवाद द्वारा दर्ज प्रकरण में नियत की गयी दिनांक पर परिवादी के उपस्थित नहीं होने पर अभियुक्त को दोष मुक्त करना।	परिवादी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु 30 दिन का अवसर प्रदान करना। **धारा 272**

<u>अपराधों के शमन के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–</u>

– धारा 359. अपराधों का शमन

(1) इस धारा में उल्लेखित की गयी सारणी के प्रथम दो स्तम्भों में विनिर्दिष्ट भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन उस सारणी के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।

(2) इस धारा में उल्लेखित की गयी सारणी के प्रथम दो स्तम्भों में विनिर्दिष्ट भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन उस न्यायालय की अनुज्ञा से, जिसके समक्ष ऐसे अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है, उस सारणी के तृतीय स्तंभ में लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।

(3) जब कोई अपराध इस धारा के अधीन शमनीय है, तब ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का, या ऐसे अपराध को करने के प्रयत्न का (जब ऐसा प्रयत्न स्वयं अपराध हो) या जहां अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3 की उपधारा (5) या धारा 190 के अधीन दायी हो, शमन उसी प्रकार से किया जा सकता है।

RAJASTHAN POLICE

(4) (क) जब वह व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता, बालक है या विकृत चित्त है, तब कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम हो, न्यायालय की अनुज्ञा से, ऐसे अपराध का शमन कर सकता है।
(ख) जब वह व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता, मर जाता है तब ऐसे व्यक्ति का, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में यथापरिभाषित, विधिक प्रतिनिधि, न्यायालय की सम्मति से, ऐसे अपराध का शमन कर सकता है।

(5) जब अभियुक्त विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाता है या जब वह दोषसिद्ध कर दिया जाता है और अपील लंबित है, तब अपराध का शमन, यथास्थिति, उस न्यायालय की इजाजत के बिना अनुज्ञात न किया जाएगा जिसे वह सुपुर्द किया गया है, या जिसके समक्ष अपील सुनी जानी है।

(6) धारा 442 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों के प्रयोग में कार्य करते हुए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध का शमन करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसका शमन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम है।

(7) यदि अभियुक्त पूर्व दोषसिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए या तो वर्धित दंड से या भिन्न किस्म के दंड से दंडनीय है तो ऐसे अपराध का शमन न किया जाएगा।

(8) अपराध के इस धारा के अधीन शमन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा जिससे अपराध का शमन किया गया है।

(9) अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–42

अभियोजन वापिस लेना

अनुसंधान के पश्चात न्यायालय के समक्ष विचारण से पूर्व या विचारण के दौरान कुछ मामलों में लोक अभियोजक द्वारा किसी मामले को न्यायालय की सहमति से वापस ले सकता है जिसका परिणाम उस मामले के अभियुक्त का उन्मोचन होगा।

–अभियोजन वापस लिये जाने के संबंध में प्रावधान धारा 360 BNSS (धारा 321 CrPC) में उल्लेखित है।

अभियोजन वापस लिये जाने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 360. अभियोजन वापस लेना. –

किसी मामले का भारसाधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणतः या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में, जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है।

(क) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पहले किया जाता है तो अभियुक्त ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(ख) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् या जब इस संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं है, तब किया जाता है तो वह ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में दोषमुक्त कर दिया जाएगा।

परन्तु जहां–

(i) ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है; या

(ii) ऐसे अपराध का अन्वेषण किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किया गया है; या

(iii) ऐसे अपराध में केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग, नाश या नुकसान अन्तग्रस्त है; या

(iv) ऐसा अपराध केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्यित है,और मामले का भारसाधक अभियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है, अभियोजन को वापस लेने के लिए न्यायालय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा तथा न्यायालय अपनी सम्मति देने के पूर्व, अभियोजक को यह निदेश देगा कि वह अभियोजन को वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष पेश करे।

परंतु यह और कि कोई न्यायालय उस मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी वापसी अनुज्ञात नहीं करेगा।

अध्याय–43

दोषमुक्ति या दोष सिद्धि

किसी मामले में अभियुक्त के विरूद्ध विचारण पूर्ण हो जाने के पश्चात् न्यायालय द्वारा उस अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का विशलेषण हो उस अभियुक्त की दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णयन किया जाता है।

– दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के संबंध में प्रावधान धारा 258 व 271 BNSS (धारा 235 व 248 CrPC) में उल्लेखित है।
– धारा 258 BNSS के प्रावधान सेशन न्यायालय से संबंधित है जबकि धारा 271 BNSS के प्रावधान मजिस्ट्रेट से संबंधित है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
आरोप	असंज्ञेय तथा प्रशमन योग्य मामलों में परिवाद द्वारा दर्ज प्रकरण में नियत की गयी दिनांक पर परिवादी के उपस्थित नहीं होने पर अभियुक्त को दोष मुक्त करना।	परिवादी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु 30 दिन का अवसर प्रदान करना। **धारा 272**

<u>दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–</u>

– धारा 258. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय

(1) बहस और विधि–प्रश्न (यदि कोई हों) सुनने के पश्चात् न्यायाधीश यथाशीघ्र बहस पूर्ण होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर मामलेमें निर्णय देगा, जिसे उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए पैंतालीस दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा।

(2) यदि अभियुक्त दोषसिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश, उस दशा के सिवाय, जिसमें वह धारा 401 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करता है, दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा।

– धारा 271. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि. –

(1) यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में, जिसमें आरोप विरचित किया गया है, मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा।

(2) जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है किन्तु वह धारा 364 या धारा 401 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है वहां वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात् विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है।

(3) जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में धारा 234 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन पूर्व दोषसिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोषसिद्ध किया गया था वहां मजिस्ट्रेट उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के पश्चात् अभिकथित पूर्व दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

परन्तु जब तक अभियुक्त उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक न तो ऐसा आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, न अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा, और न पूर्व दोषसिद्धि का निर्देश अभियोजन द्वारा, या उसके द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य में, किया जाएगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–44

न्यायिक निर्णय

किसी अपराध का विचारण पूर्ण होने के पश्चात साक्ष्यों का विशलेष कर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त की दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि के संबंध में निर्णय सुनाया जायेगा।

यह निर्णय उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अनुरूप दोषमुक्ति या केवल जुर्माना अथवा भर्त्सना/सम्पत्ति का समपहरण/साधारण या कठोर कारावास/आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड हो सकता है।

– निर्णय के संबंध में प्रावधान धारा 392 BNSS (धारा 353 CrPC) में उल्लेखित है।
– निर्णय की अन्तरवस्तु के संबंध में प्रावधान धारा 393 BNSS (धारा 354 CrPC)उल्लेखित है।
– भर्त्सना के संबंध में प्रावधान धारा 401 BNSS (धारा 360 CrPC)उल्लेखित है।
– मृत्यु दण्ड (जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है) के संबंध में प्रावधान धारा 407 BNSS (धारा 366 CrPC)उल्लेखित है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
निर्णयादेश एवं सजा	विचारण समपन्न होने पर निर्णयादेश सुनाया जाना।	45 दिवस के भीतर **धारा 392(1)**
	सेशन न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का निर्णयादेश सुनाया जाना।	बहस पुरी होने के 30 दिवस के भीतर। न्यायालय द्वारा यह अवधि कारण अभिलिखित करते हुए 45 दिन तक बढायी जा सकती है। **धारा 258(1)**
	न्यायालय द्वारा निर्णयादेश की डिजिटल कॉपी को अपलोड करना।	निर्णयादेश सुनाने के 07 दिवस के भीतर **धारा 392(4)**

RAJASTHAN POLICE

<u>निर्णय के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–</u>

– धारा 392. निर्णय.–

(1) आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण के खत्म होने के पश्चात् तुरन्त या बाद में पैंतालीस दिन से अनधिक किसी समय, जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं को दी जाएगी–
(क) संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा; या
(ख) संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा; या
(ग) अभियुक्त या उसके अधिवक्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्णय दिया जाता है. वहां पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिपि में लिखवाएगा और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा, और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा।

(3) जहां निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे और यदि वह उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) जहां निर्णय उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है, वहां संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं के परिशीलन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

परंतु यह कि न्यायालय जहां तक संभव हो निर्णय की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर अपने पोर्टल पर निर्णय की प्रति अपलोड करेगा।

(5) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए या तो उसे व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, लाया जाएगा।

(6) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी, किन्तु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी वैयक्तिक हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी गई है और दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोषमुक्त किया गया है।

RAJASTHAN POLICE

परन्तु जहां एक से अधिक अभियुक्त व्यक्ति हैं और उनमें से एक या एक से अधिक उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं हैं जिसको निर्णय सुनाया जाने वाता है तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलंब से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है।

(7) किसी भी दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण विधितः अमान्य न समझा जाएगा कि उसके सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या स्थान में कोई पक्षकार या उसका अधिवक्ता अनुपस्थित था या पक्षकारों पर या उनके अधिवक्ताओं पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और स्थान की सूचना की तामील करने में कोई लोप या त्रुटि हुई थी।

(8) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 511 के उपबंधों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है।

– धारा 393. निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु–

(1) इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 392 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय, –
(क) न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा;
(ख) अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट करेगाः
(ग) वह अपराध (यदि कोई हो) जिसके लिए और भारतीय न्याय संहिता, 2023 या अन्य विधि की वह धारा, जिसके अधीन अभियुक्त दोषसिद्ध किया गया है, और वह दंड जिसके लिए वह दंडादिष्ट है, विनिर्दिष्ट करेगा।
(घ) यदि निर्णय दोषमुक्ति का है तो, उस अपराध का कथन करेगा जिससे अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है और निदेश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया जाए।
(2) जब दोषसिद्धि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन है और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की दो धाराओं में से किसके अधीन या एक ही धारा के दो भागों में से किसके अधीन आता है तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्पतः निर्णय देगा।

(3) जब दोषसिद्धि, मृत्यु से या अनुकल्पतः आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में, दिए गए दंडादेश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का, कथन होगा।

(4) जब दोषसिद्धि एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है किन्तु न्यायालय तीन मास से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित करता है, तब वह ऐसा दंड देने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा, उस दशा के सिवाय जब वह दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है या वह मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन संक्षेपतः विचारित नहीं किया गया है।

RAJASTHAN POLICE

(5) जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया गया है तो वह दंडादेश यह निदेश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

(6) धारा 136 के अधीन या धारा 157 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश में और धारा 144, धारा 164 या धारा 166 के अधीन किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में, अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

– धारा 401. सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश–

(1) जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं है केवल जुर्माने से या सात वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का है या कोई महिला ऐसे अपराध के लिए, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, दोषसिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है तब, यदि उस न्यायालय को, जिसके समक्ष उसे दोषसिद्ध किया गया है, अपराधी की आयु, शील या पूर्ववृत्त को और उन परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया, ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है तो न्यायालय उसे तुरन्त कोई दंडादेश देने के बजाय निदेश दे सकता है कि उसे उसके द्वारा यह बंधपत्र या जमानतपत्र लिख देने पर छोड़ दिया जाए कि वह (तीन वर्ष से अनधिक) इतनी अवधि के दौरान, जितनी न्यायालय निदिष्ट करे, बुलाए जाने पर हाजिर होगा और दंडादेश पाएगा और इस बीच परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा।

परन्तु जहां कोई प्रथम अपराधी किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, जो उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, दोषसिद्ध किया जाता है और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए वहां वह उस भाव की अपनी राय अधिलिखित करेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को वह कार्यवाही निवेदित करेगा और उस अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा या उसकी उस मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी के लिए जमानत लेगा और वह मजिस्ट्रेट उस मामले का निपटारा उपधारा (2) द्वारा उपबंधित रीति से करेगा।

(2) जहां कोई कार्यवाही प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) द्वारा उपबंधित रूप में निवेदित की गई है. वहां ऐसा मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा दंडादेश या आदेश दे सकता है जैसा यदि मामला मूलतः उसके द्वारा सुना गया होता तो वह दे सकता और यदि वह किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच या अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है या ऐसी जांच किए जाने या ऐसा साक्ष्य लिए जाने का निर्देश दे सकता है।

(3) किसी ऐसी दशा में, जिसमें कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग, छल या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन दो वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय

किसी अपराध के लिए या केवल जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है, यदि वह न्यायालय, जिसके समक्ष वह ऐसे दोषसिद्ध किया गया है, ठीक समझे, तो वह अपराधी की आयु, शील, पूर्ववृत या शारीरिक या मानसिक दशा को और अपराध की तुच्छ प्रकृति को, या किन्हीं परिशमनकारी परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया था, ध्यान में रखते हुए उसे कोई दंडादेश देने के बजाय सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ सकता है।

(4) इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो।

(5) जब किसी अपराधी के बारे में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, उस दशा में जब उस न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, अपील किए जाने पर, या अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है और ऐसे अपराधी को उसके बदले में विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है।

परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय इस उपधारा के अधीन उस दंड से अधिक दंड न देगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था जिसके द्वारा अपराधी दोषसिद्ध किया गया था।

(6) धारा 140, धारा 143 और धारा 414 के उपबंध इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में पेश किए गए प्रतिभुओं के बारे में जहां तक हो सके, लागू होंगे।

(7) किसी अपराधी के उपधारा (1) के अधीन छोड़े जाने का निदेश देने के पूर्व न्यायालय अपना समाधान कर लेगा कि उस अपराधी का, या उसके प्रतिभू का (यदि कोई हो) कोई नियत वास स्थान या नियमित उपजीविका उस स्थान में है जिसके संबंध में वह न्यायालय कार्य करता है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की सम्भाव्यता है, जो शर्तों के पालन के लिए उल्लिखित की गई है।

(8) यदि उस न्यायालय का. जिसने अपराधी को दोषसिद्ध किया है, या उस न्यायालय का, जो अपराधी के संबंध में उसके मूल अपराध के बारे में कार्यवाही कर सकता था, समाधान हो जाता है कि अपराधी अपने मुजंगमके की शर्तों में से किसी का पालन करने में असफल रहा है तो वह उसके पकड़े जाने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है।

(9) जब कोई अपराधी ऐसे किसी वारण्ट पर पकड़ा जाता है तब वह वारण्ट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल लाया जाएगा और वह न्यायालय या तो तब तक के लिए उसे अभिरक्षा में रखे जाने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकता है जब तक मामले में सुनवाई न हो, या इस शर्त पर कि वह दंडादेश के लिए हाजिर होगा, पर्याप्त प्रतिभूति लेकर जमानत मंजूर कर सकता है और ऐसा न्यायालय मामले की सुनवाई के पश्चात् दंडादेश दे सकता है।

RAJASTHAN POLICE

(10) इस धारा की कोई बात, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) या किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी।

– धारा 407. सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना.–

(1) जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को तुरंत प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित न किया जाएगा जब तक वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए।

(2) दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करेगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–45

पीड़ित प्रतिकर

अनुसंधान के पश्चात विचारण द्वारा निर्णय जारी होने पर अभियुक्त को सजा होने के साथ ही ऐसे पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को जिनकों उस अपराध के कारण हानि अथवा क्षति हुयी है और उन्हें पुर्नवास एंव राहत की आवश्यकता है, ऐसे पीड़ितों को पुर्नवास हेतु निधियां उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।

पीड़ित प्रतिकर के लिए न केवल न्यायालय सिफारिश कर सकता है अपितु राज्य सरकार भी नीति निर्धारण कर पिड़ित प्रतिकर दे सकती है।

प्रायः सड़क दुर्घटना के ऐसे मामले दुर्घटना कारित करने वाले वाहन एवं अभियुक्त की पहचान नहीं हो पाती है वहां विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम द्वारा पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रतितोस प्रदान किया जाता है।

– पिड़ित प्रतिकर के संबंध में प्रावधान धारा 396 एवं 397 BNSS (धारा 357क, 357ख, 357ग CrPC) उल्लेखित है।

<u>पिड़ित प्रतिकर के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 396. पीड़ित प्रतिकर स्कीम.–

(1) प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी।

(2) जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तब, यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा।

(3) यदि विचारण न्यायालय का, विचारण की समाप्ति पर, यह समाधान हो जाता है कि धारा 395 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या जहां मामले दोषमुक्ति या उन्मोचन में समाप्त होते हैं और पीड़ित को पुनर्वासित करना है, वहां वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा।

(4) जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई विचारण नहीं होता है, वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे।

(5) उपधारा (4) के अधीन ऐसी सिफारिशें या आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्यक् जांच करने के पश्चात्, दो मास के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा।

(6) यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबद्ध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष दिलाने, जिसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे, के लिए तुरंत आदेश कर सकेगा।

(7) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65, धारा 70 या धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय किए जाने के अतिरिक्त होगा।

– धारा 397. पीड़ितों का उपचार–

सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 71 या धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 4, धारा 6, धारा 8 या धारा 10 के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरन्त सूचना देंगे।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–46

दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील

अनुसंधान एवं विचारण के पश्चात यदि किसी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध निर्णित किया जाता है तो वह अपनी दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध तय समय सीमा में अपील कर सकता है।

विचारण न्यायालय के विरूद्ध अपील सेशन न्यायालय, सेशन न्यायाल के विरूद्ध उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

यदि सर्वोच्च न्यायालय से भी दोषसिद्ध अभियुक्त को राहत ना मिले तो नये प्रावधान में दया याचिका को भी दण्ड प्रक्रिया का भाग बना दिया गया है।

– दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील के संबंध में प्रावधान धारा 415 BNSS (धारा 374 CrPC) उल्लेखित है।

दोषसिद्धि के विरूद्ध अपीलके संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 415. दोषसिद्धि से अपील

(1) कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है. उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।

(2) कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें सात वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश उसके विरुद्ध या उसी विचारण में दोषसिद्ध किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

(3) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति, –
(क) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है; या
(ख) जो धारा 364 के अधीन दंडादिष्ट किया गया है; या
(ग) जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 401 के अधीन आदेश दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है, सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है।

(4) जब कोई अपील, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 71 के अधीन पारित किसी कारावास के विरुद्ध फाइल की गई है, तो अपील फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसी अपील का निपटान किया जाएगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–47

दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील

अनुसंधान एवं विचारण के पश्चात यदि किसी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त निर्णित किया जाता है तो परिवादी/राज्य सरकार लोक अभियोजक एवं जिलाधिश के मार्फत अपने/किसी दाण्डिक मामले में अभियुक्त को दी गयी दोषमुक्ति के आदेश के विरूद्ध तय समय सीमा में अपील कर सकता है।

विचारण न्यायालय के विरूद्ध अपील सेशन न्यायालय, सेशन न्यायाल के विरूद्ध उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

– दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील के संबंध में प्रावधान धारा 419 BNSS (धारा 378 CrPC) उल्लेखित है।

दोषमुक्ति के विरूद्ध अपीलके संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 419. दोषमुक्ति की दशा में अपील.–

(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, और उपधारा (3) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए–
(क) जिला मजिस्ट्रेट, किसी मामले में, लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा;
(ख) राज्य सरकार, किसी मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीली आदेश से जो खंड (क) के अधीन आदेश नहीं है या पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में, अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगी।

(2) यदि ऐसा दोषमुक्ति का आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें अपराध का इस संहिता से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है तो केन्द्रीय सरकार उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक अभियोजक को–
(क) दोषमुक्ति के ऐसे आदेश से, जो संज्ञेय और अजमानतीय अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है सेशन न्यायालय में:
(ख) दोषमुक्ति के ऐसे मूल या अपीली आदेश से, जो किसी उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो खंड (क) के अधीन आदेश नहीं है या दोषमुक्ति के ऐसे आदेश से, जो पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उच्च न्यायालय में, अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है।

RAJASTHAN POLICE

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय को कोई अपील उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी।

(4) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय, परिवादी द्वारा उससे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, दोषमुक्ति के आदेश की अपील करने की विशेष इजाजत देता है तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

(5) दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा, उस दशा में जिसमें परिवादी लोक सेवक है उस दोषमुक्ति के आदेश की तारीख से संगणित, छह मास की समाप्ति के पश्चात् और प्रत्येक अन्य दशा में ऐसे संगणित साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा।

6) यदि किसी मामले में दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन नामंजूर किया जाता है तो उस दोषमुक्ति के आदेश से उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील नहीं होगी।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–48

<u>कतिपय मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील</u>

यदि विचारण के दौरान अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया था परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा अपील में सुनवाई के दौरान विचारण न्यायालय के फैसले को उलटकर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दिया जाता है तो ऐसा अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

– उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील के संबंध में प्रावधान धारा 420 BNSS (धारा 379 CrPC) उल्लेखित है।

<u>उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 420. कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील–

यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे दोषसिद्ध किया है तथा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया है तो यह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–49

उच्च न्यायालय को रेफरेंस किया जाना

किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान यदि विचारण न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि वह उस मामले के संबंध में किसी अधिनियम अथवा अध्यादेश के किसी उपबंध के संबंध में किसी अवधारणा के प्रश्न पर वह निश्चय नहीं कर पा रहा है तो वह न्यायालय अपनी राय एवं कारण उल्लेखित करते हुए मामले को समाधान हेतु उच्च न्यायालय को रेफर कर सकेगा।

– उच्च न्यायालय को रेफरेंस किये जाने के संबंध में प्रावधान धारा 436 BNSS (धारा 395 CrPC) उल्लेखित है।

उच्च न्यायालय को रेफरेंस किये जाने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 436. उच्च न्यायालय को निर्देश

(1) जहां किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की या किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध की विधिमान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अन्तर्गस्त है, जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है, और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील है किन्तु उस उच्च न्यायालय द्वारा, जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है वहां न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

(2) यदि सेशन न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी मामले में, जिसे उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, ठीक समझता है तो वह, ऐसे मामले की सुनवाई में उठने वाले किसी विधि–प्रश्न को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है।

(3) कोई न्यायालय, जो उच्च न्यायालय को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निर्देश करता है, उस पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय होने तक, अभियुक्त को जेल को सुपुर्द कर सकता है या अपेक्षा किए जाने पर हाजिर होने के लिए जमानत पर छोड़ सकता है।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–50

उच्च न्यायालय के द्वारा रिव्यु/पुनरीक्षण

जब किसी मामले का विचारण निचली अदालत/विचारण न्यायालय में हो रहा होता है तो न्यायालय आवश्यक होने पर अथवा उस मामले में कोई रिव्यु पिटिशन स्वीकृत होने पर उस मामले का अभिलेख उच्च न्यायालय में मंगवाकर उसका पुनरीक्षण कर सकता है।

– उच्च न्यायालय के द्वारा रिव्यु/पुनरीक्षण के संबंध में प्रावधान धारा 442 BNSS (धारा 401 CrPC) उल्लेखित है।

उच्च न्यायालय के द्वारा रिव्यु/पुनरीक्षण के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 442. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां –

(1) ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में, जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है या जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई है, वह धारा 427, धारा 430, धारा 431 और धारा 432 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 344 द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकेगा और जब उन न्यायाधीशों, जो पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन हैं, की राय समान रूप से विभाजित हो, तब मामले का निपटारा धारा 433 द्वारा उपबंधित रीति से किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई आदेश, जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो।

(3) इस धारा की कोई बात, उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(4) जहां इस संहिता के अधीन कोई अपील होती है, किन्तु कोई अपील की नहीं जाती है. वहां उस पक्षकार की प्रेरणा पर, जो अपील कर सकता था, पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी।

(5) जहां इस संहिता के अधीन कोई अपील होती है, किन्तु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उससे कोई अपील नहीं होती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की याचिका मान सकेगा और उस पर तद्नुसार कार्यवाही कर सकेगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–51

उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ एवं दया याचिका

किसी आपराधिक प्रकरण के पंजिबद्ध होने अथवा अनुसंधान के किसी भी स्तर पर या गिरफ्तारी के संदर्भ में या अग्रिम अनुसंधान किये जाने के संबंध में या आरोप पत्र/अन्तिम नतीजा विचारण न्यायालय में पेश करने के संदर्भ में अथवा विचारण के किसी भी स्टेज पर उच्च न्यायालय द्वारा मामले के समस्त दस्तावेजों को मंगवाया जा सकता है तथा उस पर विधि अनुकूल कोई निर्देश अथवा स्टे आदेश या नो–कोर्सिव एक्सन बी टेकन का आदेश दिया जा सकता है इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के द्वारा किसी मामले की एफआईआर को क्वैश/रद्द करने का आदेश भी दिया जा सकता है।

– उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के संबंध में प्रावधान धारा 528 BNSS (धारा 482 CrPC) उल्लेखित है।

उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 528. उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृति

इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

दया याचिका के समयबद्ध निस्तारण हेतु धारा 472 में प्रावधान किये गये है।

– नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में मृत्युदंड के दंड से दंडित अभियुक्तों को राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करने के अधिकार कानुनी रूप से प्रदत्त किये गये है।

– दया याचिका संबंधी प्रावधान पुर्ववर्ति दंड प्रक्रिया संहिता में नही थे तथा इन्हे बीएनएसएस 2023 में धारा 472 के रूप में शामिल किया गया है।

– मृत्यु दंड से दंडित अभियुक्त की दया याचिका का निस्तारण एक निश्चित समय सीमा में किए जाने तथा उस याचिका पर हुए निर्णय से संबंधित अभियुक्त को अवगत करावाये जाने की प्रक्रिया को भी नियत समय अवधि में समयबद्ध किया गया है।

RAJASTHAN POLICE

<u>दया याचिका के समयबद्ध निस्तारण हेतु धारा 472 में प्रावधान किये गये है।</u>

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
दया याचिका	मृत्यु दण्डादिष्ट व्यक्ति द्वारा राज्यपाल या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करना।	अपिल या पुनर्विलोकन अवधि के बीत जाने के 30 दिवस के भीतर। **धारा 472(1)**
	मृत्यु दण्डादिष्ट व्यक्ति द्वारा राज्यपाल द्वारा दया याचिका निरस्त किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करना।	राज्यपाल द्वारा दया याचिका निरस्त किये जाने की दिनांक के 60 दिवस के भीतर। **धारा 472(2)**
	केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति को दया याचिका के संबंध में सिफारिश करना।	राज्य सरकार व जेल अधिक्षक से टिप्पणी व अभिलेख प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर **धारा 472(4)**
	केन्द्र सरकार द्वारा दया याचिका के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश के बारे में राज्य सरकार एवं जेल अधीक्षक को सुचित करना	राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त होने के 48 घण्टे के भीतर। **धारा 472(6)**

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–52

जमानत एवं बंध–पत्र संबंधी प्रावधान

अनुसंधान के दौरान जमानतिय अपराधों में अभियुक्त व्यक्ति की जमानत पुलिस द्वारा ली जा सकती है परन्तु अजमानतिय अपराधों की जमानत न्यायालय के द्वारा ही ली जाती है।

अजमानतिय अपराधों के कुछ मामलों मे जमानत विचारण न्यायालय द्वारा ली जा सकती है अथवा न्यायालय चाहे तो जमानत खारिज भी कर सकता है जिस पर अभियुक्त को सेशन न्यायालय की शरण में जाना होता है।

सेशन न्यायालय से भी जमानत नहीं ली जाने पर अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय एवं तदंतर में सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिका लगायी जा सकती है।

यदि अभियुक्त को इस बाबत् पूर्ण आशंका है कि पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध के दौरान उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह सेशन न्यायालय व उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका लगा सकता है जिसके स्वीकृत हो जाने के पश्चात् पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किये जाने की दशा में न्यायालय के आदेश में वर्णित शर्तो के अधीन बंध–पत्र निष्पादित कर जमानत पर छोड़ दिया जाता है।

अग्रिम जमानत पर आजाद व्यक्ति द्वारा पुलिस को अनुसंधान में सहयोग नहीं करने अथवा जमानत की शर्तो का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा संबंधित सेशन अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश कर अभियुक्त की अग्रिम जमानत को खारिज करवाया जा सकता है।

– जमानत एवं बंध–पत्र के संबंध में प्रावधान धारा 478, 479 तथा 480 BNSS (धारा 436, 436क, 437 CrPC) उल्लेखित है।

– अग्रिम जमानत एवं बंध–पत्र के संबंध में प्रावधान धारा 482 एवं 483 BNSS (धारा 438 एवं 439 CrPC) उल्लेखित है।

– अग्रिम जमानत/जमानत एवं बंध–पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने पर बंध–पत्र के फोरफिट/समपृहत हो जाने या निरस्त कर दिये जाने के संबंध में प्रावधान धारा 491 व 492 BNSS (धारा 446 एवं 446क CrPC) उल्लेखित है।

RAJASTHAN POLICE

– आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान अभियुक्त, जमानत देने वाले व्यक्ति तथा गवाहन के पहचान–पत्र लिये जाने के संबंध में श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा स्थायी आदेश संख्या 04/2019 दिनांक 07.02.2019 जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 274)

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
जमानत	मृत्यु दण्ड एंव आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराधों के अतिरिक्त जैर विचारण निरूद्ध आरोपी को डीफॉल्ट जमानत प्राप्त होने की अधिकतम अवधि।	प्रथम बार के अपराधी को अधिकतम दण्डावधि का 1/3 भाग अवधि बीत जाने पर। अन्य मामलों में अधिकतम दण्डावधि का 1/2 भाग अवधि बीत जाने पर। **धारा 479(1)**

जमानत एवं बंध–पत्र के संबंध में नवीन BNSS 2023में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 478. किन मामलों में जमानत ली जाएगी–

(1) जब अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा 'वारण्ट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है उस बीच किसी समय, या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में, जमानत देने के लिए तैयार है तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

परन्तु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत देने के बजाय उसे इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर उन्मोचित कर सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है, तो उसे ऐसे उन्मोचित करेगा।

स्पष्टीकरण– जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के एक सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है वहां अधिकारी या न्यायालय के लिए यह उपधारणा करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए निर्धन व्यक्ति है।

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 135 की उपधारा (3) या धारा 492 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी।

– धारा 479. अधिकतम अवधि, जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है–

(1) जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्यु दंड या आजीवन कारावास एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

परन्तु ऐसा व्यक्ति प्रथम बार का अपराधी है और (अतीत में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है) तो वह न्यायालय द्वारा बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक–तिहाई विस्तार की अवधि तक निरोध रह चुका है।

परन्तु यह और कि न्यायालय, लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात् और उन कारणों से जो उस द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए निरोध को जारी रखने का आदेश कर सकेगा या उसके बंधपत्र के बजाय जमानत–पत्र पर उसे छोड़ देगा।

परन्तु यह भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी मामले में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण– जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में किए गए विलंब के कारण भोगी गई निरोध की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, तथा उसके तीसरे परन्तुक के अधीन रहते हुए, जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध या एक से अधिक अपराध या बहु मामले अन्वेषण, जांच या विचारण के लिए लंबित हैं तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा।

RAJASTHAN POLICE

(3) जेल का अधीक्षक, जहां अभियुक्त व्यक्ति निरुद्ध है, यथास्थिति, उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि का आधा या एक–तिहाई पूर्ण होने पर, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर निर्मुक्त करने के लिए उपधारा (1) के अधीन न्यायालय को कार्यवाही करने के लिए तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा।

– धारा 480. अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी –

(1) जब कोई व्यक्ति, जिस पर अजमानतीय अपराध का अभियोग है या जिस पर यह संदेह है कि उसने अजमानतीय अपराध किया है. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है, किन्तु–

(i) यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा;

(ii) यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया गया है. या वह तीन वर्ष या उससे अधिक के, किन्तु सात वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी संज्ञेय अपराध के लिए दो या अधिक अवसरों पर पहले दोषसिद्ध किया गया है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा।

परन्तु न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति, बालक है या कोई महिला या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है।

परन्तु यह और कि न्यायालय यह भी निदेश दे सकेगा कि खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोजित तथा ठीक है।

परन्तु यह और भी कि केवल यह बात कि अभियुक्त की आवश्यकता, अन्वेषण में साक्षियों द्वारा यहचाने जाने के लिए या प्रथम पन्द्रह दिन से अधिक की पुलिस अभिरक्षा के लिए हो सकती है, जमानत मंजूर करने से इंकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी, यदि वह अन्यया जमानत पर छोड़ दिए जाने के लिए हकदार है और यह वचन देता है कि वह ऐसे निदेशों का, जो न्यायालय द्वारा दिए जाएं, अनुपालन करेगा।

परन्तु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को, यदि उस द्वारा किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है तो लोक अभियोजक को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा बाएगा।

RAJASTHAN POLICE

(2) यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को, यथास्थिति, अन्वेषण, जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं हैं कि अभियुक्त ने अजमानतीय अपराध किया है किन्तु उसके दोषी होने के बारे में और जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो अभियुक्त धारा 492 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर. या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के स्वविवेकानुसार, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने पर, छोड़ दिया जाएगा।

(3) जब कोई व्यक्ति, जिस पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की या उससे अधिक की है. दंडनीय कोई अपराध या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 6, अध्याय 7 या अध्याय 17 के अधीन कोई अपराध करने या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है, उपधारा (1) के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है तो न्यायालय यह शर्त अधिरोपित करेगा, –

(क) कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है. कोई अपराध नहीं करेगा; और

(ग) कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा, और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें, जिसे वह ठीक समझे, भी अधिरोपित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों या विशेष कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(5) यदि कोई न्यायालय, जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमानत पर छोड़ा है, ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निदेश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

(6) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण, जो किसी अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है, उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से साठ दिन की अवधि के अन्दर पूरा नहीं हो जाता है तो, यदि ऐसा व्यक्ति उक्त सम्पूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है तो, जब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यया निदेश न दे वह मजिस्ट्रेट की समाधानप्रद जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

RAJASTHAN POLICE

(7) यदि अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात् और निर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय न्यायालय की यह राय है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त अभिरक्षा में है तो वह अभियुक्त को, निर्णय सुनने के लिए अपने हाजिर होने के लिए बंधपत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जानेपर छोड़ देगा।

अग्रिम जमानत एवं बंध–पत्र के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 481. अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत–

(1) विचारण के समाप्त होने से पूर्व और अपील के निपटान से पूर्व, यथास्थिति, अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय या अपील न्यायालय अभियुक्त से यह अपेक्षा कर सकेगा कि जब उच्चतर न्यायालय संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई किसी अपील या याचिका की बाबत सूचना जारी करे, तो वह उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे और ऐसे बंधपत्र छह मास तक प्रभावी रहेंगे।

(2) यदि ऐसा अभियुक्त उपसंजात होने में असफल रहता है तो बंधपत्र समपहृत हो जाएगा और धारा 491 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी।

– धारा 482. गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है; तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय था सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है; और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उन विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

RAJASTHAN POLICE

(i) यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
(ii) यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्तप्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगाः
(iii) यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
(iv) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वतित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

– धारा 483. जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां,–

(1) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि–
(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि अपराध धारा 480 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार का है, तो वह ऐसी कोई शर्त जिसे वह उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकता है;
(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए, यदि मामला आजीवन कारावास से दंडनीय है।

जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी ऐसे कारणों से. जो लेखबद्ध किए जाएंगे पह परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो

अनन्यतः सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं है।

(2) सूचना देने वाले या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत के आए आवेदन की सुनवाई करते समय बाध्यकारी होगी।

(3) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है, गिरफ्तार करने का निदेश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

अग्रिम जमानत/जमानत एवं बंध–पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने पर बंध–पत्र के फोरफिट/ समपहृत हो जाने या निरस्त करने के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 491. प्रक्रिया, जब बंधपत्र समपहृत कर लिया जाता है–

(1) जहां–
(क) इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होने या सम्पत्ति पेश करने के लिए है और उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय को, जिसे तत्पश्चात् मामला अंतरित किया गया है, समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र समपहृत हो चुका हैः या
(ख) इस संहिता के अधीन किसी अन्य बंधपत्र के बाबत उस न्यायालय को, जिसके द्वारा बंधपत्र लिया गया था, या ऐसे किसी न्यायालय को, जिसे तत्पश्चात् मामला अंतरित किया या है, या प्रयम वर्ग मजिस्ट्रेट के किसी न्यायालय को, समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र समपहृत हो चुका है।

न्यायालय व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसकी शास्ति दे या कारण दर्शित करे कि वह क्यों नहीं दी वहां न्यायालय ऐसे सबूत के आधारों को अभिलिखित करेगा और ऐसे बंधपत्र से आबद्ध किसी जानी चाहिए।

(2) यदि पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता है और शास्ति नहीं दी जाती है तो न्यायालय उसकी वसूली के लिए अग्रसर हो सकेगा मानो वह शास्ति इस संहिता के अधीन उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो।

परन्तु जहां ऐसी शास्ति नहीं दी जाती है और वह पूर्वोक्त रूप में वसूल नहीं की जा सकती है वहीं, प्रतिभू के रूप में इस प्रकार आबद्ध व्यक्ति, उस न्यायालय के आदेश से जो

शास्ति की वसूली का आदेश करता है. सिविल कारागार में कारावास से. जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।
(3) न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् उल्लिखित शास्ति के किसी प्रभाग का परिहार और केवल भाग के संदाय का प्रवर्तन कर सकता है।

(4) जहां बंधपत्र के लिए कोई प्रतिभू बंधपत्र का समपहरण होने के पूर्व मर जाता है वहां उसकी संपदा, बंधपत्र के बारे में सारे दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी।

(5) जहां कोई व्यक्ति, जिसने धारा 125 या धारा 136 या धारा 401 के अधीन प्रतिभूति दी है. किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, जिसे करना उसके बंधपत्र की या उसके बंधपत्र के बदले में धारा 494 के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों का भंग होता है, वहां उस न्यायालय के निर्णय की, जिसके द्वारा वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था, प्रमाणित प्रतिलिपि उसके प्रतिभू या प्रतिभुओं के विरुद्ध इस धारा के अधीन सब कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उपयोग में ताई जा सकती है और यदि ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रकार उपयोग में लाई जाती है तो, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा अपराध उसके द्वारा किया गया था।

– धारा 492. बंधपत्र और जमानतपत्र का रद्दकरण

धारा 491 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र या जमानतपत्र किसी मामले में हाजिर होने के लिए है और उसकी किसी शर्त के भंग होने के कारण उसका समपहरण हो जाता है वहां,
(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र तथा उस मामले में उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित एक या अधिक बंधपत्र भी यदि कोई हों, रद्द हो जाएंगे और
(ख) तत्पश्चात् ऐसा कोई व्यक्ति, उस मामले में केवल अपने ही बंधपत्र पर छोड़ा नहीं जाएगा यदि, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय का, जिसके समक्ष हाजिर होने के लिए बंधपत्र निष्पादित किया गया था, यह समाधान हो जाता है कि बंधपत्र की शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए बंधपत्र से आबद्ध व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त कारण नहीं था।

परन्तु इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए, उसे उस मामले में उस दशा में छोड़ा जा सकता है जब वह ऐसी धनराशि के लिए कोई नया व्यक्तित्रात बंधपत्र निष्पादित कर दे और ऐसे एक या अधिक प्रतिभुओं से बंधपत्र निष्पादित करा दे जो. यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–53

संपत्ति का व्ययन एवं माल/मालखाने का निस्तारण

अनुसंधान के दौरान एवं अनुसंधान से इतर किसी अपराध से संसक्त होने की आशंका अथवा अपराध में संलिप्त संपत्ति को पुलिस द्वारा विधि अनुरूप जब्त किया जाकर कब्जा पुलिस लिया जाता है।

जब्त शुदा सम्पत्ति का व्ययन करने एवं माल/मालखाने का निस्तारण किये जाने के संबंध में भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न कानुनी प्रावधानों का उपयोग किया जाता है।

– संपत्ति का व्ययन एवं माल/मालखाने के निस्तारण के संबंध में प्रावधान धारा 497 से 505 BNSS (धारा 451 से 459 CrPC) उल्लेखित है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
सम्पति के व्ययन का आदेश	न्यायालय द्वारा विचारण लंबित रहने तक संपति की अभिरक्षा एवं व्ययन के लिए आदेश।	न्यायालय के समक्ष ऐसे संपति को प्रस्तुत करने के 14 दिवस के भीतर **धारा 497(2)**

<u>संपत्ति का व्ययन एवं माल/मालखाने के निस्तारण के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 497. कतिपय मामलों में विचारण लंबित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश–

(1) जब कोई सम्पत्ति, किसी दंड न्यायालय या विचारण के लिए मामले का संज्ञान या सुपुर्द करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है तब वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस अन्वेषण, जांच या विचारण के समाप्त होने तक ऐसी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे, कर सकता है और यदि वह सम्पत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है तो वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् जैसा वह

आवश्यक समझे, उसके विक्रय या उसका अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए आदेश कर सकता है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए "सम्पत्ति" के अन्तर्गत निम्नलिखित है–

(क) किसी भी किस्म की "सम्पत्ति" या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है या जो उसकी अभिरक्षा में है;

(ख) कोई भी सम्पत्ति जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई प्रतीत होती है।

(2) न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपत्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करने से चौदह दिन की अवधि के भीतर ऐसी संपत्ति के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला विवरण ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, तैयार करेगा।

(3)न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपत्ति का, फोटो खिंचवाएगा, यदि आवश्यक हो, तो मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वीडियो बनवाएगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन तैयार विवरण और उपधारा (3) के अधीन लिए गए फोटो या वीडियोग्राफी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाएंगे।

(5) न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन तैयार किए गए विवरण और उपधारा (3)के अधीन लिए गए फोटो या वीडियोग्राफी लिए जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर संपत्ति के निपटान, नष्ट, अधिहृत या परिदान करने का आदेश ऐसी रीति में, जो इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट है, करेगा।

– धारा 498. विचारण की समाप्ति पर सम्पत्ति के व्ययन के लिए आदेश–

(1) जब किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण समाप्त हो जाता है तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस सम्पत्ति या दस्तावेज को, जो उसके समक्ष पेश की गई है, या उसकी अभिरक्षा में है या जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई है, नष्ट करके, अधिहृत करके या किसी ऐसे व्यक्ति को परिदान करके, जो उस पर कब्ज़ा करने का हकदार होने का दावा करता है. या किसी अन्य प्रकार से उसका व्ययन करने के लिए आदेश दे सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(2) किसी सम्पत्ति के कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उस संपत्ति के परिदान के लिए उपधारा (1) के अधीन आदेश किसी शर्त के बिना या इस शर्त पर दिया जा सकता है कि वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में यह वचनबंध करते हुए

प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे कि यदि उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश अपील या पुनरीक्षण में उपांतरित या अपास्त कर दिया गया तो वह उस सम्पत्ति को ऐसे न्यायालय को वापस कर देगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्वयं आदेश देने के बदले सेशन न्यायालय सम्पत्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिदत्त किए जाने का निदेश दे सकता है, जो तब उस सम्पत्ति के विषय में धारा 503, धारा 504 और धारा 505 में उपबंधित रीति से कार्रवाई करेगा।

(4) उस दशा के सिवाय, जब सम्पत्ति पशुधन है या शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है याजब उपधारा (2) के अनुसरण में बंधपत्र निष्पादित किया गया है, उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश दो मास तक या जहां अपील उपस्थित की गई है वहां जब तक उस अपील का निपटारा न हो जाए, कार्यान्वित न किया जाएगा।

(5) उस सम्पत्ति की दशा में, जिसके बारे में अपराध किया गया प्रतीत होता है. इस धारा में "सम्पत्ति" पद के अन्तर्गत न केवल ऐसी सम्पत्ति है जो मूलतः किसी पक्षकार के कब्जे या नियंत्रण में रह चुकी है वरन् ऐसी कोई सम्पत्ति जिसमें या जिसके लिए उस सम्पत्ति का संपरिवर्तन या विनिमय किया गया है और ऐसे संपरिवर्तन या विनिमय से, चाहे अव्यवहित रूप से चाहे अन्यया, अर्जित कोई चीज भी है।

– धारा 499. अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय,

जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए, जिसके अन्तर्गत चोरी या चुराई हुई सम्पत्ति को प्राप्त करना है या जो चोरी या चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने की कोटि में आता है, दोषसिद्ध किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है किसी अन्य व्यक्ति ने चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जाने बिना या अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुए बिना कि वह चुराई हुई है. उससे क्रय किया है और सिद्धदोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया था तब न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई सम्पत्ति पर कब्जे के हकदार व्यक्ति को उस सम्पत्ति के वापस कर दिए जाने पर आदेश छह मास की अवधि के भीतर दे सकता है कि ऐसे क्रेता द्वारा दिए गए मूल्य से अनधिक राशि ऐसे धन में से उसे परिदत्त की जाए।

– धारा 501. अपमानलेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना –

(1) भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा 294, धारा 295, धारा 356 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन दोषसिद्धि दूर न्यायालय उस चीज की सब प्रतियों के, जिसके बारे में

दोषसिद्धि हुई है और जो न्यायालय की अभिरक्षा में है, या सिद्धदोष व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है, नष्ट किए जाने के लिए आदेश दे सकता है।

(2) न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274, धारा 275, धारा 276 या धारा 277 के अधीन दोषसिद्धि पर उस खाद्य, पेय, ओषधि या भेषजीय निर्मिति के, जिसके बारे में दोषसिद्धि हुई है, नष्ट किए जाने का उसी प्रकार से आदेश दे सकता है।

– धारा 502. स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति–

(1) जब आपराधिक बल प्रयोग या बल– प्रदर्शन या आपराधिक अभित्रास से युक्त किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति दोषसिद्ध किया जाता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे बल प्रयोग या बल–प्रदर्शन या अभित्रास से कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किया गया है तब, यदि न्यायालय ठीक समझे तो, आदेश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस सम्पत्ति पर कब्जा है, यदि आवश्यक हो तो, बल द्वारा बेदखल करने के पश्चात्, उस व्यक्ति को उसका कब्जा लौटा दिया जाए।

परन्तु न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश दोषसिद्धि की तारीख से एक मास के पश्चात् नहीं दिया जाएगा।

(2) जहां अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय ने उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया है, वहां अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय, यदि ठीक समझे तो, यथास्थिति, अपील, निर्देश या पुनरीक्षण को निपटाते समय ऐसा आदेश दे सकता है।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया है, वहां धारा 500 के उपबंध उसके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 499 के अधीन दिए गए किसी आदेश के संबंध में लागू होते हैं।

4) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश ऐसी स्थावर सम्पत्ति पर किसी ऐसे अधिकार या उसमें किसी ऐसे हित पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा जिसे कोई व्यक्ति सिविल वाद में सिद्ध करने में सफल हो जाता है।

– धारा 503. सम्पत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया –

(1) जब कभी किसी पुलिस अधिकारीद्वारा किसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट इस संहिता के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट को की जाती है और जांच या विचारण के दौरान ऐसी सम्पत्ति दंड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के व्ययन के, या उस पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति का परिदान किए जाने के बारे में या

RAJASTHAN POLICE

यदि ऐसा व्यक्ति अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा और पेश किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकता है जो वह ठीक समझे ।

(2) यदि ऐसा हकदार व्यक्ति ज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट वह सम्पत्ति उसे उन शर्तों पर (यदि कोई हों), जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, परिदत्त किए जाने का आदेश दे सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञातहै तो मजिस्ट्रेट उस सम्पत्ति को निरुद्ध कर सकता है और ऐसी दशा में एक उद्घोषणा जारी करेगा,जिसमें उस सम्पत्ति की अंगभूत वस्तुओं का विनिर्देश हो, और जिसमें किसी व्यक्ति से, जिसका उसकेऊपर दावा है, यह अपेक्षा की गई हो कि वह उसके समक्ष हाजिर हो और ऐसी उद्घोषणा की तारीखसे छह मास के अन्दर अपने दावे को सिद्ध करे।

– धारा 504. जहां छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया

(1) यदि ऐसी अवधि के अन्दर कोई व्यक्ति सम्पत्ति पर अपना दावा सिद्ध न करे और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति पाई गई थी, यह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि ऐसी सम्पत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगी तथा उस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी और ऐसे विक्रय के आगमों के संबंध में ऐसी रीति सेकार्यवाही की जा सकेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे।

(2) किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें मामूली तौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं ।

– धारा 505. विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति–

यदि ऐसी सम्पत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि उस मजिस्ट्रेट की, जिसे उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट की गई है, यह राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा या ऐसी सम्पत्ति का मूल्य दस हजार रुपए से कम है तो मजिस्ट्रेट किसी समय भी उसके विक्रय का निदेश दे सकता है और ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को धारा 503 और धारा 504 के उपबंध यथासाध्य निकटतम रूप से लागू होंगे।

अध्याय–54

न्यायालय द्वारा मामलों का संज्ञान लिये जाने के संबंध में परिसीमा–काल

पुलिस द्वारा किसी आपराधिक मामले का अनुसंधान किया जाकर आरोप–पत्र को न्यायालय में पेश किये जाने के पश्चात् न्यायालय के द्वारा उस पर आरोप विरचित किये जाकर संज्ञान लिया जाता है।

न्यायालय द्वारा किसी मामले में एफआईआर दर्ज होने के पश्चात् कितने अधिकतम समय तक संज्ञान लिया जा सकता है इसे ही परिसीमा–काल कहा जाता है।

आपराधिक मामलों मे सामान्यतः परिसीमा–काल समाप्त हो जाने के पश्चात् न्यायालय के द्वारा उस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

– न्यायालय द्वारा मामलों के संज्ञान लिये जाने के संदर्भ में परिसीमा–काल के संबंध में प्रावधान धारा 514, 515 तथा 519 BNSS (धारा 468, 469 तथा 473 CrPC) उल्लेखित है।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
संज्ञान	कुछ अपराधों में लिमिटेशन पीरियड / परिसीमा काल की अवधि समाप्त हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना	जुर्माने से दण्डनीय अपराध की एफआईआर दर्ज होने या मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज किये जाने की दिनांक के 06 माह तक **धारा 514(2)**
	कुछ अपराधों में लिमिटेशन पीरियड / परिसीमा काल की अवधि समाप्त हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना	01 वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध की एफआईआर दर्ज होने या मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज किये जाने की दिनांक के 01 वर्ष तक **धारा 514(2)**
	कुछ अपराधों में लिमिटेशन पीरियड / परिसीमा काल की अवधि समाप्त हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना	01 वर्ष से अधिक व 03 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध की एफआईआर दर्ज होने या मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज किये जाने की दिनांक के 03 वर्ष तक। **धारा 514(2)**
	लोक सेवको, जजों इत्यादि के विरूद्ध सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी किया जाना	यदि 120 दिन में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अभियोजन स्वीकृति स्वतः ही जारी की गयी मानी जायेगी। **धारा 218(1)**

RAJASTHAN POLICE

न्यायालय द्वारा मामलों के संज्ञान लिये जाने के संदर्भ में परिसीमा–काल के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है–

– धारा 514. परिसीमा–काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन

(1) इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा–काल की समाप्ति के पश्चात् नहीं करेगा।

(2) परिसीमा–काल, –
(क) छह मास होगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है;
(ख) एक वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है।
(ग) तीन वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के संबंध में, जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा–काल उस अपराध के प्रतिनिर्देश से अवधारित किया जाएगा जो, यथास्थिति, कठोरतर या कठोरतम दंड से दंडनीय है।

स्पष्टीकरण– परिसीमा की अवधि संगणित करने के प्रयोजन के लिए, सुसंगत तारीख धारा 223 के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख या धारा 173 के सूचना अभिलिखित करने की तारीख होगी।

– धारा 515. परिसीमा–काल का प्रारंभ–

(1) किसी अपराधी के संबंध में परिसीमा–काल, –
(क) अपराध की तारीख को प्रारंभ होगा; या
(ख) जहां अपराध के किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है वहां उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी को होती है, इनमें से जो भी पहले हो; या
(ग) जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया है, वहां उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को चलता है, इनमें से जो भी पहले हो।

(2) उक्त अवधि की संगणना करने में, उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन ऐसी अवधि की संगणना की जानी है।

RAJASTHAN POLICE

– धारा 519. कतिपय मामलों में परिसीमा–काल का विस्तारण–

इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा–काल के अवसान के पश्चात् कर सकता है यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–55

विशिष्ट समय सीमाऐं

नये कानुन में अनुसंधान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों हेतु अलग–अलग समय सीमा निर्धारित की गयी है जिससे सुगम एवं शीघ्र न्याय की अवधारणा बलवती होती है।

विभिन्न अनुसंधानिक सोपानों हेतु समय सीमा निर्धारित करने से त्वरित न्याय, पारदर्शिता तथा कार्यकुशलता में अभिवृद्धि होगी।

शीर्षक	प्रावधान	निर्धारित समय सीमा
आपराधिक कार्यवाही का आरम्भ	संज्ञेय अपराध की सुचना प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज होना	तत्काल
	संज्ञेय अपराध की सुचना इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज होना	सुचना प्राप्त होने के 03 दिन के भीतर प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। **धारा 173(1)(ii)**
	03 वर्ष से अधिक और 07 वर्ष से कम अवधि के कारावास के दण्डनीय संज्ञेय अपराध की सुचना प्राप्त होने पर प्राथमिक जाँच का प्रावधान।	प्राथमिक जाँच 14 दिन में पुर्ण की जायेगी। **धारा 173(3)**
	पुलिस द्वारा असंज्ञेय अपराध की सुचना मजिस्ट्रेट को भेजना	14 दिन में एक बार **धारा 174(1)(ii)**
गिरफ्तारी	यदि गिरफ्तारी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा की गयी है तो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को निकटतम पुलिस थाने पर लाया जाना।	06 घंटे के भीतर **धारा 40**
अनुसंधान	मर्ग रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रट को भेजा जाना	24 घण्टे के भीतर **धारा 194(2)**
	डॉक्टर/चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की मेडिकल जाँच रिपोर्ट पुलिस को सौंपा जाना।	बिना किसी देरी के **धारा 51(3)**
	डॉक्टर/चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बलात्कार पीडिता की मेडिकल जाँच रिपोर्ट पुलिस अनुसंधान अधिकारी को सौंपा जाना।	07 दिन के भीतर **धारा 184(6)**

RAJASTHAN POLICE

	फर्द खाना तलाशी/निवास स्थान की तलाशी की रिपोर्ट स्थानीय अधिकारिता (जो अपराध का संज्ञान लेने हेतु अधिकृत है) वाले मजिस्ट्रेट को भेजा जाना।	48 घण्टे के भीतर बिना किसी देरी के। **धारा 185(5)**
	तलाशी तथा जब्ती की कार्यवाही की ऑडियो–विडियो रिकोर्डिंग का पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाना।	बिना किसी देरी के तत्काल **धारा 105**
	अपराध से अर्जित संपति को अटैच करने से पुर्व व्यक्ति को न्यायालय/मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर कारण दर्शित करने के लिए नोटिस की अवधि।	14 दिन **धारा 107(2)**
	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध तथा अपराध से अर्जित संपति के अटैचमेन्ट/जब्ती की कार्यवाही से प्राप्त आगमों का वितरण अपराध से प्रभावित हुए व्यक्तियों को अनुपातिक रूप से करना।	60 दिन **धारा 107(7)**
	पीडित/परिवादी को अनुसंधान के स्टेटस की जानकारी देना।	90 दिन के भीतर **धारा 193(3)(ii)**
आरोप–पत्र	विचारण न्यायलय से अनुमति प्राप्त होने पर, आरोप–पत्र पेश करने के पश्चात् भी विचारण के दौरान अग्रिम अनुसंधान।	90 दिन में अनुसंधान पुर्ण करना होगा परन्तु न्यायालय चाहे तो अवधि बढ़ा सकता है। **धारा 193(9)**
मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का आरम्भ होना	विचारण न्यायलय से अनुमति प्राप्त होने पर, आरोप–पत्र पेश करने के पश्चात् भी विचारण के दौरान अग्रिम अनुसंधान।	अभियुक्त के पेश होने या पेश किये जाने के दिवस से 14 दिन के भीतर **धारा 193(9)**
संज्ञान	कुछ अपराधों में लिमिटेशन पीरियड की अवधि समाप्त हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना	जुर्माने से दण्डनिय अपराध की एफआईआर दर्ज होने या मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज किये जाने की दिनांक के 06 माह तक **धारा 514(2)**

RAJASTHAN POLICE

	कुछ अपराधों में लिमिटेशन पीरियड की अवधि समाप्त हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना	01 वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध की एफआईआर दर्ज होने या मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज किये जाने की दिनांक के 01 वर्ष तक **धारा 514(2)**
	कुछ अपराधों में लिमिटेशन पीरियड की अवधि समाप्त हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना	01 वर्ष से अधिक व 03 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध की एफआईआर दर्ज होने या मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज किये जाने की दिनांक के 03 वर्ष तक। **धारा 514(2)**
	लोक सेवको, जजों इत्यादि के विरूद्ध सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी किया जाना	यदि 120 दिन में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अभियोजन स्वीकृति स्वतः ही जारी की गयी मानी जायेगी। **धारा 218(1)**
सेशन न्यायालय में मामले का कमिट किया जाना	सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को सेशन न्यायालय को कमिट किया जाना।	कमिट किये जाने की कार्यवाही 90 दिन में संपन्न कर दी जायेगी जो कारण अभिलिखित किये जाने पर 180 दिन तक बढायी जा सकेगी। **धारा 232**
आरोप	मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य एवं दण्डनीय मामलों में मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करना	आरोप की प्रथम सुनवाई की दिनांक से 60 दिन के भीतर **धारा 263(1)**

RAJASTHAN POLICE

	सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों में अभियुक्त द्वारा दोषमुक्ति हेतू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना।	मामले का सेशन न्यायालय का कमिट होने की दिनांक से 60 दिवस के भीतर **धारा 250(1)**
	असंज्ञेय तथा प्रशमन योग्य मामलों में परिवाद द्वारा दर्ज प्रकरण में नियत की गयी दिनांक पर परिवादी के उपस्थित नहीं होने पर अभियुक्त को दोष मुक्त करना।	परिवादी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु 30 दिन का अवसर प्रदान करना। **धारा 272**
तर्क सौदागरी / सौदा अभिवाक / प्ली बारगेनिंग	अभियुक्त द्वारा उस न्यायालय के समक्ष तर्क सौदागरी हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना जिसके समक्ष अपराध का विचारण किया जा रहा है।	आरोप विरचित होन की दिनांक के 30 दिन के भीतर **धारा 290(1)**
सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति	किसी विशेष मामले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सहायक लोक अभियोजक को नियुक्त करना। जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को इससे पुर्व ऐसी नियुक्ति के लिए नोटिस जारी करेगा।	राज्य सरकार को सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति किये जाने के संबंध में नोटिस दिये जाने की दिनांक से 14 दिवस की नोटिस अवधि के पश्चात्। **धारा 19(3)**
विचारण	अभियोजन एवं वकील अभियुक्त के द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार करना एवं अस्वीकार करना।	दस्तावेज उपलब्ध करवाने के तत्काल पश्चात 30 दिवस के भीतर। न्यायालय उचित समझे तो कारण अभिलिखित करते हुए समय–सीमा बढा सकता है। **धारा 330(1)**

RAJASTHAN POLICE

	न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में मौजुद अभियुक्त की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परीक्षा	ऐसी परीक्षा के बाद 72 घण्टे में अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाये जाने होंगे **धारा 316**
	उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण आरम्भ होना।	आरोप विरचित होने की दिनांक के 90 दिवस पश्चात् **धारा 356(1)**
	न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण आरम्भ करने हेतु 02 क्रमागत वारंट जारी करना।	02 क्रमागत वारंटों को जारी करने में 30 दिवस की अवधि का अन्तराल होना **धारा 356(2)(1)**
	समाचार पत्र में उद्घोषित अपराधी के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के नोटिस का प्रकाशन।	नोटिस अवधि 30 दिवस **धारा 356(2)(ii)**
जमानत	मृत्यु दण्ड एंव आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराधों के अतिरिक्त जैर विचारण निरूद्ध आरोपी को डीफॉल्ट जमानत/साधिकार जमानत प्राप्त होने की अधिकतम अवधि।	प्रथम बार के अपराधी को अधिकतम दण्डावधि का 1/3 भाग अवधि बीत जाने पर। अन्य मामलों में अधिकतम दण्डावधि का 1/2 भाग अवधि बीत जाने पर। **धारा 479(1)**
निर्णयादेश एवं सजा	विचारण सम्पन्न होने पर निर्णयादेश सुनाया जाना।	45 दिवस के भीतर **धारा 392(1)**
	सेशन न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का निर्णयादेश सुनाया जाना।	बहस पुरी होने के 30 दिवस के भीतर। न्यायालय द्वारा यह अवधि कारण अभिलिखित करते हुए 45 दिन तक बढायी जा सकती है। **धारा 258(1)**

	न्यायालय द्वारा निर्णयादेश की डिजिटल कॉपी को अपलोड करना।	निर्णयादेश सुनाने के 07 दिवस के भीतर **धारा 392(4)**
दया याचिका	मृत्यु दण्डादिष्ट व्यक्ति द्वारा राज्यपाल या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करना।	अपील या पुनर्विलोकन अवधि के बीत जाने के 30 दिवस के भीतर। **धारा 472(1)**
	मृत्यु दण्डादिष्ट व्यक्ति द्वारा राज्यपाल द्वारा दया याचिका निरस्त किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करना।	राज्यपाल द्वारा दया याचिका निरस्त किये जाने की दिनांक के 60 दिवस के भीतर। **धारा 472(2)**
	केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति को दया याचिका के संबंध में सिफारिश करना।	राज्य सरकार व जेल अधीक्षक से टिप्पणी व अभिलेख प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर **धारा 472(4)**
	केन्द्र सरकार द्वारा दया याचिका के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश के बारे में राज्य सरकार एवं जेल अधीक्षक को सुचित करना	राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त होने के 48 घण्टे के भीतर। **धारा 472(6)**
सम्पति के व्ययन का आदेश	न्यायालय द्वारा विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा एवं व्ययन के लिए आदेश।	न्यायालय के समक्ष ऐसे संपत्ति को प्रस्तुत करने के 14 दिवस के भीतर **धारा 497(2)**

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–56

लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना/पुलिस का निवारक कार्य एवं निरोधात्मक कार्यवाही

पुलिस द्वारा शान्ति एवं कानून–व्यवस्था बनाये रखने तथा संज्ञेय अपराधों की रोकथाम के लिए समय–समय पर भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है।

कई बार कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी अधिकारिता में शान्ति एवं कानून–व्यवस्था बनाये रखने, विधि विरूद्ध जमाव को हटाने, लोक न्युसेंस को हटाने, न्युसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामलों में निषेधाज्ञा जारी करने तथा स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद की विषय–वस्तु को कुर्क करने व रिसीवर नियुक्त करने इत्यादि कार्य भी किये जाते है।

–लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना/पुलिस का निवारक कार्य एवं निरोधात्मक कार्यवाही के संबंध में प्रावधान धारा 148 से 172 BNSS (धारा 129 से 152 CrPC) में उल्लेखित है।

<u>लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना/पुलिस का निवारक कार्य एवं निरोधात्मक कार्यवाही के संबंध में नवीन BNSS 2023 में वर्णित प्रावधानों का सारांश इस प्रकार है</u>–

– धारा 168. पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना (धारा 149 CrPC)

प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से अन्तःक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा।

– धारा 170. संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी (धारा 151 CrPC)

कोई पुलिस अधिकारी जिसे कोई संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

– धारा 125. दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति (धारा 126 CrPC)

(1) जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे

RAJASTHAN POLICE

आदेश दे सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए, बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं :–
(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 11 के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो धारा 193 की उपधारा (1) या धारा 196 या धारा 197 के अधीन दंडनीय अपराध से भिन्न हैः
(ख) कोई ऐसा अपराध जो, या जिसके अंतर्गत, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टि करना है।
(ग) आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध।
(घ) कोई अन्य अपराध, जिससे परिशांति भंग हुई है या जिससे परिशांति भंग आशयित है, या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशांति भंग सम्भाव्य है।

(3) यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बंधपत्र या जमानतपत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया था, शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा।

– धारा 126. अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति (धारा 107 CrPC)

(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह. ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है या ऐसी अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्यतः परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा।

RAJASTHAN POLICE

– धारा 127. कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 108 CrPC)

(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के भीतर या बाहर
(i) या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साशय फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है, अर्थात् :–
(क) कोई ऐसी बात, जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 299 के अधीन दंडनीय हैः या
(ख) किसी न्यायाधीश से, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई बात जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है; या
(ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 में यथानिर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता, उत्पादित करता, प्रकाशित करता या रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवहण करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है. वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है.और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है. तब ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति हसे इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करें कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वत्वधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

– धारा 128. संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 109 CrPC)

जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

RAJASTHAN POLICE

– धारा 129. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 110 CrPC)

जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो–

(क) अभ्यासतः लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचयिता है; या

(ख) चुराई हुई संपत्ति का, उसे चुराई हुई जानते हुए, अभ्यासतः प्रापक है; या

(ग) अभ्यासतः चोरों की संरक्षा करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है; या

(घ) व्यपहरण, अपहरण, उद्दापन, छल या रिष्टि का अपराध या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 10 के अधीन या उस संहिता की धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 181 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है; या

(ङ) ऐसे अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, जिनमें परिशांति भंग समाहित हैः या

(च) कोई ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जो–

(i) निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है, अर्थात्:–

(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23);

(ख) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31);

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19);

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10)

(ङ) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22).

(च) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)

(छ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34); या

(ii) जमाखोरी या मुनाफाखोरी या खाद्य या ओषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध है; या

(छ) ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है,

तब ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति से, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, उसे अपने सदाचार के लिए जमानतपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए।

RAJASTHAN POLICE

– धारा 135. इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच (धारा 116 CrPC)

(1) जब धारा 130 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय में उपस्थित है, धारा 131 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है या, जब कोई व्यक्ति धारा 132 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(2) ऐसी जांच यथासाध्य, उस रीति से की जाएगी जो समन–मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें इसके पश्चात् विहित है।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात् और उसकी समाप्ति से पूर्व यदिमजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए, या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने आवश्यक हैं, तो वह ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, उस व्यक्ति को, जिसके बारे में धारा 130 के अधीन आदेश दिया गया है, निदेश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे और जब तक ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है, या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है।

परंतु–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने के लिए निदेश नहीं दिया जाएगा;

(ख) ऐसे बंधपत्र की शर्तें, चाहे वे उसकी रकम के बारे में हों या प्रतिभू उपलब्ध करने के या उनकी संख्या के, या उनके दायित्व की धन संबंधी सीमा के बारे में हों, उनसे अधिक दुर्भर न होंगी जो धारा 130 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट हैं।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी है या ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है।

RAJASTHAN POLICE

(5) जहां दो या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में सहयुक्त रहे हैं वहां मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक् जांचों में, जैसा वह न्यायसंगत समझे, उनके बारे में कार्यवाही कर सकता है।

(6) इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से छह मास की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी, और यदि जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्यवाही उक्त अवधि की समाप्ति पर, पर्यवसित हो जाएगी जब तक विशेष कारणों के आधार पर, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट अन्यथा निदेश नहीं करता है।

परंतु जहां कोई व्यक्ति, ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही, यदि पहले ही पर्यवसित नहीं हो जाती है तो ऐसे निरोध के छह मास की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी।

(7) जहां कार्यवाहियों को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा (6) के अधीन निदेश किया जाता है, वहां सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किए गए आवेदन पर ऐसे निदेशको रद्द कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या अनुचित था।

– धारा 141. प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास (धारा 122 CrPC)

(1) (क) यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 125 या धारा 136 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है. ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व, जिसको वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है, प्रारंभ होती है, नहीं देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात् ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा या यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति न दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था।

(ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 136 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात्, उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद–उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंधपत्र या जमानतपत्र का भंग किया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद–उत्तरवर्ती, ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंधपत्र या जमानतपत्र की अवधि की समाप्ति तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए तथा ऐसा आदेश ऐसे किसी अन्य दंड या समपहरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिससे कि उक्त विधि के अनुसार दायित्वाधीन हो।

RAJASTHAN POLICE

(2) जब ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त प्रतिभूति नहीं देता है तो वह मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुए वारंट जारी करेगा कि सेशन न्यायालय का आदेश होने तक, वह व्यक्ति कारागार में निरुद्ध रखा जाए और वह कार्यवाही सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी।

(3) ऐसा न्यायालय ऐसी कार्यवाही की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से किसी और इतिला या साक्ष्य की, जिसे वह आवश्यक समझे, अपेक्षा करने के पश्चात् और संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे परंतु वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है, तीन वर्ष से अधिक की न होगी।

(4) यदि एक ही कार्यवाही में ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों से प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, जिनमें से किसी एक के बारे में कार्यवाही सेशन न्यायालय को उपधारा (2) के अधीन निर्देशित की गई है, तो ऐसे निर्देश में ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य व्यक्ति का भी, जिसे प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, मामला शामिल किया जाएगा और उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध उस दशा में, ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले को भी, इस बात के सिवाय लागू होंगे कि वह अवधि (यदि कोई हो), जिसके लिए वह कारावासित किया जा सकता है, उस अवधि से अधिक न होगी, जिसके लिए प्रतिभूति देने के लिए उसे आदेश दिया गया था।

(5) सेशन न्यायाधीश उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन उसके समक्ष रखी गई किसी कार्यवाही को स्वविवेकानुसार अपर सेशन न्यायाधीश को अंतरित कर सकता है और ऐसे अंतरण पर ऐसा अपर सेशन न्यायाधीश ऐसी कार्यवाही के बारे में इस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

(6) यदि प्रतिभूति जेल के भारसाधक अधिकारी को निविदत्त की जाती है तो वह उस मामले को उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, जिसने आदेश किया, तत्काल निर्देशित करेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।

(7) परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सादा होगा।

RAJASTHAN POLICE

(8) सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास, जहां कार्यवाही धारा 127 के अधीन की गई है, वहां सादा होगा और, जहां कार्यवाही धारा 128 या धारा 129 के अधीन की गई है वहां, जैसा प्रत्येक मामले में न्यायालय या मजिस्ट्रेट निदेश दे, कठिन या सादा होगा।

– धारा 148. सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर–बितर करना (धारा 129 CrPC)

(1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी, किसी विधिविरुद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को, जिससे लोकशांति विक्षुब्ध होने की संभाव्यता है. तितर–बितर होने का समादेश दे सकता है और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तद्नुसार तितर–बितर हो जाएं।

– धारा 152. न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश (धारा 133 CrPC)

(1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि–

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरुद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिएः या

(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए।

(ग) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन, जिससे सम्भाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए; या

(घ) कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलंब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलंब लगाना आवश्यक है;

(ङ) ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके; या
(च) किसी भयानक जीवजंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए।

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएंया उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीवजंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्ज़ा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा, वह–

(i) ऐसी बाधा या न्यूसेन्स को हटा देः या
(ii) ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करे, जैसी निर्दिष्ट की जाए या ऐसे मामले या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसी निर्दिष्ट की जाए; या
(iii) ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे, या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करेः या
(iv) ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए या ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलंब लगाए; या
(v) ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाढ़ लगाए; या
(vi) ऐसे भयानक जीवजंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका व्ययन करे,जो उस आदेश में उपबंधित है. यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्यया कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–"लोक स्थान" के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद–प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं।

– धारा 163. न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति (धारा 144 CrPC)

(1) उन मामलों में, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 153 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य–विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निदेश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निदेश से यह संभाव्य है, या ऐसे निदेश की यह प्रवृत्ति है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का, या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन आदेश, आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह आदेश निदिष्ट है, सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को, जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निदिष्ट किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से दो मास से आगे प्रवृत्त न रहेगा।

परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए या बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए, जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत्त रहेगा; किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से छह मास से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निदेश के अभाव में समाप्त हो गया होता।

(5) कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद–पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है।

(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के परंतुक के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है।

(7) जहां उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी और यदि, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्यसरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

– धारा 164. जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है, वहां प्रक्रिया (धारा 145 CrPC)

(1) जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का. पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है. तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषयवस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने–अपने दावों का लिखित कथन पेश करें।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "भूमि या जल" पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीनक्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं।

(3) इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट निदिष्ट करे और कम से कम एक प्रति विवाद की विषयवस्तु पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी।

(4) मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषयवस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का, जो ऐसे पेश किए

गए हैं, परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो; लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो यह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषयवस्तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था।

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के, जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व दो मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात् और उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था।

(5) इस धारा की कोई बात, हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी किंतु उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

(6) (क) यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषयवस्तु का विवाद पर ऐसा कब्जा था या उपधारा (4) के परंतुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए,तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए और यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगाः और जब वह उपधारा (4) के परंतुक के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को, जो बतात् और सदोष बेकब्जा किया गया है, कब्जा लौटा सकता है।
(ख) इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा (3) में अधिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा।

(7) जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के

RAJASTHAN POLICE

लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उसकार्यवाही का पक्षकार बना लिया जाएगा।

(8) यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की, जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषयवस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे।

(9) यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समन यह निदेश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे।

(10) इस धारा की कोई बात धारा 126 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर–बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है, जिससे उसका तितर बितर न होने का निश्चयदर्शित होता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमावको बल द्वारा तितर–बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर–बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर–बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–57

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का सारांश

1. वारिन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर – प्रिवि कौन्सिल

सामान्य आशय के लिये घटनास्थल पर उपस्थित होना जरूरी नहीं, पर सक्रिय भागीदारी होना जरूरी।

2. खंडु बनाम आर (Rag)

आपराधिक दायित्व उत्पन्न करने के लिये आपराधिक आशय व आपराधिक कृत्य का एकसाथ उपस्थित होना आवश्यक है।

3. बियर्ड बनाम आर (Rag)

– खंडू मामले का खण्डन किया गया

– आपराधिक दायित्व उत्पन्न करने के लिये आपराधिक आशय व आपराधिक कृत्य का एकसाथ उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।

– वर्तमान विधि की अवधारणा इसी मामले पर आधारित है।

4. डडले बनाम स्टीफेन्सन

– कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये किसी की जान नहीं ले सकता है।

5. मेक नॉटन के मामले चित्त विकृति से संबन्धित है।

6. घिसीया बावजी बनाम राज्य

–कानून जादू–टोने में विश्वास नहीं करता है

7. **गोविन्दा बनाम आर (Rag)** –प्रिवि कौन्सिल

– जज मेल्विन द्वारा

–हत्या व आपराधिक मानववध में अन्तर स्पष्ट किया

– यह अब तक का सर्वमान्य अन्तर है

RAJASTHAN POLICE

8. पुनैया बनाम आन्ध्र प्रदेश

– यह हत्या व आपराधिक मानव वध के संबन्ध में है

– यदि हत्या व मानव वध में अन्तर किया जाना है तो, पहले यह देखा जाना चाहिए कि –

(1) वह अपवादों के अधीन तो नहीं! फिर यह देखें कि–

(2) वह परन्तुकों के अधीन तो नहीं!

9. के एम नानावटी बनाम बम्बई

– प्रकोपन को गम्भीर तो माना, पर अचानक नहीं माना

10. बलकू का वाद

– प्रकोपन को गम्भीर व अचानक दोनों माना

11. ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक

– सांसद व विधायक लोकसेवक नहीं है।

– राज्य की संचित निधि से वेतन तो प्राप्त करते है परन्तु राज्य की निधि को खर्च नही कर सकते हैं।

12. एम. करूणानिधि बनाम भारत संघ

– सरपंच लोकसेवक होता है

13. मेहबूब शाह बनाम एम्परर (सिन्धू नदी का वाद)

– सामान्य आशय (CommonIntention) व समान आशय (similerIntention) में अन्तर बताया

– सामान्य आशय में मस्तिष्कों का पूर्व सम्मिलन होता है जबकि समान आशय में नहीं

14. Dolly Incapex के मामले

– जो अपराध करने में सक्षम नहीं है, (जैसे 07 वर्ष से छोटे बच्चे) के बारे में बताता है।

15. अनुपमा कुलकर्णी बनाम CBI

– P/C रिमांड की 15 दिन की अवधि (24 घंटे हिरासत को छोड़कर) शुरुआत के 15 दिन ही हो सकती है।

16. रलिश कुमार बनाम असम

– 10 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों के मामले में 10 वर्ष भी शामिल है

RAJASTHAN POLICE

17. पकाला नारायण स्वामी वाद

– मृत्युकालिक कथन के मामले में मरना जरूरी है, मरने की आशंका होना नहीं

18. आजीवन कारावास की गणना किये जाने के मामलों में आजीवन कारावास की अवधि 20 वर्ष मानी जायेगी

– (57 आईपीसी–दण्डों की भिन्नें)

– 53 IPC–दण्ड

– 54 IPC– मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण

– 55 IPC–आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण

19. धारा 301 IPC विद्वेष के अन्तरण के सिद्धान्त (Transfer of Malice) पर आधारित है।

20. धारा 303 IPC को मिटू सिंह vs पंजाब के मामले में असंवैधानिक करार दिया गया है।

– 301 IPC = जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय थी, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध।

– 303 IPC = आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिये दण्ड।

21. **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश**

– 154 CrPC के प्रावधान आदेशात्मक है, निर्देशात्मक नही

– यदि मामला वैवाहिक अपराध, वाणिज्यक अपराध, चिकित्सकीय लापरवाही, भ्रष्टाचार, या 03 माह से पुराना हो तो

– SHO मामले के संज्ञेय या असंज्ञेय होने बाबत जाँच करने के लिये अधिकतम 07 दिन जाँच में रख सकता है।

22. ए.के. एन्थॉनी बनाम उत्तर प्रदेश

– पुलिस 161 CrPC के बयानों पर हस्ताक्षर नही करवायेगी।

– परन्तु करवा दिये तो केवल इस कारण प्रश्नगत नही किया जायेगा।

– परन्तु ऐसे मामले की प्रति परीक्षा सावधानी पूर्वक की जायेगी।

23. बैजनाथ शाह बनाम उत्तर प्रदेश

RAJASTHAN POLICE

– यद्यपि 164 CrPC के बयानों से मामला मजबूत बनता है परन्तु इस आधार पर सजा होगी ही, यह आवश्यक नही है।

–केवल 164 CrPC के बयानों के आधार पर सजा देना सुरक्षित नहीं है जब तक कि तथ्यों व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से भी पुष्टि नहीं हो जायें।

24. प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश

– न्यायालय का पीठासीन अधिकारी 156 (3)CrPC के मामलों में केवल पोस्टमैन की तरह कार्य नहीं करेगा।

– पीठासीन अधिकारी यह भी देखेगा कि फरियादी ने मुकदमा करवाने के सभी विकल्पों का उपयोग कर लिया है या नही।

25. अर्णेश कुमार बनाम बिहार

– पुलिस द्वारा 07 वर्ष तक के दण्डनीय अपराधों में (07 वर्ष भी शामिल) अभियुक्त को पहले 41 (ए) CrPC का नोटिस दिया जाएगा।

– गिरफ्तारी से पूर्व चैक लिस्ट बनायी जायेगी (05 बिंदुओं पर)

– गिरफ्तारी यंत्रवत तरीके से नही की जायेगी।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–58

विधि विज्ञान

विधि विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ज्ञान का उपयोग कानून के प्रयोजन के लिए किया जाता है/यह कोई मूल विज्ञान न होकर विभिन्न विज्ञानों का समावेश है जिसमें साक्ष्यों का संकलन, पहचान, तुलना, वैयत्तिकरण तथा युनिकनेस के आधार पर पहचान, संबन्ध तथा उपस्थिति को निर्धारित किया जाता है।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित प्रमुख शाखाएं होती है –

1 Ballistics	2 Biology	3 Chemistry	4 Documents
5 Physics	6 Serology	7 Toxicology	8 Lie-detector

- 1. Ballistics शाखा में सभी प्रकार के अग्नेयास्त्रो, कारतूसो, कारतूस के खाली केस से सम्बंधित पहचान स्थापित कर अनन्यता साबित करने संबंधित राय हेतु परीक्षण किये जाते है। इसके अतिरिक्त कोई हथियार कारतूस की सेर्विसिबिलिटी, फायरिंग का समय, रेंज तथा एंगल निर्धारित किया जाता है।

- 2. Biology शाखा में मनुष्य, जंतुओं, पादपों के उत्पादों के सम्बन्ध में साक्ष्य परीक्षण किया जाता है। इसमें मानव एवं जन्तुओ की हड्डियों, दांत, कंकाल इत्यादि के सम्बन्ध में जांच की जाती है। इसके अलावा बाल, रेशे, ऊन, बीज, पत्तियां, परागकण, डायटम इत्यादि का परीक्षण किया जाता है।

- 3. Chemistry शाखा में ज्वलनशील पदार्थो, पेट्रोलियम उत्पादों, घटिया निर्माण सामग्री, अवैध शराब, कीटनाशी व् विषैले पदार्थो की पहचान, मादक पदार्थो की गुणवत्ता की पहचान, मिश्रधातु की पहचान व तुलना तथा विभिन्न रंजक, रंग और खाद्य पदार्थो में मिलावट की जांच सम्बंधित कार्य किये जाते है।

- 4. Documents शाखा में विवादित दस्तावेजो, हस्तलिखित दस्तावेजो, टाइप किये हुए या प्रिंट किये हुए दस्तावेजो की अनन्यता स्थापित की जाती है। रबर सीलो तथा प्रिंटिंग ब्लॉक्स के साथ ही राइटिंग मटेरियल जैसे पेपर, पेन, पेंसिल, स्याही की पहचान की जा सकती है।

- 5. Physics शाखा में औजोरों के निशान, नकली सिक्कों, मिट्टी, कांच, रंग–रोगन तथा विभिन्न मशीनरी इत्यादि के पुर्जों के साथ भी फटे हुए कपड़ों,रेशों, रस्से के टुकड़ों तथा धातु के तार इत्यादि का कम्पेरिजन माईक्रोस्कोप तथा अन्य तकनीक द्वारा तुलनात्मक अध्ययन कर पहचान एवं अनन्यता स्थापित की जाती है।

RAJASTHAN POLICE

- 6. Serology शाखा में विभिन्न जैविक पदार्थो जैसे रक्त, वीर्य, पसीना, लार इत्यादि की उपस्थिति ज्ञात कर उनकी उत्पत्ति के स्रोत, ग्रुपिंग तथा डी.एन.ए. प्राफाइल पता लगाया जाकर पितृत्व तथा बलात्कार संबन्धी मामलों एवं पहचान का निर्धारण किया जाता है।

- 7. Toxicology शाखा में मृतक के विसरा, पेट के धोवन, उल्टी इत्यादि में मोजूद विषैले पदार्थो की उपस्थिति निर्धारित की जाती है। शराब, धात्विक विष, अधात्विक विष, संशलेषित ड्रग्स, कीटनाशी इत्यादि की पहचान भी रक्त एवं मुत्र के नमूनों से की जाती है।

- 8. Lie-detector शाखा में विभिन्न औषधियों का उपयोग कर मनुष्य के केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र को प्रभावित कर सोचने समझने की क्षमता को नियन्त्रित कर प्रश्नोत्तर किये जाते है। अपराधी द्वारा फेब्रीकेशन की क्षमता नहीं रहने से प्रश्नों के वैसे ही उत्तर दिये जाते है जैसा कि उनके मस्तिष्क में छपे रहते है।

विज्ञान की समस्त शाखाओं से बना विधि विज्ञान की मदद से आपराधिक तत्वों की पहचान, उनकी तुलना और विज्ञान के सिद्धान्तों पर आधारित परिणामों से घटना, पीड़ित, अपराधी की सटीक पहचान भरोसेमंद साक्ष्यों के साथ कायम होती है।

भौतिक साक्ष्य और इनका महत्व

कोई भी पदार्थ या वस्तु जिसके वैज्ञानिक परीक्षण से अपराध घटित होने, अपराधी की पहचान व घटनाओं से संबंध स्थापित हो सके जो प्रायः अपराध स्थान पर पाये जाते हैं भौतिक साक्ष्य कहलाते हैं।यह पदार्थ जैविक उत्पत्ति, जिसमें पेड़–पौधे सम्मिलित हैं, रसायनिक उत्पत्ति, हथियार, छाप–निशानियों, औजार, वाहन, कागजात धागे, रेशे इत्यादि जो घटना से उत्पन्न होकर घटनास्थल पर मौजूद होते हैं।

विधि विज्ञान के सिद्धान्त

1. प्रत्येक वस्तु अपने आप में विशिष्ट होती है और अन्य वस्तुओं के शत प्रतिशत समान नहीं हो सकती है।
2. सम्पर्क में आने पर वस्तुओं एवं चिह्नों का सदैव आदान प्रदान होता है।
3. समय व्यतीत होने के साथ हर वस्तु में परिवर्तन होता है।
4. केवल एक जैसी वस्तुओं की ही तुलना की जा सकती है।
5. परीक्षण हेतु भेजा गया नमूना जितना अच्छा होता है, विश्लेषण परिणाम उतने ही अच्छे होते है।
6. प्रत्येक प्रकार की पहचान, निश्चित या अनिश्चित, सदैव सम्भावना के आधार पर ही की जाती है।
7. व्यक्ति झूठ बोल सकता है परन्तु परिस्थितियां नहीं।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय—59

जैविक साक्ष्य

1. रक्त तथा रक्त रंजित प्रदर्श

रक्त जैविक पदार्थ है, जिसमें व्यक्ति विशेष के समस्त जैविकगुण विद्यमान होते हैं। रक्त जो घटनास्थल पर आपराधिक आदान–प्रदान में पाया जाता है, की सटीक पहचान साबित हो सकती है। यहां यह भी निश्चित करना होता है कि रक्त समूह क्या है और उस रक्त के सैंपल से डी.एन.ए. प्रोफाईलिंग भी करवाई जानी अपेक्षित होती है। संदिग्ध के रक्त नमूने से अपराधी की पहचान सबसे सटीक तरीके से हो सकती है। रक्त का नमूना पीड़ित अथवा अपराधी की पहचान स्थापित करने का सबसे बेहतरीन जैविक साक्ष्य होता है, जो घटनास्थल, मृतक और मुलजिम के कपड़ों पर लगा हुआ पाया जा सकता है।

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

आघात (बाह्य तथा आंतरिक), दुर्घटना, हत्या आत्महत्या, प्रसूति, मासिक धर्म, बलात्कार गुदामैथुन, अप्राकृतिक सैक्स के मामले आदि।

घटना स्थल पर प्राप्त हो सकने वाले प्रदर्श :

तरल रक्त, रक्त रंजित वस्तुएँ वस्त्र (अपराधी तथा पीड़ित व्यक्तित से), रक्त रंजित मिट्टी, अस्त्र–शस्त्र, बाल, घास, पत्ते, पत्थर तथा ईट के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, कागज, आभूषण, चूड़ियाँ तथा कड़े तथा पलस्तर तथा शीशे के टुकड़े आदि।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण

- पदार्थ / धब्बा, रक्त है या नहीं।
- मानव रक्त है अथवा जानवर का।
- जानवर का है तो किस जानवर का।
- रक्त मनुष्य के किस रक्तवर्ग का है।
- रक्त / रक्तधब्बा मासिक धर्म रक्त का है अथवा नहीं।
- रक्त / रक्तधब्बा प्रसूति के समय के रक्त का है अथवा नहीं।
- रक्त / रक्तधब्बा पुरुष का है अथवा स्त्री का।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ :

(क) कोई भी रक्त रंजित प्रदर्श रबड के दस्ताने पहन कर ही छूएँ। नंगे हाथों से छूने से आप अपने उत्तक उस में छोड़ सकते है और प्रदर्श की एकात्मकता नष्ट हो जाएगी।
(ख) प्रदर्श को सूर्य की मंद रोशनी और हवा में सुखाएँ।
(ग) वायुरुद्ध बोतलों और लिफाफों में पैक न करें।
(घ) पैक करते समय धब्बेदार क्षेत्रों को अधब्बेदार क्षेत्रों से न छुने दें।
(ङ) रक्त रंजित मिट्टी और घास इत्यादि को अच्छी प्रकार सुखाएँ। सादा मिट्टी और घास का नमूना भी लें।
(च) अचूसक तलों से रक्त के धब्बों पर गीले सूती धागे को चिमटी से पकड़ कर रगड़ने से रक्त धागे में आ जाएगा। धागा नमक के घोल से गीला किया जाए और फिर सुखा कर पैक किया जाए।
(छ) घटनास्थल से रक्त साफ कपड़े पर धब्बा बना कर उठाया जाए।
(ज) अस्त्र–शस्त्र पर रक्त के सूखे धब्बों पर साफ कागज लगा कर पैक करें।
(झ) तरल रक्त को नमक के घोल, हैपेरिन अथवा सोडियम फ्लोराइड, इ० डी० टी० ए० सोडियम सॉल्ट से परिरक्षित करें।
(ञ) दीवार या फर्श से रक्त के सूखे धब्बों को स्कैलपल अथवा चाकू आदि से खुरचकर नमूना लें।
(ट) रक्त में डाले गए, परिरक्षण हेतु, पदार्थ का नाम पैकिंग पर अवश्य लिखें।

याद रखने योग्य बातें :

- यदि एच० आई० वी० संक्रमित रक्त आपके घाव पर लग जाता है तो आपको संक्रमण हो सकता है।
- रक्त का कोई नमूना जो सिरोलाजिकल टैस्ट हेतु भेजा जाना है कभी भी फारमेलीन के घोल में परिरक्षित नहीं किया जाना चाहिए।
- डी० एन० ए० जाँच हेतु रक्त का नमूना एफ० टी० ए० कार्ड पर लें।

2. <u>वीर्य तथा वीर्य रंजित प्रदर्श</u>

जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो कुछ साक्ष्य अवश्य छोड़ जाता है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में मुख्य जैविक स्त्राव Semen वीर्य जो पुरुष वर्ग से बाहर आता है, योनि, जननांगों, बिस्तर, अण्डर गारमेन्टस पर लगना स्वाभाविक है। दोनों तरफ के वस्त्रों में भी लग जाता है। यह पदार्थ मुलजिम की सटीक पहचान जैविक द्रव्य के रूप में है

RAJASTHAN POLICE

और इस पदार्थ की पूरा चैन एकत्रित कर बलात्कारी की पहचान निःसंदेह हो जाती है। ऐसी महत्वपूर्ण साक्ष्य को भली भांति सुरक्षित करना आवश्यक है।
जैसाकि समस्त जैविक पदार्थों के पहचान के तत्व नमी के कारण नष्ट हो जाते हैं इसलिये वस्त्रों को पूरी तरह सुखाकर, धब्बों के दोनों तरफ साफ कागज लगाकर लपेटे और कपड़े की थैली में पैक कर सील लगावें। मेडीकल जाँच में लिये जाने वाले स्वाब व स्लाईड भी सुखाकर पैक करावें जो Airtight नहीं हो और वास्ते परीक्षण भेजे कि वीर्य है या नहीं मानव वीर्य है तो ग्रुप क्या है। क्या संदिग्ध के रक्त–थूक के नमूनों से मिलता है।

गैंगरेप में समस्त के रक्त–थूक के नमूना से मिलान तथा DNA टैस्ट कर मिलान कर रिपोर्ट प्राप्त कर सही मुलजिम की पहचान सिद्ध हो सकेगी।

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

बलात्कार, गुदा, मैथुन, वीर्य, पशुगमन तथा फांसी के मामले।

घटना स्थल पर प्राप्त हो सकने वाले प्रदर्श :

वीर्य रंजित वस्त्र, कंन्डोम, योनि तथा लिंग फुरेरी, गुप्तांग के बाल, बिस्तर तथा टावल आदि।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

- प्रदर्श पर वीर्य मौजूद है अथवा नहीं।
- वीर्य मानव का है या नहीं।
- वीर्य किस रक्त वर्ग का है?
- वीर्य किस व्यक्ति का है डी० एन० ए० जाँच द्वारा।
- विभिन्न प्रदर्शों पर पाया गया वीर्य एक ही व्यक्ति का है अथवा भिन्न–भिन्न व्यक्तियों का है।

प्रदर्श संग्रहण परिरक्षण तथा सावधानियाँ :

(क) अपराध घटनास्थल से यदि बलात्कार किसी रेत वाली या कच्ची मिट्टी वाली जगह (घर के कच्चे फर्श पर, खेत में जंगल में) हुआ हो तो कई बार रक्त में मिला हुआ वीर्य जमीन पर धब्बे के रूप में पाया जा सकता है। उस स्थान की मिट्टी को ऊपर से खुर्च कर सुखा कर कब्जे में लेना चाहिए।

यदि इस प्रकार के धब्बे पक्के फर्श पर हो तो सफेद सूती गीले कपड़े के छोटे से टुकड़े (3 से.मी.*3 से.मी.) को उस पर रगड़ कर सुखा लें और सीलबन्द कर लें। यदि अपराध घटनास्थल पर सख्त धब्बे प्रतीत होते हों या अन्य पोंछने के उपयोग वाला कपड़ा दिखाई दे, तो सुखा कर सीलबन्द करें।

(ख) पीड़ित व्यक्तित से पीड़ित व्यक्ति (महिला) की चिकित्सा जाँच करवाई जाए। घटना के समय पीड़ित व्यक्तित के पहने हुए वस्त्र योनि फुरेरी, गुप्तांग के बाल तथा लगभग 5 मि.ली. रक्त परिरक्षित करवा कर कब्जे में लिया जाए और परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजना चाहिए। यही प्रक्रिया अपराधी के सम्बन्ध में भी अपनानी चाहिए।

(ग) धुले हुए वीर्य रंजित वस्त्र तथा धारा वीर्य अपराध के पश्चात कई बार वीर्य रंजित वस्त्र धो दिए जाते हैं। इन धुले हुए वस्त्रों पर भी वीर्य पाया जा सकता है।

(घ) अपराधी तथा पीड़ित व्यक्तित के नाखुनों की कटिंगस में भी वीर्य पाया जा सकता है कब्जे में लेकर प्रयोगशाला परीक्षण करवाएँ।

प्रदर्श संग्रहण परिरक्षण तथा सावधानियाँ :

- वीर्य युक्त वस्त्रों को सुखाकर पैक करें। धब्बेदार क्षेत्रों को रंगदार पेंसिल से मार्क करें।
- चिकित्सा जाँच के समय ली गई योनि तथा लिंग फुरेरियों को जाँच के लिए तुरन्त प्रयोगशाला भेज दें, ताकि यह सड़ने से खराब न हो पाएँ।
- शीशे की सलाईड़ों पर यदि शुक्राणु (SPERM) परीक्षण के लिए फुरेरी से धब्बे बनाएँ गए हो, तो प्रत्येक सलाईड को सुखाकर अलग–अलग कागज में लपेटें व सीलबन्द करें।
- गुप्तांग के बालों को जड़ के समीप से काटकर सुखाना चाहिए और साफ कागज में बाँधना चाहिए।
- वीर्य के धब्बों तथा अन्य किसी भी जैविक प्रदर्शों अथवा साक्ष्य को नंगे हाथों से नहीं छुना चाहिए।

गैंग रेप :

जोर जबरदस्ती से या नशे की हालत में जब दो शरीरों का करीब आना होता है तब एक दूसरे के जैविक स्राव जैसे लार, वीर्य तथा बालों का आदान–प्रदान होगा। बाल सिर के तथा गुप्तांगों के आपसे में रगड़ से उत्पन्न होकर एक दूसरे के शरीर बावक्त पहने कपड़ों पर अदला–बदली से पहुँच जाते हैं। कपड़ों पर भी जैविक स्राव लगता है कपड़ों के फटने से धागे, छीनाझपटी में बटन, चूड़ियों इत्यादि भी बतौर पहचान मिलते हैं। जिनका वैज्ञानिक, परीक्षण कराकर प्रमाणित किया जा सकता है।

पीड़िता मेडीकल के वक्त डॉ. गुप्तांग से स्वाब व स्लाईड लेता है जिसमें गैंगरेप वाले अपराधियों का वीर्य होने की पूरी संभावना होती है तथा वैज्ञानिक जाँच से प्रमाणित होता है जिसके मिलान के लिये संदिग्ध अपराधियों के मेडीकल में प्रत्येक के रक्त व थूक (लार–Saliva) के नमूने लिये जाना आवश्यक है ताकि उनके वीर्य से जो स्वाब कपड़ों के दाग धब्बों पर आया है मिलान हो सके। ध्यान रहे वीर्य के नमूने नहीं लिये जाते हैं। मात्र रक्त व लार के नमूने पर्याप्त होते हैं। यदि पीड़िता नशे की हालत में हो या ऐसी बात सामने

आवे तो घटनास्थल नशीली वस्तु की तलाश गम्भीरता से की जानी चाहिये। इसमें मुलजिम की पहचान के फुटप्रिन्ट, व फिंगरप्रिन्ट भी अहम हो सकते हैं। अदला बदली में आये बालों की पहचान के लिये प्रत्येक सिर–गुप्तांग से बाल के नमूने लिये उखाड़कर अर्थात् बाल जड़ सहित हो लेने चाहिये।

कमरे में बैड पर बिछी चादर, तकिये या कोई तोलिया, कपड़ा इत्यादि जिस पर वीर्य के धब्बे, कोई बाल, रक्त के धब्बे जो चूड़ी इत्यादि टूटने व रगड़ खाने से पीड़िता अथवा अपराधी का खून इत्यादि हो, को सावधानीपूर्वक उठाये जावेंगे। मिलान के लिये अपराधी के रक्त, थूक के नमूने, बाल के नमूने, (शरीर के संभावित भाग के) लिये जायेंगे।

1. वीर्य की पहचान, इसका ग्रुप व डी.एन.ए. हो सकेगा जिसका अपराधी से मिलान होगा।

2. बाल की पहचान, मानव का तथा शरीर के किस अंग का है कि जानकारी से पीड़िता व अपराधी से मिलान हो सकेगा।

3. (ए) रक्त की पहचान, मानव का या जानवर का। मानव है तो ग्रुप और यह ग्रुप अपराधी का है या पीड़िता का मिलान किया जायेगा।

(बी) रक्त की रचना यदि महावारी है तो पीड़िता की स्थिति स्पष्ट करेगा तथा अपराधी के जब्त कपड़ों से मिलान हो सकेगा।

4. पीड़िता का रक्त, उस अंग के बाल, माहवारी की जानकारी व नमूना तथा अपराधी का रक्त, थूक, बाल आदि।

3. <u>लार (थूक)</u>

लार या थूक एक महत्वपूर्ण जैविक स्त्राव है जिसमें मनुष्य के मुख की एपिथिलियल कोशिकाऐं अथवा कुछ मामलों में रक्त कोशिकाऐं पाए जाने की सम्भावना होती है। मुख गुहा की इन कोशिकाओं में स्थित डी.एन.ए. की प्रोफाईलिंग कर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है।

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

बलात्कार, चूमने तथा काटने के मामले, सिगरेट तथा बीड़ी के टुकड़े चोरी तथा अन्य मामलों में, चाय, पानी तथा दूध आदि पीये बर्तनों पर, फाँसी पर लटक कर आत्महत्या के मामलों में वस्त्रों पर।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

मानव लार मौजूद है या नहीं तथा डी.एन.ए. जाँच

प्रदर्श संग्रहण परिरक्षण एवम् सावधानियाँ :

(क) प्रदर्शों को सुखाकर पैक करना चाहिए।

(ख) संदिग्ध व्यक्तियों के लार का नमूना भी लेना चाहिए।

(ग) तरल लार का नमूना साफ कपड़े के छोटे टुकड़े पर लेना चाहिए।

4. <u>मानव दूध तथा अश्रु –</u>

मानव दूध तथा अश्रु महत्वपूर्ण जैविक स्त्राव है जिसमें मनुष्य की दुग्ध ग्रन्थियों या अश्रु ग्रन्थियों की कोशिकाऐं अथवा कुछ मामलों में एपिथिलियल कोशिकाऐं पाए जाने की सम्भावना होती है। इन ग्रन्थियों के स्त्राव में पाई जाने वाली कोशिकाओं में स्थित डी.एन.ए. की प्रोफाईलिंग कर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है।

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

मातृत्व तथा अवैध प्रसूति मामले, कमीज, ब्रैजियर एवं अश्रु रंजित वस्त्र।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

मानव दूध तथा अश्रु मौजूद है या नहीं।
मानवीय/अमानवीय होने संबन्धी जाँच।

प्रदर्श संग्रहण परिरक्षण तथा सावधानियाँ :

- प्रदर्शों को सुखा कर पैक करें तथा नंगे हाथों से न छूएँ।

5. <u>चमड़ी, माँस तथा हड्डियों के अन्दर की वसा</u> –

मनुष्य के अपहरण, हत्या अथवा मृत शरीर को नष्ट करने के मामलों में प्राप्त चमड़ी, माँस तथा हड्डियों के अन्दर की वसा में मिलने वाली कोशिकाओं में स्थित डी.एन.ए. की प्रोफाईलिंग कर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है।

न्मूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

हत्या, दुर्घटना, अवैध जीव वध, धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने हेतु फेंका गया माँस आदि।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

मानव– अमानवीय, उत्तक जाँच, रक्तवर्ग तथा डी०एन०ए० जाँच।

प्रदर्श संग्रहण परिरक्षण तथा सावधानियाँ :

- प्रदर्श का एक भाग नार्मल सेलाएन में तथा दूसरा भाग एफ०टी०ए० कार्ड पर परिरक्षित किया जाना चाहिए।
- फार्मलीन के घोल में परिरक्षित उत्तकों से रक्त वर्गीकरण तथा डी० एन० ए० जाँच नहीं हो सकती है।

6. <u>हड्डियाँ तया अस्थिपिंजर</u>

न्मूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

हत्या, आत्महत्या, पशुवध, पशुओं द्वारा मानव वध, दहेज हत्या के मामले, पानी में डूबकर मरने के मामले तथा अवैध जनन के मामले।

RAJASTHAN POLICE

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

- हड्डियों मनुष्य की है या जानवर की।
- पुरुष की है अथवा स्त्री की।
- अस्थियों से आयु निर्धारण।
- अस्थियों से कद निर्धारण
- व्यक्ति की पहचान हेतु खोपड़ी तथा जीवनकाल की फोटो से अध्यारोपण (Superimposition)
- डी०एन०ए० परीक्षण
- जली हुई हड्डियों से उपरोक्त परीक्षण

प्रदर्श संग्रहण परिरक्षण तथा सावधानियाँ :

- हड्डियों को नंगे, हाथों से नहीं रबड़ के दस्ताने पहन कर छुएँ।
- हड्डियों को टूटने से बचाएँ।
- उन पर लगे कट के निशान आदि पर रुई लपेट कर धागा बाँध दें।
- आस्थिपिंजर को साफ करवाकर लकड़ी के बक्से में बन्द करके भेजें।
- जली हुई हड्डियों के टुकड़ों को रूई की तहों के बीच रखकर लोहे के या अन्य किसी सख्त डिब्बे में डालकर भेंजे।
- डी०एन०ए० जाँच हेतु लम्बी हड्डी ह्यूमरस अथवा फीमर को परिरक्षित करना अत्युत्तम होता है।

7. <u>दाँत (Teeth)</u> –

दाँत किसी घटनास्थल पर मिल सकने वाला महत्वपूर्ण साक्ष्य है। दाँत की पल्प केविटी में उत्तक तथा रक्त होने से वहां मिलने वाली कोशिकाओं में स्थित डी.एन.ए. की प्रोफाईलिंग कर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है।

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

हत्या, मारपीट, दुर्घटना, दहेज–हत्या, पशु–वध, डूबकर मरने के मामले।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

1. दाँत मानव का है या जानवर का।
2. जानवर का है तो किस जानवर का है रक्त वर्ग क्या है।
3. क्या काटने के चिन्ह संदिग्ध व्यक्ति के हैं या नहीं
4. डी०एन०ए० जाँच करके बताना कि दाँत किस व्यक्ति अथवा जानवर का है।

संग्रहण, परिरक्षण एवं सावधानियाँ :

- नंगे हाथ से न छुएँ।
- रूई में लपेटकर लोहे की डिब्बी में डालकर प्रयोगशाला में भेजे।

RAJASTHAN POLICE

8. <u>बाल (Hairs)</u>

अपराधस्थल पर बाल जैसे सूक्ष्म अवशेष प्रायः अपराधी की दृष्टि में नहीं रहते और इनकी उपस्थिति सहज होती है। बाल किसी भी अंग के हो सकते है। जिनका ट्रांसफर अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। बलात्कार, हत्या, हिट एवं रन जैसे अपराधों में प्रायः पाये जाते हैं। इस सूक्ष्म साक्ष्य से व्यक्ति की पहचान बालों की तुलना से स्थापित हो जाती है। यदि बाल जड़ सहित हैं तो डी.एन.ए. टेस्ट द्वारा व्यक्ति की निश्चित पहचान हो जाती है। बालों की तुलना के लिये उसी अंग के बालों का नमूना आवश्यक है सावधानी से चिमटी से बाल उठाकर कागज की पुड़िया बनाकर लेबल अंकित करें। नमूना कंघी करने पर, हल्के झटके से या चिमटी से एक–एक कर निकाले जाने चाहिये।

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

हत्या, बलात्कार, दुर्घटना, पशुवध तथा अन्य किसी भी प्रकार के मामलों में बाल प्राप्त हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े के मामलों में भी बाल प्राप्त होते हैं।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

1. क्या प्रदर्श में बाल मौजूद हैं ?
2. बाल जानवर के हैं या मनुष्य के ?
3. शरीर के किस भाग के बाल हैं ?
4. अपराधी अथवा उत्पीडित किसके बाल है ?
5. रक्त वर्ग क्या है ?
6. डी०एन०ए० परीक्षण करके संदिग्ध व्यक्ति अथवा पीड़ित व्यक्ति की पहचान करना।
7. बाल उखड़े, कटे या गिरे हुए हैं।

प्रदर्श संग्रहण परिरक्षण तथा सावधानियाँ :

- सफेद बालों को काले कागज तथा काले बालों को सफेद कागज की पुड़िया में परिरक्षित करना चाहिए।
- बालों को खुली हवा में नहीं छोड़ना चाहिए।
- बालों के कम से कम दस नमूने जड़ समेत तथा दस काट कर लेने चाहिए।
- अपराध घटनास्थल से जितने भी बाल मिले परिक्षण हेतु भेजने चाहिए।

9. <u>कीड़े (Maggots)</u> –

किसी सड़ी गली लाश का पुट्रीफिकेशन आरम्भ होने पर उस पर विभिन्न कीड़े व मक्खियां पनपने लगती है तथा उस पर अण्डे भी देती हैं, जिनसे लारवा निकलता है। इन सभी की जीवन चक्र की अवस्थाओं का अध्ययन कर मृत्यु के समय एवं कुछ मामलों में स्थान का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है।

RAJASTHAN POLICE

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

- सड़े हुए मृत शरीर तथा सड़े हुए शारीरिक उत्तक।
- गले सड़े फल तथा सब्जियाँ इत्यादि ।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

- कीड़ों की विकास प्रणाली से पता लगाना कि मृत शरीर अथवा उत्तक मृत्यु के पश्चात कितना धारा है।
- मृत तथा जीवित दोनों प्रकार के कीड़ों को परीक्षण हेतु भेजना चाहिए।

प्रदर्श संग्रहण परिरक्षण तथा सावधानियाँ :

- कीड़ों को अविलम्ब प्रयोगशाला जाँच के लिए भेजें।
- जिस बोतल में कीड़े डाले हो उस पर परिरक्षण की तिथि अवश्य लिख दें।

10. <u>रेशे तथा धागे</u> –

घटनास्थल पर प्राप्त होने वाले रेशों तथा धागों का संदिग्ध व्यक्ति के घटना के समय पहने हुए वस्त्रों से तुलनात्मक अध्ययन कर व्यक्ति विशेष की स्थान विशेष पर उपस्थिति का लिंक स्थापित किया जा सकता है।

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

अपराधी उत्पीडित, संदिग्ध व्यक्ति के वस्त्रों तथा रस्सी आदि से हर प्रकार के मामलों में अपराध घटनास्थल पर भी यह साक्ष्य प्राप्त होते हैं।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

- रेशे तथा धागे सूती है, ऊनी हैं, सिंथेटिक हैं अथवा प्राकृतिक हैं।
- यह उत्पीडित, अपराधी अथवा किन संदिग्ध व्यक्तियों के वस्त्रों से मिलते हैं।
- क्या यह किसी रस्सी इत्यादि से मिलते हैं जो अपराध घटनास्थल पर मौजूद थी।

संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ :

- रेशे तथा धागों को कागज के लिफाफे अथवा पॉलिथीन के पारदर्शी लिफाफे में डालकर सीलबन्द करना चाहिये। इन्हें हवा में उड़ने से तथा नमी से बचाएँ।
- रेशे तथा धागे बहुत पतले हैं। इनको घटनास्थल पर तेज प्रकाश की सहायता से ढूँढना चाहिए। सभी प्रकार के रेशे तथा धागे घटनास्थल से कब्जे में लेकर जाँच के लिए सीलबन्द करना चाहिए।

11. <u>इमारती तथा अन्य प्रकार की लकड़ी</u> –

वन्य उत्पादों की तस्करी तथा अन्य अपराधों में प्रयुक्त लकड़ी का वैज्ञानिक अध्ययन कर उस लकड़ी के उद्‌गम स्थान की पहचान कर संदिग्ध व्यक्ति अथवा घटनास्थल की पहचान करने में सहायता मिलती है।

RAJASTHAN POLICE

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

लकड़ी चोरी के मामले, चोरी से पेड़ काटने के मामलें, वाहन दुर्घटना के मामलें, मारपीट तथा हत्या के मामले आदि।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

- लकड़ी किस पेड़ की है?
- लकड़ी के दो नमूने आपस में मिलते हैं या नहीं।
- मारपीट अथवा हत्या के मामलों में पाए गए लाठी के दो टुकड़े एक ही लाठी के हैं या नहीं।

प्रदर्शो संग्रहण परिरक्षण एवम् सावधानियाँ :

1. लकड़ी के नमूने अपराधी तथा घटनास्थल के बुरादे सहित(कम से कम चार स्क्वेयर इन्च के) कब्जे में लें।
2. प्रहार हेतु प्रयोग की गई टूटी हुई लाठी के टुकड़ों को बिना तोड़े या काटे ज्यों का त्यों कपड़े लपेट कर सीलबन्द कर दें।
3. लकड़ी को वायुरूद्ध थैलों में डालकर सीलबन्द करें ताकि उस पर नमी का कोई प्रभाव न हो।

12. <u>पौधों के रेशों से बनी रस्सी</u> –

रस्सी के रेशों का वैज्ञानिक अध्ययन कर रस्सी के अलग–अलग टुकड़ों के मध्य परस्पर संबन्ध व अनन्यता स्थापित की जा सकती है। साथ ही रस्सी के रेशों का अध्ययन कर किसी मानक के साथ तुलना भी की जा सकती है।

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

चोरी, हत्या, आत्महत्या, बन्दीकरण, बलात्कार आदि के मामले।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

- ठेकेदार द्वारा घटिया रस्सी यदि सप्लाई की गई हो तो तुलना करना कि वह अनुमोदित नमूने से मिलती है या नहीं।
- टूटे हुए रस्सी के दो टुकड़े एक ही रस्सी के है या नहीं।

प्रदर्श संग्रहण परिरक्षण एवम् सावधानियाँ :

1. कटी हुई रस्सी के सिरों को धागों से बाँध देना चाहिए और जिन कटे हुए सिरों की तुलना करवानी हो उन पर सूचक अंकित करना चाहिए।
2. रस्सी के सिरों की पहचान व तुलना हेतु प्रयाप्त मात्रा में 2–3 इन्च रस्सी अवश्य प्रयोगशाला जाँच हेतु भेजी जाए।
3. रस्सी को नमी से बचाने हेतु वायुरुद्ध थैलों में पैक करना चाहिए।

RAJASTHAN POLICE

13. **<u>विषैले बीज तथा पौधों के टुकड़े :</u>** –

मृत्यु के सटीक कारण को जानने के लिए मृतक के शरीर में पाए गये विष की पहचान कर घटनास्थल पर उक्त विषैले पदार्थ की अथवा उसके स्त्रोत की पहचान कर उनके मध्य संबन्ध स्थापित किया जा सकता है।

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

विष खाकर आत्महत्या अथवा खिलाकर हत्या के मामले

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

- विष की पहचान
- विषैले पौधों की पहचान

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँः

- भोजन के अवशेष यदि कोई हों।
- सिलबट्टा, खरल तथा मुसली या मिक्सी जिससे रगड़े जाने का संदेह हो।
- विषैले बीज या पौधों के भाग आदि घटनास्थल पर बचे या बिखरे पड़े हों।

14. **<u>डी०एन०ए० (DNA) परीक्षण</u>**

डी.एन.ए. (डिओक्सी राईबो न्यूक्लिक एसिड)(Deoxyribonucleic acid) DNA का पूरा नाम है जो जैव कोशिका के केन्द्रक में पाया जाता है। नमूने जैसे रक्त, वीर्य, थूक, बाल जड़ सहित, हड्डी, दाँत अर्थात् जीव की हर कोशिका के केन्द्रक में DNA होता है। DNA सबका भिन्न होता है अर्थात व्यक्ति विशेष की पहचान उसके विशिष्ट गुणों की उपस्थिति जिसमें माँ–बाप से आये गुण सम्मिलित है, पूर्ण रूप से हो जाती है। इसकी महत्वत्ता पैतृक पहचान, गैंगरेप में प्रत्येक की पहचान उनके द्वारा छोड़े वीर्य कोशिकाओं से हो जाती है अर्थात् सम्पूर्ण पहचान व मिलान इससे (DNA) निश्चितता से हो जाती है। शक की कोई गुंजाईश नहीं रहती।

उदाहरण – एन.डी. तिवारी के प्रकरण में डी.एन.ए. जाँच से सिद्ध हुआ कि एन.डी. तिवाड़ी ही शिकायतकर्ता का पिता था।

कंकाल से पहचान के लिए डी.एन.ए. के सबसे उपयुक्त सैम्पल सबसे बड़ी हड्डी जांघ की (Femur)और दाँत होते हैं जिन्हें सूखाकर पेपर में लपेटकर कपड़े की थैली में पैक कर सील किये जाने चाहिये। संभावित के रक्त नमूना से हड्डी की कोशिकाओं के नमूने से डी.एन.ए. मिलान कर पहचान कायम की जाती है।

नमूना या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः–

हर प्रकार के अपराध के मामले, जहाँ जैविक साक्ष्य मौजूद हों में पड़ सकती है। यह मामले हत्या, आत्महत्या, पितृत्व तथा मातृत्व के झगड़े, बलात्कार, गुदा मैथुन डकैती, मारपीट, पशुवध वाहन दुर्घटना रेल दुर्घटना, वायुयान क्रैश/दुर्घटना जहाँ पर मृतक की पहचान करनी हो, के हो सकते हैं।

RAJASTHAN POLICE

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण :

- मृतक तथा अपराधी की पहचान।
- पीड़ित व्यक्ति की पहचान ।
- मातृत्व तथा पितृत्व जाँच ।
- जंगली जानवरों की पहचान ।
- पौधों और बीजों की पहचान।
- अंग प्रत्यारोपण ।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ :

1. डी०एन०ए० परीक्षण हेतु अपराध के मामलों में निम्नलिखित प्रदर्श आते हैं :–

- रक्त / रक्त रंजित प्रदर्श
- वीर्य / वीर्य रंजित प्रदर्श
- लार / लार रंजित प्रदर्श
- त्वचा
- माँस
- हड्डियाँ
- बाल
- योनि स्त्राव तथा योनि स्त्राव रंजित प्रदर्श
- सींग
- खुर
- दाँत
- वसा
- नाखून

2. प्रत्येक प्रदर्श की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि उस में से 5 से 10 नेनोग्राम डी०एन०ए० प्रोफाईलिंग के लिए उपलब्ध हो सके।

3. प्रदर्श सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।

4.प्रदर्श को सुखा कर पैक करें।

5. यदि जैविक पदार्थों के नमूने एफ०टी०ए० कार्ड पर परिरक्षित किए जाएँ तो अत्युत्तम होगा।

6. नमूनों को विधि पूर्वक परिरक्षित किया जाना चाहिए।

7. नमूनों को कोई भी व्यक्ति नंगे हाथों से ने छुए। अपनी साँस से भी दूर रखे नहीं तो नमूने दूसरे व्यक्ति के डी०एन०ए० से दूषित हो जाएँगे।

8. डी० एन० परीक्षण हेतु प्रदर्शों को तुरन्त अविलम्ब प्रयोगशाला में भेजना चाहिए।

9. प्रयोगशाला में नमूनों को कोल्डरुम में रखा जाना चाहिए और अविलम्ब परीक्षण किया जाना चाहिए।

10. अपराध के मामलों में डी०एन०ए० हेतु प्राप्त नमूने अक्सर दूषित (CONTAMINATED) होते हैं इसलिए उनसे शतप्रतिशत डी०एन०ए० प्रोफाईलिंग सफलता की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

RAJASTHAN POLICE

11. बलात्कार के मामलों में कई बार प्रदर्शों पर 1 से 5 तक ही शुक्राणु पाए जाते हैं। यदि एक बार डी०एन०ए० परीक्षण हो जाता है तो दूसरी बार के डी०एन०ए० परीक्षण हेतु प्रदर्श में डी०एन०ए० नहीं बचेगा और दूसरी बार की परीक्षण प्रतिवेदन नेगेटिव हो सकती है।
12. प्रदर्शों और एक्सट्रेक्टिड अथवा निकाले गए डी०एन०ए० के नमूनों को स्पष्ट लेबल लगाने चाहिएँ ताकि प्रत्येक केस के नमूनों को अलग रखा जा सके।

धारदार हथियार से हमले के मामले में मिलने वाले जैविक साक्ष्य :

1. घटनास्थल से रक्त।
2. शरीर पर पहने व रक्त से सने हुये, कपड़े रक्त के धब्बे, रक्त रंजित पांव के धब्बे वासबेसिन पर रक्त धोने के निशान।
3. कपड़ा जिस पर कट का निशान हो का हथियार से मिलान।
4. बीड़ी, सिगरेट के जले टुकड़ों से सलाईवा (Saliva) का मिलान।
5. आपसी छिना झपटी में बालों की अदला–बदली।
6. पोस्टमार्टम रक्त से मृतक के रक्त की पहचान।
7. बाल हों तो मृतक के बाल के नमूने।
8. थूक के लिये सलाईवा (Saliva) का नमूना।
9. घाव का चाकू से मिलान इत्यादि।

मृत्यु (Death)

मृत्यु के तीन प्रकार होते हैं–(Three modes of death)
1. Asphyxia - दम घुटना।
2. Syncope -रक्त संचार का रुकना अथवा रक्त की कमी।
3. Coma -तंत्रिका तंत्र का निष्क्रिय होना।

कारण–

➢ Asphyxia– फाँसी से, डूबने से, जलने से, गला घोंटने से, या कोई जहरीली गैस सूँघने से कारित होता है।

➢ Syncope – इसके कारण हृदय गति रुकने से, रक्त प्रवाह में रुकावट से अथवा रक्त की कमी से।

➢ Coma– ब्रेन अथवा तंत्रिका तंत्र के फेल होने से। मृत्यु के लिए इनका शोक Shock भी कहा जाता है।

RAJASTHAN POLICE

फाँसी (Homicide, Suicide अथवा Accident)

किसी प्रकरण में मार कर साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से फाँसी लगाने में बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकट होते हैं, जिनके आधार पर आत्महत्या या हत्या रूपी फाँसी का आंकलन संभव है।

1. मरने वाले व्यक्ति के शव पर फन्दा लगाना जो कसकर बाँधा जावेगा।
2. शव पर विरोध के घाव अन्य लक्षण होंगे।
3. शव पर मुट्ठी में अपराधी की कोई निशानी संभव होती है। जैसे – बाल, धागा, बटन।
4. शव को लटकाने, घसीटने, बांधने में मरने से पूर्व के घाव, रक्त इत्यादि।
5. अपराधी की पहचान के साक्ष्य, उसके पदचिन्ह, अंगुल चिन्ह, छीना झपटी के निशान व वस्तु का आदान–प्रदान।
6. निशान एवं वस्तु का आदान–प्रदान से दो व्यक्तियों के होने के आलामात।
7. आत्महत्या रूपी फाँसी में इस प्रकार के साक्ष्यों का अभाव होगा।
8. दवा का नशा या शराब के नशे में फाँसी से हत्या की जा सकती है।
9. याद रहे नशे में स्वयं फाँसी नहीं लगा सकता।

Complete Hanging & Partial Hanging

यदि गाँठ नेप ऑफ दी नेक (NAP of the neck) गुद्दी पर हो और पूरा शरीर बिना किसी आधार के झूल रहा हो तो Complete Hanging फाँसी कहलाएगी। ज्यूडिशियल फाँसी इसी प्रकार होती है।

Partial Hanging में शरीर किसी भी वस्तु, दीवार या फर्श पर टिक जाता है तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति फाँसी से मरने से पहले फंदे को हटाने में सक्षम था, किन्तु मर गया। वास्तव मृत्यु फाँसी से होती है और मृत्यु का प्रकार Asphyxia तथा कारण फाँसी का फंदा होता है।

Asphyxia में तकिये से नाक व मुँह अवरुद्ध हो जाने के कारण ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है तथा मृत्यु का प्रकार Asphyxia होगा।

मृत्यु का कारण तकिये से ऑक्सीजन रोकना जिसे Smothering विधि कहा जाता है। नाक की नस फटने से तकिये पर रक्त के धब्बे होगें नाक की हड्डी में फ्रेक्चर तथा मृतक की दाँतों की जड़ में खून चमक उठेगा। दाँत ढीले भी हो सकते हैं।

डूबकर मरने का मृत्यु का प्रकार भी Asphyxia होगा। कभी–कभी Vagal shock भी होता है। मारकर डूबाने में मृतक के अवयवों व हड्डी में पानी में पाये जाने वाले डायटमस की उपस्थिति नहीं होगी। यदि स्वयं डूबकर मरता है तो मृतक के शरीर के अवयवों तथा हड्डी के नमूनों में डूबकर मरने वाले पानी के नमूने में पाये जाने वाले सूक्ष्म (Diatoms) की उपस्थिति व मिलान होगा।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–60

भौतिक साक्ष्य

ए. बैलेस्टिक्स (Ballestics)

आग्नेय शस्त्र वो मैकेनिकल हथियार होते है जिनसे Ammunition दागा जाता है तथा इनका प्रोजेक्टाइल क्षमतानुसार वांछित स्थान पर मार करते है।

Ammunition में भरे Primary Explosive पर जब चोट लगती है तो Explosion होता है जिससे उच्च ताप और उच्च दाब क्षमता की गैस का निर्माण होता है, जिससे कारतूस–गोली के आगे का हिस्सा बैरल से निकलकर वांछित टारगेट पर मार करता है, किन्तु वह खोखा जिसमें Explosive Charge था, चैम्बर से बाहर निकलकर घटनास्थल पर गिर जाता है और बन्दूक अस्त्र पुनः लोड स्थिति में ले लिया जाता है।

खाली खोखा, जो घटनास्थल पर मिलता है तथा छर्रे इत्यादि से वैज्ञानिक जाँच से प्रमाणित हो जाता है कि खोखा इसी बन्दूक से/Fire arm से चला है।

हैमर की चोट का निशान गोली पर, फायर करने वाले के हाथ में Explosive से उत्पन्न गैस धुआं की उपस्थिति तथा टारगेट स्थान पर छिद्र, एक्सप्लोजिव की उपस्थिति से भी मिलान हो सकता है। शरीर से प्राप्त छर्रे, अस्त्र शस्त्र से आये घाव इत्यादि से मिलान कर Fire arm चलाने वाले की सटीक पहचान कायम होती है।

सामान्यतौर पर फाइरिंग के वक्त चैम्बर में से गैसेज के साथ बारूद के कण भी उच्च गति से गोली के साथ ही निकलते है किन्तु बाहरी वायु के टकराव से गति प्रभावित होती है और धीरे–धीरे इनकी कणों की पहुँच टारगेट तक कम हो जाती है किन्तु मृतक के कपड़े व चमड़ी के छिद्र अर्थात् प्रवेश द्वार पर नजदीकी होने के कारण उच्च ताप व बारूद के कणों के अवशेष प्रवेश द्वार के चारों तरफ एक रिंगनुमा धब्बा या कालिख प्रतीत होता है जिसका वैज्ञानिक टैस्ट कराकर तय किया जाता है कि फायर बिल्कुल नजदीक से हुआ है अर्थात् शूटर बिल्कुल पास है, चाहे मृतक स्वयं हो, जिसकी स्थिति के अनुसार अनुसंधान बढ़ाया जाता है।

यहाँ पर कपड़े के छिद्र, डॉक्टर द्वारा चमड़ी के प्रवेश द्वार वाली चमड़ी का नमूना सावधानी से सुरक्षित किया जाना आवश्यक है, जिससे बारूद, कारतूस के धातु की उपस्थिति का वैज्ञानिक प्रमाण सिद्ध हो सके।

1. अग्नेय शस्त्रों का निरीक्षण तथा पहचान

भारत में अपराधियों द्वारा अग्नेय शस्त्रों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यह अग्नेय शस्त्र विभिन्न प्रकार के पिस्तौल, रिवाल्वर, राईफलें, कारबाईन और मशीनगनें, जिनका कैलीबर, भिन्न भिन्न होता है। अपराध की घटनाओं में देशी (COUNTRY MADE) अग्नेय शस्त्रों का इस्तेमाल भी बहुत अधिक होने लगा है। जब कोई अग्नेय शस्त्र से अपराध करने की घटना होती है तो पुलिस अन्वेषण अधिकारी अपराध घटनास्थल से अग्नेय शस्त्रों संबन्धी

साक्ष्यों को एकत्रित करके न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजते हैं। प्रयोगशाला में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जाँच की जाती है।

1. क्या अग्नेय शस्त्र चालू अवस्था में है अथवा नहीं ?
2. अग्नेय शस्त्र की नाली (BARREL) में चले होने के बाद के अवशेष हैं या नहीं और क्या अग्नेय शस्त्र चला है या नहीं ?
3. क्या सामग्री विधिवत (प्रचालित) नकली या इम्प्रोवाईजड है का पता लगाना ?
4. क्या अग्नेय शस्त्र अधिनियम की धाराओं/नियमों को पूरा करता है?
5. क्या अग्नेय शस्त्र फायर करने में प्रयोग किया जा सकता है ?
6. अग्नेय शस्त्र के कैलिबर, बनावट और माडल का पता लगाना।
7. क्या अग्नेय शस्त्र का कोई भाग बदला गया है ?
8.अग्नेय शस्त्र के मूल का ब्यौरा देने वाले अंकों को अपराधी द्वारा मिटाए जाने के बादपूर्व अवस्था में लाना।
9 क्या अग्नेय शस्त्र दुर्घटना/भूलवश चला था।
10. अग्नेय शस्त्र की प्राणघातकीय शक्ति का पता लगना।
11. कोई बाह्‌य पदार्थ यदि हो, का पता लगाना।

अन्य साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः—

1. प्रचलित अग्नेयशस्त्रों में ठीक किए हुए, बिना ठीक किए हुए भाग। टूटे हुए भाग. इनमें इम्प्रोवाईजड शस्त्र, खिलौना बन्दूक व देशी पिस्तौल हो सकते हैं।
2. अग्नेय शस्त्र और गोला बारुद बनाने में प्रयोग किए गए औजार।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

1. साक्ष्यों/पार्सलों को अच्छे ढंग से पैक न करना और अग्रेषित करना ।
2. सीलों का अनुपयुक्त होना।
3. सीलों की लिखाई का पढ़ा न जाना।
4. सत्यापित सीलों का कपड़े पर न होना।
5. पार्सलों के उपर पूरी तरह साक्ष्यों के प्राथमिकी पुलिस स्टेशन, पार्सल संख्या व प्रदर्शों का विवरण न लिखा होना।

2. <u>गोली सिक्का (वेड्स Weds) की जाँच और पहचान</u>

गोली सिक्का से अभिप्राय है सभी प्रकार का गोली सिक्का जिसको छोटे शस्त्रों के साथ चलाया जाए। गोली सिक्का चला भी हो सकता है। इसमें सभी प्रकार के राउण्ड, राउण्ड के खोल, राउण्ड के अन्य भाग जैसे कि वैड, शाट, छरें, स्लग, गोली, गोली के भाग और प्रोपेलेंन्ट चार्ज इत्यादि। इस प्रकार का गोली सिक्का या तो अपराध घटनास्थल से मिलता है या फिर संदिग्ध स्थानों से प्राप्त होता है। यदि किसी घटनास्थल पर गोलीबारी की वारदात होती है तो जाँच अधिकारियों को घटनास्थल पर जाकर अग्नेयशस्त्रों और उनसे संबन्धित साक्ष्यों को इक्ट्ठा करके न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला में आगामी परीक्षण हेतु भेजना चाहिए। जाँच का विवरण इस प्रकार है—

RAJASTHAN POLICE

1. क्या वस्तुएँ हथियार Arms Act में आती हैं ?
2 क्या गोली सिक्का (वेड्स Weds) जिन्दा है ?
3 क्या गोली सिक्का (वेड्स Weds) मानक है या अमानक है ?
4 अग्नेय शस्त्र की बनावट, प्रकार और कैलिबर ज्ञात करना।
5. गोली सिक्का (वेड्स Weds) के प्रकार, बनावट, कैलिबर, गोली का बोर स्लग, विभिन्न भाग के बारे में पता करना।
6. शाट और छरे का आकार पता करना।
7. प्रोपेलेन्ट और राउण्ड का प्रकार ज्ञात करना।
8. प्रोजेक्टाईल कम्पोनेंट के बारे में पता करना कि वह फायरिन्ग में प्रयोग हुआ है या नहीं ?
9. क्या गोली नियमित हथियार से चली है अथवा देशी हथियार से ?
10. लेडिन्ग मार्कस की उपस्थिति का पता करना।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोतः—

1 जिन्दा और मिसफायर्ड राउण्ड, चला हुआ राउण्ड खोल, राउण्ड के अन्य भाग जैसे टोपी, बेस, बैड, पाऊडर, गोली, छरें, गोली के टुकडे इत्यादि।
2. औजार जो कि हथियार बनाने/भरने और खाली करने में प्रयोग होते हैं।
3. स्मोकलेस पाऊडर, ब्लैक पाऊडर तथा इनके रखने का बर्तन।
4 जला हुआ / अधजला पाऊडर चार्ज।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

1. सभी प्रदर्शों की एक ही गठरी बना देना।
2. सीलों की लिखाई का पढ़ा न जाना।
3. नमूना सील को कपड़े के टुकड़े पर सत्यापित करके न भेजना।
4. पार्सलों/प्रदर्शों का ब्यौरा न देना। प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस थाने का नाम व अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर न होना।

3. <u>अग्नेय शस्त्र तथा गोली व खाली खोल कारतूस संबंध</u>

- चले हुए राउण्ड/न दगे हुए कारतूसों का पता लगाना कि संदिग्ध अग्नेय शस्त्र से चले है या नहीं ?
- चले हुए राउण्ड /अग्नेयशस्त्र जो कि अन्य मामलों में प्राप्त हुए थे, के बीच संबंध स्थापित करना।
- राउण्ड तथा कारतूस की आपसी तुलना करके पता लगाना कि कितने अग्नेय शस्त्र चले हैं ?
- चली हुए गोली से अग्नेय शस्त्र का प्रकार ज्ञात करना ज्ञात करना कि गोली संदिग्ध शस्त्र से चली है अथवा नहीं ?
- अपराध घटनास्थल व उत्पीड़ित से प्राप्त हुई गोली और टैस्ट फायर की गई गोली के बीच संबन्ध स्थापित करना। टूटी हुई गोली अग्नेय शस्त्र जो अन्य मामलों में प्राप्त हुए है, उनके बीच संबन्ध स्थापित करना।

RAJASTHAN POLICE

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

1. चला हुआ कारतूस, राउण्ड, छर्रा,
2. राउण्ड का खोल, राउण्ड का भाग,
3. सीसा, स्टील का भाग या राउण्ड के आगे का भाग।

4. गोली चलाने के लक्ष्य की परीक्षा

जब गोली चलाने की घटना होती है तो चली हुई गोलियों अपने रास्ते में किसी वस्तु से टकराती हैं तो उसमें छेद कर देती हैं। गोली चलाने का लक्ष्य यदि मानव हो तो उसका निरीक्षण करके यह राय दी जा सकती है कि यह छेद गोली से बना है या नहीं तथा फायर कितनी दूरी और किस दिशा से हुआ है। जाँच का विवरण इस प्रकार हैः–

- निश्चित करना कि छेद गोली से बने हैं और किस प्रकार का अग्नेयास्त्र प्रयोग हुआ है
- जख्म से निश्चित करना कि किस श्रेणी के अग्नेयशस्त्र या बिना श्रेणी के अग्नेयशस्त्र से जख्म हुआ है ?
- गोली द्वारा बने जख्म से पता लगाना कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का ?
- फायरिंग की दूरी, दिशा और कोण को निश्चित करना।
- जख्म प्राक्षेपिकी का अध्ययन करना।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

1. चमड़ी का हिस्सा, हड्डियों बाल और शरीर के दूसरे हिस्से जिन पर गोली के जख्म का प्रभाव हो।
2. पीड़ित / अभियुक्त द्वारा पहने हुए कपड़े।
3 निर्जीव वस्तुएँ जो कि घटनास्थल पर गोली लगने या गोली द्वारा छेद करने, छरे टकराने या वैड व पाऊडर चार्ज, दूरी ज्ञात करने हेतु ।
4. अपराध घटनास्थल का नक्शा, फोटोग्राफ व विडियों टेप।

5. शूटर की पहचान :

जो व्यक्ति अग्नेय शस्त्र को चलाता है या चलाने वाले के पास कोई व्यक्ति खड़ा होता है, उस पर गनशाट अवशेष / पाऊडर के कण (GSRगन शॉट रेजिड्यू) हाथों चेहरे तथा वस्त्रों पर पाए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हाथों तथा चेहरे से 0.5 प्रतिशत नाईट्रिक अम्ल से गीली रुई द्वारा पोंछ कर स्वैब बनाकर सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण करने से शूटर की पहचान की जा सकती है। वस्त्रों से भी पाऊडर कण सेलोटेप के द्वारा उठाएजा सकते हैं।

6. साक्ष्यों से जो राय संभव नही :

- फायरिंग का सही समय ।
- फायरिंग की सही सीमा।

- फायरिंग का अनुक्रम।
- छेदों को देखकर निश्चित करना कि यह किस खास प्रोजेक्टाईल से बने हैं।
- चले हुए खाली खोल से गोली / छरें का संबन्ध जोड़ना।
- अपराध घटनास्थल की पहले की तरह पुनर्रचना करना।

7. <u>प्रदर्शों को सीलबन्द करना और अग्रेषित करना</u>

- अग्नेयशस्त्र को खाली करके कागज से लपेटकर गत्ते या लकड़ी के डिब्बे में पैक करना चाहिए।
- गोली राउण्ड और खोल को रूई या नरम कागज में लपेटकर माचिस या गत्ते के डिब्बे में पैक करना चाहिए।
- स्लग को कागज या गत्ते में लपेटना चाहिए।
- प्लास्टिक की डिब्बी में रूई के फोहे पर लेकर प्लास्टिक की डिब्बी में बन्द करना चाहिए।
- चमड़ी के टुकड़ों को संरक्षण घोल में पूरी तरह डूबोकर खुले मुँह वाली प्लास्टिक की बोतल में बन्द करें।
- सभी प्रकार की पैकिंग को अच्छे ढंग से पैक करके मामले के विवरण के साथ सीलबन्द करना चाहिए और जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिएँ।

अग्रेषण हेतु सावधानियाँ

- अग्नेय शस्त्र को खाली करना चाहिए। यदि खाली न कर पाएं तो मोटे अक्षरों में चिन्हित करें और सावधानी बरतें।
- अग्नेय शस्त्र तथा न चले हुए गोली सिक्का पर सावधानी पूर्वक चिन्हित करें।

8. <u>भौतिक साक्ष्य संग्रहण और सीलबन्द करना</u>

- अंगुलछाप, हथेलीछाप, खून के धब्बे यदि अग्नेय शस्त्र पर हो तो उन्हें सुरक्षित करने के बाद ही प्रदर्श को प्रयोगशाला भेजना चाहिए।
- सभी प्रकार के प्राक्षेपिकी साक्ष्यों जैसे अग्नये शस्त्र, जिन्दा राउण्ड, चली हुई गोली, खाली खोल कारतूस टारगेट वस्तुएँ जैसे कि कपड़े, खिड़की के शीशे इत्यादि को अलग–अलग सीलबन्द करके कवर पर लेबल करना चाहिए, प्रदर्श पर लेबल न करें।
- यदि कपड़ों पर गोली का छेद हो तो सावधानी पूर्वक हैन्डल करना चाहिए ताकि (GSR) गनशॉट अवशेष को खराब होने से बचाया जा सके। ऐसे वस्त्रों से कम से कम छेड़खानी करनी चाहिए और सावधानी पूर्वक पॉलिथीन के लिफाफे में पैक करना चाहिए।

RAJASTHAN POLICE

- मृतक के शरीर से (GSR) गनशॉट अवशेष लेने के लिए छेद के पास वाले स्थान से हल्के नमक के अम्ल के फाहे को रगड कर लेना चाहिए।
- अग्नेयशस्त्र को सीलबन्द करने से पहले सुरक्षित करना आवश्यक है।
- अग्नेय शस्त्र को कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए तुरन्त प्रयोगशाला भेजना चाहिए ताकि बैरल में जंग न लगे और परीक्षण करने में कोई असुविधा न हो।
- टैस्ट कारतूस उसी प्रकार का भेजें जैसा घटनास्थल से फायर किया हुआ मिला हो।
- अग्नेय शस्त्र और गोली सिक्का अलग–अलग पैक करके भेजें।
- चली हुई गन के ऊपर वाले भाग पर गत्ता रखकर टेप लगा दें। बैरल के अन्य भाग पर टेप न लगाएं।

9. अग्नेय शस्त्र को रखने हेतु विशेष सावधानियाँ

1. अग्नेय शस्त्र को कभी भी न छुएँ जब तक कि आपने अग्नेय शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण न लिया हो।
2. अग्नेय शस्त्र को अपने पास रखने से पहले हमेशा यह जाँच कर लें कि हथियार खाली और सुरक्षित है।
3. उस स्थान पर कभी भी खड़े न हों जिस तरफ बंदूक की नली की दिशा हो।
4. हमेशा याद रखें कि उछली हुई गोलियाँ और छर्रे कमरे के कोनों तक पहुँच सकते है और दीवार और दरवाजों को भी पार कर सकते हैं।
5. किसी प्रकार के मारकों पर विश्वास न करें जो यह बताता हो कि बन्दूक खाली है जब तक कि बन्दूक को स्वयं खोलकर चैक न कर लिया जाए।
6. हमेशा जल्द से जल्द अग्नेय शस्त्र को खाली करने के लिए तैयार रहें।
7. घटनास्थल का परीक्षण प्रशिक्षित व्यक्ति ही करे और सब प्रकार के साक्ष्यों की स्थिति को नोट करे।
8. प्रशिक्षित अग्नेय शस्त्र स्टाफ को ही शस्त्र खाली करना चाहिए।
9. जब हथियार को सुरक्षित खाली किया जा रहा हो तो अन्य लोगों को हमेशा दूर रखें।
10. रिवाल्वर के चैम्बर और शाटगन में राउण्ड की स्थिति को नोट करना चाहिए। स्वचलित अग्नेय शस्त्र और दोबारा चलने वाले हथियार की मैग्जीन / बिना फायर हुआ राउण्ड तुरन्त खाली कर देने चाहियें। यह बात याद रखनी चाहिए की चैम्बर में भी राउण्ड मौजूद है और जो राउण्ड चैम्बर से निकालें जाए उसे अगल रखना चाहिए।
11. यदि एक बार अग्नेय शस्त्र खाली हो गया हो तो उसे कम से कम ही प्रयोग करना चाहिए।
12. अग्नेय शस्त्र की यन्त्र रचना को यदि प्रभावित किया गया हो तो संभवतः यह इसकी यंत्र स्थिति को प्रभावित करेगा जो कि जाँच में महत्वपूर्ण है। अग्नेय शस्त्र को केवल सुरक्षित बनाने के लिए ही छेड़ना चाहिए।

RAJASTHAN POLICE

बी. भौतिकी (Physics)

1. औजार चिन्ह :

दबाव चिन्ह, टकराने के HIT चिन्ह छीलने के चिन्ह तोडने तथा काटने के चिन्ह का परीक्षण औजार से तुलना करके औजार की पहचान के लिए किया जाता है।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

- संदिग्ध सतह जिस पर औजार चिन्ह हों।
- संदिग्ध औजार।
- औजार चिन्ह के फोटोग्राफ ।
- औजार चिन्ह के रबड, प्लास्टिक, प्लास्टर ऑफ पैरिस के कास्ट।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- प्रदर्शों को पैक करते, लाते तथा लेते समय को अतिरिक्त चिन्ह न बने।
- औजार पर खास पहचान चिन्ह न होने से कई बार पहचान संभव नहीं हो पाती।

2. बिजली के मीटरों का परीक्षण

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

बिजली का संदिग्ध मीटर, विभाग का नमूना सील।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण

बिजली के मीटरों के साथ उसकी गणना को कम दिखाने के लिए अथवा बिजली की चोरी करने के लिए छेड़छाड़ की जाती है। जिससे सरकार को वित्तिय घाटा सहन करना पड़ता है।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- नमूना सीलों को उस कार्यालय की सक्षम शाखा द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- मीटर को सील परीक्षण हेतु अवश्य भेजना चाहिए।
- यदि मीटर का आगे वाला शीशा टूटा हुआ हो तो परीक्षण हेतु अवश्य भेजना चाहिए।

3. मिट्टी का परीक्षण

मिट्टी का परीक्षण और परस्पर तुलना भैतिक साक्ष्य के रूप में विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं जैसे मारकर भागना, दुर्घटना, गाड़ियों का टकराना, बलात्कार, चोरी, हत्या में कियाजाता है। घटनास्थल से वाहन के टायर द्वारा उठाई गई मिट्टी हमें घटना और वाहन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसी प्रकार कीचड़ और मिट्टी जो कि अभियुक्त के कपड़ों पर लगी हुई हो, वह उसे अपराध घटनास्थल से जोड़ सकती है। घटनास्थल से ली गई मिट्टी वाहन के टायर से ली गई मिट्टी, जूतों और कपड़ों से ली गई मिट्टी की तुलना करना,हत्या, बलात्कार और चोरी के मामलों में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है।

RAJASTHAN POLICE

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

- मिट्टी का अपराध घटनास्थल से लिया गया नमूना ।
- मिट्टी का टायर, जूते अथवा कपड़ों से लिया गया नमूना ।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- मिट्टी का नमूना (कम से कम) 500 ग्राम अपराध घटना स्थल से लेना चाहिए।
- मिट्टी का नमूना उतनी ही सतह से लिया जाना चाहिए जितनी पर हटी अथवा गिरी हुई लगे।

5. सीमेन्ट परीक्षण

सीमेन्ट में मिलावट कभी–कभी सम्पत्ति और कभी जान का नुकसान भी कर सकती है। सीमेन्ट, कन्करीट तथा पलस्तर से परीक्षण की आवश्यकता मकान की छत, दीवार, पुल, डेम इत्यादि के गिरने की घटनाओं में की जाती है। जान माल के नुकसान के इन मामलों में यह जानना आवश्यक होता है कि क्या प्रयोग किए गए सीमेन्ट में कोई मिलावट थी और सीमेन्ट गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। क्या रेत, बजरी और सीमेन्ट की मात्रा उस अनुपात में नहीं थी, जो होना चाहिए था।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

सीमेन्ट, पलास्टर तथा कंकरीट।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- नमूना प्रतिनिधित्व करने वाला और एक जैसा होना चाहिए।
- नमूने की मात्रा लगभग एक किलो अवश्य हो।
- नमूनों को सीलन से दूर रखना चाहिए।
- प्रत्येक नमूना प्लास्टिक के बैग में डालकर कपड़े की अलग थैली में सील करना चाहिए।
- प्रत्येक नमूने पर लिखा जाना चाहिए कि कहाँ से, कब और किसके द्वारा लिया गया है।

6. टूटी हुई वस्तुओं की जाँच और तुलना

- दो भागों में टूटी हुई वस्तुएँ अथवा कई भागों में टूटी हुई वस्तुएँ जब अपराध घटनास्थल, वाहन तथा संदिग्ध व्यक्ति से बरामद होती है, तो ठोस साक्ष्य के रुप में प्रयोग किए जा सकते हैं।
- टूटी हुई वस्तुओं में हथियार हड्डी, बाँस, लाठी, कील, दाँत, चमड़ी का भाग, शीशा, कपड़े, पत्ते आभूषण चूड़ियाँ मशीन के भाग, तार कागज के टुकड़े और अखबार इत्यादि आते हैं। इनके टूटे हुए भाग से परस्पर तुलना करके हत्या, बलात्कार तथा हिट एण्ड रन के मामलों में साक्ष्य काम में लाए जाते हैं।

RAJASTHAN POLICE

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत : उपर्युक्तानुसार

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- टूटे हुए टुकड़ों को आगे टूटने से बचाना चाहिए।
- प्रत्येक साक्ष्य को अलग–अलग पैक करके सीलबन्द करना चाहिए।

7. केबल/तारों का परीक्षण

बिजली तथा टेलीफोन के केबल और तारों की चोरी के मामले अक्सर देखने में आते हैं। अपराधी केबल को जलाकर ताँबा तथा अन्य धातुओं को निकालकर बाजार में बेच देते हैं। इस प्रकार की चोरी की तारों का परीक्षण और तुलना घटनास्थल पर छोड़ी गई तारों तथा केबलों से किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि चोरी की गई केबल और तारें आपस में मिलती है या नहीं।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

- अपराधी/संदिग्ध से प्राप्त बिजली की केबल और तारें।
- बिजली/टेलीफोन के खम्बे से प्राप्त बिजली/टेलीफोन के केबल/तारें
- केबल/तारें काटने हेतु प्रयोग किया गया औजार यदि संदिग्ध/अपराधी से मिला हो।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

तारों/केबलों के कटे हुए सिरों को नर्म रबड़ में लपेट कर बाँध देना चाहिए और सिरों को चिन्हित करना चाहिए।

7.टायर, जूते तथा पदचिन्हों की जाँच, तुलना तथा पहचान

अपराध घटनास्थल से प्राप्त टायर, जूते तथा पदचिन्हों की संदिग्ध वाहन के टायरों तथा अपराधियों से तुलना की जा सकती है। इस प्रकार अपराध में प्रयुक्त हुए वाहन तथा अपराध में संदिग्ध व्यक्तियों के जूता तथा पदचिन्हों को पहचाना जा सकता है।

पद चिन्ह (Foot Print) –

पद चिन्ह प्रत्येक के अलग–अलग होते हैं, जिसका है उसी से मिलान होता है इसमें नंगे पद चिन्ह सबके अलग होंगे तथा जूते–चप्पल के मार्क भी अलग होंगे, जो व्यक्ति विशेष की चाल–ढ़ाल, घिसावट भिन्न होती है जो अपने आप में व्यक्ति की सही पहचान है जो एक अहम साक्ष्य होता है।
यह दो प्रकार से उठाये जाते हैं –

1. मिट्टी में आये पद चिन्हों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड उठाना।
2. चिकनी फर्श जहां मिट्टी नहीं है, पर आने वाले पद चिन्ह डस्ट मार्क लिफ्टर किट की सहायता से उठाये जाते हैं।

पथ चिन्ह (Track Marks) –

प्राणी के पैरों के निशान या साक्ष्य के पहियों के निशान को पथ चिन्ह कहते हैं। साक्ष्य के रूप में घटनास्थल पर ऐसे चिन्ह पाये जाते हैं जो अपराधी की उपस्थिति दर्शाते हैं जिनके अध्ययन एवं तुलना से आपसी संबंध स्थापित किया जाता है। प्रायः पथ चिन्ह निम्न प्रकार के होते हैं –

Foot Print (पद चिन्ह)

Paw marks (पंजा चिन्ह)

Shoe Prints (पादुका चिन्ह)

Track Marks (पथ चिन्ह)

Host Marks (खुर के चिन्ह)

Skid Marks (फिसलन के चिन्ह)

Stick Marks (छड़ी चिन्ह)

Drag Marks (खींचने के निशान) इत्यादि

इनके संरक्षण (Preservation) फोटोग्राफी एवं कास्ट विधि से होता है।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

टायर, जूते तथा पदचिन्ह तथा वाँछित नमूना चिन्ह।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- यदि टायर, जूता तथा पदचिन्ह किसी ऐसी जगह/वस्तु जैसे कागज/दरी, चादर पर हो तो उस प्रदर्श को ज्यों का त्यों परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेज देना चाहिए। इस प्रकार के प्रदर्श पर मौजूद चिन्हों का पोलीलाईट की सहायता से फोटोग्राफ भी लिया जा सकता है।
- टायर, जूता तथा पदचिन्हों का सदैव फोटो से लेना चाहिए क्योंकि कई बार चिन्ह ले जाते समय खराब हो सकते हैं।
- यदि चिन्ह किसी सख्त समतल सतह पर मौजूद हो तो उन्हें लिफ्टर द्वारा लिफ्ट किया जा सकता है अथवा डी० एल० के० किट की सहायता से उठाया जा सकता है।
- यदि टायर, जूता तथा पदचिन्ह धँसे हुए हो तो उन्हें प्लास्टर ऑफ पैरिस का कास्ट बनाकर उठाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजना चाहिए।

सीमाएँ

कई बार अपराध घटनास्थल से प्राप्त चिन्हों में उपयुक्त तुलना योग्य चिन्ह नहीं मिल पाते,अतः तुलना निर्णायक नहीं हो पाती।

RAJASTHAN POLICE

8. <u>शीशे की तुलना</u>

हत्या, चोरी, डकैती, वाहन दुर्घटना तथा हिट एण्ड रन आदि मामलों में शीशे के टुकड़े अपराध घटनास्थल अपराधी तथा पीड़ित व्यक्ति के वस्त्रों पर पाए जाते हैं। इनकी परस्पर तुलना अपराध के मामलों में करनी पड़ती है।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

शीशे के टुकड़े

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँ

- घटनास्थल और उद्‌गम स्थान से शीशे के टुकड़े अलग–अलग डिब्बों में डालकर सही से चिन्हित करके भेजने चाहिये।
- शीशे के टुकड़े गत्ते के डिब्बे में डालकर भेजने चाहिये।
- सभी प्रकार के शीशे के टुकड़े पैक करके भेजने चाहिये।

9. <u>वक्ता / आवाज की पहचान तथा टेप</u>

प्रत्येक व्यक्ति की आवाज भिन्न–भिन्न होती है। आवाज से व्यक्ति की पहचान करना इसलिए संभव है। आवाज का परीक्षण सामान्यतः अगवा के बाद फिरौती कॉल, धमकी कॉल, गुमनाम कॉल, नशा व्यापार, भ्रष्टाचार के मामलों तथा नियन्त्रण रेखा के पार सूचना प्रदान करने के मामलों में करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के मामलों में वैज्ञानिक जाँच से वक्ता की पहचान करके आवाज को वैज्ञानिक साक्ष्य बनाया जा सकता है।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

- अज्ञात व्यक्ति की आवाज
- संदिग्ध व्यक्ति की आवाज
- अभियुक्त की आवाज
- रिकार्ड की हुई आवाज (टेप तथा सी०डी०)
- पार्श्व आवाज का नमूना (यदि कोई हो)
- रिकार्डिंग उपकरण, मोबाईल सेट और दूरभाष सेट आदि।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँ:

- आवाज को कट पेस्ट न करके, पूरी रिकार्डिंग भेजनी चाहिए।
- उपकरणों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें।

RAJASTHAN POLICE

सी. प्रलेख परीक्षण (Document)

प्रयोगशाला में प्रलेख परीक्षण संदिग्ध लेख, हस्ताक्षर, टाईप लेख, जालीनोट, चैक, बैंक ड्राफ्ट, मास्टर वीजा कार्ड तथा पासपोर्ट व इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखों का परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रलेखों में मिटाकर की गई हेराफेरी अथवा कोई बदलाव करके की गई हेराफेरी संबन्धी परीक्षण भी किए जाते हैं। प्रलेख परीक्षण हेतु मुख्य रुप से की जाने वाली जाँच का विवरण इस प्रकार हैः–

1. जाली हस्ताक्षर तथा संदिग्ध अभिलेखों की जाँच, तुलना व पहचान।
2. टाईप किए हुए प्रलेखों की तुलना व पहचान।
3. सील, मोहर व छापेखाने के ब्लाक आदि की जाँच व पहचान।
4. छपे हुए दस्तावेजों की तुलना व पहचान।
5. धोखाधड़ी के मामलों में प्रलेखों में की गई फेरबदल या परिवर्तन का पता लगाना।
6. हर प्रकार के गोपनीय प्रलेखों की जाँच तथा पहचान।
7. मध्यम या मिटी हुई लिखाईयों को पढ़ने योग्य बनाना और पढ़ना।
8. पैन, पैन्सिल, स्याही तथा कागज आदि की जाँच तथा पहचान करना।
9. कार्बन पेपरों से लिखाई जाँच व पहचान।
10. जले हुए दस्तावेजों को जोड़ना व पढ़ना ।
11. बेनामी पत्रों तथा लेखों की जाँच तथा पहचान।
12. प्रलेखों से टाईपराईटरों की पहचान करना।
13. प्रलेखों से कॉपी करने वाली मशीनों की पहचान करना।
14. प्रलेखों की उत्पत्ति के विषय में जाँच।
15. दस्तावेजों की आयु का पता लगाना।
16. बैंक ड्राफ्ट, चैक तथा नोटों की जाँच ।
17. जाली नोटों तथा सिक्कों की जाँच ।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

- लिखाई
- हस्ताक्षर
- टाईप किया हुआ
- टाईपराईटर
- दबाव चिन्ह
- प्रिन्टर
- सुसाईड नोट
- धमकी पत्र
- समझौते तथा इच्छा दस्तावेज
- चैक, ड्राफ्ट, लॉटरी टिकट

RAJASTHAN POLICE

- मिटाई हुई लिखाई
- छपे हुए दस्तावेज
- नोट तथा सिक्के
- पासपोर्ट
- मास्टर वीजा कार्ड
- सी०डी०, फ्लोपी, पैन ड्राईव,
- स्टॉम्प, स्टॉम्प पेपर, मोहर
- स्याही
- फोटो तुलना के लिए फोटो
- इस्तिहार आदि
- हार्ड डिस्क, सी०पी०यू०
- अदृश्य लिखावट के दस्तावेज

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- सभी प्रलेख इकट्ठे भेजें, बार–बार नहीं।
- विवादग्रस्त लेख को Q से, नमूने के लेख को Sसे तथा विवादरहित लेख को A से चिन्हित करना चाहिए साथ ही तुलना हेतु हस्ताक्षर केकम से कम दस और लिखाई के कम से कम पाँच नमूने अवश्य भेजने चाहिए।
- नमूने दो स्वतंत्र गवाहों अथवा मजिस्ट्रेट के सामने लेने चाहिए।
- लिखने वाले की उम्र और उसकी व्यक्तिगत बीमारी के विषय में भी प्रलेख परीक्षक को सूचित करना चाहिए।
- प्रलेखों को मोड़ना नहीं चाहिए और उनको नमी तथा रासायनिक पदार्थों से बचाना चाहिए।

दस्तावेज –

विक्रेता के रजिस्ट्री पर अंकित सभी हस्ताक्षर विवादग्रस्त कहलायेंगे। इन हस्ताक्षरों को प्रायः Q1, Q2, Q3 मार्क किये जावेंगे। विक्रेता के बावक्त किये गये हस्ताक्षर जिसे वह स्वीकार करता है जो रोजमर्रा के काम में करता था को Admitted अर्थात् विवादरहित हस्ताक्षर जाँच में इक्कठे कर A1, A2, A3..... मार्क करेंगे। ध्यान रहे विवाद रहित समकालीन होने चाहिये अर्थात 20 वर्ष के लगभग पुराने। मिलान के लिये यदि विक्रेता जिन्दा है तो तीन गतियों में हस्ताक्षर के नमूने लिये जावेंगे, जो प्रमाणितकर्ता के सामने लिये जाते हैं। इन पर S1, S2, S3 .....मार्क किया जावेगा।

इस प्रकार Q, A व S मार्क (क्वेश्चन्ड, एडमिटेड व स्पेशिमेन) हस्ताक्षरों को मिलान के लिये FSL भेजा जावेगा और नतीजे के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

RAJASTHAN POLICE

डी. अंगुल चिन्ह (FINGER PRINT)

अंगुल चिन्ह (Finger Print) –

अंगुल चिन्ह प्रत्येक व्यक्ति के अलग–अलग होते हैं। अंगुली के बारीक छिद्रों से जैविक रसायन का स्त्राव निरन्तर होता है, जो सतह पर अंगुल चिन्हों की बनावट की छाप छोड़ता है, जिसकी पहचान एवं तुलना से व्यक्ति की सटीक पहचान का सर्वोत्तम साक्ष्य प्रकट होता है। चोरी, सेंधमारी, हत्या, लूट, तोड़फोड़, डकैती, बलात्कार जैसे अपराधों में अभियुक्त अपनी अंगुल छाप/निशान छोड़ता है जिसकी पहचान एवं तुलना कर व्यक्ति विशेष का सर्वोत्तम साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

अंगुल चिन्ह दो प्रकार के पाये जाते हैं–

1. दृश्य (Visible) – प्रायः रंगीन पदार्थों जैसे रक्त, स्याही, ग्रीस, पेन्ट, धूल इत्यादि के सम्पर्क में आने से जो दिखाई देते हैं और उन्हें (Develop) विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि सीधे फोटोग्राफ स्केल लगाकर किया जाता है।
2. Invisible या Plastic Print– निशान जो दिखाई नहीं देते जिन्हें विकसित कर दिखाई देने योग्य बनाये जाते हैं जो विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है। सतह जो अपराध स्थल पर पहुँचने के स्थान, ताला–कुन्दा, छूकर उपयोग में लाई वस्तु, तिजोरी–दस्तावेज, टेबिल–कुर्सी, बोतल, गिलास, वाहन इत्यादि पर सहज पाये जाते हैं।प्लास्टिक प्रिन्ट नर्म पदार्थों जैसे गीले पेन्ट, मोम, पुट्टी, रक्त, डामर जो थ्री डाईमेन्शियल होते हैं जो अंगुली के कटकों (Ridges) के कारण उत्पन्न होते हैं इनको विकसित करने की जरूरत नहीं होती।

Finger print एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों के Finger print आपस में नहीं मिलते और न ही किसी भी व्यक्ति की दो ऊँगलियों के Finger print आपस में मिलते है। अतः Finger print से व्यक्ति की पहचान शत–प्रतिशत संभव है। Finger print प्रत्येक प्रकार के अपराध के मामलों में मिल सकते हैं।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

- अदृश्य (LATENT) Finger print
- स्याही में लिए गए छाप
- विकसित किए हुए Finger print
- अस्त्र–शस्त्र
- घरेलू समतल सतह वाली वस्तुएँ
- धमकी पत्र, फिरौती पत्र, आतंकवादियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा इश्तिहार
- मृतक की ऊँगलियों की त्वचा

RAJASTHAN POLICE

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण

- व्यक्ति की Finger print से पहचान
- अपराधी की पहचान
- पीड़ित व्यक्तित की Finger print से पहचान
- अदृश्य Finger print को पाऊडर, रसायन तथा लेजर से विकसित करना
- डस्टप्रिन्ट को डी०एल०के० किट की या लिफ्टर की सहायता से उठाना
- रेवेन्यू/सरकारी प्रलेखों पर मौजूद Finger print की जाँच व पहचान करना
- . Finger print डेटा से अंगुलछाप ढूँढना
- अपराधियों तथा पीड़ित व्यक्ति के छाप से सर्चस्लिप बनाना

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- Finger print संबंधी कार्य रबड़ के दस्ताने पहन कर ही करना चाहिए।
- गीली सतह पर पाऊडर नहीं लगाना चाहिए।
- गीले और दानेदार पाऊडर का प्रयोग न करें।
- Finger print पर अपना पसीना या श्वास न लगने दें।
- Finger print विकसित करने के लिए ब्रुश को एक दिशा में ही हल्के हाथ से चलाना चाहिए।
- प्रत्येक प्रदर्श, जिस पर Finger print हो, को अलग–अलग पैक करना चाहिए और सील करके भेजना चाहिए।
- प्रदर्श को उठाते समय कभी भी अपने Finger print उस पर न छोड़ें।
- टेप या लिफ्टर से Finger print उठाते समय हवा को लिफ्टर या टेप के नीचे न आने दें।
- स्याही से Finger print उठाते समय ऊँगली पर अधिक दबाव न दें और न ही ऊँगली को घसीटें ।

<u>काँच की बोतल पर आये हुये फिंगर प्रिन्ट उठाने की विधि –</u>

फिंगर प्रिन्ट डवलपिंग किट में से ग्रेफाईट पाउडर ब्रुश से लगाने पर आये हुये प्रिन्ट दिखाई देने लग जायेंगे। इस बोतल को परीक्षण हेतु एफ.पी.बी. में भेजने के लिये लकड़ी के डिब्बे में इस तरह पैक करेंगे कि बोतल का मुँह व पैंदा ही टच करे बाकी सतह चारों तरफ से टच नहीं हो।

RAJASTHAN POLICE

<u>ई–छाया चित्रण (PHOTOGRAPHY AND VIDEOGRAPHY)</u>

फोटोग्राफी, विडियोग्राफी / छायाचित्रण का अपराध अन्वेषण में एक विशेष महत्व है। कैमरा एक ऐसी आँख कही जा सकती है जो अन्वेषण के समय आँख से ओझल होने वाली साक्ष्य को भी परिरक्षित करता है। फोटो नष्ट होने वाले साक्ष्य को भी परिरक्षित करती है। मनुष्यन्यायालय में झूठ बोल सकता है परन्तु फोटो में परिरक्षित परिस्थितियाँ नहीं। फोटोग्राफ तथा विडियोग्राफी के द्वारा अपराध घटनास्थल तथा प्रयोगशाला में भौतिक साक्ष्यों को परिरक्षित किया जाता है। आधुनिक समय में रंगीन, श्वेत–श्याम, यू.वी, आई.आर.फोटोग्राफी का अपराध अन्वेषण में विशेष महत्व है।

फोटोग्राफी तथा विडियोग्राफी क्यों की जाती है?

- मृतक और अपराधी की पहचान हेतु
- अपराध घटनास्थल के परिरक्षण हेतु
- खतरनाक अपराधियों से जनता को सतर्क करने हेतु
- कीमती सामान या सम्पत्ति की पहचान हेतु
- नष्ट होने वाले प्रदर्शों के स्थाई परिरक्षण हेतु
- यातायात दुर्घटना में दोष जानने हेतु
- सामूहिक हिंसा के मामलों में दोषी का पता लगाने हेतु

प्रयोगशाला कार्य में फोटोग्राफी तथा विडियोग्राफी

- खोपड़ी तथा फोटो की तुलना से मनुष्य की पहचान करने के लिए।
- मृत शरीर की फोटो से मनुष्य के जीवनकाल की फोटो से तुलना करके व्यक्ति की पहचान हेतु ।
- अंगुलछाप, पदचिन्ह, औजारचिन्ह तथा टूटे हुए प्रदर्शों की तुलना दिखाना।
- दन्त, नाखून तथा टायर चिन्ह की तुलना ।
- सभी तुलनात्मक सूक्ष्म प्रदर्शों की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से फोटो लेना।
- संदिग्ध प्रलेखों की जाँच व तुलना हेतु प्रमाण साक्ष्य ।

सावधानियाँ

1. फोटो ज्यों की त्यों स्थिति में लेनी चाहिए।
2 फोटो स्केल रखकर लेबल सहित लें।
3. फोटो नेगेटिव पर कोई सुधार न किया जाए।

RAJASTHAN POLICE

4. कैमरा चैक करें कि ठीक है।

5. सूक्ष्मदर्शी में लिए गए फोटो पर लिखें कि किनते गुना बड़ा है।

6. फोटो श्याम–स्वेत तथा रंगीन दोनों लेने चाहिए।

7. संवेदनशील स्थानों पर विडियो कैमरे लगा कर पुलिस कन्ट्रोल रुम में बैठकर नजर रखनी चाहिए, ताकि अपराध होने से रोका जा सके।

एफ – सुपर इम्पोजिशन (SUPER IMPOSITION)

कंकाल की पहचान :–

कंकाल से पहचान के दो तरीके प्रचलित है।

1. Super imposition– इसमें खोपड़ी का मिलान संभावित की फोटो जो सामने से ली गई हो से हो जाता है। फोटो व खोपड़ी की एक्स–रे प्लेट से उपलब्ध फीचरों के मिलान कर निष्कर्ष निकाला जाता है।

2. डी.एन.ए. के लिये सबसे उपयुक्त सैम्पल सबसे बड़ी हड्डी जांघ की (Femur)और दाँत होते हैं जिन्हें सूखाकर पेपर में लपेटकर कपड़े की थैली में पैक कर सील किये जाने चाहिये। संभावित के रक्त नमूना से हड्डी की कोशिकाओं के नमूने से डी.एन.ए. मिलान कर पहचान कायम की जाती है।

RAJASTHAN POLICE

<u>जी–झूठ परीक्षण (Lie Ditection)</u>

Lie Ditection का कार्य पोलीग्राफ, नार्को ऐनालिसिस तथा ब्रेन मैपिंग द्वारा किया जाता है। यह कार्य पीड़ित, अपराधी, संदिग्ध व्यक्ति तथा गवाहों के कथन की सत्यता जानने के लिए किया जाता है।

इस कार्य के लिए परीक्षण हेतु अपराधी, संदिग्ध व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति तथा गवाहों को प्रयोगशाला आना/लाना पड़ता है।

जब ऐसा परीक्षण करवाना हो तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, रोड सर्टिफिकेट, मैडिकल परीक्षण रिपोर्ट की प्रतियाँ साथ भेजनी पड़ती हैं।

इसके अलावा निम्नलिखित सामग्री भेजने की भी आवश्यकता होती है।

- मामले संबन्ध संक्षिप्त ब्यौरा
- पूछताछ रिपोर्ट/नोट की प्रति
- पंचनामे की प्रति
- अपराध घटनास्थल के फोटो
- प्रश्नों की सूची
- स्वास्थ्य रिपोर्ट

सावधानियाँ

- टेस्ट हेतु पहले प्रयोगशाला से आवेदन कर परीक्षण की तिथि व समय निश्चित करवाएँ।
- अन्वेषण अधिकारी टेस्ट के समय स्वयं उपस्थित रहे।
- जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जाना है उसका स्वास्थ्य अच्छा हो ।
- परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति को भोजन तथा अन्य सुविधाएँ दी गयी हों।
- परीक्षण किये जाने वाला व्यक्ति ड्रग/ऐलकोहल के प्रभाव में न हो तथा बीमार भी न हो।
- परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति को टेस्ट के विषय में पहले ही बता देना चाहिए और उसकी सहमति भी निर्धारित प्रारूप में लेनी चाहिए।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–61

रासायनिक साक्ष्य

अपराध अन्वेषण में बहुत से प्रदर्श ऐसे होते हैं जो न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजने होते हैं। इस प्रकार के प्रदर्श निम्नलिखित शाखाओं से संबन्धित होसकते है :–

(क) रासायनिक विज्ञान
(ख) विष विज्ञान
(ग) नारकोटिक, ड्रग्स तथा स्वापक पदार्थ
(घ) विस्फोटक पदार्थ
(ङ) आगजनी के मामलों में ज्वलनशील पदार्थ

(क) रासायनिक विज्ञान

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

अम्ल क्षार व धातुओं की पहचान के मामले, रिश्वतखोरी के मामले, दुर्घटना के मामले, चोरी आदि के मामले, गैस रिसाव के मामले, शराब के मामले ।

घटना स्थल पर प्राप्त हो सकने वाले प्रदर्श :–

अम्ल / क्षार, फिनोल्फथैलीन, पेन्ट, इंजन तथा चैसिस निकालने हेतु गाड़ियाँ, कृत्रिम धागे, गैस के नमूने, धातुओं के नमूने, रक्त, मूत्र शराब इत्यादि ।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण

- मनुष्य पर अम्ल तथा क्षार फेंकने के मामलों में जाँच करना।
- कीमती धातुओं (सोना–चाँदी) की शुद्धता जाँचना ।
- रिश्वतखोरी के मामलों में नोटों पर फिनोलफथलीन मौजूद है या नहीं की जाँच करना।
- पेन्ट की पहचान व तुलना करना।
- मूत्र तथा रक्त की जाँच से पता लगाना कि व्यक्ति ने कितनी शराब पी रखी थी।
- गैस की जाँच व पहचान करना।

सावधानियाँ एवम् कठिनाईयाँ

- अम्ल तथा क्षार के नमूनों को शीशे की बोतल में सील करके भेजे।
- रिश्वतखोरी के मामलों में हैंडवाश तथा पॉकेटवाश के नमूने डिस्टिल्ड वाटर अथवा हैंडपम्प के पानी में लें, कलोरीनेटिड पानी में नहीं।
- पेन्ट के नमूने नीचे तक खुर्च कर लें और पेन्ट वाली डिब्बी में डालकर न भेजें।
- गैस के नमूने गुब्बारों अथवा गैस के छोटे सिलेन्डरों में लेने चाहिएँ।

RAJASTHAN POLICE

(ख) <u>विष विज्ञान</u>

<u>विसरा :–</u>

पोस्टमार्टम (PM) के समय मेडीकल ज्यूरिस्ट या एम.ओ. अंगों के परीक्षणार्थ टुकड़े संग्रहित करता है जिसे विसरा कहा जाता है। मृत्यु के कारणों की जानकारी रसायनिक परीक्षण कर निश्चित की जाती है जिससे संदिग्ध जहरीली वस्तु की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। संदिग्ध वस्तु की तलाश के लिये विसरा लिये जाने का क्रम निम्न प्रकार रहता है।

1. खानपान से विष शरीर में पहले आमाशय (Stomach) छोटी आँतों (Small intestine) व बड़ी आँतों (Large intestine) में पहुँचता है। इसलिये पहले जार में Stomach, Small intestine में Large intestine के टुकड़े लेता है।
2. विष या कोई भी रसायन पाचन तंत्र से अवशोषित होकर ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स तथा स्प्लीन में पहुँचता है इसलिये दूसरे जार में समस्त अंगों के टुकड़े लेता है।
3. पाचन संस्थान से अंगों में रक्त द्वारा संचारित होता है इसलिये रक्त का 50–100 मिली. सैम्पल भी लिया जाता है।

इन सबको कोमन पाईजन परीक्षण के लिये Common Salt में प्रिजर्व किया जाता है ।

<u>जहरखुरानी (Poisoning) –</u>

प्रायः विषपान प्रकरणों में निम्न कॉमन पाईजन प्रयोग में होते रहते हैं।
1. Cyanide जिसमें पोटेशियम व सोडियम साईनाईड प्रमुख है।
2. Alcohol जिसमें Ethyl व Methyl Alcohol आते हैं।
3. Insecticides /Pesticides कीटनाशक औषधियाँ – जो आर्गेनोक्लोरो, आर्गेनोफोसस व कार्बानेट, सिन्थेटिक पाईरे थ्राईडस इत्यादि होते है। Endo sulphan, Malathion इत्यादि।
4. Metallic Poisons– जिसमें धातु सम्मिलित हो जैसे Copper sulphate नीला थोता, Aluminum phosphide, Zinc Phosphide, Arsenic, Mercury इत्यादि।
5. Alkaloids– पादपों के रासायनिक तत्व जिसमें मादक पदार्थ इत्यादि जैसे Morphine अफीम से, Atropine धतूरा इत्यादि से।
6. Tranquillizers – नींद की गोली Diazepam Alprazolam इत्यादि।
7. Barbiturates – बेहोशी की दवा, मनोरोगियों में काम आने वाली दवाऐं। Phenobarbitone, Thiopental, इत्यादि ये सभी Barbutyric acids से निर्मित रसायन होते हैं।
8. मूल रूप से खाये जाने वाले पौधे से प्राप्त वस्तुऐं धतूरा, चिरमी, कड़वे बादाम, बारिश में उगी घास–ज्वार इत्यादि कुचीली के भी रसायनिक तत्व घातक विष होते है।

अपराध अन्वेषण में कुछ ऐसे मामले अन्वेषण हेतु आते हैं जिनमें यह जानना आवश्यक होता है कि मृत्यु का कारण विष खाना या विष खिलाना तो नहीं था। इस प्रकार के मामले हत्या, आत्महत्या अथवा दुर्घटना के भी हो सकते है।

RAJASTHAN POLICE

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

विसरा (आमाशय, छोटी आँत, बड़ी आँत, लीबर, गुर्दे, पित्त, रक्त तथा मूत्र, भोजन के अवशेष, पेय के अवशेष, बोतलों, डिब्बों तथा बर्तनों आदि में विष के अवशेष, अमाशय धोवन तथा जहरीले बीज और पौधे ।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण

प्रदर्शों का परीक्षण करके पता लगाया जाता है कि :–

- मृत्यु विष से हुई या नहीं।
- कौन सा विष प्रदर्श में मौजूद पाया गया।
- प्रदर्श में एल्कोहल की मात्रा कितनी थी।
- क्या मृत्यु सर्पदंश अथवा जहरीले जानवर के काटने से हुई है।
- विष आर्गेनिक, इनार्गेनिक अथवा धातु किस प्रकार का था।
- क्या विष कीटनाशक के रुप में प्रयोग किया जाने वाला विष था।
- क्या विष कोई गैस के रुप में था।

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- विसरा का कम से कम 50 ग्राम टेस्टिन्ग हेतु अवश्य भेजना चाहिए।
- रक्त तथा मूत्र का नमूना कम से कम पाँच मि०ली० अवश्य भेजना चाहिए।
- नमूनों के डिब्बों में लीकेज नहीं होनी चाहिए।
- चिकित्सा जांच रिर्पोर्ट / पोस्टमार्टम रिर्पोर्ट की प्रति साथ भेजनी चाहिए।
- प्रत्येक प्रदर्श को सील करके नमूना सील साथ भेजनी चाहिए।
- परीक्षण तुरन्त करवाना चाहिए।
- प्रदर्शों को कोल्ड रूम अथवा रेफरीजिरेटर में रखना चाहिए ताकी सड़ने न पाएँ।

<u>शराब या एल्कोहल :–</u>

शराब का मुख्य घटक Ethyl alcohol होता है। एक निश्चित मात्रा में Ethyl Alcohol के साथ पानी, Colourful Pigments तथा स्वाद पैदा करने वाले रसायनों का उपयोग भी होता है।

Ethyl Alcohol के अलावा Methyl alcohol या अन्य कोई भी एल्कोहल बहुत कम मात्रा में भी यदि शराब में मिल जावे तो जहरीली शराब हो जावेगी। प्रायः Methyl alcohol के ज्यादा चान्स होते हैं।

शराब निर्माण के सन्दर्भ में दो इकाईयां या यूनिट्स काम में ली जाती है, Degree Under Proof (UP) तथा Degree Over Proof (OP)।

RAJASTHAN POLICE

Degree Proof या एल्कोहोल की प्रतिशत मात्रा एक दूसरे के पूरक है। प्रायः शराब Degree Under Proof (UP) में बनती है। Degree Over Proof (OP) शराब बनाना प्रतिबन्धित है।

Proof का मतलब 57.15 मि.ली. Ethyl alcohol और 42.85 मि.ली. पानी अर्थात् 100 मि. ली.। इसका मतलब यू भी कहा जा सकता है कि 100 मि.ली. बनी शराब में 57.15 प्रतिशत Ethyl alcohol तथा 42.85 प्रतिशत Water पानी होने पर शराब का स्टेण्डर्ड Proof है।

बाजार में शराब पर 25 UP लिखा हो तो इसका मतलब 25 प्रतिशत Ethyl alcohol की मात्रा Proof alcohol मात्रा 57.15 में से घटाकर Ethyl alcohol मिलाये शेष पानी। 25 UP को गणना में 42.55 प्रतिशत एल्कोहोल शेष पानी होगा।

<u>स्प्रीट (Spirit) :–</u>

स्प्रीट दो प्रकार की होती है–

1. **रेक्टीफाईड स्प्रीट** (Rectified Sprit) जिसमें 90 प्रतिशत इथाईल एल्कोहोल , शेष पानी यानि 10 प्रतिशत पानी होता है।

2. **डीनेचर्ड स्प्रीट** (Denatured Sprit) इसमें 95 प्रतिशत ईथाईल एल्कोहोल एवं 5 प्रतिशत मिथाईल एल्कोहोल Methyl alcohol जो जहरीला होता है तथा अन्य बदबूदार घटक मिला होता है। इसका उपयोग मेडीकल, पेन्ट, पॉलिस एवं उद्योग में होता है। किन्तु पीने में नहीं क्योंकि Methyl alcohol जहरीली होती है और शराब में मिल जावे तो जहरीली शराब हो जावेगी और पीने वाले की मृत्यु हो जायेगी।

RAJASTHAN POLICE

(ग) नार्कोटिक, ड्रग्स तथा स्वापक पदार्थ

ऐसे पदार्थ या रसायन जो सीधे केन्द्रीय तन्त्रिका तंत्र पर (CNS) असर करते हैं और आदत में डालने की तासीर रखते हैं। समस्त ऐसे रसायन मादक पदार्थों/दवाओं की श्रेणी में आते हैं।

प्राकृतिक रूप से कुछ मादक पौधे भी है, जिन्हें एन.डी.पी.एस. अधिनियम में डाला गया है जिनके लक्षण घातक है। ऐसे तीन पौधे हैं–

1. Papaver Somniferum नामक पौधे से अफीम का दूध मिलता है जिसमें अनेक मादक रसायन पाये जाते है।
2. Cannabis Sativa (भांग का पौधा) जिसके पुष्पक्रम तथा फ्रूटिंग बॉडी गाँजा तथा पौधे पर पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ चरस होता है। पत्तियां भाँग कहलाती है जो NDPS में नहीं आती है परन्तु आबकारी अधिनियम में आती है।
3. Erythroxylon coca – कोका नामक पौधे से कोकिन मिलता है इन पौधों में पाये जाने वाले रसायन गम्भीर मादक दवा Narcotic Drug कहलाती है।

अफीम :–

पापावर सोमनीफेरम नामक पौधे के फल को Poppy कहा जाता है। अध कच्ची Poppy पर चीरा लगाने से सफेद रंग का दूध (Latex) निकलता है, जिसको अफीम कहते हैं। अफीम में 25 प्रकार के रसायन होते हैं, जिनको सामूहिक रूप से Alkaloids कहा जाता है। फल Poppy को पोस्त का डोडा कहते हैं। सूखने पर डोडा पोस्त को पानी में भीगोकर छिद्रों में रहने वाले अफीम को निकालकर नशे की पूर्ति की जाती हैं। इसकी खेती सरकारी लाईसेन्स प्रक्रिया से होती है तथा दवाओं में काफी उपयोग होता है। इसका रंग समय के अनुसार काला हो जाता है। यह विशेष प्रकार की गंध लिये होता है। इसका स्वाद तीखा–कसैला होता है। सूखने पर रबड़ जैसे लचक व चमक होती है। Narcotic Drug का प्रमुख सदस्य अफीम है।

हेरोईन :–

अफीम में 25 Alkaloids होते हैं। जिनमें प्रमुख Papaverin, Narcotin, Thebain, Codeine,oa Morphine की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा होती है। प्रायः 9 से 14 प्रतिशत मोरफीन अफीम में होती है। हिरोईन मोरफीन का Semi synthesis Product है। मोरफीन को Acetic Anhydride नामक रसायन से क्रिया कराने पर एक नया पदार्थ Diacetyl morphine नाम का बनता है और यही हिरोईन है जिसका रसायनिक नाम Diacetyl morphine या Diamorphine होता है। ब्राउनशुगर, स्मैक नाम भी हिरोईन के ही है और इन सबका रसायनिक Alkaloid Diamorphine ही होता है। यह कम मात्रा में मादक तथा कुछ समय नियमित लेने पर आदत में शुमार हो जाता है।

RAJASTHAN POLICE

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

नार्कोटिक, ड्रग्स तथा स्वापक पदार्थों के तस्करी के मामले तथा ड्रग ऐडिक्टस से पकड़े गए ऐसे पदार्थ ।

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण

- अफीम तथा उससे बनाई गई ड्रग्स
- भाँग, चरस, गाँजा, सुल्फा, हशीस तथा हशीस का तेल
- कोकीन
- मेथाक्वीलोन
- ऐम्फिटामाईन
- हिरोएन / स्मैक
- एन० डी० पी० एस० एक्ट के अन्तर्गत आने वाले अन्य पदार्थ
- चूरा पोस्त

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- नार्कोटिक, ड्रग्स तथा स्वापक पदार्थों को कभी भी चखकर नहीं देखना चाहिए।
- जाँच हेतु कम से कम 500 मि0 ग्राम से एक ग्राम पदार्थ भेजना चाहिए।
- सभी नमूने सील करके नमूना मोहर सहित भेजने चाहिए।
- NCB फार्म ट्रिपलीकेट में भेजें।
- नमूने एक जैसे होने चाहिए।
- जहाँ बहुत अधिक मात्रा में पदार्थ पकड़ा जाए उसके प्रतिनिधित्व नमूने विधिपूर्वक लेकर ही भेजने चाहिए।
- .प्रत्येक नमूने पर उसका भार / मात्रा लिखी होनी चाहिए।
- टैस्ट के बाद वैज्ञानिक को भी प्रतिवेदन में भार / मात्रा लिखनी चाहिए।

RAJASTHAN POLICE

(घ) विस्फोटक पदार्थ

विस्फोटक (Explosive) :-

विस्फोटक खतरनाक प्रकृति तथा अत्यन्त संवेदनशील रसायन होते हैं जो अत्यधिक दाब व ताप मामूली घर्षण, चोट, टक्कर, उष्मा या विद्युत स्पार्क से क्रियाशील हो जाते हैं। उत्पन्न गैसेज अत्यधिक आयतन व दबाव पैदा कर उष्मा के साथ भयंकर विस्फोट पैदा करते हैं।

ये रसायन क्रिया की गति के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं।

1- Low explosive

2- High explosive जैसे RDX, PETN, HMX आदि

विस्फोटक पदार्थ घर्षण, स्पार्क या टक्कर से क्रियाशील होकर भंयकर दाब से कई गुणा गैस बहुत ही अल्प समय में उत्पन्न करता है और ज्वाला या अत्यधिक ताप से जोर से फैंकता है, जिससे कम्पन, आवाज होकर आसपास की वस्तु पलभर में नष्ट हो जाती है, इसे विस्फोट कहते हैं। सामान्य विस्फोट की क्रिया वाहन में भी होती, स्पार्क के कारण पेट्रोल विस्फोटित होकर गैस ताप बनाता है जिससे पिस्टन को धक्का लगता है और मूमेन्ट हो जाता। समस्त गोला – बारूद, जिनसे इस प्रकार विस्फोटित होकर प्रोजेक्टाईल को धक्का लगता है और टारगेट तक पहुँचता है।

आई ई डी (IED) :-

IED का पूरा अर्थ है Improvised Explosive Device अर्थात् विस्फोट कराने के लिये एक तकनीकी का प्रयोग कर वांछित स्थान पर वांछित समय पर वांछित कार्य को अन्जाम देने के लिये Device तैयार की जाती है जिसे IED कहा जाता है। High Explosive को प्राईमर Explosive से बने डेटोनेटर की मदद से Explode कराये जाने के लिये एक बैटरी से वांछित समय पर टाइमर की सहायता से डेटोनेटर को विद्युत प्रवाह से Detonate कर मूल क्षमताधारक विस्फोटक को विस्फोटित किया जाता है जिससे प्रोपर्टी, जनहानि क्षणभर में हो जाती है। इनको बम भी कहते हैं।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

विस्फोट के मामले तथा विस्फोटक एक्ट के अन्तर्गत पकड़े गए पदार्थ।

प्रदर्श विवरण

- इम्प्रोवाईजड विस्फोटक डिवाईस के भाग
- डेटोनेटर
- टाईम पेन्सिल तथा फ्यूज की तार
- विस्फोट के बाद प्राप्त सामान
- हैंड ग्रेनेड
- जिन्दा विस्फोटक पदार्थ
- पटाखे
- हाथों से लिए गए स्वैब
- विस्फोटक बनाने के रासायन तथा सामान

RAJASTHAN POLICE

प्रयोगशाला से की जाने वाली जॉचों का विवरण

- विस्फोटक पदार्थों की पहचान
- IED की पहचान
- डेटोनेटर की पहचान
- विस्फोटक प्रक्रिया को पहचानना
- विस्फोटक डिवाईस तथा अपराध घटनास्थल की पुनर्रचना करना।
- विस्फोटक में हुए जख्मों की जाँच व पहचान

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- विस्फोट स्थल से प्राप्त सभी सामान को कब्जे में लेकर परीक्षण हेतु भेजना चाहिए।
- विस्फोटक पदार्थों को आग और दबाव से बचा कर रखना चाहिए।
- अनजान व्यक्ति को बम से दूर रहना चाहिए।
- बम निष्क्रिय करते समय जनता को दूर रखना चाहिए।
- विस्फोटक को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं लेकर जाना चाहिए।
- पार्सल पर विस्फोटक और खतरा लिखकर चिन्हित करना चाहिए।

RAJASTHAN POLICE

(ड) – आगजनी के मामलों में ज्वलनशील पदार्थ

आगजनी की घटनाएँ हर मौसम में घटती होती है। आग दुर्घटनावश लग सकती है और जानबूझ कर भी लगाई हुई हो सकती है। कई बार अपराधी अपराध करने के पश्चात साक्ष्य मिटाने हेतु भी आग लगा देते हैं।

साक्ष्य/नमूने या सैम्पल प्राप्ती का स्त्रोत :–

- आगजनी के मामले
- आग दुर्घटना के मामले
- दहेज हत्या / आत्यहत्मा के मामले
- बीमा क्लेम संबन्धी मामले

प्रदर्श विवरण

- ज्वलनशील पदार्थ जैसे पैट्रोल, डीजल मिट्टी का तेल तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थ
- जले हुए तथा अधजले कपड़ों के टुकड़े
- तेलयुक्त मिट्टी तथा कचरा
- तेल युक्त बाल
- जली हुई केबल तथा बिजली की तारें
- बिजली के मीटर ग्रुप और फ्यूज की तार
- जले हुए बिजली के उपकरण

प्रदर्श संग्रहण, परिरक्षण एवम् सावधानियाँ/कठिनाईयाँः

- ज्वलनशील तेल युक्त प्रदर्शों को वायुरुद्ध थैलों में पैक करना चाहिए ताकि ज्वलनशील पदार्थ के अंश उड़ न जाएँ।
- सभी प्रदर्शों को सीलबन्द करके भेजना चाहिए और नमूना मोहर भी साथ भेजनी चाहिए।
- जली हुई बिजली की तारों और सामान को साफ करके प्रयोगशाला नहीं भेजना चाहिए

RAJASTHAN POLICE

बाल तथा धागे इत्यादि को घटनास्थल से कागज के लिफाफे में पैक करने का सही तरीका

संदिग्ध ड्रग्स/स्मैक को पॉलिथीन बैग में पैक करके भेजने का सही तरीका

बुलेट/खाली कैस इत्यादि को पैक करके भेजने का सही तरीका

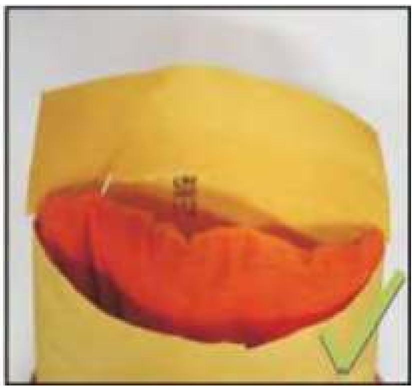

मृतक/घायल के शरीर पर मिले खुन से सने कपड़ों को छाया में सुखाकर कागज के लिफाफे में पैक कर भिजवाने का सही तरीका

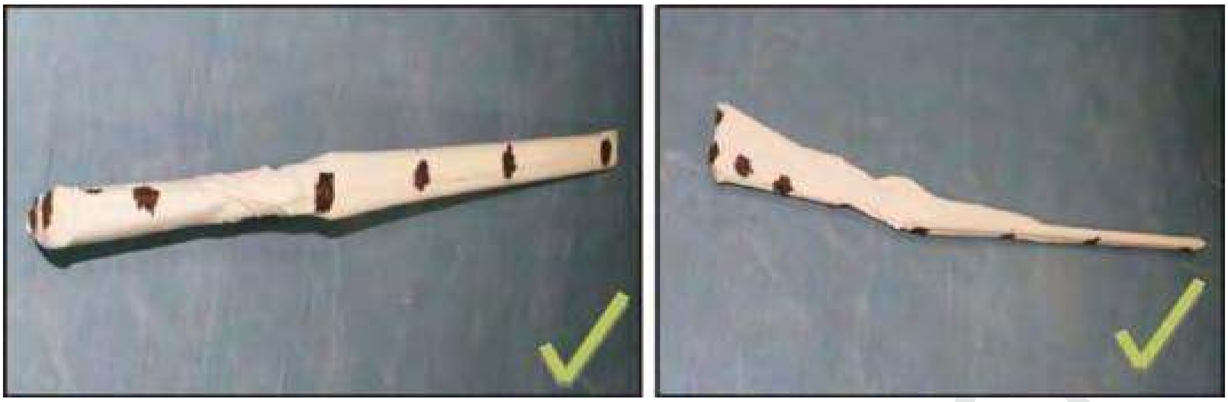

फायर आर्म्स को पैक कर भिजवाने का सही तरीका

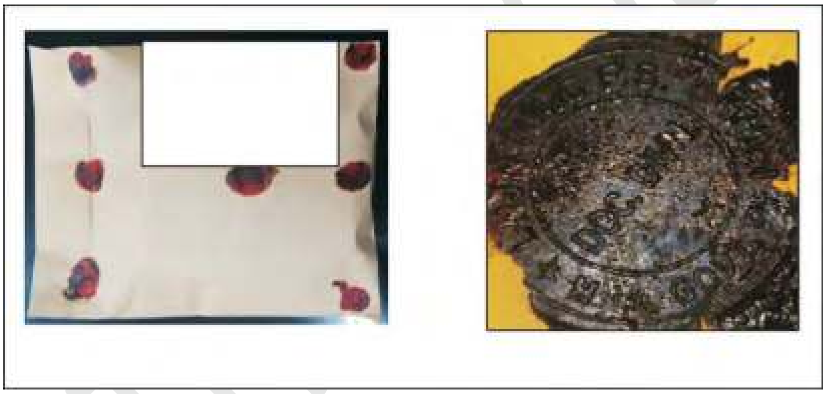

कूटरचित दस्तावेजों की पैकिंग एवं नमुना सील को भिजवाने का सही तरीका

रक्त या लार अथवा जैविक स्त्राव की स्वाब/जैविक सैंपल को भिजवाने का सही तरीका

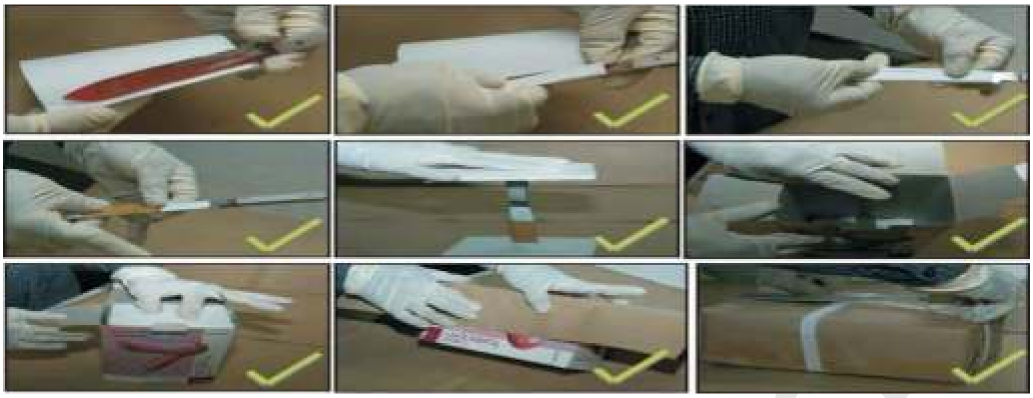

धारदार हथियार/रक्त रंजित चाकू को भिजवाने का सही तरीका

मृतक/घायल के शरीर पर मिले बुलेट के छेद वाले कपड़ों को उस छेद को उपर नीचे से कागज लगाकर पैक कर भिजवाने का सही तरीका

घटनास्थल से फिंगरप्रिन्ट को डवलप करने व लिफ्ट करने (उठाने) का सही तरीका

अध्याय–62

त्रुटियाँ, प्रभाव और निदान

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट

- तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखकर मनघंड़त कहानी लिख देना। न्यायालय इस प्रकार की कहानियों को संदेहास्पद जानकर अपराध के मामलों मे अभियुक्तों को बरी कर देते हैं।
- अपराध घटनास्थल की जगह प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्यत्र दिखा देना, जिसको भौतिक साक्ष्य सत्यापित न करते हों। इससे अपराध के मुकदमे न्यायालय में फेल हो जाते हैं।
- कई बार पुलिस इनक्वेस्ट रिपोर्ट में दर्शाए गये वस्त्रों तथा चोट आदि का विवरण शव परीक्षा रिपोर्ट से मेल नहीं खाता है। इस आधार पर न्यायालय संदेह का फायदा अभियुक्त को देकर उसे छोड़ देते हैं।
- पुलिस द्वारा पीड़ित व्यक्तित / मृतक की सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया हुलिया तथा कद की लम्बाई शव परीक्षा रिपोर्ट से भिन्न होती है जो न्यायालय में संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न करती है।
- कई बार प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्य रोजानामचे में दर्ज की गई दैनिक रिपोर्ट से मेल नहीं खाते हैं और स्थिति संदेहास्पद हो जाती है और जिसका लाभ अभियुक्त को मिल जाता है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की सही धाराएं नहीं लगाई जाती जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वास्तव में क्या अपराध किया गया है।
- यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध घटनास्थल परीक्षण से पहले लिखी गई हो तो उसका विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट से करना चाहिए जिससे न्यायालय में स्थिति स्पष्ट रहे।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपराध करने में निभाई गई भूमिका का उल्लेख होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और उसका कितना दोष है।

2. अपराध घटनास्थल परीक्षण

- अपराध घटनास्थल का परीक्षण अविलम्ब करना चाहिए। जितना विलम्ब होता है, भौतिक साक्ष्यों के नष्ट होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है।
- यदि अपराध घटनास्थल को ठीक प्रकार से परिरक्षित नहीं किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर छेड़छाड़ करके वस्तुस्थिति को बिगाड़ सकता है।
- नक्शा मौका ठीक प्रकार से नहीं बनाया जाता। इससे अपराध घटनास्थल पर सही स्थिति का ब्यौरा नहीं मिलता।
- आसपास के चिन्ह तथा दिशा नक्शे मौके पर नहीं दर्शाए जाते, जिससे घटनाओं का परस्पर संबंध पता नहीं चलता।

RAJASTHAN POLICE

- नक्शे में दर्शाई गई वस्तुओं की परस्पर दूरी नहीं दिखाई जाती, जिससे वस्तुओं की आपसी दूरी का पता नहीं चलता।
- अपराध घटनास्थल की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी अवश्य की जानी चाहिए। इससे अपराध घटनास्थल ज्यों का त्यों रिकार्ड हो जाता है और इसे पुनः देखा जा सकता है। फोटो लेते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर तथा पैमाना फोटो में दिखने चाहिए।
- सभी प्रदर्शों तथा दस्तावेजों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर न दर्शाना। इससे बाद में यह पता नहीं चलता कि कौन सा प्रदर्श तथा दस्तावेज किस मामले का है।
- अपराध घटनास्थल का परीक्षण करते समय रबड़ के दस्ताने न पहनना (विशेषज्ञ तथा अन्वेषण अधिकारी विभिन्न प्रदर्शों पर अपने अंगुलछाप तथा जैविक साक्ष्य छोड़ सकते हैं)।
- अन्वेषण अधिकारी अज्ञानतावश अपने हाथों तथा पैरों से अपराध घटनास्थल पर चलते समय भौतिक साक्ष्य नष्ट कर देते हैं। (चलते समय ध्यान रखें कि कोई भौतिक साक्ष्य नष्ट न हो और उसे पहचान पर परिरक्षित कर दिया जाए)।
- कई बार नक्शा मौका पढ़ने योग्य नहीं होता (अच्छी प्रति तैयार करें और फोटोप्रति प्रयोग करें, कार्बन कापी न बनाएं)।
- अंगुलछाप, पदचिन्ह, टायरमार्क्स तथा टूल मार्क्स का अपराध घटनास्थल से न उठाया जाना। ऐसा करने से हम महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य छोड़ देते हैं जो मामले में कई बार निर्णायक होती है।
- अपराध घटनास्थल से उठाए गए खाली कारतूस गोली तथा अंगुलछाप को बंदूक तथा अपराधी की धरपकड़ से पहले प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने हेतु न भेजना। इससे न्यायाधीश के मन में संदेह हो सकता है कि कहीं पेडिंग तो नहीं हुई है।

3. <u>प्रयोगशाला परीक्षण हेतु माल मुकदमा भेजते समय गलतियां/त्रुटियां</u>

- प्रदर्शों की पैकिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए कि उनको कोईनुकसान न हो (हर भौतिक साक्ष्य की पैकिंग की हिदायतें देखें)।
- भौतिक साक्ष्यों को छूने से पहले रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए जो आमतौर पर अन्वेषण अधिकारी नहीं पहनते।
- कई बार पैकेट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या नहीं लिखी जाती (इसके लिखे बिना एफ० एस० एल० या एफ० पी० बी० परीक्षण हेतु प्रदर्श स्वीकार नहीं करेंगे)।
- प्रत्येक प्रदर्श को उसके अंशों सहित पूर्णतया एकत्र करके उठाकर अलग–अलग पैक करना चाहिए। जो प्रश्न रिपोर्ट लेने हेतु पूछने हैं उनका विस्तृत विवरण देना चाहिए अन्यथा कोई भी प्रयोगशाला हर बिन्दु पर आपको प्रतिवेदन नहीं देगी।
- पार्सल के कवर पर यह न लिखना कि उसके अन्दर क्या है। इससे यह पता नहीं चल पाता कि सीलबन्द पार्सल के अन्दर क्या है।
- रोड सर्टिफिकेट प्रदर्शों के साथ नहीं भेजा जाता है। इससे प्रदर्शों की चेन आफ कस्टडी न्यायालय में साबित नहीं की जा सकती।

RAJASTHAN POLICE

- रोड सर्टिफिकेट में दर्शाए गये पार्सलों का ब्यौरा पैकेट पर दिए गए विवरण से मेल नहीं खाता है। प्रयोगशाला ऐसी परिस्थिति में परीक्षण हेतु प्रदर्शों को स्वीकार नहीं करती है।
- प्रदर्शों पर लगी सीले पढ़ने योग्य नहीं होती (इससे यह संदेह होता हैं कि प्रदर्शों से छेड़छाड़ की गई है)।
- असत्यापित नमूना मोहर भेज दी जाती है (नमूना मोहर सबूत हेतु सत्यापित होनी चाहिए)।
- कई बार नमूना मोहर पढ़ने योग्य नहीं होती (एफ०एस०एल०) और न्यायालय के मन में संदेह पैदा करता है।
- अधिकृत प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लेकर प्रदर्शों के साथ नहीं भेजा जाता (प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे गए प्रदर्शों को स्वीकार नहीं करेगी)।
- पार्सलों पर दर्शाए गए विवरण का तरल के लीकेज के कारण मिट जाना संदेह पैदा करता है (लीकप्रूफ कंटेनर का प्रयोग करें)।
- प्रदर्शो को कब्जे में लेने के तुरन्त बाद अविलम्ब प्रयोगशाला परीक्षण हेतु न भेजना (जैविक साक्ष्य सड़ जाते हैं और परीक्षण योग्य नहीं रहते)।

4. भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्यों को उठाते, परिरक्षित करते, पैक करते और प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजते समय की जाने वाली गलतियाँ / त्रुटियाँ

(क) जैविक साक्ष्य

(i) रक्त तथा अन्य जैविक द्रव्य तथा रंजित प्रदर्श

- प्रदर्शों को रबड़ के दस्ताने पहन कर न उठाना और अपने साक्ष्य मिश्रित कर देना।
- प्रदशों को बिना सुखाए इकट्ठे पैक कर देना, इससे साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं (सुखा कर पैक करें)।
- प्रदर्शों के नमूने एफ०टी०ए० कार्ड पर न लेना (डी०एन०ए० परीक्षण में असुविधा होती है और नमूने खराब हो जाते हैं)।
- परीक्षण हेतु नमूने कम मात्रा में उठाना (कम से कम 10 बाल, 1X1 ईंच रक्त का धब्बा अथवा 20 नैनोग्राम डी०एन०ए० अवश्य भेजें)।
- नमूने को सड़ने से पहले परिरक्षित करके परीक्षण न करवाना (विलम्ब होने पर प्रदर्श सड़ जाते हैं)।

(ii) बाल

- सफेद बाल को रंगदार, मिश्रित बालों को भूरे तथा काले बालों को सफेद कागज में पैक न करना (बाल गुम हो सकते हैं)।
- संदिग्ध अथवा अपराधी से बालों के कम से कम दस नमूने लेकर भेजना (दस से कम बाल परीक्षण हेतु पर्याप्त नहीं होते)।
- बालों को उखाड़कर जड़ समेत न भेजना। (कोशिका / नाभिकीय डी०एन०ए० परीक्षण नहीं किया जा सकता)।

RAJASTHAN POLICE

(iii) हड्डियाँ

- हड्डियों को डाक्टर से साफ करवाकर न भेजना (सड़ने पर हड्डियों में फफूँदी लग जाती है जो जैविक साक्ष्य को नष्ट कर देती है)।

डी०एन०ए० परीक्षण हेतु उपयुक्त हड्डी ह्यूमरस, फीमर, टिबिया आदि को परिरक्षित न करना / करवाना (निर्णायक परिणाम प्राप्त नहीं होते) ।

जली हुई हड्डियों को रूई में पैक करके सख्त डिब्बे में डालकर न भेजना (ये हड्डियाँ भर– भुरी होने के कारण लाते समय टूट जाती है)।

(iv) पौधों के अवशेष (तना, बीज, पत्ते आदि)

- नमूना उपयुक्त मात्रा में में न लेना (कम से कम 2x2x2 ईंच लकड़ी पाँच बीज और पाँच पत्ते अवश्य भेजने चाहिए)।
- प्रदर्शों को अलग–अलग पैक न करना और टूटने से न बचाना (साक्ष्य नष्ट हो जाता है)।
- नमूनों को नमी से बचाकर पैक न करना (नमी के कारण फफूँदी लगकर नमूने खराब हो जाते हैं)।

(v) अस्त्र–शस्त्र

- अस्त्र–शस्त्र (बंदूक, लाठी, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार आदि) को भेजते समय उन पर लगे रक्त के धब्बों और बालों आदि को कागज लपेटकर और धागा बाँधकर परिरक्षित न करना (रगड़ लगकर धब्बे नष्ट हो सकते हैं)।

(ख) रासायनिक साक्ष्य

(i) विसरा

- कई बार डॉक्टर विसरा को नमक के घोल मे परिरक्षित न करके नमक के तेजाब, गन्धक के तेजाब, शोरे के तेजाब अथवा फार्मलीन के घोल में गलती से परिरक्षित कर देते हैं। (इससे विसरा परीक्षण योग्य नहीं रह जाती)।
- विसरा की उपयुक्त मात्रा परीक्षण हेतु न भेजना। कम से कम 50 ग्राम विसरा और 5 मि0ली0 रक्त और मूत्र के नमूने परीक्षण हेतु भेजने चाहिए।
- अल्कोहल परीक्षण हेतु रक्त तथा मूत्र का नमूना परिरक्षित न करवाना और परीक्षण हेतु न भेजना (विसरा से अल्कोहल जाँच ठीक नहीं होती, क्योंकि सड़ी हुई विसरा में अल्कोहल अपने आप पैदा हो जाती है। इस प्रकार का परिणाम जाँच को पथभ्रष्ट कर सकता है।
- विसरा के लीक कर रहे डिब्बों को परीक्षण हेतु भेजना (आम जनता और लाने वाले व्यक्ति को बदबू आती है और संक्रमण भी हो सकता है)।
- विष/अल्कोहल की बोतलों और डिब्बों से घटनास्थल पर अंगुलछाप न उठाना (यदि उठाया जाए तो यह पता किया जा सकता है कि इन वस्तुओं से पीड़ित व्यक्ति का संपर्क रहा है या किसी और का)।

(ii) फिनोलफथलीन के नमूने

- रिश्वतखोरी के मामलों में फिनोलफथलीन टेस्ट के लिए हैंडवाश तथा पाकेटवाश क्लोरीनेटिड टैप वाटर में लेना (पानी में क्लोरीन होने से गुलाबी रंग पानी में नहीं आ पाता। अतः नमूने हैन्डपम्प के पानी अथवा डिस्टिल्ड वाटर में लेने चाहिए)। जब गवाह को गुलाबी रंग नमूने में नही दिखता तो वह न्यायालय में भी यही बताता है और शक के फायदे से अपराधी छूट जाता है।

(iii) ड्रग्स तथा स्वापक पदार्थ

- टेस्ट हेतु नमूना कम भेजा जाता है। कम से कम 1–2 ग्राम नमूना अवश्य भेजना चाहिए।
- एक जैसा प्रतिनिधित्व (Homogenous Representative) नमूना नहीं भेजा जाता (सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक है)।
- स्पॉट टेस्ट किट का बाहरी क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के अभाव में ठीक प्रकार प्रयोग नहीं किया जाता (नमूनों को स्पॉट पर पता नहीं चल पाता कि क्या है)।
- ड्रग और स्वापक पदार्थों का सही भार/मात्रा पैकेट में लिखकर नहीं भेजी जाती (बचाव पक्ष नमूनों को नहीं अपनाता और कहता है कि वह नमूना उनका नहीं है और अपराधी छूट जाता है)।

  अपनी तलाशी देकर अभियुक्त की तलाशी एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधान के अनुसार नहीं ली जाती। यदि ली भी जाती है तो संबंधित प्रपत्र केस फाईल का भाग नहीं बनाया जाता (इससे अपराधी बरी हो जाते हैं)।
- एक्ट के प्रावधान के अनुसार नमूने 24 घंटे के अंदर प्रयोगशाला में जमा नहीं करवाए जाते (अपराधी छूट जाते हैं)।
- एन०सी०बी० फार्म ट्रिपलीकेट में भरकर नहीं भेजे जाते (अत्यन्त आवश्यक है)।
- फार्म पर नमूना मोहर नहीं लगाई जाती (प्रयोगशाला नमूनों को परीक्षण हेतु स्वीकार नहीं करेगी)।
- भेजे गए प्रदर्शों के पार्सल पर लगाई गई सीलों की मात्रा नहीं दर्शाई जाती (संदेह के फायदे से अपराधी छूट जाता है)।
- सील/मोहर स्पष्ट नहीं पढ़ी जा सकती (संदेह का फायदा अपराधी को मिल सकता है)।

(iv) रासायनिक परीक्षण के अन्य मामले

- एक्साईज के मामलों में अल्कोहल जाँच हेतु रेन्डम सैम्पल न भेजकर सारी मात्रा टेस्ट हेतु भेज देना (एफ०एस०एल० का कार्यभार बढ़ जाता है)।

RAJASTHAN POLICE

- जहरीली गैस के नमूने गुब्बारों में नहीं लिए जाते। पेट्रोलियम पदार्थों के अवशेषों को वायुरूद्ध डिब्बों तथा थैलियों में पैक न करना (इन पदार्थों के उड़ते रहने से प्रदर्शों में पदार्थ नहीं पाए जाते)।
- अम्ल और क्षार को शीशे तथा प्लास्टिक की बोतलों में डालकर न भेजना (लाते समय दुर्घटना हो सकती है)।
- गैस विषाक्तन के मामलों में रक्त के नमूने परीक्षण हेतु न भेजना (महत्वपूर्ण साक्ष्य छूट जाते हैं)।

(ग) भौतिक, अग्नेय शस्त्र तथा विस्फोटक साक्ष्य

(i) भौतिक साक्ष्य

- अन्वेषण अधिकारियों द्वारा टूलमार्क्स को परिरक्षित करके परीक्षण हेतु न भेजना (महत्वपूर्ण साक्ष्य छूट जाते हैं)।
- सीमेन्ट, कंकरीट तथा अन्य इमारती सामान के नमूनों का प्रतिनिधि नमूना लेकर परीक्षण हेतु न भेजना (न्यायसंगत परीक्षण हेतु चाहिए)।
- पदचिन्हों तथा टायरचिन्हों के प्लास्टर कास्ट ठीक प्रकार से पैक करके न भेजना, जो प्रयोगशाला लाते समय यात्रा के दौरान ही टूट जाते हैं (महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो जाते है)।
- ईन्जन और चैसिज नम्बर निकलवाने हेतु वाहन को तुरन्त प्रयोगशाला नहीं भेजा जाता है (इससे खड़ी खड़ी गाड़ियाँ लोहे का ढांचा बन जाती हैं और पब्लिक सम्पत्ति का नुकसान होता है)।
- अपराध घटनास्थल अथवा वाहन से लिए गए पेन्ट के टुकड़ों को पेन्ट की डिब्बी में डालकर भेज देना (पेन्ट का नमूना दूसरे पेन्ट में मिलकर खराब हो जाता है)।
- औजार चिन्हों के साथ तुलना हेतु संदिग्ध औजार न भेजना (तुलना संभव नहीं) ।

(ii) अग्नेय शस्त्र

- छरें, गोली, वैड, खाली खोल कारतूस जो अपराध घटनास्थल से मिले हों, को अग्नेय शस्त्र की रिकवरी से पहले सुरक्षित रखने हेतु प्रयोगशाला न भेजना (पेडिंग का संदेह होता है)।
- अग्नेय शस्त्र को खाली करके न भेजना (दुर्घटना हो सकती है)।
- अग्नेय शस्त्र को पुरी तरह कपड़े की थैली में पैक करके न भेजना (अग्नेय शस्त्र से छेड़छाड़ की जा सकती है)।
- गोली तथा खाली कारतूस को रूई में लपेटे बिना धातु की डिब्बी में डालकर भेजना (चिन्ह बन सकते हैं और खरोंच आ सकती है)।
- रक्त रंजित गोली तथा छरों को धोकर साफ करके प्रयोगशाला भेजना (रक्त की साक्ष्य समाप्त हो जाती है)।
- साक्ष्य को कब्जे में लेते समय दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर फर्द पर न करवाना (न्यायालय में ऐसे साक्ष्यों का कोई महत्व नहीं होता)।

RAJASTHAN POLICE

(iii) विस्फोटक

- जिन्दा विस्फोटक को लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना (दुर्घटना हो सकती है)।
- आई०ई०डी० को मौके पर डिफ्यूज न करवा कर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु लेकर चल पड़ना (दुर्घटना हो सकती है)।
- विस्फोटक को विधिपूर्वक पैक करके न लाना (दुर्घटना का कारण बन सकता है)।
- मृतक और संदिग्ध से गनशाट रेजिड्यू हेतु स्वैब न लेना (महत्वूपर्ण साक्ष्य छूटजाता है)।
- विस्फोटक प्रदर्श के पार्सल पर चिन्हित न करना कि उसमे विस्फोटक है (दुर्घटना का कारण बन सकता है)।

(घ) पेपर तथा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेन्ट

(i) पेपर डॉक्यूमेन्ट

- नमूना हस्ताक्षर/लिखाई उपयुक्त मात्रा में परीक्षण हेतु न भेजना (कम से कम पाँच सीट/मान्य लिखाई भी भेंजे)
- मान्य हस्ताक्षर/लिखाई के नमूने तुलना हेतु न भेजना (निर्णायक परिणाम नहीं मिलता)।
- नमूनों को अधिकृत गवाहों/सक्षम अधिकारी के सामने न लेना (न्यायालय ऐसी रिपोर्ट को महत्व नहीं देते)।
- नमूना लेते समय उसी प्रकार के कागज और पेन का प्रयोग न करना जिस प्रकार का संदिग्ध लेख में प्रयोग किया गया हो (और भिन्नताएं आती है, तुलना कठिन हो जाती है)।
- संदिग्ध और सैम्पल लेख को चिन्हित न करना (तुलना करते समय संशय होता है)।
- जाँच हेतु भेजे जाने वाले दस्तावेजों पर कुछ और लिखाई कर देना (संदेह पैदा करता है)।
- जले हुए दस्तावेजों / नोटों को सेल्यूलोज ऐसीटेट / नाइट्रेट घोल स्प्रे करके भेजने से पहले परिरक्षित न करना (इस प्रकार के मुरमुरे दस्तावेज लाते समय और छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं)।
- उसी टाईपराइटर अथवा प्रिन्टर का प्रिन्ट न भेजना जिससे संदिग्ध दस्तावेज बना हो (तुलना में निर्णायक परिणाम नहीं मिलते)।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेन्ट

- कम्प्यूटर हार्ड डिस्क, पेन ड्राईव, सी०डी०, डी०वी०डी०, फ्लॉपी, मैग्निटिक टेप, सी०पी०यू०, सेलफोन आदि को कब्जे में लेने के बाद पुलिस द्वारा स्वयं चला कर देखना, डॉक्यूमेन्ट की हेस वैल्यू को बदल देता है और इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेन्ट से मिलने वाले साक्ष्य न्यायालय की निगाह में संदेहास्पद हो जाते है। अतः इन उपकरणों को चलाकर नहीं देखना चाहिए और सीधे प्रयोगशाला जाँच हेतु भेजना चाहिए।
- कॉपी करने हेतु खाली हार्ड डिस्क साथ न भेजना (परीक्षण में विलम्ब करता है)।

- इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेन्ट्स को ऊँचाई से गिरा देना। इससे डाटा खराब हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेन्ट्स को उच्च तापमान अथवा चुंबक के पास रख देना। (इससे डाटा खराब भी हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है)।

नोट – उपरोक्त गलतियों/त्रुटियों को यदि अन्वेषण अधिकारी न करें तो अपराध अन्वेषण में अपेक्षित सफलता मिल सकती है।

RAJASTHAN POLICE

अध्याय–63

राजस्थान पुलिस के अनुसंधान के संदर्भ में महत्वपुर्ण परिपत्र एवं स्थायी आदेश

1. न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्रों में सुनवाई के समय केस डायरी चाहे जाने पर केस डायरी (अनुसंधान पत्रावली) न्यायालय में समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में **विशिष्ट शासन सचिव गृह (विधि), राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्रांक प.2(14)/ गृह–10/2020 दिनांक 02.12.2020** द्वारा विशेष निर्देश प्रदान किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 235)

2. इस संबंध में माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार द्वारा भी **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना में पत्रांक PA/AAG/VBS/CCP/Gen.letter/21 दिनांक 29.01.2021** द्वारा विशेष निर्देश प्रदान किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 233)

3. अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तारी हेतु धारा 41, 41–ए CrPCकी पालना के संबंध में **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा राजस्थान द्वारा परिपत्र संख्या 3820–90 दिनांक 29.04.2020** द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। इसके साथ ही समुचित प्रारूप के नमुने भी जारी किए गये। (पृष्ठ संख्या– 236)

4. पुलिस हिरासत में आत्महत्या, मृत्यु एवं अवैध हिरासत के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 629 दिनांक 28.02.2020** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 242)

   पुलिस हिरासत में आत्महत्या, मृत्यु एवं बलात्कार की घटनाओं के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 5053 दिनांक 31.10.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 243)

5. सोशल मिडिया पर आपराधिक घटना का विडियों वायरल करने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 25–102 दिनांक 24.02.2020** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 245)

6. अपराध की सुचना मिलने पर तत्काल विधिक प्रक्रिया/अभियोग पंजीबद्ध करने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा पत्र संख्या 2375–431 दिनांक 05.02.2020** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 246)

7. प्रकरणों का अनुसंधान करने हेतु मानक संचालन प्रणाली/परामर्श दात्री(एस0आ0पी0) जारी करने हेतु **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 1150–1222 दिनांक 17.01.2020** जारी कर विस्तृत एस0ओ0पी0 जारी की गयी है जिसमें अनुसंधान की कार्ययोजना, गवाहन का परिक्षण, घटना स्थल का निरिक्षण, मालखाना रजिस्टर व रोजनामचा आम में इन्द्राज, मेडिकल परिक्षण/इलाज, दस्तावेज परिक्षण, प्रक्रियात्मक अनुसंधान, अभियुक्त की गिरफ्तारी,

RAJASTHAN POLICE

सीडीआर / फोटोग्राफी / विडियोग्राफी / सीडी का विश्लेषण तथा चालान / एफआर प्रतिवेदन बाबत् विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 247)

8. न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के संबंध में **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र संख्या 20627–710 दिनांक 21.11.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 258)

9. न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इंगित किये गये अन्वेषण / ट्रायल / अन्य विधिक कार्यवाही मे त्रुटि / लापरवाही एवं विभिन्न आक्षेपों के संबंध में पुलिस सुधार की दृष्टि से **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा आदेश संख्या 16069–16143 दिनांक 11.11.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 259)

10. पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में पुलिस कर्मियों के द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में**श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 4899 दिनांक 18.10.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 261)

11. महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम, अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण हेतु स्पेशल इन्वेस्टिगेशन युनिट फॉर क्राईम अगेन्स्ट वुमन (SIUCAW)के कार्यविवरण के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 10301–65 दिनांक 13.08.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 265)

12. जिला पुलिस अधिक्षक के कार्यालय से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की सुविधा आमजन को उपलब्ध करवाने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 10827–902 दिनांक 29.05.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 268)

13. अनुसंधान अधिकारियों के द्वारा अनुसंधान के दौरान धारा 161 CrPCमें मौखिक साक्ष्यों की विडियों रिकोर्डिंग के संबंध में **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 9971–10011 दिनांक 14.05.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 271)

14. आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान अभियुक्त, जमानत देने वाले व्यक्ति तथा गवाहन के पहचान–पत्र लिये जाने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा स्थायी आदेश संख्या 04 / 2019 दिनांक 07.02.2019** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 274)

15. हिरासत में लिये गये व्यक्ति की समुचित तलाशी लिये जाने के संबंध में **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मानव तस्करी विरोधी, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 1904 दिनांक 07.04.2016** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 276)

RAJASTHAN POLICE

16. आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान महिलाओं को अन्वेषण हेतु बुलाये जाने व पुलिस हिरासत में रखे जाने के संबंध में **श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र संख्या 526–575 दिनांक 02.02.2011** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 277)

17. आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान अपराध मानचित्र (घटना स्थल नक्शा–मौका) सुव्यवस्थित तरीके से तैयार करने के संबंध में **श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा स्थायी आदेश संख्या 02/2008 दिनांक 08.05.2008** जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (पृष्ठ संख्या– 279)

RAJASTHAN POLICE

1352
2/2/21

Dr. Vibhuti Bhushan Sharma (Ph.D.)
M.A., LL.B, B.J.M.C., P.G D.T.L., P.G.D.L.L., P.G.D.H.E.
Additional Advocate General, Government of Rajasthan
Rajasthan High Court, Jaipur

Ph. : 0141-2227248 (O), 2791342
Mob. : 9414046242
E-mail : aag.vibhuti@gmail.com

Ref. No. No.PA/AAG/VBS/CCP/Gen.letter/21

dtd. 29.01.2021 Date

A.D.G.P. (CB)
I.G.P. (CB)
DY. I.G.P. (CB)
S.P. (...)
S.P. (...)
A.O.
DATED
R.No.

COURT ORDER/OUT TO DAY

ADGP(CB)/(...)
01/02/21

1. The Principal Secretary,
   Home Department, Government Secretariat, Jaipur
2. The Secretary to Government,
   Medical & Health Department,
   Government of Rajasthan Jaipur
3. The Secretary,
   Higher Education, Rajasthan, Jaipur.
4. The Secretary, Medical Education, Raj. Jaipur.
5. Government Secretariat, Jaipur.
6. Mission Director & Special Secretary
   N.H.M., Medical,Health & Family Welfare
   Swasthya Bhawan, C-Scheme, Jaipur.
7. The Commissioner,
   College Education Rajasthan Jaipur.
8. The Director General of Police,
   P.H.Q., Rajasthan, Jaipur.

Sub:- compliance of the order passed by the Hon'ble Rajasthan High Court

Sir,

Apropos it has been observed by the Hon'ble Court in several cases of contempt of court that the compliance of the orders of this Court is not made within stipulated time by the department concerned even after the receipt of the certified copies of the orders of Court and the process for compliance is started only after issuance of notices of court. The Hon'ble Court in several cases has ordered personally presence of the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Director General of Police/ Director (Admn./ Gazetted/Commissioner College Education and have taken the matter seriously. It is desired that the compliance of the court orders be made in which the department is not filing appeal/review etc. within

RAJASTHAN POLICE

stipulated time period so that the department as well as the senior officers of the department may not have to come to the Court only for complying the order of the Hon'ble Court. In many cases compliance is not made for the last 3-4 years. Effective directions in this regard are desired to be issued so that the ACS/Principal Secretary/ Secretary/ Senior Officers are saved may not face any embarrassment in the Court. On 28.1.21 & 29.1.2021 the Hon'ble Court has taken a very serious view regarding on compliance of the court order. I therefore, request to your goodself please fix a responsibility of the concerned dealing persons as well as officers of the department who not dealing the cases immediately after receipt of the orders of this Hon'ble Court.

Please treat it as Most Urgent and do the needful at the earliest.

Thanking you,

(Dr.Vibhuti Bhushan Sharma)
Additional Advocate General

RAJASTHAN POLICE

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10)विभाग

क्रमांकः प. 2(14)/गृह–10/2020   जयपुर, दिनांकः– 02.12.2020

महानिदेशक पुलिस(अपराध)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– जमानत प्रार्थनो पत्रो की सुनवाई के समय केस डायरी समय पर उपलब्ध करवाये जाने एवं अभियोजन द्वारा संवीक्षा रिपोर्ट में उठाये गये बिन्दुओं की पूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विधि विभाग ने अपर लोक अभियोजक, न्यायालय अपर जिला एवं सेंशन न्यायालय संख्या 1 नागौर का पत्र इस विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। उक्त पत्र में वर्णित है कि जमानत आवेदनों की सुनवाई के समय पुलिस द्वारा केस डायरी समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जाती है एवं एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों में संवीक्षा रिपोर्ट में अभियोजन द्वारा जो कमियां बताई जाती है, उनकी पूर्ति किये बिना बाला–बाला ही पुलिस द्वारा आरोप–पत्र पेश कर दिया जाता है।

अतः आप इस सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी कर सभी थानाधिकारियों को यह आदेशित करे कि जमानत की सुनवाई के समय केस डायरी समय पर संबंधित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी को उपलब्ध करवाये एवं उक्त अधिकारियों द्वारा संवीक्षा रिपोर्ट के समय जो कमियां बताई जाती है, उनकी पूर्ति कर न्यायालय में अरोप–पत्र पेश करे।
संलग्नःउपरोक्तानुसार

भवदीय
(signature) 01.12.20
(राजेन्द्र कुमार सैनी)
विशिष्ट शासन सचिव गृह (विधि)

5

RAJASTHAN POLICE

7

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान

क्रमांकः–प–15 (ख)(23)राजकाज–02922 / विधि / 2014 / 3820-90 दिनांकः 29-04-2020

परिपत्र

विषयः अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में आपराधिक प्रकरणों में गिरफतारी हेतु धारा 41, 41–A CrPC की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः अनुसंधानाधिकारियों द्वारा ऐसे अपराध, जिसमें सात साल से कम सज़ा या सात साल तक की सज़ा का प्रावधान है, के प्रकरणों में आरोपी की गिरफतारी की स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों के कार्यालय में पत्रावली प्रेषित करते समय मात्र धारा 41 सी.आर.पी.सी. के निम्न बिन्दु अंकित करते हुए पत्रावली प्रेषित कर दी जाती है:–

1. अनुसंधान से आरोपी के विरूद्व अपराध प्रमाणित पाया गया है।
2. अपराध का उचित अनुसंधान करने के लिए / स्त्रीधन बरामद करने आदि के लिए।
3. अपराध से संबंधित गवाहान को भय, उत्प्रेरणा, प्रलोभन द्वारा डराने, धमकाने से रोकने के लिए।
4. आरोपी की न्यायालय में उपस्थिती अनिवार्य करने के लिए।

सी.आर.पी.सी. में हुए संशोधन (अधिनियम 2009) के अनुसार उपरोक्त बिन्दु गिरफतारी के लिए अनिवार्य हैं, परन्तु उक्त कारणो की पुष्टि अनुसंधान में आई साक्ष्यों से भी होनी चाहिये। कई बार अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहान के बयान व उक्त बिन्दुओं के समर्थन में पत्रावली में विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित नहीं किये जाते हैं एवं डायरी में भी उचित रूप से नोट अंकित नहीं किया जाता है। धारा 41 सी.आर.पी.सी. में हुए संशोधन एवं सी.आर.पी.सी. की नई धारा 41(क) जोड़ने के पीछे मूल भावना यही है कि केवल ऐसी परिस्थितियां, जो धारा 41 सी.आर.पी.सी. में अंकित हैं व अनुसंधान अधिकारी के पास पर्याप्त व ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध है कि उक्त परिस्थितियां विद्यमान है, में गिरफतारी की जा सकेगी। अनुसंधान में बाधा उत्पन्न न हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारा 41(क) सी.आर.पी.सी. जोड़ी गई है जिसमें सम्बंधित आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित कर उससे अनुसंधान पूर्ण किया जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 41(क) सी.आर.पी.सी. के उपबन्धों की अनुपालना में असफल रहने पर भी आरोपी को गिरफतार करने का प्रावधान है।

अतः सी.आर.पी.सी. में हुए संशोधन एवं अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार में दिनांक 2.7.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय से पूर्व में इस सम्बंध में जारी समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:–

(1) FIR दर्ज होने पर अनुसंधानाधिकारी बिना विलम्ब FIR में अंकित आरोप के संबंध में गहन अनुसंधान करेगा व समस्त सुसंगत साक्ष्य एकत्रित करेगा।

(2) अनुसंधान में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अनुसंधानाधिकारी सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करते हुये प्रत्येक आरोपी के सम्बंध में सम्बंधित धाराओं में अपराध के प्रमाणित होने बाबत धाराओं के विवरण सहित केस डायरी में नोट अंकित करेगा।

(3) उक्तानुसार केस डायरी में नोट अंकित करने के साथ-साथ अनुसंधानाधिकारी प्रत्येक आरोपी के संबंध में सलंग्न प्रारूप (check-list) में सूचना अनिवार्यतः भरेगा। यह प्रारूप (check-list) SHO द्वारा अनुसंधानाधिकारी को FIR दर्ज करते ही उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) यदि अनुसंधान से आरोपी के विरूद्ध जिन धाराओं का अपराध प्रमाणित है, उनमें-

a. अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है, तथा

b. धारा 41(1)(b)(ii) CrPC में वर्णित 5 बिंदु, जो चैकलिस्ट के बिंदु सं0 6 में भी वर्णित हैं, बाबत् पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है,

तो अनुसंधानाधिकारी FIR दर्ज होने के 02 सप्ताह के भीतर आरोपी को धारा 41-A CrPC का नोटिस देगा, जिसकी एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय को भी देगा। धारा 41-A CrPC के नोटिस का प्रारूप संलग्न है।

(5) यदि किन्हीं कारणों से उक्तानुसार 02 सप्ताह के भीतर धारा 41-A CrPC का नोटिस आरोपी को नहीं दिया जाता व न्यायालय को सूचित नहीं किया जाता, तो अनुसंधानाधिकारी चैक लिस्ट के बिन्दु सं. 6(i)(ख) में इसका स्पष्ट उल्लेख करेगा। तत्पश्चात यह चैकलिस्ट पूर्ण कर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त कार्यालय में पत्रावली भेजकर FIR दर्ज होने के 02 सप्ताह के भीतर धारा 41-A CrPC का नोटिस नहीं देने के संबंध में शिथिलता प्रदान की जाने की प्रार्थना कर स्वीकृति आदेश प्राप्त किया जावेगा। जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त द्वारा पत्रावली में देरी के कारणों की समीक्षा के आधार पर ही ऐसी स्वीकृति जारी की जाएगी। इसके पश्चात ही अनुसंधानाधिकारी आरोपी को 41-A CrPC का नोटिस देगा व एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय को (मय संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त के शिथिलता प्रदान करने के आदेश के) देगा।

(6) यदि अनुसंधान से आरोपी के विरूद्ध जिन धाराओं का अपराध प्रमाणित है, उनमें-

a. अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है, तथा

b. धारा 41(1)(b)(ii) CrPC में वर्णित 5 बिंदुओं में एक या अधिक या समस्त बिन्दुओं बाबत पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर है,

तो अनुसंधानाधिकारी इसका स्पष्ट व विस्तार से उल्लेख चैकलिस्ट के बिन्दु सं. 6(ii) में करेगा।

यदि प्रकरण में विधि द्वारा/विभागीय आदेशों के अन्तर्गत गिरफ्तारी से पूर्व किसी सक्षम स्तर से स्वीकृति ली जानी है तो अनुसंधानाधिकारी उक्तानुसार चैकलिस्ट पूर्ण कर सक्षम स्तर को पत्रावली प्रेषित करेगा, जहां से अनुमति प्राप्त होने पर ही गिरफ्तारी की जाएगी।

(7) अनुसंधानाधिकारी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते समय पत्रावली पूर्ण होना तथा केस डायरी के साथ सलंग्न प्रारूप में चैकलिस्ट पूर्ण होकर पत्रावली में शामिल होना भी सुनिश्चित करें जिससे न्यायालय द्वारा गिरफ्तार आरोपी के संबंध में अग्रिम आदेश दिया जा सके।

(8) उक्त चैकलिस्ट (एवं उचित प्रकरणों में 41-A CrPC का नोटिस) प्रत्येक आरोपी के लिए पृथक-पृथक तैयार किए जाएँगे।

(9) धारा 41-A CrPC के नोटिस की अनुपालना करने में यदि आरोपी असफल रहता है या आरोपी के उपस्थित होने के पश्चात अनुसंधान अधिकारी की राय बनती है कि आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक है, तो आवश्यकता के उचित कारणों को केस

डायरी में प्रतिस्थापित करते हुये गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे में भी चैक लिस्ट की पूर्ति करते हुये बिन्दु सं. 6(ii) में स्पष्ट आधार अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(10) आरोपी व्यक्ति जब भी धारा 41-A CrPC के नोटिस की अनुपालना में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा तो उसे उपस्थिति बाबत प्राप्ति रसीद दी जावेगी।

अतः प्रकरणों में आरोपी की गिरफतारी के संबंध में उक्तानुसार कार्रवाही सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उक्त निर्देश Criminal Appeal No. 1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में जारी किए गए हैं। इन निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर न केवल संबंधित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी, वह अधिकारी न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्रवाई का पात्र भी होगा।

समस्त अनुसंधान अधिकारियों को उक्त निर्देशों से अवगत कराएं तथा कुशल पर्यवेक्षण कर इनकी पालना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

29/4/2020

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है –

1. महानिदेशक पुलिस,प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. उप–महानिरीक्षक पुलिस (कार्मिक) को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को सूचित करने हेतु।
5. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर ।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा राजस्थान।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. सीबी रेंज सैल, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर।
8. समस्त प्रभारी, अन्वेषण अनुभाग, अपराध शाखा राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

29/4/2020

अति. महानिदेशक पुलिस
अपराध शाखा,
राजस्थान

RAJASTHAN POLICE

पुलिस थाना/कार्यालय......................जिला.............., राजस्थान

<u>(आरोपी की गिरफतारी बाबत् चैकलिस्ट)</u>

1. FIR No. ....
2. दर्ज दिनांक ....
3. FIR की धाराएँ ....
4. आरोपी का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, उम्र, पता ....
5. आरोपी के विरूद्ध एकत्रित साक्ष्य के अनुसार प्रमाणित अपराध का विवरण :–

(i) धारा...........एक्ट..
धारा में अधिकतम सजा..................................

(ii)धारा...........एक्ट..
धारा में अधिकतम सजा..................................

(iii) धारा...........एक्ट..
धारा में अधिकतम सजा..................................

(अतिरिक्त पंक्तियां आवश्यकतानुसार जोड़ें)

6. क्या अनुसंधानाधिकारी आरोपी को गिरफतार करना चाहता है (हॉं/नहीं).....................

(i) यदि बिंदु सं.6 का जवाब 'नहीं' है, तो क्या FIR दर्ज होने के 14 दिवस के भीतर आरोपी को 41–क द.प्र.स. का नोटिस दे दिया है (हॉं/नहीं) ....

क– यदि हॉं, तो नोटिस तामील की दिनांक...............

ख– यदि नहीं तो देरी का स्पष्ट कारण..................

ग– क्या आरोपी के द्वारा नोटिस के सम्बध में दिये गये प्रत्युतर से अन्वेषण अधिकारी संतुष्ट है? यदि नही है तो स्पष्ट कारण अंकित करें।

(ii) यदि बिंदु सं.6 का जवाब 'हॉं' है, तो धारा 41(1)(b)(ii) द.प्र.सं. के बिंदुओं की सूचना निम्नानुसार पूर्ण करें :–

क्र० सं०	धारा 41(1)(b)(ii) द.प्र.सं. के अनुसार बिंदु जिस कारण गिरफतारी आवश्यक है	धारा 41(1)(b)(ii) द.प्र.सं. के बिंदु में अंकित परिस्थितियों को प्रमाणित करने वाली साक्ष्य, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, का विवरण
1.	आरोपी को कोई अपराध भविष्य में कारित करने से रोकने के लिए	
2.	अनुसंधान उचित रूप से पूर्ण करने के लिए	
3.	आरोपी को अपराध के साक्ष्य नष्ट करने या किसी अन्य तरीके से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए	
4.	आरोपी को किसी ऐसे व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से अवगत हो को उत्प्रेरणा, धमकी या वायदा करने जिससे वह न्यायालय या पुलिस को ऐसे तथ्य नहीं बताए, से रोकने के लिए	
5.	गिरफतार किए बिना आरोपी की उपस्थिति निश्चित दिन/समय पर न्यायालय में सुनिश्चित नहीं की जा सकती	

नोट:– उक्त चार्ट में तृतीय कॉलम में साक्ष्य का विवरण बिंदुवार अंकित करें व वर्णित साक्ष्य से संबंधित केस डायरी सं. का भी उल्लेख करें।

7. यदि आरोपी की गिरफतारी धारा 41–क द.प्र.स. का नोटिस देने के पश्चात आरोपी द्वारा नोटिस की पालना नहीं करने के कारण की गई है (धारा 41–क(4) द.प्र.सं.) तो इस बाबत यहां स्पष्ट उल्लेख करें –

पुलिस थाना/कार्यालय.....................जिला............, राजस्थान

12

RAJASTHAN POLICE

(नोटिस अन्तर्गत धारा 41–क द.प्र.स.)

प्रेषिति:–

आरोपी का नाम, पिता/पति का नाम,
पता।

F.I.R. No.........धारा..दर्ज दिनांक...पुलिस थाना........................ ....जिला....................का अनुसंधान निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण में आप आरोपी हैं तथा आपसे अनुसंधान करने के लिए आपको हाज़िर होना आवश्यक है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं दिनांक..................समय..............को स्थान............ ....पर उपस्थित हों।

इसमें चूक नहीं होनी चाहिए।

नोटिस जारी दिनांक............

प्रेषित क्र.स. ....

हस्ताक्षर
(नाम अनुसंधानाधिकारी)
थाना/कार्यालय की सील

नोटः– उक्त नोटिस की अनुपालना में असफल होने पर आपको गिरफतार किया जा सकता है।

RAJASTHAN POLICE

पुलिस थाना/कार्यालय.......................................जिला.....................राजस्थान

उपस्थिति प्रमाण पत्र

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..........................धारा..........................दर्ज दिनांक.......................... पुलिस थाना..........................जिला..........................राजस्थान का अनुसंधान निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण में श्री..........................(आरोपी का नाम) पिता/पति का नाम..........................पता..........................मोबाईल नम्बर..........................को धारा 41–क द.प्र.सं. का नोटिस कमांक..........................दिनांक..........................को जारी किया गया था, जिसकी पालना में आज दिनांक..................समय...............स्थान..................पर उक्त व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। इनसे प्रकरण में अन्वेषण किया गया एवं बाद अनुसंधान सकुशल रवाना किया गया।

दिनांक:

हस्ताक्षर (उपस्थित आरोपी व्यक्ति)

हस्ताक्षर
नाम अनुसंधान अधिकारी
थाना/कार्यालय की सील

RAJASTHAN POLICE

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- 629 दिनांक:- 28.2.

परिपत्र

पुलिस हिरासत में आत्महत्या, मृत्यु एवं अवैध हिरासत की घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं, इसके बावजूद भी कतिपय प्रकरणों में यह पाया गया है कि संबंधित पुलिस अधीक्षकगणों द्वारा प्रदत्त आदेशों की कठोरता से पालना नहीं कराई जा रही है।

हाल ही में इस कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 4899 दिनांक 18.10.19 एवं 5013 दिनांक 31.10.19 जारी किये गये हैं, तथा पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक 505-50 दिनांक 09.02.2009, 3450 दिनांक 16.06.10 तथा 1793-1855 दिनांक 27.05.15 जारी किये गये थे।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त जिला पुलिस अधीक्षक एवं रेंज महानिरीक्षक मुख्यालय द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों की कठोरता से पालना करावें । इस तरह की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक की है। भविष्य में ऐसी किसी भी घटना में लापरवाही पाये जाने पर वृताधिकारी/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जावेगी।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. महानिदेशक पुलिस प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान मय निदेशक आरपीए जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक,राजस्थान ।
4. समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर ।
5. रक्षित पत्रावली।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

15

RAJASTHAN POLICE

21

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

कमांक:– 5013 दिनांक:– 31.x.18

परिपत्र

गत वर्षों में पुलिस थानों में पुलिस हिरासत में आत्महत्या, मृत्यु एवं बलात्कार की घटनायें घटित हुई हैं यह अत्यंत गंभीर है। अतः पुलिस हिरासत में घटित होने वाली घटनाओं के पश्चात निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना आवश्यक रूप से की जावे।

पुलिस हिरासत में मृत्यु होने पर:–

01. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस हिरासत में मृत्यु होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित करते हुए घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट 24 घण्टे के भीतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग तथा गृह विभाग राजस्थान एवं तत्काल पुलिस मुख्यालय/राज्य नियंत्रण कक्ष/अपराध शाखा/मानवाधिकार शाखा एवं कानून व्यवस्था तथा संबंधित रेंज महानिरीक्षक पुलिस एवं जिला कलेक्टर को अवगत करावें।
02. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करें एवं आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय की गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, मौका सुरक्षित रखवायें तथा थानों के रिकार्ड में किसी प्रकार की कांट–छांट व मिथ्या साक्ष्यों की रोजनामचा रपट में इन्द्राज इत्यादि अपराधिक कृत्य न की जाये, इसकी पालना सख्ती से करावें।
03. मर्ग 176 सीआरपीसी में दर्ज कर जांच हेतु तत्काल न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करावें।
04. मृतक का पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन तत्काल किया जावे।
05. मृतक की पोस्टमार्टम की सम्पूर्ण विडियोग्राफी करायी जावे।
06. थानाधिकारी एवं दोषी पुलिस कार्मिको को एवं समस्त स्टाफ को तत्काल पुलिस लाईन में पदस्थापित करें एवं पुलिस कार्मिको के खिलाफ प्राथमिक जांच 07 दिवस में पूर्ण कर दोषी पाये जाने पर निलम्बन/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करें ।
07. घटना के सम्बंध में अभियोग पंजीबद्ध होने पर उसकी जॉच राज्य अपराध शाखा द्वारा की जायेगी। अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा घटित घटना की रिपोर्ट एवं अधिकारी मनोनीत करने हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) कार्यालय से पत्राचार किया जावे एवं संबंधित दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी सीआईडी (सीबी) को प्रेषित किये जावें।
08. 48 घण्टों के अन्तराल में पोस्ट मार्टम की विडियोग्राफी की सुरक्षित सी.डी. मय सैट के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग तथा गृह विभाग एवं पुलिस अधीक्षक मानवाधिकार जयपुर को प्रेषित की जानी चाहिए।
09. मृतक पक्ष के परिजनों को तत्काल सूचित करें एवं सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान उन्हे साथ रखा जावे, ताकि किसी भी आरोप प्रत्यारोप से बचा जा सके।

RAJASTHAN POLICE

10. मृतक पक्ष के प्रति सहानुभूति रखते हुए मृतक का अंतिम संस्कार या किया कम चाहे वह किसी धर्म , जाति, समप्रदाय हो उसी के रीति रिवाज के अनुरूप किया जावे।

11. रेंज महानिरीक्षक ,पुलिस अधीक्षक व सभी स्थानीय पुलिस अधिकारी मृतक पक्ष के प्रति अति संवेदनशीलता, सहयोगात्मक व सकारात्मक दृष्टिकोण रखें ताकि मृतक पक्ष पुलिस के विश्वास में रहे जिससे वे असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आवें।

12. न्यायपालिका से भी वरिष्ठ स्तर पर समन्वय किया जाकर वास्तविक तथ्यों एवं साक्ष्यों को जांच के दौरान न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश करें जिससे पुलिस का पक्ष सुदृढता से रखा जावे।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं कानून—व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान मय निदेशक आरपीए जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, राजस्थान ।
4. समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर ।
5. रक्षित पत्रावली।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।
25/10

RAJASTHAN POLICE

अति–आवश्यक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः– 25-102 दिनांकः– 25-02-2020

–ःआदेशः–

विषयः– सोशल मीडिया पर आपराधिक घटना से संबंधित वीडियो वायरल करने वाले अपराधियों के विरूद्ध अविलम्ब विधिक कार्यवाही करने बाबत।

राज्य में विगत कुछ दिनों में कुछ अप्रिय घटनाओं एवं अमानवीय क्रूरता के वीडियो सोशल मीडिया पर समाजकंटकों द्वारा अपलोड किये गये है। इससे सामाजिक संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपराधियों द्वारा वीडियो अपलोड/प्रसारित करने का उद्देश्य पीड़ित को बदनाम करना एवं आमजन में भय का माहौल उत्पन्न करना रहा है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अपराधियों के इस प्रकार के कृत्य की सूचना किसी भी माध्यम (यथा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया/आसूचना तंत्र) से प्राप्त होने पर तत्काल विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर सख्त कानूनी कार्यवाही कर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाई जावें। इस प्रकार की घटनाओं की/सूचना आपकी अधिकारिता से परे हो तो भी संबंधित को अविलम्ब सूचित करते हुए उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित करें। आपके अधीनस्थ जाब्ते को भी इस संबंध में निर्देशित किया जावें तथा विधिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार के निर्धारण में अनावश्यक विलम्ब/आनाकानी नहीं की जावें।

उक्त निर्देशों की गंभीरता से पालना की जावें, ताकि सोशल मीडिया पर आपराधिक घटनाओं के वीडियो अपलोड/प्रसारित होने पर सनसनी फैलने से रोकी जा सकें एवं आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास में वृद्धि तथा पीड़ित को आवश्यक राहत प्रदान की जा सकें।

सोशल मीडिया पर आपराधिक घटना से संबंधित वीडियो अपलोड/प्रसारित करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के साथ–साथ आमजन को भी इस संबंध में संवेदनशील रहने एवं यह अवगत कराने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के वीडियो अपलोड/अग्रेषित करना आई.टी. एक्ट के तहत अपराध है तथा शक/आशंका के आधार पर कथित आरोपीगण से मारपीट करना भी कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में सी.एल.जी. सदस्यों, पुलिस मित्र, शान्ति समितियों, सोशल मीडिया की मदद से आमजन को जागरूक किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने एवं ऐसे मामले/घटना जानकारी में आने पर तत्काल प्रभावी कानूनी कार्यवाही को प्राथमिकता देते हुए सभी स्तरों पर पालना सुनिश्चित की जावें।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महानिदेशक पुलिस, प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस/रेंज उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर राजस्थान।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

16

RAJASTHAN POLICE

अति–आवश्यक

107

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांक– 2375-431 दिनांक:– 5-2-2020

समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान।
पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं
समस्त पुलिस अधीक्षकगण मय जी.आर.पी. राजस्थान।

विषयः– अभियोग पंजीबद्ध करने के संबंध में।

अपराध की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक प्रक्रिया/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत् पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जा चुका है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 2647–2724 दिनांक 31.01.2019, 9727–98 दिनांक 10.05.2019, 10827–902 दिनांक 29.05.2019 एवं 663–738 दिनांक 20.06.2019 द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु स्पष्ट रुप से निर्देशित किया गया है। कतिपय ऐसे मामले भी है जिनमें अपराध की सूचना/प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर भी प्रकरण पंजिबद्ध करने एवं विधिक कार्यवाही करने में अनावश्यक विलम्ब/अनाकानी की गई है।

अतः इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि :–

1. अभियोग पंजीबद्ध करने बाबत पुलिस मुख्यालय से जारी उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।
2. परिवादी की रिपोर्ट हर सूरत में दर्ज की जावें एवं प्रार्थना पत्र के मजमून से यदि असंज्ञेय अपराध बनता है तो परिवादी को तत्काल सूचित किया जाए।
3. यदि तथ्य संदिग्ध है तो भी तथ्यों का सत्यापन कर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की जावे।
4. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट मौखिक है तो भी आवश्यकतानुसार रिकार्डिंग की जाकर लिखी जावें एवं प्रकरण दर्ज किया जावें। किसी भी सूरत में इन्कार नहीं किया जाए।
5. अभियोग पंजीबद्ध करने बाबत पुलिस मुख्यालय से जारी उक्त निर्देशों की अवहेलना की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावें।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

19

RAJASTHAN POLICE

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान

क्रमांक. CID/CB/PRC/2020/परिपत्र/1150-1222 , दि.17.01.2020

पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान।

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर एवं जोधपुर,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी., राजस्थान।

विषयः प्रकरण अनुसंधान करने हेतु मानक संचालन प्रणाली/परामर्शदात्री के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरणों का अनुसंधान करने के लिए मानक संचालन प्रणाली/परामर्शदात्री तैयार कर आपको भिजवाई जा रही है। प्रकरणों का अनुसंधान करते समय संलग्न परामर्शदात्री की पालना करवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

17/1/20
(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है –

1. महानिदेशक पुलिस, प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. रक्षित पत्रावली।

17/1/2020
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

30

RAJASTHAN POLICE

अनुसंधान करने हेतु मानक संचालन प्रणाली/परामर्शदात्री
(Standard Operating Procedure/Advisory)

कार्ययोजना

1. किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना/रिपोर्ट प्राप्त होने पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के **परिपत्र पत्रांक 9727–98 दिनांक 10.05.2019** (अनुलग्नक 01) तथा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के **परिपत्र पत्रांक** 15057–118 **दिनांक 09.08.2019** (अनुलग्नक 02) के द्वारा अभियोग पंजिबद्ध करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
2. यदि किसी सूचना/रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध का घटना ना पाया जाए, तो महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र (CCTNS में परिवाद दर्ज करने के संबंध में परिपत्र) **पत्रांक** CID/CB **/सम्पर्क/पोर्टल/2019 परिपत्र/663–738 दिनांक 20.06.2019** (अनुलग्नक 03) की पालना की जावे।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय कार्यवाही पुलिस में परियादी से **मजीद दरियाफ्त** कर यथासम्भव घटना के सम्बन्ध में और अधिक खुलासा करना चाहिए।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अनुसंधान अधिकारी उसका विवेचन कर उसके अनुसंधान करने की **एक कार्य योजना (Action Plan)** बनाकर अपने निकटतम सुपरवाईजरी अधिकारी से अनुमोदन करावें।
5. अनुसंधान अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन कर प्रकरण साधारण प्रकृति अर्थात संज्ञेय जमानतीय अपराध का होने पर अपने थानाधिकारी से तथा संज्ञेय अजमानतीय अपराध होने पर अपने निकटतम सुपरविजन अधिकारी ACP/CO से अनुमोदन करावें।
6. अनुसंधान अधिकारी उक्त कार्य योजना को अनुसंधान का एक हिस्सा (Part) मानते हुये अनुसंधान पूर्ण करें तथा सुपरवाईजरी अधिकारी **चालान/एफआर आदेश देने से पूर्व** उक्त कार्ययोजना अनुसार अनुसंधान किया है या नही, अवलोकन करें और तत्पश्चात् ही प्रकरण में चालान/एफआर के आदेश देना सुनिश्चित करें।

RAJASTHAN POLICE

गवाहान का परीक्षण

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित गवाहान के बयान अनुसंधान अधिकारी अतिशीघ्र लेखबद्ध करें। यदि **विलम्ब होता है** तो कारणों को केस डायरी में अभिलेख किया जावें।
2. धारा 161 दंड प्रकिया संहिता में साक्ष्य की विडियो रिकार्डिंग के संबंध में अति० महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र पत्रांक **9971–10011 दिनांक 14.05.2019** (अनुलग्नक 04) की पालना की जाए।
3. प्रायः यह देखा गया है कि अनुसंधान अधिकारी गवाह के बयान लेखबद्ध करते समय **स्थान, दिनांक व समय का अंकन नहीं** करते हैं व अनुसंधान अधिकारी स्वयं का नाम भी अंकन नहीं करते हैं, जिससे आरोपीगण को न्यायालय में संदिग्धता का फायदा मिलता है।
4. परिवादी व गवाहान का **आपसी सम्बन्ध क्या है**, इसे स्पष्ट उल्लेखित करें जिससे प्रकरण की सत्यता तक पहुंचा जा सके। अनुसंधान अधिकारी अपनी अनुसंधान केस डायरी में उक्त तथ्य/जानकारी आवश्यक रूप से रखें कि गवाह मौके का प्रत्यक्षदर्शी है या हितबद्ध गवाह है।
5. अनुसंधान अधिकारियों गवाहान के बयान यथासम्भव मौके पर ही लेखबद्ध करें, जिससे भा.द.स., द.प्र.स. एवं अन्य विधियों में समय-समय पर हुये संशोधनों/विधिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो। प्रायः यह देखा गया है कि अनुसंधान अधिकारी गवाहान को थाना/कार्यालय में तलब कर बयान लेखबद्ध करते हैं। **160 द.प्र.सं. के तहत महिला, 15 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिका, शारीरिक मानसिक दिव्यांग व्यक्ति तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को तलब नहीं किया जा सकता**, जबकि अनुसंधान अधिकारी इन विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी जानकारी में आया है कि काफी अनुसंधान अधिकारियों द्वारा विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध **धारा 166ए भादस के प्रकरण** दर्ज हुये हैं। अनुसंधान अधिकारियों द्वारा विधिक प्रकिया को अपनाकर ही गवाहान को तलब करना चाहिए, जिससे इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।
6. गंभीर प्रकृति के अपराधों व महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित दर्ज प्रकरणों में **निर्धारित विधिक प्रावधानों की पालना करते** हुए धारा 164 सीआरपीसी के बयान करवाया जाना सुनिश्चित करें व उनकी **विडियोग्राफी** करवाई जावे। महिला

RAJASTHAN POLICE

उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरणों में महिला के बयान महिला अधिकारी द्वारा ही लिये जाकर बयानों की विडियोग्राफी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

7. गवाहों के बयान कम्प्यूटर पर लेखबद्ध करते समय अनुसंधान अधिकारी कई बार पूर्व के बयानों की **कट–पेस्ट (cut-paste) करते** हैं, जिससे बयानों में भारी विरोधाभास हो जाता है। इस प्रकृति से पूर्णतः बचना चाहिए।

8. अति0 महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र पत्रांक **प6(54) पु0अ0/म0अ0/यौ0अ0/18/4495–4550 दिनांक 09.05.2019** (अनुलग्नक 05) के निर्देशानुसार बलात्कार संबंधी प्रकरणों की संवेदनशीलता के साथ त्वरित गति से अनुसंधान कर निष्पादन हेतु कार्ययोजना की पालना की जावें।

घटनास्थल का निरीक्षण/विजिट

1. अनुसंधान अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण घटना घटित होने पर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर **जिला मोबाईल एफएसएल यूनिट/निकटतम सुपरविजन अधिकारी** के साथ मौका निरीक्षण तक यथासम्भव घटनास्थल को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
2. अनुसंधान अधिकारी एफएसएल टीम द्वारा दिये गये सुझावों को अनुसंधान में शामिल करे तथा **एफएसएल टीम से राय प्राप्त** कर अनुसंधान को सफल बनावे।
3. घटनास्थल की **रंगीन फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कराई** जानी चाहिए, जिससे घटनास्थल का कोई तथ्य अनुसंधान अधिकारी से वंचित नहीं रहे तथा घटनास्थल का भविष्य में भी पुनः अवलोकन किया जा सके। फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करने वाले **व्यक्ति को साक्ष्य सूची में अवश्य रखा** जाना चाहिए और उससे **अनुभव प्रमाण पत्र लेकर** शामिल पत्रावली किया जाना चाहिए तथा उनके धारा 161 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध करने चाहिए।
4. घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की उपस्थिति दर्शानी चाहिए एवं **घटना रात्रि की हो तो प्रकाश** की क्या व्यवस्था थी, दर्शानी चाहिए। घटनास्थल पर विभिन्न साक्ष्यों की उपस्थिति व दूरी भी अंकित की जाये।
5. अनुसंधान अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर यथासम्भव मौके से अतिशीघ्र साक्ष्य जप्त करे तथा यदि मौके से **कोई सैम्पल जप्त करना है** तो निर्धारित विधिक प्रक्रिया को अपनाकर ही सैम्पल लेवें।

RAJASTHAN POLICE

6. गंभीर प्रकृति के अपराध यथा हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, नकबजनी आदि से सम्बन्धित अपराधों के घटनास्थल का **निरीक्षण घटनास्थल के साथ आस–पास के क्षेत्र का भी किया जावे**, जिससे सम्पूर्ण तथ्य सामने आ सके और प्रकरण का खुलासा सम्भव हो सके। साथ ही ऐसी घटनाओं के घटनास्थल के आस–पास का निरीक्षण कर लोगों से घटना की जानकारी लेकर **केस डायरी में** उल्लेख करें।
7. गंभीर प्रकृति के अपराध यथा हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, नकबजनी आदि के घटनास्थल का निरीक्षण कर यथासम्भव **मोबाईल कम्पनियों से डम्प डाटा** प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर प्रकरण को सफल बनाने का प्रयास किया जावे।
8. घटनास्थल के आस–पास के **सीसीटीवी कैमरों से फुटेज प्राप्त कर** अनुसंधान को सफल बनाया जावे। सीसीटीवी फुटेज जिस डीवीआर से प्राप्त किये गये हैं, उसके मालिक/संस्था से मालिकाना हक व अन्तर्गत **धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र** लेकर अनुसंधान में शामिल किया जावे। डीवीआर/सीडी को जब्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराकर नतीजा प्राप्त घटना की सत्यता की प्रमाणिकता का साक्ष्य सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र **पत्रांक व–15 (42) आ. एवं क/मोब/2008/13709 दिनांक 26.11.2007** (अनुलग्नक 06) में अपराध स्थल पर पहुचने के लिए दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।
10. अति० महानिदेशक पुलिस, (अपराध), राजस्थान, जयपुर के परिपत्र **पत्रांक CID/CB/PRC/ 06/2164–2211 दिनांक 14.06.06** (अनुलग्नक 07) द्वारा अज्ञात लाश के बारे में परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

मालखाना रजिस्टर व रोजनामचा आम में इन्द्राज

1. प्रकरणों के अनुसंधान के दौरान **महत्वपूर्ण जप्ती, गिरफ्तारी, प्रादर्श एफएसएल भेजने का रोजनामचा आम** में आवश्यक रूप से अंकन किया जाकर रोजनामचा आम की प्रतियाँ अन्वेषण पत्रावली में शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. जिन प्रकरणों में माल वजह सबूत जप्त किये गये हैं, ऐसे प्रकरणों का चालान न्यायालय में पेश करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि **जप्तशुदा माल का**

RAJASTHAN POLICE

जमा व निकासी का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में किया गया है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं मालखाना इंचार्ज को साक्ष्य में रखा जावे।

मेडिकल परीक्षण/ईलाज

1. परिवादी/आरोपी चोटग्रस्त हो तो **सर्वप्रथम उसे अविलम्ब अस्पताल** पहुँचाना सुनिश्चित करे, तत्पश्चात अग्रिम विधिक कार्यवाही की जावे।
2. अनुसंधान अधिकारी पीड़ित की चोटों का अवलोकन कर **समस्त चोटों का विवरण** मेडिकल ज्यूरिस्ट को जारी पत्र में करे। पीड़ित महिला/बच्चा/बच्ची होने पर **ऐसे पीड़ित का मुआयना महिला** पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. पीड़ित का मेडिकल/ईलाज कराने हेतु मेडिकल ज्यूरिस्ट/मेडिकल ऑफिसर को जारी तहरीर को **सूची दस्तावेज में शामिल** किया जावे।
4. पीड़ित की चोटों का एक्सरे/अन्य परीक्षण जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा सुझाये गये है, उनकी **राय प्राप्त कर** अनुसंधान में शामिल किया जावे।
5. पीड़ित का मेडिकल रिपोर्ट/एक्सरे रिपोर्ट/एक्सरे प्लेट/अन्य राय पीड़ित की मेडिकल राय जो भी प्राप्त की गई है, उन समस्त को निस्तारण के बाद न्यायालय में पेश साक्ष्य सूची दस्तावेज में शामिल किया जावे। अति० महानिदेशक (अपराध), राज०, जयपुर के परिपत्र व. **15|प|| 07/अशा/विधि/2000/5307–50 दिनांक 29.11.2000 परिपत्र सं–17/2000** (अनुलग्नक 08) में दिये गये निर्देशों के अनुरूप एक्सरे प्लेट, दस्तावेजों की सूची में व डा० का नाम व गवाहान के नाम की सूची में रखने बाबत् दिये गये निर्देशों की पालना करें। पीड़ित का मेडिकल रिपोर्ट/एक्सरे रिपोर्ट/एक्सरे प्लेट/अन्य राय जिन–जिन चिकित्सकों ने दी है, उन सबके नाम व पदनान तथा पूर्ण निवास पता सहित साक्ष्य सूची में रखा जावे।
6. चालान/एफआर न्यायालय में प्रस्तुत करते समय पीड़ित की **मेडिकल रिपोर्ट/एक्सरे रिपोर्ट/अन्य राय को चालान/एफआर** के साथ आवश्यक रूप से शामिल किया जावे।

RAJASTHAN POLICE

दस्तावेजात परीक्षण

1. अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में जो भी दस्तावेजात प्राप्त किये हैं उनको पत्रावली में **शामिल करने का नोट** अंकित किया जावे।
2. अनुसंधान अधिकारी ने जिस व्यक्ति से मूल दस्तावेजात प्राप्त किये गये है, **उनको उसकी सत्यप्रति उपलब्ध** कराकर फर्द की प्रति देने का उल्लेख फर्द तथा केस डायरी दोनों में करें।
3. प्रकरणों के अनुसंधान के दौरान जिन-जिन प्रेषित पत्रों से दस्तावेज प्राप्त किये हैं और जिन-जिन प्राप्त पत्रों से सम्बन्धित कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त हुये हैं, उन **समस्त पत्रों को भी सूची दस्तावेजात** में रखा जाना चाहिए एवं सम्बन्धित प्रेषक को सूची गवाहान में रखें, ताकि अनुसंधान की कड़ी ना टूटे।
4. अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी द्वारा जो भी दस्तावेजात एफएसएल भेजे जाते हैं, उनकी **एक सत्यापित प्रति पत्रावली** के साथ रखे।
5. अग्रेषण पत्र में **एफएसएल परीक्षण कराकर प्राप्त की जाने वाली राय** का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
6. अनुसंधान अधिकारी द्वारा एफएसएल परीक्षण कराने हेतु पुलिस अधीक्षक को जारी प्रेषित पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा एफएसएल निदेशक को जारी अग्रेषण पत्र को **साक्ष्य दस्तावेजात** में रखा जावे अर्थात दस्तावेजात के निरन्तरता (Chain of Document) को पूर्ण किया जावे।
7. **एफएसएल से प्राप्त नतीजा व दस्तावेजात की 01 फोटोप्रति थाने पर एफएसएल नतीजा पत्रावली** में सुरक्षित रखी जावे। प्रायः यह देखने में आ रहा कि एफएसएल से प्राप्त नतीजा/दस्तावेज का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं रहता है।
8. एफएसएल भेजे गये सैंपल/दस्तावेजात के कितने नतीजे शेष हैं और एफएसएल से प्राप्त नतीजे सम्बन्धित न्यायालय में कब भेजे गये, इस सम्बन्ध में **थाना स्तर/सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण** हेतु एक पत्रावली संधारित की जावे, जिसमें न्यायालय से एफएसएल रिपोर्ट जमा होने की रसीद/प्राप्ति ली जावे।
9. एफएसएल से प्राप्त नतीजा व दस्तावेजात को सम्बन्धित न्यायालय/पत्रावली में सलंग्न करने का केस डायरी/अपराध रजिस्टर में उल्लेख किया जावे।
10. **दस्तावेजात के निरन्तरता (Chain of Document)** के जारी करने वाले अधिकारियों को साक्ष्य सूची में रखा जावे।

RAJASTHAN POLICE

11. एफएराएल में भेजे गये सैंपल/दस्तावेजात की रिपोर्ट समय पर मंगवाया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यक होने पर जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अर्द्धशासकीय पत्र जारी करवाया जावे।

12. अनुसंधान अधिकारी द्वारा विवादित दस्तावेजात जिनका परीक्षण एफएसएल से कराया जाना है, उन व्यक्तियों के विवादरहित हस्ताक्षर व नमूना हस्ताक्षर लिये जाते हैं। **विवाद रहित हस्ताक्षर/दस्तावेजात फर्द जप्ती बनाकर ही रिकार्ड पर लेने चाहिए।** विवादरहित हस्ताक्षर व नमूना हस्ताक्षर जिस राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में लिये गये हैं, उनको साक्ष्य सूची में रखा जावे।

13. अति0 महानिदेशक पुलिस, (अपराध), राजस्थान, जयपुर के परिपत्र पत्रांक **स–9()अप/अन्वे./अजमेर रैंज/19/18796–843 दिनांक 01.10.19** (अनुलग्नक 09) परिपत्र में दिये गये एफएसएल संबंधी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

प्रक्रियात्मक अनुसंधान (Procedural Investgation)

1. अनुसंधान अधिकारी जिस प्रकृति का अपराध है, उससे सम्बन्धित **विशेषज्ञ/विशेष टीम का गठन** कराकर प्रकरण के निस्तारण से पूर्व उनकी राय लेवें। जैसे गबन, साइबर अपराध, शेयर सम्बन्धी प्रकरण, क्रिप्टोकरेन्सी, भूमि (रेवेन्यू) सम्बन्धी प्रकरण 90A/B, भूमि पट्टा इत्यादि प्रकियात्मक प्रक्रिया को अनुसंधान में शामिल किया जावे।

2. बैंकिंग, सरकारी कार्यालय या विभाग जिसमें हुये गबन/अनियमितता/घोटाला आदि सम्बन्धित प्रकरणों को **उनके कार्यालयों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में उनके विभाग अध्यक्ष से टीम का गठन** कराकर जाँच करवाई जावे, प्रक्रियात्मक बयान लिये जावे व तत्पश्चात् प्रकरण में नतीजा दिया जावे।

3. यथासम्भव उक्त गठित विशेष टीम का विजिट/राय मौके पर **भौतिक रूप** से ली जावे।

मुल्जिम की गिरफ्तारी

1. जिन अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्तगी की जानी है, उनके हुलिये का विवरण केस डायरी में अंकित नहीं किया जावे तथा अभियुक्त को बापर्दा रखा गया है, उसका **नोट केस डायरी में अवश्य अंकित** किया जावे।

RAJASTHAN POLICE

2. गिरफ्तार किये गये आरोपीगण के **विधिक अधिकारों** की पालना करते हुये उनके परिजनों को सूचित करते हुए, मेडिकल कराया जावे और उनकी फर्द गिरफ्तारी बनाते समय **शरीर पर मौजूद चोटों का पूर्ण विवरण** अंकित किया जावे।

3. अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर शिनाख्त कार्यवाही तुरन्त करवाई जानी चाहिए ताकि अभियुक्त को लाभ नहीं मिल सके।

4. अति0 महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान जयपुर के परिपत्र **पत्रांक स 3(4) सीआईडी (सीबी) सम्पर्क/2004/1202–50 दिनांक 03.09.2004** (अनुलग्नक 10) पूछताछ नोट संबंधी दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

सीडीआर/फोटोग्राफी/विडियोग्राफी/सीडी का विश्लेषण

1. सीडीआर सेवा प्रदाता मोबाईल कम्पनी के सक्षम अधिकारी से **धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र** प्राप्त कर अनुसंधान में शामिल किया जावे।

2. प्रकरण में मोबाईल नम्बर के **धारक व प्रयोगकर्ता अलग–अलग** हों तो मोबाईल धारक के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये जावे तथा मोबाईल नम्बर का **मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी से कैफ** प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जावे व साक्ष्य में रखा जावें।

3. प्रकरण के अनुसंधान के दौरान ली गई समस्त सीडीआर/डम्प डाटा का एक विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए कि अनुसंधान के दौरान सीडीआर/डम्प डाटा के सहयोग से क्या निष्कर्ष निकाला गया है और इसका विस्तृत विवरण केस डायरी में अंकित किया जाना चाहिए। साथ ही केवल उसी सीडीआर/डम्प डाटा को पत्रावली पर प्रिंट कर लिया जाना चाहिए, जो प्रकरण के अनुसंधान में साक्ष्य के रूप में जरूरी हो, ना कि संपूर्ण सीडीआर/डम्प डाटा का प्रिंट लेकर उसे पत्रावली में लगा लेना। परंतु यह संपूर्ण सीडीआर/डम्प डाटा, जिसके संबंध में धारा 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, को सीडी में कापी कर पत्रावली में व सूची साक्ष्य में अवश्य शामिल करना चाहिए। इस प्रवृति से अनुसंधान में सीडीआर/डम्प डाटा से साक्ष्य संकलन व विश्लेषण उपयुक्त तरीके से नहीं होता व न्यायालय द्वारा भी इसे उपयुक्त नहीं माना जाता।

RAJASTHAN POLICE

चालान/एफआर प्रतिवेदन

1. चालान/एफआर प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण के अपराध के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया जावे। चालान/एफआर के प्रथम पार्ट में एफआईआर का विवेचन, दूसरे पार्ट में अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया गया समग्र अनुसंधान तथा तृतीय/अन्तिम पार्ट में नतीजा का विस्तृत विवेचन किया जावे, जिसमें अपराध किन-किन धाराओं में व किन-किन आरोपीगण के विरूद्ध माना या नहीं माना है एवं गंभीर अपराधों में घटना की कड़ियों को जोड़ते हुये विवरण दिया जाना चाहिए। उक्त तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख चालान/एफआर में किया जावे।
2. **अति0 महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान, जयपुर क्रमांक 2787-847 दिनांक 27.02.19** (अनुलग्नक 11) के द्वारा प्रकरणों के अन्वेषण, न्यायालय में चालान प्रस्तुतिकरण व अग्रिम अनुसंधान हेतु दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
3. **अति0 महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान जयपुर के परिपत्र पत्रांक र-9 ख (4) अप.शा./विधि/2014/2115/दिनांक 3.3.2014** (अनुलग्नक 12) के द्वारा धारा 173(8) जा.फौ. के अन्तर्गत अनुसंधान पेण्डिंग के सबंध में परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
4. **महानिदेशक पुलिस के स्थाई आदेश संख्या 19/2019 व पत्रांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/22399-470 दिनांक 23.12.2019** (अनुलग्नक 13) के द्वारा अनुसंधान कार्य एवं डायरी डायजेस्ट रजिस्टर का डिजिटाइजेशन एवं पत्रावली का सीसीटीएनएस में निस्तारण बाबत् दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
5. चालान/एफआर में अनुसंधान में **शामिल किये गये समस्त दस्तावेजात का स्पष्ट** उल्लेख करना चाहिए एवं मूल दस्तावेजात यदि चालान/एफआर के साथ पेश किये जा रहे हैं तो उनका उल्लेख किया जावें। समस्त मौखिक/दस्तावेज साक्ष्यों को शामिल करें एवं सूची दस्तावेज बनाई जाकर उनके सामने, कौन क्या साबित करेगा, का विवरण भी अंकित किया जाना चाहिए।
6. चालान/एफआर प्रोफार्मा को **नजदीकी सुपरविजन अधिकारी अर्थात ACP/CO** से अनुमोदन कराकर सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावे।

RAJASTHAN POLICE

7. पुलिस द्वारा जिन प्रकरणों में एफआर अदम वकू आमदन झूठ में दी जाती है, **ऐसे प्रकरणों में धारा 182/211 भा.द.सं. के इस्तगासे** न्यायालय में पेश किये जाकर उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग की जावे।

8. **राजस्थान सरकार अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर** के परिपत्र **पत्रांक 3–15 (11) स्था/विविध/अभि0/14657–87 दिनांक** 07.11.2002 (अनुलग्नक 14) में पुलिस ब्रीफ के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

9. अति0 महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर के परिपत्र **पत्रांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/परिपत्र/2019/7306–60 दिनांक** 03.04.2019 (अनुलग्नक 15) में अनुसंधान पत्रावली के निस्तारण सम्बन्धी दिये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

RAJASTHAN POLICE

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान

क्रमांक सीआईडी / सीबी / पीआरसी / 2019 / 20627-710 दि. 21.11.2019

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर एवं जोधपुर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी., राजस्थान।

विषय: न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के संबंध में।
संदर्भ: माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), अजमेर राजस्थान के पत्रांक 939 दिनांक 14.10.2019 के क्रम में।

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) अजमेर (राजस्थान) द्वारा जानकारी में लाया गया है कि "न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्रों में अंकित अभियोजन पक्ष के गवाहान की सूची में प्रत्येक गवाह के आगे औपचारिक गवाह शब्द अंकित कर दिया जाता है जिससे अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान सूची के अनुसार गवाहान तलब किए जाने हेतु गवाहान को विरचित आरोप के परिप्रेक्ष्य में केवल मात्र औपचारिक गवाहान होने के नाते अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहान की आवश्यकता नहीं होना मानते हुए उन्हें तर्क कर दिया जाता है या उन्हें आरोप के परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्वपूर्ण होना नहीं मानते हुए साक्ष्य बंद कर दी जाती है जिससे अभियुक्त का विचारण लम्बित ही रहता है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम के तहत त्वरित गति से विचारण कर दो माह में विचारण पूर्ण करने हेतु उल्लेखित किया गया है।" आदि

अतः निर्देश दिये जाते है कि पुलिस द्वारा किसी भी न्यायालय में चालान प्रस्तुत करते समय अभियोजन पक्ष के गवाहान की सूची में गवाहान की प्रकृति का उल्लेख करते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाए ताकि आरोप के परिप्रेक्ष्य में गवाहान की आवश्यकता होने अथवा नहीं होने के क्रम में तलब कर न्यायालय द्वारा उनको परीक्षित किया जा सके।

चालान प्रस्तुत करते समय उक्त निर्देश की पालना सुनिश्चित की जाए। चालान आदेश प्रदान करने वाला अधिकारी आदेश देने से पूर्व ड्राफ्ट चार्जशीट का अवलोकन करें। वृत्ताधिकारी भी चार्जशीट पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इस बिंदु की पालना की ओर विशेष ध्यान दें। उक्त क्रम में भविष्य में लापरवाही / निर्देशों की अवहेलना होने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाई अमल में लाई जाए।

21/11/19
(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है –

1. महानिदेशक पुलिस प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

21/11/19
अति. महानिदेशक पुलिस
अपराध शाखा,
राजस्थान

47

RAJASTHAN POLICE

76

21

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा राजस्थान

क्र.सं. प-15(40)राअअशा-03973/विधि/2019/ 16069-16143 दि. 11.11.2019

आदेश

पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरणों में अनुसन्धान कर निर्णय धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया जाता है जहाँ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का परीक्षण कर प्रकरण में फैसला दिया जाता है। जब भी किसी प्रकरण में न्यायालय के ध्यान में ऐसे बिन्दु आते हैं जो अन्वेषण / ट्रायल / अन्य विधिक कार्रवाई में त्रुटी / लापरवाही की ओर इंगित करते हैं, तो न्यायालय द्वारा ऐसे बिन्दु वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाए जाते हैं। ऐसे बिन्दुओं से सभी पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया जाकर संवेदनशील बनाना आवश्यक है जिससे ऐसी त्रुटियों / लापरवाही की पुनरावृति न हो। इससे आपराधिक प्रकरणों में अपराधियों को लाभ मिलने से रोका जा सकेगा और कालांतर में अपराधों के नियंत्रण में पुलिस बेहतर परिणाम अर्जित कर सकेगी।

न्यायालय द्वारा पुलिस विभाग के ध्यान में लाए गए बिन्दुओं, जिन पर पुलिस द्वारा सुधार अपेक्षित है, के संग्रहण एवं प्रकाशन के लिए अपराध शाखा के विधि प्रकोष्ट में निम्न नवीन व्यवस्था लागू की जाती है

1. न्यायालय से प्राप्त समस्त निर्णय / आक्षेप की समीक्षा एवं अग्रिम कार्रवाई के लिए विधि प्रकोष्ट में पृथक इकाई का गठन किया जाएगा। इस इकाई का नाम विश्लेषण इकाई (विधि प्रकोष्ठ) होगा।
2. विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त समस्त पत्र / निर्णय / आक्षेप आदि, जिन पर विभाग द्वारा परीक्षण कर अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित है, को इस इकाई द्वारा सन्धारित किया जाएगा।
3. न्यायालय से प्राप्त पत्रों को पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा न्यायालय द्वारा अंकित टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर लिया जाएगा एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु सक्षम स्तर से निर्देश प्राप्त किए जाएंगे।
4. अपराध शाखा द्वारा उक्तानुसार निर्देश जारी किए जाने पर उनकी पालना का पर्यवेक्षण भी इस इकाई द्वारा किया जाएगा।
5. न्यायालय से प्राप्त समस्त पत्र / निर्णय / आक्षेप जिनमें परि...

RAJASTHAN POLICE

जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जिनके कारण आपराधिक प्रकरणों की ट्रायल में आरोपी को लाभ मिला अथवा जो पुलिस कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों। यह मासिक प्रकाशन माह दिसम्बर, 2019 से आरम्भ किया जाएगा जिसमें माह नवम्बर, 2019 में प्राप्त समस्त ऐसी सूचनाएं शामिल की जाएंगी।

6. उक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्रोत से विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश / निर्देश / निर्णय, जो पुलिस अनुसन्धान / कार्यप्रणाली से सम्बन्धित है तथा जिनसे सभी जिला / ईकाइयों को अवगत कराना आवश्यक है, को भी इस मासिक प्रकाशन में सम्मिलित किया जाएगा।
7. इकाई द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित ऐसे समस्त बिन्दुओं को शीर्षक-वार संकलित कर एक वार्षिक संग्रह का रूप देकर भी प्रकाशित किया जाएगा। गत वर्ष के समस्त ऐसे बिन्दुओं के संकलन एवं प्रकाशन का यह कार्य प्रत्येक नव-वर्ष में माह जनवरी में पूर्ण किया जाएगा। यह प्रक्रिया माह जनवरी, 2020 से आरम्भ की जाएगी जिसमें वर्ष 2019 में प्राप्त समस्त ऐसी सूचनाएं शामिल की जाएंगी।

आशा है इस इकाई द्वारा संकलित महत्वपूर्ण बिन्दु राजस्थान पुलिस के समस्त पुलिसकर्मियों को पुलिस अनुसन्धान एवं कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार प्राप्त करने में लाभदायक सिद्ध होंगे। इससे पुलिस कार्यों में, विशेष रूप से ऐसे कार्य जिनमें न्यायिक समीक्षा की जाती है, सफलता की दर बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

11/11/19

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित है –

1. महानिदेशक पुलिस प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।

निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है –

3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक / उप-महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. उप-महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को सूचित करने हेतु।

RAJASTHAN POLICE

अति-आवश्यक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक : 4899 दिनांक :- 18.10.19

परिपत्र

विषयः— पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में पुलिस कर्मियों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में।

प्रायः यह देखने में आया है गत वर्षों में पुलिस थानों में विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने में शिथिलता अपनाई जा रही है। थानों में मुल्जिम से अनुसंधान के दौरान लापरवाहीपूर्वक पूछताछ तथा संदिग्ध व्यक्तियों को अनावश्यक बिना कानूनी कार्यवाही रोकने के कुछ प्रकरण राज्य स्तर पर उजागर हुए हैं। साथ ही यह भी पाया है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के समय माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जारी डी.के. बसु गाईड लाईन की पूर्ण पालना भी नहीं की जाती है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु तथा महिलाओं के साथ संवेदनहीनतापूर्वक व्यवहार यदाकदा पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसी घटनाऐं पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों की लापरवाही के कारण घटित होती है। पुलिस अभिरक्षा के दौरान यातना देना पूर्णतः गैर-कानूनी एवं अनुचित है। अतः पुलिस हिरासत में लिये गये व्यक्तियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों द्वारा आरोपी व्यक्ति के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए साथ ही पुलिस थानों में महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों के अलावा महिला को रात्रि में थाने में नहीं रखा जावे। महिला आरोपी से पूछताछ, महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ही की जावे एवं महिलाओं के साथ सद्व्यवहार किया जावे। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जावे।

अतः भविष्य में आरोपी को गिरफ्तार करते समय पुलिस कर्मियों द्वारा निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जावें ताकि पुलिस हिरासत में होने वाली अवांछित घटनाओं से बचा जा सके:—

53

RAJASTHAN POLICE

1. गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य यदि कमजोर है यथा हृदय रोगी, मानसिक बीमारी अथवा अत्यधिक शराब या अन्य नशे का सेवन किया हुआ पाया जावे तो तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जावे।

2. पुलिस हिरासत से संबंधित घटनाओं में यह देखने में आया है कि आरोपी व्यक्ति जो पूर्व में भी आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं तो उनकी आत्महत्या संबंधी रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए विशेष निगरानी रखें एवं तत्काल अस्पताल भिजवाकर जांच करवायी जावे। यदि कोई आरोपी व्यक्ति विभिन्न बिमारियों जैसे:– डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मिर्गी, अत्यधिक तनावग्रस्त हो तो तत्काल उसका ईलाज कराया जावे तथा बाद पूछताछ न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जावे।

3. गिरफ्तार करते समय व्यक्ति/आरोपी के पहने हुए कपडों यथा लूंगी पायजामा एवं साड़ी की सघन जामा तलाशी ली जावे ताकि उसके पास पाई जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री जैसे– ब्लेड, जहर, रस्सी, इंजेक्शन, टेबलेट, कांच का टूकड़ा, बोतल, नुकीले तार, वगैरा को तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लिया जा सके क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल करके व्यक्ति/आरोपी पुलिस अभिरक्षा/हवालात में आत्महत्या/अपने आप को घायल कर सकता है। पुलिस अभिरक्षा में आते ही सर्वप्रथम पुलिस को संदिग्ध की तलाशी आवश्यक रूप से लेनी चाहिए।

4. हवालात में बंद आरोपी एवं पूछताछ हेतु थाने पर लाये गये व्यक्ति की संतरी एवं संबंधित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सतर्कता के साथ निगरानी की जावे। यह भी ध्यान रखा जावे कि पूछताछ कक्ष में भी कांच की वस्तुएं, कैंची, सूआ व रस्सी इत्यादि न हों एवं पूछताछ कक्ष की खिड़कियों के कांच को भी तोड़कर आत्महत्या के प्रकरण हुए हैं, ऐसी घटनाओं से बचा जावे।

5. मुल्जिम को हवालात में बंद करते समय संतरी द्वारा लगातार आरोपी की हरकतों पर निगरानी रखी जावे। संदिग्ध गतिविधियां पाये जाने पर तत्काल थानाधिकारी, ड्यूटी ऑफिसर, थाना एच.एम को अवगत करवाया जावे ताकि हवालात में बंद व्यक्ति कम्बल या पहने हुए अन्तः वस्त्रों से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या न कर ले।

RAJASTHAN POLICE

6. गिरफ्तार व्यक्ति को शौचालय ले जाने से पूर्व संतरी/संबंधित पुलिस कर्मियों द्वारा शौचालय की सघन तलाशी लेनी चाहिए ताकि आपत्तिजनक वस्तुऐं (ब्लेड, नुकीली चीजें इत्यादि) जो पूर्व में छिपाकर रखी गई हो, को हटाया जा सके ताकि गिरफ्तार व्यक्ति शौचालय के अंदर आत्म हत्या न कर ले। साथ ही शौचालय का दरवाजा भी आरोपी व्यक्ति बंद (कुंडी) ना करें, यह भी सुनिश्चित करें। आरोपी व्यक्ति को शौचालय जाने के पश्चात हवालात में बंद करते समय भी उसकी पुनः तलाशी ली जावे।

7. हाल ही के कुछ प्रकरणों/घटनाओं में यह भी देखने में आया है कि आम जनता द्वारा किसी आरोपी/व्यक्ति के साथ मारपीट करने पर पुलिसकर्मी घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय न ले जाकर सीधे ही पुलिस थाने ले आते हैं जिससे घायल व्यक्ति के शरीर पर आई अन्दरूनी एवं बाहरी चोटों के संबंध में जानकारी के अभाव में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। भविष्य में ऐसी घटनाओं में घायल व्यक्ति/आरोपी को तुरंत ईलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया जावे।

8. पुलिस अधिकारियों/कर्मियों द्वारा आरोपी से पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का प्रयोग ना करके वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की जावे ताकि पुलिस हिरासत के दौरान होने वाली घटनाओं (पुलिस हिरासत में मृत्यु, बलात्कार, यातना) से बचा जा सके।

9. आरोपी से पूछताछ संबंधित अनुसंधान अधिकारी या जिम्मेदार पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जावे। अधिनस्थ पुलिस कर्मियों के भरोसे ना छोड़ा जावे। इस संबंध में थानों पर संधारित रजिस्टर का अद्यतन उचित तरीके से होवें, एवं इस रजिस्टर की नियमित चैकिंग पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा किया जावे।

10. गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे के अंतराल में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जावे। आवश्यकता होने पर ही रिमाण्ड पर लेवें।

11. किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मामले के अवैध हिरासत में थाना परिसर/चौकी में नहीं रखा जावे और पूछताछ बाबत नोट का इन्द्राज रोजनामचाआम (दैनिक डायरी) में किया जावे।

RAJASTHAN POLICE

12. यदि किसी व्यक्ति को थाने में पूछताछ हेतु लाया जाता है तो थाने पर लाने व थाने से रवाना करने एवं जिस व्यक्ति के साथ रवाना किया है उसका समय एवं दिनांक का इन्द्राज दैनिक डायरी में किया जावे।

13. सफाई कर्मचारी जब भी हवालात की सफाई करने हवालात के अंदर जावे तो उसकी भी तलाशी अंदर जाते समय व बाहर निकलते समय ली जावे।

14. गिरफ्तार व्यक्ति को खाद्य सामग्री, चाय-पानी संतरी की मौजूदगी में ही दिया जावे।

15. अभियुक्त को पुलिस हवालात से आवश्यकता होने पर गार्ड इंचार्ज की मौजूदगी में ही बाहर निकाला जावे।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण/प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान मय निदेशक आर.पी.ए., जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी, अजमेर/जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

RAJASTHAN POLICE

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।

(1)

क्रमांक :– पु0अ0/म0अ0/ /19/10301-65 दिनांक 13-8-19

परिपत्र

विषय :– स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट फोर काईम अगेन्स्ट वूमेन (SIUCAW) के कार्य विवरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं उनके पर्यवेक्षण हेतु [redacted]/आयुक्तालय स्तर अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर में कार्यरत पुलिस सहायता परामर्श केन्द्र पर पदस्थापित [redacted] (SIUCAW) [redacted] जिनके अधीन एस0आई0यू0सी0ए0डब्ल्यू0, एसजेपीयू, सेल फोर सीनियर सिटीजन, एएचटी प्रकोष्ठ कार्य करेंगे।

इसी तरह [redacted]ल इन्वेस्टीगेशन यूनिट क्राईम अगेन्सट वूमेन के प्रभारी अधिकारी होंगे जिनके अधीन महिला थाना, एसजेपीयू, सेल फोर सीनियर सिटीजन एवं एएचटी प्रकोष्ठ कार्य करेंगे।

उपरोक्त प्रकोष्ठों का कार्य विवरण निम्न प्रकार होगा :–

[redacted]

- महिला संबंधी गंभीर अपराध यथा गैंगरेप, बलात्कार, दहेज हत्या, दहेज आत्महत्या को दुष्प्रेरण, सोशल मीडिया पर धमकाकर कोई अपराध कारित करना, छेड़छाड़ का गंभीर प्रकृति का अपराध, महिलाओं के संबंध में साइबर अपराध का पर्यवेक्षण।
- पोक्सो के गंभीरतम (धारा 376ए, 376 एबी) अपराधों का अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण करना।
- एफआर की सूरत में पोक्सो एवं गैंग रेप के चर्चित प्रकरणों का पर्यवेक्षण।
- महिला थाना का पर्यवेक्षण।

[redacted] (विशेष किशोर पुलिस इकाई) का जिला स्तर पर एस0आई0यू0सी0ए0डब्ल्यू के प्रभारी अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जिनका कार्य निम्नानुसार है :–

- प्रत्येक थाने में कार्यरत बाल कल्याण अधिकारी (एएसआई स्तर का अधिकारी) नियुक्त है। जो जिला नोडल अधिकारी को पाक्षिक/मासिक सूचना प्रेषित करेंगे।
- विधि से संघर्षरत, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तथा पीड़ित बच्चों के उपचार, विकास एवं पुर्नवास संबंधी कार्य का संपादन अपने पर्यवेक्षण में संपादित करायेंगे।

57

RAJASTHAN POLICE

* बच्चों के माध्यम से मादक पदार्थों के क्रय–विक्रय, उनके द्वारा परिवहन, भीक्षावृति के कार्य को रोकने के लिए अपने पर्यवेक्षण में कार्य संपादित करायेंगे।

सीनियर सिटीजन सैल :– उक्त सैल का जिला नोडल अधिकारी एसआईयूसीएडब्लू में पदस्थापित उप निरीक्षक होगा।

* थाना स्तर पर महिला परामर्श डेस्क/बाल कल्याण अधिकारी डेस्क में नियुक्त सहायक उप निरीक्षक को थाना स्तर का इस सैल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
* वरिष्ठ नागरिकों के परिवाद् व समस्याओं पर स्थानीय पुलिस संज्ञान में लाकर उनका त्वरित निस्तारण करायेंगे।
* वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक पुलिसिंग, गैर सरकारी संगठनों व अन्य कल्याण समुहों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे।
* सीनियर सिटीजन के लिए बताये गये आश्रयों स्थलों में जाकर उनकी देखभाल करना एवं उनकी समस्याओं का पता लगाकर उनके निस्तारण हेतु उचित कदम उठाने का कार्य करेंगे।

एएचटीयू – (एन्टी ह्यूमन ट्रेफीकिंग) :– उक्त सैल का प्रभारी अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक है। जो एसआईयूसीएडब्लू के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

* मानव तस्करी रोकने एवं गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश कर पुनर्वास करना।
* बाल मजदूरी व बालश्रम को रोकना व उन संस्थानों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करना।

सामान्य निर्देश :–

* महिलाओं से महिला उत्पीड़न के संबंध में आने वाले गंभीर अपराध यथा गैंगरेप व दहेज हत्या का अनुसंधान भी एसआईसीएडब्लू प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा किया जावेगा।
* एसआईसीएडब्लू प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों को जिले में कानून व्यवस्था ड्यूटी में विशेष परिस्थितियों में ही कम से कम नियोजित करेंगे।
* प्रकोष्ठ में पदस्थापित कार्मिकों को सामान्य प्रकृति के प्रकरणों का अनुसंधान नही दिया जावें।
* पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला अत्याचार प्रकरणों की डाइरेक्ट पर्यवेक्षण व पर्यवेक्षणीय नोट जारी करने की सैल कार्यरत है। जिसका पर्यवेक्षण भी एसआईसीएडब्लू प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

RAJASTHAN POLICE

- महिला अत्याचार के ऐसे प्रकरण जो केस आफीसर स्कीम में लिये गये हैं। ऐसे प्रकरणों का पर्यवेक्षण न्यायिक निर्णय तक एसआईसीएडब्लू प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा किया जावेगा।
- महिला अत्याचार के ऐसे प्रकरण जिसमें पीडित प्रतिकर स्कीम 2015 के तहत पीडिता को सहायता राशि उपलब्ध कराने में पुलिस कार्य का पर्यवेक्षण एसआईसीएडब्लू प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा किया जावेगा।
- महिला उत्पीडन के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी विभिन्न योजनाएँ यथा छात्रा आत्मरक्षा कौशल योजना, महिला हैल्पलाईन, व्हाटसप, राजकॉप सिटीजन एप, केवाईएस-केवाईपी, महिला एंव बाल डेस्क का पर्यवेक्षण भी एसआईसीएडब्लू प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा किया जावेगा।
- महिला अत्याचार के गंभीर प्रवृति के अपराध जिनका निस्तारण निर्धारित दो माह में नहीं किया जा रहा है तो उक्त प्रकरण की पत्रावली में एसआईसीएडब्लू प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा अपने टिप्पणी अंकित कर पत्रावली पेण्डिग स्वीकृति हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राईट्स राजस्थान जयपुर के कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान मय जीआरपी एवं पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जीआरपी एवं समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

59

52 140

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।।

क्रमांक- CID/CB/PRC/2019/परिपत्र/10827-902 दिनांक 29.05.2019

परिपत्र

विषयः– जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से एफ.आई.आर. दर्ज करने की सुविधा।

पुलिस थाने पर संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 (1) के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़ कर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करना आवश्यक है। पुलिस थाने द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने की स्थिति में यदि पीड़ित द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक से प्रकरण दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (3) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज करा अनुसंधान के निर्देश देता है।

गत कुछ समय से संज्ञेय अपराधों के निर्बाध पंजीकरण हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इनके बाद भी नागरिकगण को पंजीकरण में बाधा आने के प्रकरण जानकारी में आते रहे हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि थाने पर प्रकरण दर्ज न किये जाने की स्थिति में जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए।

इन निर्देशों की पालना के लिये निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

1. जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले से थाने द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं करने के तथ्य की पुष्टि की जाएगी।
2. परिवादी द्वारा उक्त तथ्य की पुष्टि करने पर जिला पुलिस कार्यालय से प्रकरण के संबंध में CCTNS में प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) की एंट्री की जाएगी।
3. इस कार्य हेतु जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में तीन–चार अधिकृत पुलिस अधिकारियों की आई.डी. (I.D.) का उपयोग किया जाएगा।

RAJASTHAN POLICE

53 (385)

4. जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा CCTNS पर एंट्री की गई एफ.आई.आर. से थानाधिकारी को अवगत कराया जाएगा तथा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दूरभाष तथा ई–मेल से प्रदान किये जाएंगे। मूल रिपोर्ट को स्कैन (Scan) कर एफ.आई.आर. में अटैच किया जाएगा। मूल रिपोर्ट को तत्काल थाने पर भी भेजा जाएगा।

5. थाना इंचार्ज तत्काल अनुसंधानधिकारी की नियुक्ति कर CCTNS पर प्रस्तुत (submit) करेगा ताकि एफ.आई.आर. संख्या प्राप्त हो सके। यदि उस घटना पर पूर्व से प्रकरण पंजीबद्ध है तो वह जिला पुलिस अधीक्षक को प्रकरण संख्या सहित तत्काल सूचना प्रेषित करेगा।

6. थाना इंचार्ज प्रकरण पंजीबद्ध करने की सूचना व एफ.आई.आर. संख्या 3 घन्टे के भीतर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दूरभाष व ई–मेल द्वारा प्रेषित करेगा।

7. जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ऐसे समस्त प्रकरणों के संबंध में रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें थाने से एफ.आई.आर. संख्या प्राप्त होते ही अंकित की जाएगी। रजिस्टर निम्नलिखित प्रारूप में संधारित होगा:–

क्र.सं.	प्राप्ति दिनांक	परिवादी का नाम	नाम थाना	प्रकरण संख्या	धारा

8. प्रातः कालीन रिपोर्ट में ऐसे समस्त प्रकरणों के संबंध में टिप्पणी अंकित की जाएगी कि यह जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त एफ.आई.आर. पर पंजीबद्ध किया गया है।

9. प्रातः कालीन रिपोर्ट में यह प्रमाण–पत्र अंकित किया जाएगा कि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पंजीकरण हेतु प्राप्त एफ.आई.आर. पंजीबद्ध कर ली गई हैं।

10. जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रकरण पंजीबद्ध होने के तथ्य की प्रतिदिन पुष्टि की जाएगी।

RAJASTHAN POLICE

11. CCTNS में कस्टमाईजेशन (Customization) कर नोटिफकेशन तथा दैनिक रिपोर्ट बनाने की सुविधा प्रारम्भ की जाएगी। उसके उपरांत रजिस्टर रखने तथा प्रातः कालीन रिपोर्ट संबंधी कार्यों की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

12. थाने द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करने के प्रत्येक मामले की जाँच की जाएगी तथा सच पाया जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

13. इन निर्देशों की सख्ती से पालना की जाए।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग को उनके पत्र क्रमांक प.9(18)गृह–5/2019 दिनांक 17.05.2019 के क्रम में सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस, एस.टी.एस. एवं एस.ओ.जी., प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर, राजस्थान पुलिस।
5. रक्षित पत्रावली।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा
राजस्थान

क्र.सं. 9971-10011 दि. 14 मई 2019

परिपत्र

विषय: धारा 161 दं.प्र.सं. में मौखिक साक्ष्यों की video recording के संबंध में।

पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरणों में FIR दर्ज होने के पश्चात विभिन्न साक्ष्य एकत्रित की जाती हैं, जिनके आधार पर अनुसंधान की नतीजा रिपोर्ट सक्षम न्यायालय में धारा 173 दं.प्र.सं. के अंतर्गत पेश की जाती है। किसी भी प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा एकत्रित साक्ष्य विधिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है जो प्रकरण में निर्णय लेने का आधार बनती है। धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अनुसंधान अधिकारी द्वारा मौखिक साक्ष्य एकत्रित करने की व्यवस्था दी गयी है। वर्ष 2009 में संशोधन कर इस प्रक्रिया को audio-video साधन से [illegible] करने हेतु अनुसंधान अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

यह अनुभव किया गया है कि महत्वपूर्ण प्रकरणों में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मौखिक साक्ष्य की video-recording करने से ऐसी साक्ष्य की विश्वसनीयता अधिक रहती है तथा साक्षी के ट्रायल के दौरान बयान बदलने की संभावना भी कम रहती है। ऐसा करने से अनुसंधान अधिकारी पुलिस पर मौखिक साक्ष्य अपूर्ण रूप से अंकित करने अथवा दूषित करने के आरोपों से भी बच सकता है। यदि किसी प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा पूर्व में रिकॉर्ड की गयी मौखिक साक्ष्य की recording से सत्यापन आसानी से किया जा सकता है तथा साक्षी द्वारा अपने कथन बदलने पर पूर्व की recording से मिलान भी आसानी से किया जा सकता है।

अतः मौखिक साक्ष्य की video-recording के संबंध में निम्न निर्देश दिए जाते हैं -

1. जिन अधिनियमों में विधि द्वारा पीड़ित/ साक्षी के कथनों की video-recording करना अनिवार्य किया गया है (उदाहरणार्थ POCSO Act, SC-ST Act), उनके अनुसंधान में इसकी पालना आवश्यक रूप से की जाए।

RAJASTHAN POLICE

2. महत्वपूर्ण एवं गंभीर अपराधों में, विशेष रूप से हत्या, हत्या का प्रयास, गंभीर मारपीट, बलात्कार, महिलाओं से सम्बंधित अपराध, राज्य-कर्मी से मारपीट/ सरकारी संपति को नुकसान के प्रकरणों में पीड़ित एवं मुख्य/ चश्मदीद गवाहों के कथनों की video-recording अनिवार्यतः की जाए।

3. जब भी किसी प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन होता है तो नवनियुक्त अनुसंधान अधिकारी समस्त गवाहों के कथनों की video-recording आवश्यक रूप से की जाए। यदि पूर्व में भी कुछ/ सभी गवाहों के कथनों की video-recording की गयी है, तो भी यह कार्य पुनः कराया जाए तथा पूर्व के कथनों की video-recording से समानता/ भिन्नता के संबंध में पत्रावली में नोट अंकित किया जाए।

4. समस्त video-recording को, mobile phone अथवा camera जिस भी माध्यम से रिकॉर्ड किया गया है, तत्काल थाने के कम्प्यूटर में download कर save किया जाये तथा उसकी 2 copies CD/ DVD में बनाकर, एक प्रति मूल पत्रावली में रखी जाए तथा एक प्रति वृत्त कार्यालय में प्रेषित की जाए। S.R. प्रकरणों में एक प्रति पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी प्रेषित की जाए।

5. इन video-recording की CD/ DVD को सुरक्षित रखा जाए। भविष्य में CCTNS में अनुसंधान module में इन recordings को upload करने की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।

6. बयानों की video-recording की files के filename एवं storage के सम्बन्ध में निम्न pattern की पालना की जाए जिससे files ढूंढने में आसानी रहे -

   a. बयानों की video-recording की files को store थानाधिकारी के कक्ष में संचालित कम्प्यूटर में ही किया जाए तथा इस कम्प्यूटर का access केवल थानाधिकारी एवं 1-2 मुख्य कम्प्यूटर ऑपरेटर के पास ही हो।

   b. कम्प्यूटर में प्रत्येक वर्ष का एक folder सन्धारित किया जाए जिसका folder name वर्ष संख्या होगा। उदाहरणार्थ वर्ष 2019 के प्रकरणों के लिए इस folder का नाम 2019 होगा।

   c. उक्त folder में प्रत्येक प्रकरण का एक पृथक folder होगा जिसका folder name 4 अंकों का प्रकरण संख्या होगा। उदाहरणार्थ प्रकरण संख्या 01/2019 ले लिए बनाए गए folder का नाम 0001 होगा।

   d. उक्त folder में उस प्रकरण से सम्बन्धित प्रत्येक गवाह, जिसके बयानों की video-recording की गई है, की files पृथक-पृथक store की जाएगी। प्रत्येक video-recording file का filename उस गवाह का नाम होगा जिसका बयान रिकॉर्ड किया गया है, जिसके साथ "-" लगाकर प्रकरण संख्या एवं पुनः "-"

लगाकर वर्ष संख्या होगा। उदाहरणार्थ यदि प्रकरण संख्या 25, वर्ष 2019 में राम लाल नाम के व्यक्ति के बयानों की video-recording की गई है, तो उसका filename raamlaal-25-2019.mp4 होगा।

इस सम्बन्ध में प्रत्येक अनुसन्धान अधिकारी एवं पुलिसकर्मी को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान करें। बयानों की video-recording video camera अथवा mobile phone से की जा सकती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक पुलिस थाने/ कार्यालय में कम से कम एक video camera उपलब्ध होना सुनिश्चित करें। आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण शाखा को प्रेषित करें। जिस पुलिसकर्मी द्वारा बयानों की video recording की गई है एवं camera अथवा mobile phone से उसे कम्प्यूटर में download कर save किया गया है, उसके भी कथन पत्रावली पर लें तथा उसका धारा 65-ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी अवश्य लें।

अतः उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाएं।

यह महानिदेशक पुलिस, राजस्थान से अनुमोदित है।

सद्भावी,

14/5/19

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. महानिदेशक पुलिस, ATS एवं SOG, प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

14/5/19

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

80

RAJASTHAN POLICE

168

अति–आवश्यक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः– CID/CB/PRC/परिपत्र/2019/3166-3241 दिनांकः– 7-2-2019

स्थाई आदेश संख्याः– 4/2019

विषयः– अपराधिक प्रकरणों में पहचान–पत्र लिए जाने के संबंध में।

अनेक अवसरों पर पाया गया है कि अपराधिक प्रकरणों में अभियुक्तगण गलत नाम, पते बता कर जमानत अथवा मुचलके पर रिहा हो जाते है। उन्हें बाद में तलाश कर पाना असंभव हो जाता है। न्यायालय से सम्मन अथवा वारन्ट प्राप्त होने पर तामील होने पर कठिनाई आती है तथा तामील कुनिन्दा द्वारा नाम व पता गलत होने की रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। फलस्वरूप अपराधिक प्रकरण न्यायालय में निर्णित नहीं हो पाते। इस कठिनाई से निपटने के लिए निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में परिवादी, अभियुक्तगण, मौतबिरान, जामिन विशेषज्ञों यथा एफ.एस.एल. विशेषज्ञ, मेडिकल ज्यूरिस्ट, अनुसंधान अधिकारी आदि के संबंध में परिशिष्ट संख्या 1 में वर्णितानुसार सूचनाएं सही, पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे तथा उनकी पहचान हेतु परिशिष्ट संख्या 2 में वर्णित पहचान पत्रों में से एक को (जहाँ तक संभव हो फोटो युक्त पहचान–पत्र को) आवश्यक रूप मूल ही अवलोकित किया जाए तथा वृत्ताधिकारी कार्यालय एवं मूल पत्रावली हेतु उसकी दो छायाप्रतियाँ प्राप्त होने पर ही उनके मुचलके व जमानत स्वीकार करें।

इस संबंध में न्यायालयों से भी निवेदन किया जाए कि वे अभियुक्त एवं जमानत देने वाले व्यक्ति की उपरोक्तानुसार पहिचान उपलब्ध होने पर ही उनके मुचलके व जमानत स्वीकार करें। इन निर्देशों की पालना हेतु सभी वृत्ताधिकारी अपने क्षेत्र के थानों के संबंध में दिनांक 22.02.2019 तक जिला पुलिस अधीक्षक को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रारम्भ की जा चुकी है। जिला पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपने दौरों के समय इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। प्रकरणों के निस्तारण के समय आदेशकर्ता इन निर्देशों की पालना का सत्यापन आवश्यक रूप से करेंगे।

कृपया इसे अति–आवश्यक समझें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी./प्रशिक्षण/प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रैंज महानिरीक्षक, राजस्थान पुलिस मय आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

93

परिशिष्ट संख्या–2

अन्वेषण में ग्राह्य पहचान पत्र

1. आधार कार्ड।
2. मतदाता पहचान पत्र।
3. पासपोर्ट।
4. चालक अनुज्ञा पत्र (ड्राईविंग लाईसेन्स)।
5. आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन.)।
6. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाते वाले पहचान पत्र।
7. बैंक/किसान/डाकघर पासबुक।
8. राशन कार्ड।
9. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र।
10. मूल निवास प्रमाण पत्र।
11. छात्र पहचान पत्र।
12. सम्पत्ति प्रपत्र उदाहरणार्थ–पट्टा, रजिस्ट्री, वाहन पंजीकरण पुस्तिका आदि।
13. शस्त्र अनुज्ञा पत्र।
14. परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी संवाहक अनुज्ञा पत्र।
15. पेंशन पुस्तिका जैसे–भूतपूर्व सैनिक पेंशन पुस्तिका/पेंशन भुगतान आदेश आदि।
16. भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र।
17. रेलवे/बस पास।
18. शारीरिक अपंगता प्रमाण पत्र।
19. स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र।
20. बैंक क्रेडिट कार्ड।
21. बी.पी.एल. कार्ड।
22. बिल आदि।
23. किसी मौतबिर व्यक्ति द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
24. अन्य।

RAJASTHAN POLICE

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (मानव तस्करी विरोधी), राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक– प.0 (0) नोडल/राज्य आयोग/झालावाड/2016 / 1904 दिनांक– 7-4-2016

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि पुलिस हिरासत में मृत्यु घटित होने का एक प्रमुख कारण पुलिस कर्मियों के द्वारा हिरासत में लिये गये व्यक्ति की सघन तलाशी नही लिया जाना है। इस सम्बंध मे निर्देशित किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को अभिरक्षा मे लिया जाये तो सम्बंधित अधिकारी उसकी तत्काल तलाशी लेना सुनिश्चित करे, ताकि हिरासत में लिये गये व्यक्ति के पास किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री यथा–विषैली वस्तु, ब्लेड एवं चाकू आदि नही रह पाये।

इसी प्रकार हिरासत में लिये गये व्यक्ति को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान की सघन तलाशी लेकर आपत्तिजनक वस्तुऐ वहाँ से हटा दी जाये। इस सम्बंध में पूर्व में भी विस्तृत दिशा–निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किये गये है। उक्त सभी परिपत्रों की पालना कराते हुये समस्त अधिकारियों एंव कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर लापरवाही व पुनरावर्ती करने वाले कार्मिकों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे।

(टी0एल0मीना)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(मानव तस्करी विरोधी)
राज. जयपुर।

प्रतिलिपी:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ट्रैनिंग राजस्थान जयपुर।
02. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, पानीपेच जयपुर
03. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंजेज को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि रेंज स्तर पर सम्बंधित परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करावे।
04. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि अपने जिला हाजा पर उक्त परिपत्रों का संकलन व अध्ययन कर दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

(टी0एल0मीना)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(मानव तस्करी विरोधी)
राज. जयपुर।

RAJASTHAN POLICE

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–प–6 (1) पु.अ./म.अ./पो./2010/ 526-575 दिनांक–2-2-2011

परिपत्र

महिलाओं को थाने एवं पुलिस चौकी पर अन्वेषण हेतु बुलाये जाने के संबंध में व पुलिस हिरासत में रखे जाने के संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र 3/80 दिनांक 11.6.80, सीआईडी/सीबी/पीआरसी/85/671 –726 दिनांक 2.5.85 से निर्देश दिये गये थे। इसके अलावा राजस्थान पुलिस नियम 1965 नियम 7.16 एवं हाल ही में द.प्र.सं. की धाराओं में हुए संशोधन में दिये गये निर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित कराते हुए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही करनी चाहिये –

1. धारा 46 द.प्र.सं. में संशोधन के पश्चात उपबन्धित किया गया है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां स्त्री पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, ऐसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।

   मूल अधिनियम की धारा 46 की उपधारा 1 में यह परन्तुक स्थापित किया गया है कि 'परन्तु जहां किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक की परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जायेगी और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिये उसके शरीर को नहीं छुएगा।'
2. जा० फौ० की धारा 160 व राजस्थान पुलिस रूल्स 7–16(3), 1965 के अन्तर्गत 15 वर्ष की आयु से कम के बालक व महिला को उसके निवास स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी उपस्थित होने के लिये नहीं कहा जावेगा।
3. धारा 157 द.प्र.सं की उप धारा 1 में परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया गया है, परन्तु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में पीड़ित का कथन, पीड़ित के निवास पर या उसकी इच्छा के स्थान पर यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता–पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा।'
4. महिलाओं को बन्दी बनाने के लिये पुलिस नियम 1965 में दिये गये नियमों की पूर्ण पालना कर ही बन्दी बनाया जावे।
5. महिला की गिरफ्तारी करने के लिये साधारणतया सहायक उप निरीक्षक पद का अधिकारी होना चाहिये। रिश्तेदार तथा ग्राम, कस्बे के, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में ही कार्यवाही की जानी चाहिये।
6. ऐसी गिरफ्तारी की सूचना आर.पी.आर. के नियम 5 10 के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक को अविलम्ब दी जावे, महिला को थाने में रखने, ज्यूडीशल कस्टडी में न भिजवाने, जमानत न लिये जाने के कारणों का उल्लेख पुलिस अधीक्षक को भेजी जाने वाली सूचना में अंकित किया जावे।
7. जहां कहीं न्याय संगत हो, महिला की जमानत ली जाकर उसे तुरन्त छोड़ा जावे।
8. जहां कहीं महिला का रिमांड हिरासत पुलिस लिया जाना आवश्यक हो तो रिमांड की प्रार्थना भी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।

109

RAJASTHAN POLICE

9. महिला को पुलिस हिरासत में थाने या पुलिस चौकी पर साधारणतया नहीं रखा जावे। मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड ज्यूडिशियल कस्टडी (न्यायिक अभिरक्षा) हेतु अविलम्ब प्रस्तुत की जावे। महिलाओं को इन स्थानों पर केवल पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के पश्चात ही रखना चाहिए।

10. रिमांड ज्यूडिशियल कस्टडी (न्यायिक अभिरक्षा) महिला का प्राप्त कर, महिला को ज्यूडिशियल लाक-अप (बन्दी गृह) में अविलम्ब भिजवा दिया जावे।

11. महिला का पुलिस हिरासत के लिए रिमांड के प्रार्थना पत्र देते समय राजपत्रित अधिकारी (वृताधिकारी) का समर्थन होना आवश्यक है, इसके साथ ही साथ उनकी वह भी जिम्मेदारी होगी कि महिला इस प्रकार की पुलिस हिरासत में सम्मानपूर्वक एवं सुरक्षित रखी जावेगी।

12. अन्वेषण हेतु महिला को पुलिस हिरासत की अवस्था में कहीं लाने व ले जाने की आवश्यकता होने पर इस कार्य के लिये साधारणतया सहायक उप निरीक्षक पद का अधिकारी (या कम से कम मुख्य आरक्षक) ही पार्टी का प्रभारी होगा।

13. जिन मामलों में महिला अपराध में लिप्त हो उनमें थानों में नियुक्त महिला पुलिस कानिस्टेबल की सहायता ली जाये। हथकड़ी का प्रयोग महिला के लिये नहीं किया जावे।

अन्त में स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन निर्देशों को पूरा पूरा ज्ञान प्रत्येक पुलिस कर्मी को पालना हेतु होना आवश्यक है, चाहे वह थाने पर पदस्थापित हो या अन्यत्र। इन निर्देशों की प्रत्येक पुलिस कर्मी को पूरी जानकारी है या नहीं, इस विषय में समय समय पर प्रत्येक पुलिस कर्मी (अधिकारी) को हर स्तर पर पूछताछ कर जानकारी ली जाकर अवश्य सन्तोष कर लिया जावे।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः— 1 श्रीमान् अति० महानिदेशक पुलिस,(प्रशिक्षण),राज०, जयपुर।
2 समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज,राज०, पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
3 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,राज०, मय जी०आर०पी जोधपुर/अजमेर, पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर ।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

RAJASTHAN POLICE

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–सीआईडी/सीबी/पीआरसी/स्थाईआदेश/2388–2425 दिनांकः–08.05.2008

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज,
   राजस्थान मय रेल्वेज।

2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण,
   राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।

स्थाई आदेश संख्या– 2/2008

प्रायः यह देखा गया है कि जिलों में पुलिस थानों पर अपराध–मानचित्र सुव्यवस्थित तरीके से तैयार नहीं किये जा रहे हैं। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक जिले के थानों पर गत–वर्ष एवं आलोच्य–वर्ष के आपराधिक मानचित्र प्रतिदिन के आधार पर बनाये जाएँ। अपराध मानचित्र में प्रत्येक अपराध को पृथक से दर्शाया जाये। अपराध मानचित्र पुलिस के लिए गश्त व नाकाबन्दी की योजना बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे हम देख सकते है कि अपराध कहाँ व किस समय हो रहा है, जिससे हम नाकाबन्दी व गश्त को उस अनुसार सुनिश्चित कर सकते हैं। बदमाशो के आने–जाने के रास्ते का पता चल सकता है। उदाहरणार्थ, वर्ष 2007 के पूरे वर्ष का एवं वर्ष 2008 में प्रतिदिन के आधार पर अपराध मानचित्र तैयार किया जाए।

2. अपराध–मानचित्र निम्न तीन प्रकार के अलग–अलग होंगे :–
   (i) राज्य में समस्त थानों पर सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों के मानचित्र (Property Offences Crime Map) तैयार किये जायेंगे। सम्पति सम्बन्धी अपराधों में डकैती, लूट, चोरी, नकबजनी व वाहन चोरी सम्मिलित होंगे।
   (ii) शहरी एवं नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रों के पुलिस थानों में सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अपराधों के मानचित्र (Street Offences Crime Map) तैयार किये जायेंगे। इस शीर्षक के अन्तर्गत शरीर सम्बन्धी अपराध (हत्या को छोड़कर), झगड़ों की असंज्ञेय रिपोर्ट, गाली गलौच, धमकाने एवं नुक्सेअमन की रिपोर्ट, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने की रिपोर्ट एवं उद्वापन की रिपोर्ट इत्यादि सम्मिलित होंगी।
   (iii) राज्य के समस्त थानों पर सड़क दुर्घटनाओं के मानचित्र तैयार किये जायेंगे। उपरोक्त मानचित्र (4फीट X 4फीट) साईज के होंगे, आवश्यकतानुसार साईज को बढाया भी जा सकता है। समस्त मानचित्र स्केल के अनुसार (to the scale) बनाये जायेंगे।

RAJASTHAN POLICE

3. सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों के मानचित्र (Property Offences Crime Map)

इस मानचित्र में बीट अनुसार शहरी और कस्बों के थानों में शहर एवं कस्बों को मानचित्र में दर्शाया जायेगा तथा गावों के थानों में गांव को मानचित्र में दर्शाया जायेगा।
सम्पति सम्बन्धी अपराधों में डकैती को डी (D) लूट (R), चोरी (T), नकबजनी (B) व वाहन चोरी [चौपहिया वाहन–वी (V), दुपहिया वाहन–ए (A)] से दर्शाया जायेगा। रात्रि में होने वाले अपराधों को लाल रंग से दर्शाया जाए तथा दिन में होने वाले अपराधों को हरे रंग से दर्शाया जाए।
उदाहरण के लिए, माह जनवरी में घटित डकैती के अपराध को "डी"–1 से दर्शाया जाए और यदि अप्रेल में अपराध घटित हुआ हो तो उसे "डी"–4 से दर्शाया जाए।

4. सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अपराधों के मानचित्र (Street Offences Crime Map)

इस मानचित्र में शरीर सम्बन्धी अपराध (हत्या को छोड़कर) को बी (B), झगड़ों की असंज्ञेय रिपोर्ट, गाली गलौच, धमकाने एवं नुक्सेअमन की रिपोर्ट को एनसी (NC), सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने की रिपोर्ट को डी (D) एवं उद्घापन की रिपोर्ट को ई (E) से दर्शाया जायेगा।

5. सड़क दुर्घटनाओं के मानचित्र (Road Accidents Map)

इस मानचित्र में गम्भीर एवं साधारण दुर्घटनाओं के स्थान को स्पष्ट तौर से चिन्हित करते हुए मृतकों की संख्या भी दर्शायेंगे। गम्भीर दुर्घटनाओं को जी (G) एवं साधारण दुर्घटनाओं को एस (S) व मृतकों की संख्या को डी (D) – संख्या से दर्शाया जाए।
उदाहरण के लिए, माह फरवरी में घटित गम्भीर दुर्घटना में यदि चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, तो इसे "जी"–2 व "डी"–4 से दर्शाया जाए।

6. उपरोक्त अपराध–मानचित्र तैयार करने के पश्चात् थानाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने थाने के समस्त अधीनस्थ मुलाजमानों को अपराध–मानचित्र के साथ प्रतिदिन ब्रीफ करें, जिसमें थानाधिकारी द्वारा उन्हें बताया जावेगा कि किस स्थान एवं किस समय पर पैट्रोलिंग, गश्त एवं नाकाबन्दी की जानी है। उक्त ब्रीफिंग में सम्बन्धित सामुदायिक पुलिस अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाए।

7. अपराध के बदलते स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिदिन निर्दिष्ट गश्त (Directed Patrolling) की व्यवस्था के साथ पुलिस थानों पर उपलब्ध स्टाफ का अधिकतम सदुपयोग किया जा सके, ऐसी व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त स्थाई आदेशं की पालना सुनिश्चित करावें।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

RAJASTHAN POLICE

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

एवं

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

का

तुलनात्मक चार्ट

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सम्बन्धित प्रावधानों की तुलना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2	परिभाषाएं	2	परिभाषाएं
2(क)	"जमानतीय अपराध"	2(1)(ग)	"जमानतीय अपराध"
2(ख)	"आरोप"	2(1)(च)	"आरोप"
2(ग)	"संज्ञेय अपराध"	2(1)(छ)	"संज्ञेय अपराध"
2(घ)	"परिवाद"	2(1)(ज)	"परिवाद"
2(ङ)	"उच्च न्यायालय"	2(1)(ञ)	"उच्च न्यायालय"
2(च)	"भारत"	—	—
2(छ)	"जांच"	2(1)(ट)	"जांच"
2(ज)	"अन्वेषण"	2(1)(ठ)	"अन्वेषण"
2(झ)	"न्यायिक कार्यवाही"	2(1)(ड)	"न्यायिक कार्यवाही"
2(ञ)	"स्थानीय अधिकारिता"	2(1)(ढ)	"स्थानीय अधिकारिता"
2(ट)	"महानगर क्षेत्र"	—	—
2(ठ)	"असंज्ञेय अपराध"	2(1)(ण)	"असंज्ञेय अपराध"
2(ड)	"अधिसूचना"	2(1)(त)	"अधिसूचना"
2(ढ)	"अपराध"	2(1)(थ)	"अपराध"
2(ण)	"पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी"	2(1)(द)	"पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी"
2(त)	"स्थान"	2(1)(ध)	"स्थान"
2(थ)	"प्लीडर"	—	—
2(द)	"पुलिस रिपोर्ट"	2(1)(न)	"पुलिस रिपोर्ट"
2(ध)	"पुलिस थाना"	2(1)(प)	"पुलिस थाना"
2(न)	"विहित"	—	—
2(प)	"लोक अभियोजक"	2(1)(फ)	"लोक अभियोजक"
2(फ)	"उपखण्ड"	2(1)(ब)	"उपखण्ड"
2(ब)	"समन-मामला"	2(1)(भ)	"समन-मामला"
2(बक)	"पीड़ित"	2(1)(म)	"पीड़ित"
2(भ)	"वारण्ट मामला"	2(1)(य)	"वारण्ट मामला"
2(म)	शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं	2(2)	शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
3	निर्देशों का अर्थ लगाना	3	निर्देशों का अर्थ लगाना
4	भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण	4	भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण
5	व्यावृत्ति	5	व्यावृत्ति
6	दण्ड न्यायालयों के वर्ग	6	दण्ड न्यायालयों के वर्ग
7	प्रादेशिक खण्ड	7	प्रादेशिक खण्ड
8	महानगर क्षेत्र	–	–
9	सेशन न्यायालय	8	सेशन न्यायालय
10	सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना	–	–
11	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय	9	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय
12	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि	10	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि
13	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
14	न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता	12	न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
15	न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	13	न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
16	महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय	–	–
17	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट	–	–
18	विशेष महानगर मजिस्ट्रेट	–	–
19	महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	–	–
20	कार्यपालक मजिस्ट्रेट	14	कार्यपालक मजिस्ट्रेट
21	विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट	15	विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट
22	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता	16	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
23	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	17	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
24	लोक अभियोजक	18	लोक अभियोजक
25	सहायक लोक अभियोजक	19	सहायक लोक अभियोजक
25क	अभियोजन निदेशालय	20	अभियोजन निदेशालय
26	न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं	21	न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
27	किशोरों के मामलों में अधिकारिता	—	—
28	दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे	22	दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे
29	दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे	23	दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे
30	जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश	24	जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश
31	एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश	25	एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश
32	शक्तियां प्रदान करने का ढंग	26	शक्तियां प्रदान करने का ढंग
33	नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां	27	नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां
34	शक्तियों को वापस लेना	28	शक्तियों को वापस लेना
35	न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद–उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना	29	न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद–उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना
36	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां	30	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां
37	जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी	31	जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी
38	पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है	32	पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है
39	कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना	33	कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना
40	ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य	34	ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य
41	पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी	35(1)/(2)	पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी
41क	पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना	35(3)से 35(6)	पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी
41ख	गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्त्तव्य	36	गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्त्तव्य
41ग	जिले में नियंत्रण कक्ष	37	पदाभिहित पुलिस अधिकारी
41घ	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार	38	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार
42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी	39	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी
43	प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया	40	प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
44	मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी	41	मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी
45	सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण	42	सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण
46	गिरफ्तारी कैसे की जाएगी	43	गिरफ्तारी कैसे की जाएगी
47	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है	44	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है
48	अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना	45	अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना
49	अनावश्यक अवरोध न करना	46	अनावश्यक अवरोध न करना
50	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दिया जाना	47	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना
50क	गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता	48	गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता
51	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी	49	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी
52	आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति	50	आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति
53	पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा	51	पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा
53क	बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा	52	बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा
54	गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा	53	गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा
54क	गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त	54	गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त
55	जब पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया	55	जब पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया
55क	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा	56	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा
56	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना	57	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना
57	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना	58	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना
58	पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना	59	पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना
59	पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन	60	पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन
60	निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति	61	निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
60क	गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना	62	गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना
61	समन का प्ररूप	63	समन का प्ररूप
62	समन की तामील कैसे की जाए	64	समन की तामील कैसे की जाए
63	निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील	65	निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील
64	जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील	66	जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील
65	जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया	67	जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया
66	सरकारी सेवक पर तामील	68	सरकारी सेवक पर तामील
67	स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील	69	स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील
68	ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत	70	ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत
69	साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील	71	साक्षी पर समन की तामील
70	गिरफ्तारी के वारण्ट का प्ररूप और अवधि	72	गिरफ्तारी के वारण्ट का प्ररूप और अवधि
71	प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति	73	प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति
72	वारण्ट किसको निर्दिष्ट होंगे	74	वारण्ट किसको निर्दिष्ट होंगे
73	वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे	75	वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे
74	पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट	76	पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट
75	वारण्ट के सार की सूचना	77	वारण्ट के सार की सूचना
76	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना	78	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना
77	वारण्ट कहां निष्पादित किया जा सकता है	79	वारण्ट कहां निष्पादित किया जा सकता है
78	अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारण्ट	80	अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारण्ट
79	अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट	81	अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट
80	जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारण्ट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया	82	जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारण्ट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया
81	उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए	83	उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
82	फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा	84	फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा
83	फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की	85	फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की
84	कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां	87	कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां
85	कुर्क की हुई सम्पत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना	88	कुर्क की हुई सम्पत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना
86	कुर्क सम्पत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील	89	कुर्क सम्पत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील
87	समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना	90	समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना
88	हाजिरी के लिए बन्धपत्र लेने की शक्ति	91	हाजिरी के लिए बन्धपत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति
89	हाजिरी या बन्धपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी	92	हाजिरी का बन्धपत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी
90	इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को लागू होना	93	इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को लागू होना
91	दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन	94	दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन
92	पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया	95	पत्रों के संबंध में प्रक्रिया
93	तलाशी–वारण्ट कब जारी किया जा सकता है	96	तलाशी–वारण्ट कब जारी किया जा सकता है
94	उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई सम्पत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है	97	उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई सम्पत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है
95	कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी–वारण्ट जारी करने की शक्ति	98	कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी–वारण्ट जारी करने की शक्ति
96	समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन	99	समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन
97	सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी	100	सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी
98	अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति	101	अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति
99	तलाशी–वारण्टों का निदेशन आदि	102	तलाशी–वारण्टों का निदेशन आदि

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
100	बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे	103	बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे
101	अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन	104	अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन
102	कुछ सम्पत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति	106	कुछ सम्पत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
103	मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है	108	मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है
104	पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति	109	पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति
105	आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था	110	आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था
105क	परिभाषाएं	111	परिभाषाएं
105क(क)	"संविदाकारी राज्य"	111(क)	"संविदाकारी राज्य"
105क(ख)	"पहचान करना"	111(ख)	"पहचान करना"
105क(ग)	"अपराध के आगम"	111(ग)	"अपराध के आगम"
105क(घ)	"सम्पत्ति"	111(घ)	"सम्पत्ति"
105क(ङ)	"पता लगाना"	111(ङ)	"पता लगाना"
105ख	व्यक्तियों का अन्तरण सुनिश्चित करने में सहायता	114	व्यक्तियों का अन्तरण सुनिश्चित करने में सहायता
105ग	सम्पत्ति की कुर्की या समपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता	115	सम्पत्ति की कुर्की या समपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता
105घ	विधिविरुद्धतया अर्जित सम्पत्ति की पहचान करना	116	विधिविरुद्धतया अर्जित सम्पत्ति की पहचान करना
105ङ	सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की	117	सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की
105च	इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत सम्पत्ति का प्रबन्ध	118	इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत सम्पत्ति का प्रबन्ध
105छ	सम्पत्ति के समपहरण की सूचना	119	सम्पत्ति के समपहरण की सूचना
105ज	कतिपय मामलों में सम्पत्ति का समपहरण	120	कतिपय मामलों में सम्पत्ति का समपहरण
105झ	समपहरण के बदले जुर्माना	121	समपहरण के बदले जुर्माना
105ञ	कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना	122	कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना
105ट	अनुरोध पत्र के बाबत प्रक्रिया	123	अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया
105ठ	इस अध्याय का लागू होना	124	इस अध्याय का लागू होना
106	दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति	125	दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
107	अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति	126	अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति
108	राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति	127	कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
109	संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति	128	संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
110	आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति	129	आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
111	आदेश का दिया जाना	130	आदेश का दिया जाना
112	न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया	131	न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया
113	ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारण्ट जो उपस्थित नहीं है	132	ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारण्ट जो उपस्थित नहीं है
114	समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति होगी	133	समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति होगी
115	वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति	134	वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति
116	इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच	135	इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच
117	प्रतिभूति देने का आदेश	.	प्रतिभूति देने का आदेश
118	उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है	137	उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है
119	जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है, उसका प्रारम्भ	138	जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारम्भ
120	बन्धपत्र की अन्तर्वस्तुएं	139	बन्धपत्र की अन्तर्वस्तुएं
121	प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति	140	प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति
122	प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास	141	प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास
123	प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति	142	प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति
124	बन्धपत्रों की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति	143	बन्धपत्रों की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति
125	पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश	144	पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश
126	प्रक्रिया	145	प्रक्रिया
127	भत्ते में परिवर्तन	146	भत्ते में परिवर्तन
128	भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन	147	भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
129	सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना	148	सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना
130	जमाव को तितर–बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग	149	जमाव को तितर–बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग
131	जमाव को तितर–बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति	150	जमाव को तितर–बितर करने की सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारियों की शक्ति
132	पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के अभियोजन से संरक्षण	151	धारा 148, धारा 149 तथा धारा 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण
133	न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश	152	न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश
134	आदेश की तामील या अधिसूचना	153	आदेश की तामील या अधिसूचना
135	जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है, वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा	154	जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है, वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा
136	उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम	155	धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति
137	जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है वहां प्रक्रिया	156	जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है वहां प्रक्रिया
138	जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया	157	व्यक्ति जिसके विरूद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया
139	स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति	158	स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
140	मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति	159	मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति
141	आदेश अन्तिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम	160	आदेश अन्तिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम
142	जांच के लम्बित रहने तक व्यादेश	161	जांच के लम्बित रहने तक व्यादेश
143	मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है	162	मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है
144	न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति	163	न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति
144क	आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति	–	–

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
145	जहां भूमि या जल से सम्बद्ध विवादों से परिशान्ति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया	164	जहां भूमि या जल से सम्बद्ध विवादों से परिशान्ति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया
146	विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति	165	विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति
147	भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से सम्बद्ध विवाद	166	भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से सम्बद्ध विवाद
148	स्थानीय जांच	167	स्थानीय जांच
149	पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना	168	पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना
150	संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला	169	संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला
151	संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी	170	संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी
152	लोक सम्पत्ति की हानि का निवारण	171	लोक सम्पत्ति की हानि का निवारण
153	बाटों और मापों का निरीक्षण	–	–
154	संज्ञेय मामलों में इत्तिला	173	संज्ञेय मामलों में इत्तिला
155	असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण	174	असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण
156	संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति	175	संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
157	अन्वेषण के लिए प्रक्रिया	176	अन्वेषण के लिए प्रक्रिया
158	रिपोर्ट कैसे दी जाएगी	177	रिपोर्ट कैसे दी जाएगी
159	अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति	178	अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति
160	साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति	179	साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
161	पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा	180	पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा
162	पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना; कथनों का साक्ष्य में उपयोग	181	पुलिस को किया गया कथन और उसका
163	कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना	182	कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना
164	संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना	183	संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना
164क	बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा	184	बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
165	पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी	185	पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी
166	पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है	186	पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है
166क	भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र	112	भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र
166ख	भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र	113	भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र
167	जब चौबीस घंटे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया	187	जब चौबीस घंटे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया
168	अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट	188	अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट
169	जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना	189	जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना	190	जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना
171	परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना	191	परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना
172	अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी	192	अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट	193	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट
174	आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना	194	आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना
175	व्यक्तियों को समन करने की शक्ति	195	व्यक्तियों को समन करने की शक्ति
176	मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच	196	मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच
177	जांच और विचारण का मामूली स्थान	197	जांच और विचारण का मामूली स्थान
178	जांच या विचारण का स्थान	198	जांच या विचारण का स्थान
179	अपराध वहां विचारणीय होगा, जहां कार्य किया गया, या जहां परिणाम निकला	199	अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला
180	जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान	200	जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
181	कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान	201	कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान
182	पत्रों, आदि द्वारा किए गए अपराध	202	इलैक्ट्रानिक संसूचना के साधनों, पत्रों, आदि द्वारा किए गए अपराध
183	यात्रा या जल–यात्रा में किया गया अपराध	203	यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध
184	एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान	204	एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान
185	विभिन्न सेशन खण्डों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति	205	विभिन्न सेशन खण्डों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति
186	संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा	206	संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा
187	स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारण्ट जारी करने की शक्ति	207	स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारण्ट जारी करने की शक्ति
188	भारत से बाहर किया गया अपराध	208	भारत से बाहर किया गया अपराध
189	भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना	209	भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना
190	मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान	210	मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान
191	अभियुक्त के आवेदन पर अन्तरण	211	अभियुक्त के आवेदन पर अन्तरण
192	मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना	212	मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना
193	अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान	213	अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान
194	अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण	214	अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण
195	लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन	215	लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन
195क	धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया	216	धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
196	राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन	217	राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन
197	न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन	218	न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन
198	विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन	219	विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन
198क	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराधों का अभियोजन	220	भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन
198ख	अपराध का संज्ञान	221	अपराध का संज्ञान
199	मानहानि के लिए अभियोजन	222	मानहानि के लिए अभियोजन
200	परिवादी की परीक्षा	223	परिवादी की परीक्षा
201	ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है	224	ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है
202	आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना	225	आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना
203	परिवाद को खारिज किया जाना	226	परिवाद का खारिज किया जाना
204	आदेशिका का जारी किया जाना	227	आदेशिका का जारी किया जाना
205	मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना	228	मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना
206	छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन	229	छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन
207	अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना	230	अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना
208	सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना	231	सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना
209	जब अपराध अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना	232	जब अपराध अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना
210	परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण	233	परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण
211	आरोप की अन्तर्वस्तु	234	आरोप की अन्तर्वस्तु
212	समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां	235	समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
213	कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए	236	कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए
214	आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दण्डनीय है	237	आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दण्डनीय है
215	गलतियों का प्रभाव	238	गलतियों का प्रभाव
216	न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है	239	न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है
217	जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना	240	जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना
218	सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक् आरोप	241	सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक् आरोप
219	एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा	242	एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सके
220	एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण	243	एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण
221	जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है	244	जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है
222	जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अन्तर्गत है	245	जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अन्तर्गत है
223	किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा	246	किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा
224	कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना	247	कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना
225	विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना	248	विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना
226	अभियोजन के मामले में कथन का आरम्भ	249	अभियोजन के मामले में कथन का आरम्भ
227	उन्मोचन	250	उन्मोचन
228	आरोप विरचित करना	251	आरोप विरचित करना
229	दोषी होने का अभिवचन	252	दोषी होने का अभिवचन
230	अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख	253	अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख
231	अभियोजन के लिए साक्ष्य	254	अभियोजन के लिए साक्ष्य
232	दोषमुक्ति	255	दोषमुक्ति
233	प्रतिरक्षा आरम्भ करना	256	प्रतिरक्षा आरम्भ करना
234	बहस	257	बहस
235	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय	258	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय
236	पूर्व दोषसिद्धि	259	पूर्व दोषसिद्धि

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
237	धारा 199 (2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया	260	धारा 222 की उपधारा (2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया
238	धारा 207 का अनुपालन	261	धारा 230 का अनुपालन
239	अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा	262	जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा
240	आरोप विरचित करना	263	आरोप विरचित करना
241	दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि	264	दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि
242	अभियोजन के लिए साक्ष्य	265	अभियोजन के लिए साक्ष्य
243	प्रतिरक्षा का साक्ष्य	266	प्रतिरक्षा का साक्ष्य
244	अभियोजन का साक्ष्य	267	अभियोजन का साक्ष्य
245	अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा	268	अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा
246	प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता	269	प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता
247	प्रतिरक्षा का साक्ष्य	270	प्रतिरक्षा का साक्ष्य
248	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	271	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि
249	परिवादी की अनुपस्थिति	272	परिवादी की अनुपस्थिति
250	उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर	273	उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर
251	अभियोग का सारांश बताया जाना	274	अभियोग का सारांश बताया जाना
252	दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि	275	दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि
253	छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि	276	छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि
254	प्रक्रिया जब दोषसिद्ध न किया जाए	277	प्रक्रिया जब दोषसिद्ध न किया जाए
255	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	278	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि
256	परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु	279	परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु
257	परिवाद को वापस लेना	280	परिवाद को वापस लेना
258	कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति	281	कतिपय मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति
259	समन–मामलों को वारण्ट–मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति	282	समन–मामलों को वारण्ट–मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति
260	संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति	283	संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति
261	द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण	284	द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
262	संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया	285	संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया
263	संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख	286	संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख
264	संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय	287	संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय
265	अभिलेख और निर्णय की भाषा	288	अभिलेख और निर्णय की भाषा
265क	अध्याय का लागू होना	289	अध्याय का लागू होना
265ख	सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन	290	सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन
265ग	पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	291	पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत
265घ	पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना	292	पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना
265ङ	मामले का निपटारा	293	मामले का निपटारा
265च	न्यायालय का निर्णय	294	न्यायालय का निर्णय
265छ	निर्णय का अंतिम होना	295	निर्णय का अंतिम होना
265ज	सौदा अभिवाक् में न्यायालय की शक्ति	296	सौदा अभिवाक् में न्यायालय की शक्ति
265झ	अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना	297	अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना
265ञ	व्यावृत्ति	298	व्यावृत्ति
265ट	अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना	299	अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना
265ठ	अध्याय का लागू न होना	300	अध्याय का लागू न होना
266	परिभाषाएं	301	परिभाषाएं
266(क)	"निरुद्ध"	301(क)	"निरुद्ध"
266(ख)	"कारागार"	301(ख)	"कारागार"
267	बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति	302	बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति
268	धारा 267 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति	303	धारा 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की शक्ति
269	कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना	304	कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना
270	बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना	305	बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
294	कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना	330	कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना
295	लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथपत्र	331	लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथपत्र
296	शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य	332	शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य
297	प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा	333	प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा
298	पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए	334	पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए
299	अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख	335	अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख
300	एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना	337	एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना
301	लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी	338	लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी
302	अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा	339	अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा
303	जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार	340	जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार
304	कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता	341	कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता
305	प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है	342	प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है
306	सह-अपराधी को क्षमादान	343	सह-अपराधी को क्षमादान
307	क्षमा-दान का निदेश देने की शक्ति	344	क्षमा-दान का निदेश देने की शक्ति
308	क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण	345	क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण
309	कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति	346	कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति
310	स्थानीय निरीक्षण	347	स्थानीय निरीक्षण
311	आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति	348	आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति
311क	नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति	349	नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
312	परिवादियों और साक्षियों के व्यय	350	परिवादियों और साक्षियों के व्यय

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
313	अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति	351	अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति
314	मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन	352	मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन
315	अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना	353	अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना
316	प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना	354	प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में न लाया जाना
317	कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध	355	कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध
318	प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता है	357	प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाहियों को नहीं समझता है
319	अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति	358	अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति
320	अपराधों का शमन	359	अपराधों का शमन
321	अभियोजन वापस लेना	360	अभियोजन वापस लेना
322	जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, उनमें प्रक्रिया	361	जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, उनमें प्रक्रिया
323	प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारम्भ के पश्चात् मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए	362	प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारम्भ के पश्चात् मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए
324	सिक्के, स्टाम्प विधि या सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण	363	सिक्के, स्टाम्प विधि या सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व में दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण
325	प्रक्रिया, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दण्ड का आदेश नहीं दे सकता	364	प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दण्ड का आदेश नहीं दे सकता
326	भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी	365	भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी
327	न्यायालयों का खुला होना	366	न्यायालयों का खुला होना
328	अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया	367	अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया
329	न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृतचित्त होने की दशा में प्रक्रिया	368	न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया
330	अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृतचित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना	369	अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
331	जांच या विचारण को पुनः चालू करना	370	जांच या विचारण को पुनः चालू करना
332	मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया	371	मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया
333	जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थचित्त रहा है	372	जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है
334	चित्त-विकृति के आधार पर दोष-मुक्ति का निर्णय	373	चित्त-विकृति के आधार पर दोष-मुक्ति का निर्णय
335	ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना	374	चित्त-विकृति के आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना
336	भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति	375	भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति
337	जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि पागल बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहां प्रक्रिया	376	जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृत चित्त बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहां प्रक्रिया
338	जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहां प्रक्रिया	377	जहां निरुद्ध विकृत चित्त व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहां प्रक्रिया
339	नातेदार या मित्र को देख-रेख के लिए पागल को सौंपा जाना	378	नातेदार या मित्र की देख-रेख के लिए विकृत चित्त व्यक्ति का सौंपा जाना
340	धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया	379	धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया
341	अपील	380	अपील
342	खर्चे का आदेश देने की शक्ति	381	खर्चे का आदेश देने की शक्ति
343	जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया	382	जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया
344	मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया	383	मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया
345	अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया	384	अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया
346	जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया	385	जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया
347	रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा	386	रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा
348	माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन	387	माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन
349	उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी	388	उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
350	समन में पालन के साक्षी में हाजिर न होने पर उसे दण्डित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया	389	समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दण्डित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया
351	धारा 344, 345, 349 और 350 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें	390	धारा 383, धारा 384, धारा 388 और धारा 389 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें
352	कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना	391	कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना
353	निर्णय	392	निर्णय
354	निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु	393	निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु
355	महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय	–	–
356	पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश	394	पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश
357	प्रतिकर देने का आदेश	395	प्रतिकर देने का आदेश
357क	पीड़ित प्रतिकर स्कीम	396	पीड़ित प्रतिकर स्कीम
357ख	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 या धारा 376घ के तहत जुर्माने के अतिरिक्त संदाय	396	पीड़ित प्रतिकर स्कीम
357ग	पीड़ितों का उपचार	397	पीड़ितों का उपचार
358	निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर	399	निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर
359	असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश	400	असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश
360	सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश	401	सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश
361	कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना	402	कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना
362	न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना	403	न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना
363	अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना	404	अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना
364	निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा	405	निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा
365	सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना	406	सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना
366	सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना	407	सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
367	अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति	408	अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति
368	दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति	409	दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
369	नए दण्डादेश की पुष्टि का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना	410	नए दण्डादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना
370	मतभेद की दशा में प्रक्रिया	411	मतभेद की दशा में प्रक्रिया
371	उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया	412	उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया
372	जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना	413	जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना
373	परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इन्कार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील	414	परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इन्कार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील
374	दोषसिद्धि से अपील	415	दोषसिद्धि से अपील
375	कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना	416	कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना
376	छोटे मामलों में अपील न होना	417	छोटे मामलों में अपील न होना
377	राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील	418	राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील
378	दोषमुक्ति की दशा में अपील	419	दोषमुक्ति की दशा में अपील
379	कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील	420	कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील
380	कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार	421	कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार
381	सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी	422	सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी
382	अपील की अर्जी	423	अपील की अर्जी
383	जब अपीलार्थी जेल में है, तब प्रक्रिया	424	जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया
384	अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना	425	अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना
385	संक्षेपतः खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया	426	संक्षेपतः खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया
386	अपील न्यायालय की शक्तियां	427	अपील न्यायालय की शक्तियां
387	अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय	428	अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय
388	अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना	429	अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
389	अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलम्बन; अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना	430	अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलम्बन; अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना
390	दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी	431	दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी
391	अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निदेश दे सकेगा	432	अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निदेश दे सकेगा
392	जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हों, हां प्रक्रिया	433	जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हों, वहां प्रक्रिया
393	अपील पर आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना	434	अपील पर आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना
394	अपीलों का उपशमन	435	अपीलों का उपशमन
395	उच्च न्यायालय को निर्देश	436	उच्च न्यायालय को निर्देश
396	उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा	437	उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा
397	पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना	438	पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना
398	जांच करने का आदेश देने की शक्ति	439	जांच करने का आदेश देने की शक्ति
399	सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां	440	सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां
400	अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति	441	अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति
401	उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां	442	उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां
402	उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अन्तरित करने की शक्ति	443	उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अन्तरित करने की शक्ति
403	पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प	444	पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प
404	महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना	—	—
405	उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना	445	उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना
406	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति	446	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति
407	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति	447	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
408	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति	448	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति
409	सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना	449	सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
410	न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना	450	न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना
411	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना	451	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का हवाले किया जाना या वापस लिया जाना
412	कारणों का अभिलिखित किया जाना	452	कारणों का अभिलिखित किया जाना
413	धारा 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन	453	धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन
414	उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन	454	उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन
415	उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का मुल्तवी किया जाना	455	उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का मुल्तवी किया जाना
416	गर्भवती स्त्री को मृत्युदण्ड का मुल्तवी किया जाना	456	गर्भवती महिला को मृत्यु दण्ड का लघुकरण किया जाना
417	कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति	457	कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति
418	कारावास के दण्डादेश का निष्पादन	458	कारावास के दण्डादेश का निष्पादन
419	निष्पादन के लिए वारण्ट का निदेशन	459	निष्पादन के लिए वारण्ट का निदेशन
420	वारण्ट किसको सौंपा जाएगा	460	वारण्ट किसको सौंपा जाएगा
421	जुर्माना उद्ग्रहीत करने के लिए वारण्ट	461	जुर्माना उद्ग्रहीत करने के लिए वारण्ट
422	ऐसे वारण्ट का प्रभाव	462	ऐसे वारण्ट का प्रभाव
423	जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी किया गया वारण्ट	463	जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय, द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी किया गया वारण्ट
424	कारावास के दण्डादेश के निष्पादन का निलंबन	464	कारावास के दण्डादेश के निष्पादन का निलंबन
425	वारण्ट कौन जारी कर सकेगा	465	वारण्ट कौन जारी कर सकेगा
426	निकल भागे सिद्धदोष पर दण्डादेश कब प्रभावशील होगा	466	निकल भागे सिद्धदोष पर दण्डादेश कब प्रभावशील होगा
427	ऐसे अपराधी को दण्डादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है	467	ऐसे अपराधी को दण्डादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है
428	अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना	468	अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना
429	व्यावृत्ति	469	व्यावृत्ति
430	दण्डादेश के निष्पादन पर वारण्ट का लौटाया जाना	470	दण्डादेश के निष्पादन पर वारण्ट का लौटाया जाना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
431	जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना	471	जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना
432	दण्डादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति	473	दण्डादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति
433	दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति	474	दण्डादेश लघुकरण करने की शक्ति
433क	कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन	475	कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन
434	मृत्यु दण्डादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति	476	मृत्यु दण्डादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति
435	कुछ मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात् कार्य करना	477	कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से सहमति के पश्चात् कार्य करना
436	किन मामलों में जमानत ली जाएगी	478	किन मामलों में जमानत ली जाएगी
436क	अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी को निरुद्ध किया जा सकता है	479	अधिकतम अवधि, जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है
437	अजमानतीय अपराध की दशा में जब जमानत ली जा सकेगी	480	अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी
437क	अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत	481	अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत
438	गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश	482	गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश
439	जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां	483	जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां
440	बन्धपत्र की रकम और उसे घटाना	484	बन्धपत्र की रकम और उसे घटाना
441	अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र	485	अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र
441क	प्रतिभुओं द्वारा घोषणा	486	प्रतिभुओं द्वारा घोषणा
442	अभिरक्षा से उन्मोचन	487	अभिरक्षा से उन्मोचन
443	जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है, तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति	488	जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति
444	प्रतिभुओं का उन्मोचन	489	प्रतिभुओं का उन्मोचन
445	मुचलके के बजाय निक्षेप	490	मुचलके के बजाय निक्षेप
446	प्रक्रिया, जब बन्धपत्र समपहृत कर लिया जाता है	491	प्रक्रिया, जब बन्धपत्र समपहृत कर लिया जाता है
446क	बन्धपत्र और जमानत-पत्र को रद्द करना	492	बन्धपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण

RAJASTHAN POLICE

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
447	प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बन्धपत्र का समपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया	493	प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बन्धपत्र का समपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया
448	अवयस्क से अपेक्षित बन्धपत्र	494	बालक से अपेक्षित बन्धपत्र
449	धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील	495	धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील
450	कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निदेश देने की शक्ति	496	कतिपय मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निदेश देने की शक्ति
451	कुछ मामलों में विचारण लम्बित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश	497	कतिपय मामलों में विचारण लम्बित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश
452	विचारण की समाप्ति पर सम्पत्ति के व्ययन के लिए आदेश	498	विचारण की समाप्ति पर सम्पत्ति के व्ययन के लिए आदेश
453	अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय	499	अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय
454	धारा 452 या 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील	500	धारा 498 या धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील
455	अपमानलेखीय और अन्य सामग्री को नष्ट किया जाना	501	अपमानलेखीय और अन्य सामग्री को नष्ट किया जाना
456	स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति	502	स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति
457	सम्पत्ति के अधिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया	503	सम्पत्ति के अधिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया
458	जहां छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो, वहां प्रक्रिया	504	जहां छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया
459	विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति	505	विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति
460	वे अनियमितताएं, जो कार्यवाही को दूषित नहीं करतीं	506	वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करतीं
461	वे अनियमितताएं, जो कार्यवाही को दूषित करती हैं	507	वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं
462	गलत स्थान में कार्यवाही	508	गलत स्थान में कार्यवाही
463	धारा 164 या धारा 281 के उपबंधों का अनुपालन	509	धारा 183 या धारा 316 के उपबंधों का अननुपालन
464	आरोप विरचित न करने या उसके भाव या उसमें गलती का प्रभाव	510	आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव
465	निष्कर्ष या दण्डादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा	511	निष्कर्ष या दण्डादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा
466	त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना	512	त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
467	परिभाषाएं	513	परिभाषा
468	परिसीमा–काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्णन	514	परिसीमा–काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन
469	परिसीमा–काल का प्रारम्भ	515	परिसीमा–काल का प्रारम्भ
470	कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन	516	कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन
471	जिस तारीख को न्यायालय बन्द हो, उस तारीख का अपवर्जन	517	जिस तारीख को न्यायालय बन्द हो उस तारीख का अपवर्जन
472	चालू रहने वाला अपराध	518	चालू रहने वाला अपराध
473	कुछ दशाओं में परिसीमा–काल का विस्तारण	519	कतिपय मामलों में परिसीमा–काल का विस्तारण
474	उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण	520	उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण
475	सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना	521	सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना
476	प्ररूप	522	प्ररूप
477	उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति	523	उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति
478	कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति	524	कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति
479	वह मामला, जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है	525	वे मामले जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है
480	विधि–व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना	526	विधि–व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना
481	विक्रय से सम्बद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसकी बोली न लगाना	527	विक्रय से सम्बद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना
482	उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति	528	उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति
483	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्त्तव्य	529	न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्त्तव्य
484	निरसन और व्यावृत्तियां	531	निरसन और व्यावृत्तियां
पहली अनुसूची	अपराधों का वर्गीकरण	पहली अनुसूची	अपराधों का वर्गीकरण
दूसरी अनुसूची	प्ररूप 1 से 56	दूसरी अनुसूची	प्ररूप 1 से 58

RAJASTHAN POLICE

भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 में नई जोड़ी गयी धाराएं

धाराएं	शीर्षक
2(1)(क)	श्रव्य–दृश्य इलैक्टॉनिक साधन
2(1)(ख)	जमानत
2(1)(घ)	जमानत–पत्र
2(1)(ड़)	बंध–पत्र
2(1)(झ)	इलैक्टॉनिक संसूचना
35(7)	पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी (कुछ मामलों में डिप्टी एसपी की अनुमति आवश्यक)
86	उद्घोषित व्यक्ति की सम्पति की पहचान एवं कुर्की
105	श्रव्य–दृश्य इलैक्टॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना
107	संपति की कुर्की, जब्ती एवं वापसी
172	व्यक्तियों का पुलिस के युक्ति–युक्त निदेशों के अनुरूप बाध्य होना
336	कतिपय मामलों में लोकसेवकों, विशेषज्ञो, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य
356	उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जाँच, विचारण और निर्णय
398	साक्षी संरक्षण स्कीम
472	मृत्यु दण्डादेश मामलों में दया याचिका
530	इलैक्टॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना

भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 में सम्मिलित नहीं की गयी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराएं

धाराएं	शीर्षक
2(च)	भारत
2(ट)	महानगर क्षेत्र
2(थ)	प्लीडर
2(न)	विहित
8	महानगर क्षेत्र
10	सहायक सेशन न्यायाधिशों का अधिनस्थ होना
16	महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय
17	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
18	विशेष महानगर मजिस्ट्रेट
19	महानगर मजिस्ट्रेटों को अधिनस्थ होना
27	किशोरों के संबंध में अधिकारिता
144 क	आयुध सहित जुलूस या सामुहिक कवायद या सामुहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति
153	बाटों और मापों का निरीक्षण
355	महानगर मजिस्ट्रेटों का निर्णय
404	महा. मजि. के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्याया. के द्वारा विचार किया जाना

RAJASTHAN POLICE

भारतीय न्याय संहिता, 2023

एवं

भारतीय दण्ड संहिता, 1860

का

तुलनात्मक चार्ट

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सम्बन्धित प्रावधानों की तुलना

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
1	संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार	1(1)/(2)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना
2	भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड	1(3)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना
3	भारत से परे किये गये किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दण्ड	1(4)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना
4	राज्यक्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार	1(5)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना
5	कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना	1(6)	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना
6	संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना	3(1)	साधारण स्पष्टीकरण
7	एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव	3(2)	साधारण स्पष्टीकरण
8	लिंग	2(10)	लिंग
9	वचन	2(22)	वचन
10	"पुरुष", "स्त्री"	2(19) 2(35)	"पुरुष" "स्त्री"
11	"व्यक्ति"	2(26)	"व्यक्ति"
12	"लोक"	2(27)	"लोक"
13	"क्वीन" की परिभाषा	–	–
14	"सरकार का सेवक"	–	–
15	"ब्रिटिश इन्डिया" की परिभाषा	–	–
16	"गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया" की परिभाषा	–	–
17	"सरकार"	2(12)	"सरकार"
18	"भारत"	–	–
19	"न्यायाधीश"	2(16)	"न्यायाधीश"
20	"न्यायालय"	2(5)	"न्यायालय"
21	"लोक सेवक"	2(28)	"लोक सेवक"

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
22	"जंगम सम्पत्ति"	2(21)	"जंगम सम्पत्ति"
23, पैरा 1	"सदोष अभिलाभ"	2(36)	"सदोष अभिलाभ"
23, पैरा 2	"सदोष हानि"	2(37)	"सदोष हानि"
23, पैरा 3	सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना	2(38)	सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना
24	"बेईमानी से"	2(7)	"बेईमानी से"
25	"कपटपूर्वक"	2(9)	"कपटपूर्वक"
26	"विश्वास करने का कारण"	2(29)	"विश्वास करने का कारण"
27	"पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति"	3(3)	साधारण स्पष्टीकरण
28	"कूटकरण"	2(4)	"कूटकरण"
29	"दस्तावेज"	2(8)	"दस्तावेज"
29क	"इलेक्ट्रानिक अभिलेख"	2(39)	उन शब्दों और पदों के
30	"मूल्यवान प्रतिभूति"	2(31)	"मूल्यवान प्रतिभूति"
31	"विल"	2(34)	"विल"
32	कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अन्तर्गत अवैध लोप आता है	2(1) 3(4)	"कार्य" साधारण स्पष्टीकरण
33	"कार्य", "लोप"	2(1) 2(25)	"कार्य" "लोप"
34	सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य	3(5)	साधारण स्पष्टीकरण
35	जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है	3(6)	साधारण स्पष्टीकरण
36	अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम	3(7)	साधारण स्पष्टीकरण
37	किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना	3(8)	साधारण स्पष्टीकरण
38	आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे	3(9)	साधारण स्पष्टीकरण
39	"स्वेच्छया"	2(33)	"स्वेच्छया"
40	"अपराध"	2(24)	"अपराध"
41	"विशेष विधि"	2(30)	"विशेष विधि"
42	"स्थानीय विधि"	2(18)	"स्थानीय विधि"
43	"अवैध", "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध"	2(15)	"अवैध" और "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध"

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
44	"क्षति"	2(14)	"क्षति"
45	"जीवन"	2(17)	"जीवन"
46	"मृत्यु"	2(6)	"मृत्यु"
47	"जीव-जन्तु"	2(2)	"जीव-जन्तु"
48	"जलयान"	2(32)	"जलयान"
49	"वर्ष" या "मास"	2(20)	"मास" या "वर्ष"
50	"धारा"	–	–
51	"शपथ"	2(23)	"शपथ"
52	"सद्भावपूर्वक"	2(11)	"सद्भावपूर्वक"
52क	"संश्रय"	2(13)	"संश्रय"
53	"दण्ड"	4	दण्ड
53क	निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना	–	–
54	मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण	5	दण्डादेश का लघुकरण
55	आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण	5	दण्डादेश का लघुकरण
55क	"समुचित सरकार" की परिभाषा	स्पष्टी. से धारा 5	दण्डादेश का लघुकरण
56	यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दण्डादेश दस वर्ष से अधिक किन्तु जो आजीवन कारावास से अधिक न हो, दण्डादेश के सम्बन्ध में परन्तुक	–	–
57	दण्डावधियों की भिन्नें	6	दण्डावधियों की भिन्नें
58	निर्वासन से दण्डादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं	–	–
59	कारावास के बदले निर्वासन	–	–
60	दण्डादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा	7	दण्डादिष्ट (कारावास के कतिपय मामलों में) सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा
61	संपत्ति के समपहरण का दण्डादेश	–	–
62	मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दण्डनीय अपराधियों की बाबत सम्पत्ति का समपहरण	–	–
63	जुर्माने की रकम	8(1)	जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	**शीर्षक**	**धारा**	**शीर्षक**
64	जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश	8(2)	जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम
65	जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि	8(3)	जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम
66	जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाये	8(4)	जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम
67	जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो	8(5)	जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम
68	जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान (समाप्त) हो जाना	8(6)(क)	जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम
69	जुर्माने की आनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान	8(6)(ख)	जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम
70	जुर्माने का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना–सम्पत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती	8(7)	जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम
71	कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि	9	कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि
72	कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह सन्देह है कि वह किस अपराध का दोषी है	10	कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है
73	एकान्त परिरोध	11	एकांत परिरोध
74	एकान्त परिरोध की अवधि	12	एकांत परिरोध की अवधि
75	पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड	13	पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड
76	विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य	14	विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
77	न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य	15	न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य
78	न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य	16	न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य
79	विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य	17	विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
80	विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना	18	विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना
81	कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है	19	कार्य, जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है
82	सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य	20	सात वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य
83	सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य	21	सात वर्ष से ऊपर, किंतु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य
84	विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य	22	विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य
85	ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है	23	ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरूद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है
86	किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है	24	किसी व्यक्ति द्वारा, मत्तता में किया गया अपराध, जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है
87	सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो	25	सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो
88	किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है	26	किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है
89	संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य	27	संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य
90	सम्मति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है	28	सम्मति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है
91	ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है	29	ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है
92	सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य	30	सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य
93	सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना	31	सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना
94	वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है	32	वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है
95	तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य	33	तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य
96	प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें	34	प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
97	शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार	35	शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
98	ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो	36	ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो
99	कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है	37	कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है
100	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है	38	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है
101	कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है	39	कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है
102	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना	40	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना
103	कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है	41	कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है
104	ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है	42	ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है
105	सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना	43	सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना
106	घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है	44	घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है
107	किसी बात का दुष्प्रेरण	45	किसी बात का दुष्प्रेरण
108	दुष्प्रेरक	46	दुष्प्रेरक
108क	भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण	47	भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण
109	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है	49	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है
110	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है	50	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है
111	दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है	51	दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
112	दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है	52	दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है
113	दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो	53	दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो
114	अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति	54	अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति
115	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण–यदि अपराध नहीं किया जाता	55	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण
116	कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण–यदि अपराध न किया जाए	56	कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण
117	लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण	57	लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण
118	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना	58	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना
119	किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्त्तव्य है	59	किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्त्तव्य है
120	कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना	60	कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना
120क	आपराधिक षड्यन्त्र की परिभाषा	61(1)	आपराधिक षड्यन्त्र
120ख	आपराधिक षड्यन्त्र का दण्ड	61(2)	आपराधिक षड्यन्त्र
121	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना	147	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना
121क	धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने का षड्यन्त्र	148	धारा 147 द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने का षड्यन्त्र
122	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना	149	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना
123	युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना	150	युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना
124	किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना	151	किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
124क	राजद्रोह	—	—
125	भारत सरकार से मैत्री सम्बन्ध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना	153	भारत सरकार से मैत्री सम्बन्ध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना
126	भारत सरकार के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना	154	भारत सरकार के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना
127	धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना	155	धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना
128	लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना	156	लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना
129	उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना	157	उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना
130	ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना	158	ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना
131	विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्त्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना	159	विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्त्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना
132	विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए	160	विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए
133	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर जबकि वह आफिसर अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण	161	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जबकि वह अधिकारी अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण
134	ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए	162	ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए
135	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण	163	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण
136	अभित्याजक को संश्रय देना	164	अभित्याजक को संश्रय देना
137	मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक	165	मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक
138	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण	166	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण
138क	पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना	—	—

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
139	कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति	167	कतिपय अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति
140	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना	168	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना
141	विधिविरुद्ध जमाव	189(1)	विधिविरुद्ध जमाव
142	विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना	189(2)	विधिविरुद्ध जमाव
143	दण्ड	189(2)	विधिविरुद्ध जमाव
144	घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना	189(4)	विधिविरुद्ध जमाव
145	किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसको बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना	189(3)	विधिविरुद्ध जमाव
146	बल्वा करना	191(1)	बल्वा करना
147	बल्वा करने के लिए दण्ड	191(2)	बल्वा करना
148	घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना	191(3)	बल्वा करना
149	विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी	190	विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी
150	विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता	189(6)	विधिविरुद्ध जमाव
151	पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना	189(5)	विधिविरुद्ध जमाव
152	लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना	195(1)	लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना
153	बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना—यदि बल्वा किया जाए—यदि बल्वा न किया जाए	192	बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना—यदि बल्वा किया जाए; यदि बल्वा न किया जाए
153क	धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना	196	धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
153कक	किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना	–	–
153ख	राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान	197	राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान
154	उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव किया गया है	193(1)	उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधिविरुद्ध जमाव का बल्वा किया गया है का दायित्व
155	उस व्यक्ति का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है	193(2)	उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधिविरुद्ध जमाव का बल्वा किया गया है का दायित्व
156	उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्त्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है	193(3)	उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधिविरुद्ध जमाव का बल्वा किया गया है का दायित्व
157	विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना	189(7)	विधिविरुद्ध जमाव
158	विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना	189(8)/ 189(9)	विधिविरुद्ध जमाव
159	दंगा	194(1)	दंगा
160	दंगा करने के लिए दण्ड	194(2)	दंगा
161. से 165क तक	*[निरसित]*	–	–
166	लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है	198	लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है
166क	लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है	199	लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है
166ख	पीड़ित का उपचार न करने के लिए दण्ड	200	पीड़ित का उपचार न करने के लिए दण्ड
167	लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है	201	लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है
168	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है	202	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है
169	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है	203	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
170	लोक सेवक का प्रतिरूपण	204	लोक सेवक का प्रतिरूपण
171	कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना	205	कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना
171क	"अभ्यर्थी","निर्वाचन अधिकार" परिभाषित	169	अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित
171ख	रिश्वत	170	रिश्वत
171ग	निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना	171	निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना
171घ	निर्वाचनों में प्रतिरूपण	172	निर्वाचनों में प्रतिरूपण
171ङ	रिश्वत के लिए दण्ड	173	रिश्वत के लिए दण्ड
171च	निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड	174	निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड
171छ	निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन	175	निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन
171ज	निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय	176	निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय
171झ	निर्वाचन लेखा रखने में असफलता	177	निर्वाचन लेखा रखने में असफलता
172	समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना	206	समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना
173	समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना	207	समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना
174	लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना	208	लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना
174क	1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी	209	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में गैर-हाजिरी
175	दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने का लोप	210	दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोप
176	सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप	211	विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप
177	मिथ्या इत्तिला देना	212	मिथ्या इत्तिला देना
178	शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए	213	शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
179	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना	214	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना
180	कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार	215	कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार
181	शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन	216	शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन
182	इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे	217	इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे
183	लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध	218	लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध
184	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना	219	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना
185	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना	220	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना
186	लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना	221	लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना
187	लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो	222	लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो
188	लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा	223	लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा
189	लोक सेवक को क्षति करने की धमकी	224	लोक सेवक को क्षति करने की धमकी
190	लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी	225	लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी
191	मिथ्या साक्ष्य देना	227	मिथ्या साक्ष्य देना
192	मिथ्या साक्ष्य गढ़ना	228	मिथ्या साक्ष्य गढ़ना
193	मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड	229	मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड
194	मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना	230	मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना
195	आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना	231	आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
195क	किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना	232	किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना
196	उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है	233	उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है
197	मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना	234	मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना
198	प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना	235	प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सत्य के रूप में काम में लाना
199	ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन	236	ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन
200	ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना	237	ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सत्य के रूप में काम में लाना
201	अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना	238	अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना
202	इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप	239	इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का जानबूझकर लोप
203	किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना	240	किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना
204	साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना	241	साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना
205	वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण	242	वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण
206	सम्पत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना	243	सम्पत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना
207	सम्पत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा	244	सम्पत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा
208	ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना	245	ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य न हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना
209	बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना	246	बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना
210	ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना	247	ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना
211	क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप	248	क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप
212	अपराधी को संश्रय देना	249	अपराधी को संश्रय देना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
213	अपराधी को दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना	250	अपराधी को दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना
214	अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का प्रत्यावर्त्तन	251	अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का प्रत्यावर्त्तन
215	चोरी की सम्पत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना	252	चोरी की सम्पत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना
216	ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है	253	ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है
216क	लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति	254	लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति
216ख	धारा 212, धारा 216 और धारा 216-क में "संश्रय" की परिभाषा	—	—
217	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा	255	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा
218	किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना	256	किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना
219	न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना	257	न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना
220	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी	258	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी
221	पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप	259	पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप
222	दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप	260	दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप
223	लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना	261	लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना
224	किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा	262	किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
225	किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा	263	किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा
225क	उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना	264	उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना
225ख	अन्यथा अनुपबन्धित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना	265	अन्यथा अनुपबन्धित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना
226	निर्वासन से विधि विरुद्ध वापसी	–	–
227	दण्ड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण	266	दण्ड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण
228	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न	267	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न
228क(1)/(2)	कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण	72	कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण
228क(3)	कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण	73	अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाहियां में संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना
229	जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण	268	असेसर का प्रतिरूपण
229क	जमानत या बन्धपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता	269	जमानत पत्र या बन्धपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता
230	"सिक्का" की परिभाषा	178	सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
231	सिक्के का कूटकरण	178	सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
232	भारतीय सिक्के का कूटकरण	178	सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
233	सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना	181	लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना

RAJASTHAN POLICE

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
234	भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना	181	लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना
235	सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना	181	लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना
236	भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण	–	–
237	कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात	–	–
238	भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात	–	–
239	सिक्के का परिदान, जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना
240	उस भारतीय सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना
241	किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकृत होना नहीं जानता था	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना
242	कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था	180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना
243	भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था	180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना
244	टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन का या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है	187	टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है
245	टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना	188	टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
246	कपटपूर्ण या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना	178	सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
247	कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना	178	सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
248	इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए	178	सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
249	इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए	178	सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
250	ऐसे सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना
251	भारतीय सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना
252	ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया	180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना
253	ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया	180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना
254	सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना
255	सरकारी स्टाम्प का कूटकरण	178	सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
256	सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री को कब्जे में रखना	181	लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
257	सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना	181	लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना
258	कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना
259	सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना	180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना
260	किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना
261	इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है	183	सरकार को हानि कारित करने के आशय से, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना, जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है
262	ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है	184	ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग, जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है
263	स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह को छीलकर मिटाना	185	स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह को छीलकर मिटाना
263क	बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध	186	बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध
264	तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग	–	–
265	खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग	–	–
266	खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना	–	–
267	खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना	–	–
268	लोक न्यूसेंस	270	लोक न्यूसेंस
269	उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो	271	उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो
270	परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो	272	परिद्वेषपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
271	करन्तीन के नियम की अवज्ञा	273	क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा
272	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण	274	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण
273	अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय	275	अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय
274	औषधियों का अपमिश्रण	276	औषधियों का अपमिश्रण
275	अपमिश्रित औषधियों का विक्रय	277	अपमिश्रित औषधियों का विक्रय
276	औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय	278	औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय
277	लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना	279	लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना
278	वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना	280	वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना
279	लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना	281	लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना
280	जलयान को उतावलेपन से चलाना	282	जलयान को उतावलेपन से चलाना
281	भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन	283	भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन
282	अक्षेमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण	284	अक्षेमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण
283	लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा	285	लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा
284	विषैले पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	286	विषैले पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
285	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	287	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
286	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण	288	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण
287	मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	289	मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
288	किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	290	किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या संनिर्माण करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
289	जीव-जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	291	जीव-जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
290	अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दण्ड	292	अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दण्ड
291	न्यूसेंस बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना	293	न्यूसेंस बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
292	अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि	294	अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि
293	तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि	295	बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि
294	अश्लील कार्य और गाने	296	अश्लील कार्य और गाने
294क	लाटरी कार्यालय रखना	297	लाटरी कार्यालय रखना
295	किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना	298	किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना
295क	विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों	299	विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों
296	धार्मिक जमाव में विघ्न करना	300	धार्मिक जमाव में विघ्न करना
297	कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना	301	कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना
298	धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि	302	किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि
299	आपराधिक मानव वध	100	आपराधिक मानव वध
300	हत्या	101	हत्या
301	जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध	102	जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध
302	हत्या के लिए दण्ड	103(1)	हत्या के लिए दण्ड
303	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड	104	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड
304	हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड	105	हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड
304क	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना	106	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना
304ख	दहेज मृत्यु	80	दहेज मृत्यु
305	शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण	107	बालक या विकृतचित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण
306	आत्महत्या का दुष्प्रेरण	108	आत्महत्या का दुष्प्रेरण
307	हत्या करने का प्रयत्न	109	हत्या करने का प्रयत्न
308	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न	110	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न
309	आत्महत्या करने का प्रयत्न	–	–
310	ठग	–	–

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
311	दण्ड	—	—
312	गर्भपात कारित करना	88	गर्भपात कारित करना
313	स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना	89	महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना
314	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु	90	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु
315	शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य	91	बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य
316	ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना	92	ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करना
317	शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग	93	बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के बालक का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग
318	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना	94	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना
319	उपहति	114	उपहति
320	घोर उपहति	116	घोर उपहति
321	स्वेच्छया उपहति कारित करना	115(1)	स्वेच्छया उपहति कारित करना
322	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	117(1)	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
323	स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड	115(2)	स्वेच्छया उपहति कारित करना
324	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना	118(1)	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
325	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड	117(1)	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
326	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	118(2)	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
326क	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	124(1)	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
326ख	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना	124(2)	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
327	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना	119(1)	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना

RAJASTHAN POLICE

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
328	अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना	123	अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना
329	सम्पत्ति, उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	119(2)	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
330	संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करान के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना	120(1)	संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
331	संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	120(2)	संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
332	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना	121(1)	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
333	लोक सेवक को अपने कर्त्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	121(2)	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
334	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना	122(1)	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
335	प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	122(2)	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
336	कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो	125	कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो
337	ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए	125	कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो
338	ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए	125	कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो
339	सदोष अवरोध	126(1)	सदोष अवरोध
340	सदोष परिरोध	127(1)	सदोष परिरोध
341	सदोष अवरोध के लिए दण्ड	126(2)	सदोष अवरोध
342	सदोष परिरोध के लिए दण्ड	127(2)	सदोष परिरोध
343	तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध	127(3)	सदोष परिरोध
344	दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध	127(4)	सदोष परिरोध

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
345	ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसको छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है	127(5)	सदोष परिरोध
346	गुप्त स्थान में सदोष परिरोध	127(6)	सदोष परिरोध
347	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध	127(7)	सदोष परिरोध
348	संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध	127(8)	सदोष परिरोध
349	बल	128	बल
350	आपराधिक बल	129	आपराधिक बल
351	हमला	130	हमला
352	गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड	131	गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड
353	लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	132	लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	74	महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354क	लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिये दण्ड	75	लैंगिक उत्पीड़न
354ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	76	विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354ग	दृश्यरतिकता	77	दृश्यरतिकता
354घ	पीछा करना	78	पीछा करना
355	गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	133	गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
356	किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	134	किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
357	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	135	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
358	गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	136	गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
359	व्यपहरण	137(1)	व्यपहरण
360	भारत में से व्यपहरण	137(1)(क)	व्यपहरण
361	विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण	137(1)(ख)	व्यपहरण
362	अपहरण	138	अपहरण
363	व्यपहरण के लिए दण्ड	137(2)	व्यपहरण
363क	भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण	139	भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण
364	हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण	140(1)	हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण
364क	फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण	140(2)	हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण
365	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण	140(3)	हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण
366	विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना अपहृत करना या उत्प्रेरित करना	87	विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना
366क	अप्राप्तवय लड़की का उपापन	96	बालक का उपापन
366ख	विदेश से लड़की का आयात करना	141	विदेश से बालिका या बालक का लाना
367	व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण	140(4)	हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण
368	व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना	142	व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना
369	दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण	97	दस वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण
370	व्यक्ति का दुर्व्यापार	143	व्यक्ति का दुर्व्यापार
370क	ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण	144	ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण
371	दासों का अभ्यासिक व्यौहार करना	145	दासों का अभ्यासिक व्यौहार करना
372	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना	98	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना
373	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना	99	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को खरीदना
374	विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम	146	विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम
375	बलात्संग	63	बलात्संग
376(1)/(2)	बलात्संग के लिए दण्ड	64	बलात्संग के लिए दण्ड

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
376(3)	बलात्संग के लिए दण्ड	65(1)	कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड
376क	पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड	66	पीड़िता की मृत्यु या सतत् विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड
376कख	बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग के लिए दण्ड	65(2)	कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन	67	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन	68	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन
376घ	सामूहिक बलात्संग	70(1)	सामूहिक बलात्संग
376घक	सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दण्ड	70(2)	सामूहिक बलात्संग
376घख	बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दण्ड	70(2)	सामूहिक बलात्संग
376ङ	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड	71	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड
377	प्रकृति विरुद्ध अपराध	–	–
378	चोरी	303(1)	चोरी
379	चोरी के लिए दण्ड	303(2)	चोरी
380	निवास-गृह, आदि में चोरी	305	निवास-गृह या यातयात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी
381	लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में सम्पत्ति की चोरी	306	लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में सम्पत्ति की चोरी
382	चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी	307	चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी
383	उद्दापन	308(1)	उद्दापन
384	उद्दापन के लिए दण्ड	308(2)	उद्दापन
385	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना	308(3)	उद्दापन
386	किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन	308(5)	उद्दापन
387	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना	308(4)	उद्दापन

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
388	मृत्यु या आजीवन कारावास, आदि से दण्डनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन	308(7)	उद्दापन
389	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना	308(6)	उद्दापन
390	लूट	309(1)/(2)/(3)	लूट
391	डकैती	310(1)	डकैती
392	लूट के लिए दण्ड	309(4)	लूट
393	लूट करने का प्रयत्न	309(5)	लूट
394	लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना	309(6)	लूट
395	डकैती के लिए दण्ड	310(2)	डकैती
396	हत्या सहित डकैती	310(3)	डकैती
397	मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती	311	मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती
398	घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न	312	घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न
399	डकैती करने के लिए तैयारी करना	310(4)	डकैती
400	डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड	310(6)	डकैती
401	चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड	313	लुटेरों, आदि की टोली का होने के लिए दण्ड
402	डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना	310(5)	डकैती
403	सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग	314	सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
404	ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी	315	ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी
405	आपराधिक न्यास भंग	316(1)	आपराधिक न्यास भंग
406	आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड	316(2)	आपराधिक न्यास भंग
407	वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग	316(3)	आपराधिक न्यास भंग

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
408	लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग	316(4)	आपराधिक न्यास भंग
409	लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्त्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग	316(5)	आपराधिक न्यास भंग
410	चुराई हुई सम्पत्ति	317(1)	चुराई हुई सम्पत्ति
411	चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना	317(2)	चुराई हुई सम्पत्ति
412	ऐसी सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है	317(3)	चुराई हुई सम्पत्ति
413	चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना	317(4)	चुराई हुई सम्पत्ति
414	चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करना	317(5)	चुराई हुई सम्पत्ति
415	छल	318(1)	छल
416	प्रतिरूपण द्वारा छल	319(1)	प्रतिरूपण द्वारा छल
417	छल के लिए दण्ड	318(2)	छल
418	इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है	318(3)	छल
419	प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड	319(2)	प्रतिरूपण द्वारा छल
420	छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना	318(4)	छल
421	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना	320	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना
422	ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना	321	ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना
423	अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के सम्बन्ध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन	322	अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के सम्बन्ध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन
424	सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना	323	सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना
425	रिष्टि	324(1)	रिष्टि
426	रिष्टि के लिए दण्ड	324(2)	रिष्टि

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
427	रिष्टि जिससे पचास रुपये का नुकसान होता है	324(4)/(5)	रिष्टि
428	दस रुपये के मूल्य के जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि	325	जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि
429	किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रुपये के मूल्य के किसी जीव-जन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि	325	जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि
430	सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि	326(क)	क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
431	लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति पहुँचा कर रिष्टि	326(ख)	क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
432	लोक जल निकास में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि	326(ग)	क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
433	किसी दीपग्रह या समुद्री-चिन्ह को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि	326(घ)	क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
434	लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि	326(ङ)	क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
435	सौ रुपये का या (कृषि उपज की दशा में) दस रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि	326(च)	क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
436	गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि	326(छ)	क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
437	तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि	327(1)	रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि
438	धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रिष्टि के लिए दण्ड	327(2)	रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि
439	चोरी, आदि करने के आशय से ज़लयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दण्ड	328	चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दण्ड
440	मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि	324(6)	रिष्टि

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
441	आपराधिक अतिचार	329(1)	आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार
442	गृह-अतिचार	329(2)	आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार
443	प्रच्छन्न गृह-अतिचार	330(1)	गृह-अतिचार और गृह-भेदन
444	रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार	–	–
445	गृह-भेदन	330(2)	गृह-अतिचार और गृह-भेदन
446	रात्रौ गृह-भेदन	–	–
447	आपराधिक अतिचार के लिए दण्ड	329(3)	आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार
448	गृह-अतिचार के लिए दण्ड	329(4)	आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार
449	मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार	332(क)	अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
450	आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार	332(ख)	अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
451	कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार	332(ग)	अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
452	उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार	333	उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार
453	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड	331(1)	गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड
454	कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन	331(3)	गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड
455	उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन	331(5)	गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड
456	रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन के लिए दण्ड	331(2)	गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड
457	कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन	331(4)	गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	**शीर्षक**	**धारा**	**शीर्षक**
458	उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन	331(6)	गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड
459	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो	331(7)	गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड
460	रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन में संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्ति दण्डनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की गयी हो	331(8)	गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड
461	ऐसे पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना	334(1)	ऐसे पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना
462	उसी अपराध के लिए दण्ड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है	334(2)	ऐसे पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना
463	कूट रचना	336(1)	कूट रचना
464	मिथ्या दस्तावेज रचना	335	मिथ्या दस्तावेज रचना
465	कूटरचना के लिए दण्ड	336(2)	कूट रचना
466	न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना	337	न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना
467	मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना	338	मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना
468	छल के प्रयोजन से कूटरचना	336(3)	कूट रचना
469	ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से कूटरचना	336(4)	कूट रचना
470	कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख	340(1)	कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना
471	कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना	340(2)	कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना
472	धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना	341(1)	धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना
473	अन्यथा दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना	341(2)	धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
474	धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना	339	धारा 337 या 338 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना
475	धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना	342(1)	धारा 342 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
476	धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना	342(2)	धारा 342 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
477	विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना	343	विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना
477क	लेखा का मिथ्याकरण	344	लेखा का मिथ्याकरण
478	व्यापार चिह्न	—	—
479	सम्पत्ति चिह्न	345(1)	सम्पत्ति चिह्न
480	मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना	—	—
481	मिथ्या सम्पत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना	345(2)	सम्पत्ति चिह्न
482	मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न का उपयोग करने के लिए दण्ड	345(3)	सम्पत्ति चिह्न
483	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण	347(1)	सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण
484	लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण	347(2)	सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण
485	सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा	348	सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा
486	कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय	349	कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय
487	किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है	350(1)	किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है
488	किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड	350(2)	किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है
489	क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति चिह्न को बिगाड़ना	346	क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति चिह्न को बिगाड़ना

RAJASTHAN POLICE

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
489क	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण	178	सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
489ख	कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना	179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना
489ग	कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना	180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना
489घ	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना	181	लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना
489ङ	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग	182	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग
490	समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग	–	–
491	असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग	357	असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में
492	दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है	–	–
493	विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास	81	विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास
494	पति या पत्नी के जीवनकाल में पुन: विवाह करना	82(1)	पति या पत्नी के जीवनकाल में पुन: विवाह करना
495	वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है	82(2)	पति या पत्नी के जीवनकाल में पुन: विवाह करना
496	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना	83	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना
497	जारकर्म	–	–
498	विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले आना या निरुद्ध रखना	84	विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860		भारतीय न्याय संहिता, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
498क	किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना	85	किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना
498 स्पष्टी.	–	86	क्रूरता की परिभाषा
499	मानहानि	356(1)	मानहानि
500	मानहानि के लिए दण्ड	356(2)	मानहानि
501	मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना	356(3)	मानहानि
502	मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचना	356(4)	मानहानि
503	आपराधिक अभित्रास	351(1)	आपराधिक अभित्रास
504	लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान	352	लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान
505	लोक-रिष्टिकारक वक्तव्य	353	लोक-रिष्टिकारक वक्तव्य
506	आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड	351(2)/(3)	आपराधिक अभित्रास
507	अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास	351(4)	आपराधिक अभित्रास
508	व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य	354	व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य
509	शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है	79	शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है
510	मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार	355	मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार
511	आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड	62	आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड

RAJASTHAN POLICE

भारतीय न्याय संहिता 2023 में नई जोड़ी गयी धाराएं

धाराएं	शीर्षक
2(3)	बालक
48	भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण
69	प्रवंचना पुर्ण साधानों का प्रयोग करके मैथुन
95	अपराध कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना
152	भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य
103(2)	हत्या के लिए दंड
106(2)	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना
111	संगठित अपराध
112	छोटे संगठित अपराध
113	आतंकवादी कृत्य
117(3)/(4)	स्वैच्छया घोर उपहति कारित करना
195(2)	लोक सेवक जब बलवे को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना, उसे बाधित करना
197(1)घ	राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान
304	झपट मारी
324(3)	रिष्टि
341(3)/(4)	कुटरचना करने के आशय से कुट कृत मुद्रा बनाना, कब्जे में रखना
358	निरसन, व्यावृति

भारतीय न्याय संहिता 2023 में सम्मिलित नहीं की गयी भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराएं

धाराएं	शीर्षक
14	सरकार का सेवक
18	भारत
50	धारा
53क	निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना
124क	राजद्रोह
153कक	किसी जुलूस में जानबुझकर आयुध ले जाने या आयुध सहित संचालन करने का दंड
236	भारत से बाहर सिक्के के कुटकरण का भारत में दुष्प्रेरण
237	कुट कृत सिक्के का आयात या निर्यात
238	भारतीय सिक्के की कुट कृतियों का आयात या निर्यात
264	तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपट पुर्वक उपयोग
265	खोटे बाट या माप का कपट पुर्वक उपयोग
266	खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना
267	खोटे बाट या माप को बनाना या बेचना
310	ठग
311	दण्ड
377	प्रकृति विरूद्ध अपराध
444	रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार
446	रात्रौ गृह भेदन
497	जारकर्म

RAJASTHAN POLICE

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

एवं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

का

तुलनात्मक चार्ट

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की सम्बन्धित प्रावधानों की तुलना

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ
2	अधिनियमितियों का निरसन	170	निरसन और व्यावृत्ति
3	निर्वचन-खण्ड	2	परिभाषाएं
3 पैरा 1	"न्यायालय"	2(1)(क)	"न्यायालय"
3 पैरा 2	"तथ्य"	2(1)(च)	"तथ्य"
3 पैरा 3	"सुसंगत"	2(1)(ट)	"सुसंगत"
3 पैरा 4	"विवाद्यक तथ्य"	2(1)(छ)	"विवाद्यक तथ्य"
3 पैरा 5	"दस्तावेज"	2(1)(घ)	"दस्तावेज"
3 पैरा 6	"साक्ष्य"	2(1)(ङ)	"साक्ष्य"
3 पैरा 7	"साबित"	2(1)(ञ)	"साबित"
3 पैरा 8	"नासाबित"	2(1)(ग)	"नासाबित"
3 पैरा 9	"साबित नहीं हुआ"	2(1)(झ)	"साबित नहीं हुआ"
3 पैरा 10	"भारत"	–	–
4 पैरा 1	"उपधारणा कर सकेगा"	2(1)(ज)	"उपधारणा कर सकेगा"
4 पैरा 2	"उपधारणा करेगा"	2(1)(ठ)	"उपधारणा करेगा"
4 पैरा 3	"निश्चायक सबूत"	2(1)(ख)	"निश्चायक सबूत"
5	विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा	3	विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा
6	एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति	4	एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति
7	वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं	5	वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं
8	हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण	6	हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण
9	सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुर:स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य	7	विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुर:स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य
10	सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें	8	सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें
11	वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं	9	वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
12	नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं	10	रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत हैं
13	जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य	11	जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य
14	मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य	12	मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवदेना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य
15	कार्य आकस्मिक या साशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य	13	कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य
16	कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है	14	कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है
17	स्वीकृति की परिभाषा	15	स्वीकृति की परिभाषा
18	स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्त्ता द्वारा प्रतिनिधिक रूप से वादकर्त्ता द्वारा	16	कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति
19	उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए	17	उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए
20	वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ	18	वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां
21	स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना	19	स्वीकृतियों को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना
22	दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं	20	दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं
22क	इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं	—	—
23	सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं	21	सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है
24	उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है	22(1)	उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है
25	पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना	23(1)	पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति
26	पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना	23(2)	पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
27	अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी	23(2)	पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति
28	उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात् की गई संस्वीकृति सुसंगत है	22(1)	उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है
29	अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना	22(2)	उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है
30	साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना	24	साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना
31	स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु विबंध कर सकती हैं	25	स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं, किंतु विबंध कर सकती हैं
32	वे दशाएँ जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि	26	वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि
33	किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति	27	किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति
34	लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ, जिनमें वे शामिल हैं, जिन्हें इलेक्ट्रानिक रूप में रखा गया है कब सुसंगत है	28	लेखा-पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं
35	कर्त्तव्य-पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति	29	कर्तव्य-पालन में की गई लोक अभिलेख या इलैक्ट्रानिकी अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति
36	मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति	30	मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति
37	किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति	31	किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति
38	विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति	32	विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप भी हैं

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
39	जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए	33	जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज-पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए
40	द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं	34	द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं
41	प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति	35	प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति
42	धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव	36	धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव
43	धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं	37	धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं
44	निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी	38	निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि या न्यायालय की अक्षमता साबित जा सकेगी
45	विशेषज्ञों की रायें	39(1)	विशेषज्ञों की रायें
45क	इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय	39(2)	विशेषज्ञों की रायें
46	विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य	40	विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य
47	हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है	41(1)	हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है
47क	इलेक्ट्रानिक चिन्हक के बारे में राय कब सुसंगत है	41(2)	हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है
48	अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत हैं	42	साधारण रुढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत हैं
49	प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत हैं	43	प्रथाओं, सिद्धान्तों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत हैं
50	नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है	44	नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है
51	राय के आधार कब सुसंगत हैं	45	राय के आधार कब सुसंगत हैं
52	सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील, विसंगत है	46	सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील, विसंगत है
53	दांडिक मामलों में प्रवर्तन अच्छा शील सुसंगत है	47	दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है

RAJASTHAN POLICE

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
53क	कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना	48	कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना
54	उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है	49	उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है
55	नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील	50	नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील
56	न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है	51	न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है
57	वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी	52	वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा
58	स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है	53	स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है
59	मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना	54	मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना
60	मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए	55	मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना
61	दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत	56	दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत
62	प्राथमिक साक्ष्य	57	प्राथमिक साक्ष्य
63	द्वितीयक साक्ष्य	58	द्वितीयक साक्ष्य
64	दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना	59	दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना
65	अवस्थाएँ जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा	60	अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा
65क	इलेक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध	62	इलैक्ट्रानिक अभिलेख से सम्बन्धित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध
65ख	इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता	63	इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता
66	पेश करने की सूचना के बारे में नियम	64	पेश करने की सूचना के बारे में नियम
67.	जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश किए गए दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना	65	जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना
67क	इलेक्ट्रानिक चिन्हक	66	इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत
68	ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना उसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है	67	ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है
69	जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत	68	जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत
70	अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति	69	अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति
71	जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत	70	जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
72	उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है	71	उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है
73	हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं	72	हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं
73क	अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत	73	डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत
74	लोक-दस्तावेजें	74(1)	लोक और प्राइवेट दस्तावेज
75	प्राइवेट दस्तावेजें	74(2)	लोक और प्राइवेट दस्तावेज
76	लोक-दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ	75	लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां
77	प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत	76	प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत
78	अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत	77	अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत
79	प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा	78	प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा
80	साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा	79	साक्ष्य, आदि के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
81	राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लियामेन्ट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं	80	राजपत्रों, समाचारपत्रों, और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
81क	इलैक्ट्रानिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा	81	इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्र के बारे में उपधारणा
82	मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैण्ड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा	—	—
83	सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा	82	सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखाकों के बारे में उपधारणा
84	विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्ट के बारे में उपधारणा	83	विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा
85	मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा	84	मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा
85क	इलेक्ट्रानिक करारों के बारे में उपधारणा	85	इलैक्ट्रानिक करारों के बारे में उपधारणा
85ख	इलेक्ट्रानिक अभिलेखों और इलेक्ट्रानिक चिन्हक के बारे में उपधारणा	86	इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा
85ग	इलेक्ट्रानिक चिन्हक प्रमाणापत्रों के बारे में उपधारणा	87	इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के बारे में उपधारणा
86	विदेशी न्यायिक अभिलेखों को प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा	88	विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा

तुलनात्मक तालिका

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धारा	**शीर्षक**	**धारा**	**शीर्षक**
87	पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा	89	पुस्तकों मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा
88	तार संदेशों के बारे में उपधारणा	—	—
88क	इलैक्ट्रानिक संदेशों के बारे में उपधारणा	90	इलैक्ट्रानिक संदेशों के बारे में उपधारणा
89	पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा	91	पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा
90	तीस वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा	92	तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
90क	पाँच वर्ष पुराने इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा	93	पांच वर्ष पुराने इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा
91	दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा सम्पत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य	94	दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य
92	मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन	95	मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन
93	संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन	96	संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन
94	विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन	97	विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन
95	विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य	98	विद्यमान तथ्यों के सदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य
96	उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है	99	उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है
97	तथ्यों के दो संवर्गों में से, जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक-ठीक लागू नहीं होती, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य	100	तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक-ठीक लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य
98	न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य	101	न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य
99	दस्तावेज के निबंधनों मे फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा	102	दस्तावेज के निबन्धनों में फेर-फार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा
100	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति	103	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल सम्बन्धी उपबन्धों की व्यावृत्ति
101	सबूत का भार	104	सबूत का भार

तुलनात्मक तालिका

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
102	सबूत का भार किस पर होता है	105	सबूत का भार किस पर होता है
103	विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार	106	विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार
104	साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार	107	साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार
105	यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है	108	यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है
106	विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार	109	विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार
107	उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है	110	उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है
108	यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है	111	यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है
109	भागीदारों, भू-स्वामी और अधिभारी, मालिक और अभिकर्त्ता के मामलों में सबूत का भार	112	भागीदारों, भू-स्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार
110	स्वामित्व के बारे में सबूत का भार	113	स्वामित्व के बारे में सबूत का भार
111	उन संव्यवहारों में सद्भाव साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है	114	उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का सम्बन्ध सक्रिय विश्वास का है
111क	कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा	115	कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा
112	विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है	116	विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है
113	राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत	–	–
113क	किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा	117	किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा
113ख	दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा	118	दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा
114	न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा	119	न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा
114क	बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा	120	बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा
115	विबंध	121	विबंध
116	अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध	122	अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध
117	विनिमयपत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध	123	विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
118	कौन साक्ष्य दे सकेगा	124	कौन साक्ष्य दे सकेगा
119	साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना	125	साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना
120	सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति, दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी	126	कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता
121	न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट	127	न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट
122	विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं	128	विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं
123	राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य	129	राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य
124	शासकीय संसूचनाएं	130	शासकीय संसूचनाएं
125	अपराधों के करने के बारे में जानकारी	131	अपराधों के करने के बारे में जानकारी
126	वृत्तिक संसूचनाएं	132(1)/(2)	वृत्तिक संसूचनाएं
127	धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी	132(3)	वृत्तिक संसूचनाएं
128	साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता	133	साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता
129	विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं	134	विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना
130	जो साक्षी पक्षकार नहीं है, उसके हक-विलेखों को पेश किया जाना	135	जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों का पेश किया जाना
131	उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इन्कार कर सकता था	136	ऐसे दस्तावेजों या इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकता था
132	इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा	137	इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा
133	सह-अपराधी	138	सहअपराधी
134	साक्षियों की संख्या	139	साक्षियों की संख्या
135	साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम	140	साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम
136	न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा	141	न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा
137	मुख्य परीक्षा	142	साक्षियों की परीक्षा
138	परीक्षाओं का क्रम	143	परीक्षाओं का क्रम
139	किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा	144	किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा

RAJASTHAN POLICE

तुलनात्मक तालिका

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धारा	शीर्षक	धारा	शीर्षक
140	शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी	145	शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी
141	सूचक प्रश्न	146(1)	सूचक प्रश्न
142	उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए	146(2)/(3)	सूचक प्रश्न
143	उन्हें कब पूछा जा सकेगा	146(4)	सूचक प्रश्न
144	लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य	147	लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य
145	पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा	148	पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा
146	प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न	149	प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न
147	साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए	150	साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए
148	न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा	151	न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा
149	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा	152	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछा जाएगा
150	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया	153	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया
151	अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न	154	अशिष्ट और कलकात्मक प्रश्न
152	अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न	155	अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न
153	सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन	156	सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खण्डन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन
154	पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न	157	पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न
155	साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप	158	साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप
156	सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे	159	सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की सम्पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे
157	उसी तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे	160	उसी तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे
158	साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी	161	साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी
159	स्मृति ताजी करना	162	स्मृति ताजी करना

RAJASTHAN POLICE

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में नई जोड़ी गयी धाराएं

धाराएं	शीर्षक
2(2)	शब्द और पद
61	इलैक्ट्रोनिक या डिजिटल अभिलेख

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सम्मिलित नहीं की गयी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराएं

धाराएं	शीर्षक
3,पैरा 10	भारत
22क	इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों की अंर्तवस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है
82	मुद्रा या हस्ताक्षर के सबुत के बिना इंग्लेंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा
88	तार संदेशों के बारे में उपधारणा
113	राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबुत
166	जुरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति

RAJASTHAN POLICE

भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन बढाये गये कारावास के दंड की अवधि की तुलनात्मक सारणी

भारतीय दण्ड संहिता 1860		भारतीय न्याय संहिता 2023	
धारा	दण्ड	धारा	दण्ड
67(ग)	06 माह	8(5)(ग)	01 वर्ष
117	03 वर्ष	57	07 वर्ष
138	06 माह	166	02 वर्ष
148(3)	03 वर्ष	191(3)	05 वर्ष
182	06 माह	217	01 वर्ष
204	02 वर्ष	241	03 वर्ष
206	02 वर्ष	243	03 वर्ष
211(क)	02 वर्ष	248(क)	05 वर्ष
211(ख)	07 वर्ष	248(ख)	10 वर्ष
221(क)	01 माह	190(क)	06 माह
221(ख)	06 माह	190(ख)	01 वर्ष
274	06 माह	276	01 वर्ष
277	03 माह	279	06 माह
303	मृत्यु दंड	104	मृत्यु या आजीवन कारावास
304क	02 वर्ष	106(1)	05 वर्ष
307(2)	मृत्यु दंड	109(2)	मृत्यु या आजीवन कारावास
332	03 वर्ष	121(1)	05 वर्ष
335	04 वर्ष	122(2)	05 वर्ष
338	02 वर्ष	125(ख)	03 वर्ष
343	02 वर्ष	127(3)	03 वर्ष
344	03 वर्ष	127(4)	05 वर्ष
346	02 वर्ष	127(6)	03 वर्ष
370क(1)	07 वर्ष	144(1)	10 वर्ष
370क(2)	05 वर्ष	144(2)	07 वर्ष
373	10 वर्ष	99	07 से 14 वर्ष
406	03 वर्ष	316(2)	05 वर्ष
417	01 वर्ष	318(2)	03 वर्ष
418	03 वर्ष	318(3)	05 वर्ष
423	02 वर्ष	322	03 वर्ष
424	02 वर्ष	323	03 वर्ष
426	03 माह	324(2)	06 माह
428	02 वर्ष	325	05 वर्ष

RAJASTHAN POLICE

किसी आपराधिक कृत्य की सूचना प्राप्त होना

संज्ञेय अपराध सूचना

असंज्ञेय अपराध सूचना

अप्राकृतिक मृत्यु सूचना

तीन प्रकार से–
173(1)BNSS
सीधे थाने पर
173(4)BNSS
एस.पी. कार्यालय
175(3)BNSS
न्यायालय से इस्तगासा
225 BNSS
न्यायालय से जांच

174 BNSS
असंज्ञेय अपराध सूचना दर्ज कर प्रार्थी को न्यायालय भेजेंगे। प्रत्येक 15 दिन में ऐसी सूचनाओं से न्यायालय को अवगत करायेंगे।

194 BNSS
सामान्य परिस्थियों में मर्ग कार्यवाही (पुलिस द्वारा)
196 BNSS
संदिग्ध परिस्थियां /पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा/विवाह के 07 वर्ष के भीतर महिला की अप्राकृतिक मृत्यु पर मर्ग (मजिस्ट्रेट द्वारा जांच)

173 BNSS
कार्यवाही पुलिस

175 BNSS
अनवेषण की शक्ति

176 BNSS
अनवेषण की प्रक्रिया

180 BNSS
पुलिस द्वारा बयान

176 BNSS
घटनास्थल निरीक्षण

176 BNSS
पीड़ित का मेडीकल
184 BNSS
बलात्कार पीड़िता का मेडीकल व DNA प्रॉफाईलिंग

183 BNSS
बयान मजिस्ट्रेट

179 BNSS
पुलिस द्वारा सफीना

35 BNSS
अभियुक्त की गिरफतारी
43 BNSS
महिला की गिरफतारी

49 BNSS
गिरफतार व्यक्ति की तलाशी
49(2) BNSS
गिरफतार महिला की तलाशी

RAJASTHAN POLICE

51 BNSS
अभियुक्त का मेडीकल
52 BNSS
बलात्कार अभियुक्त का मेडीकल व डी.एन.ए. प्रॉफाईलिंग

53 BNSS
अभियुक्त की प्रार्थना पर अभियुक्त का मेडीकल

58 BNSS
अभियुक्त को पेश न्यायालय

187 BNSS
अभियुक्त का रिमांड प्राप्त करना

54 BNSS
अभियुक्त की पहचान परेड
327 BNSS
अभियुक्त की पहचान परेड रिपोर्ट

302 BNSS
अभियुक्त का प्रॉडक्शन वारंट

23(2) BSA
अभियुक्त द्वारा ईत्तला

103(1) BNSS
निवास स्थान की खाना तलाशी
103(3) BNSS
व्यक्ति की जामा तलाशी
93 BNSS
तलाशी वारंट
185 BNSS
बिना वारंट तलाशी

106(1) BNSS
जब्ती की कार्यवाही

94 BNSS
दस्तावेज पेश करने का नोटिस

189 BNSS
अभियुक्त की रिहाई

343 BNSS
सह अपराधी को क्षमा दान

190 BNSS
अभियुक्त के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान पेश करना

193 BNSS
पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट

193 BNSS
अनुसंधान पेंडिग रखना

84 BNSS
अभियुक्त की उदघोषणा

85 BNSS
उदघोषित अपराधी की कुर्की

335 BNSS
अभियुक्त की अनुपस्थिती में विचारण

210 BNSS
न्यायालय में संज्ञान

232 BNSS
मामले का सेशन कोर्ट को कमिट करना

RAJASTHAN POLICE

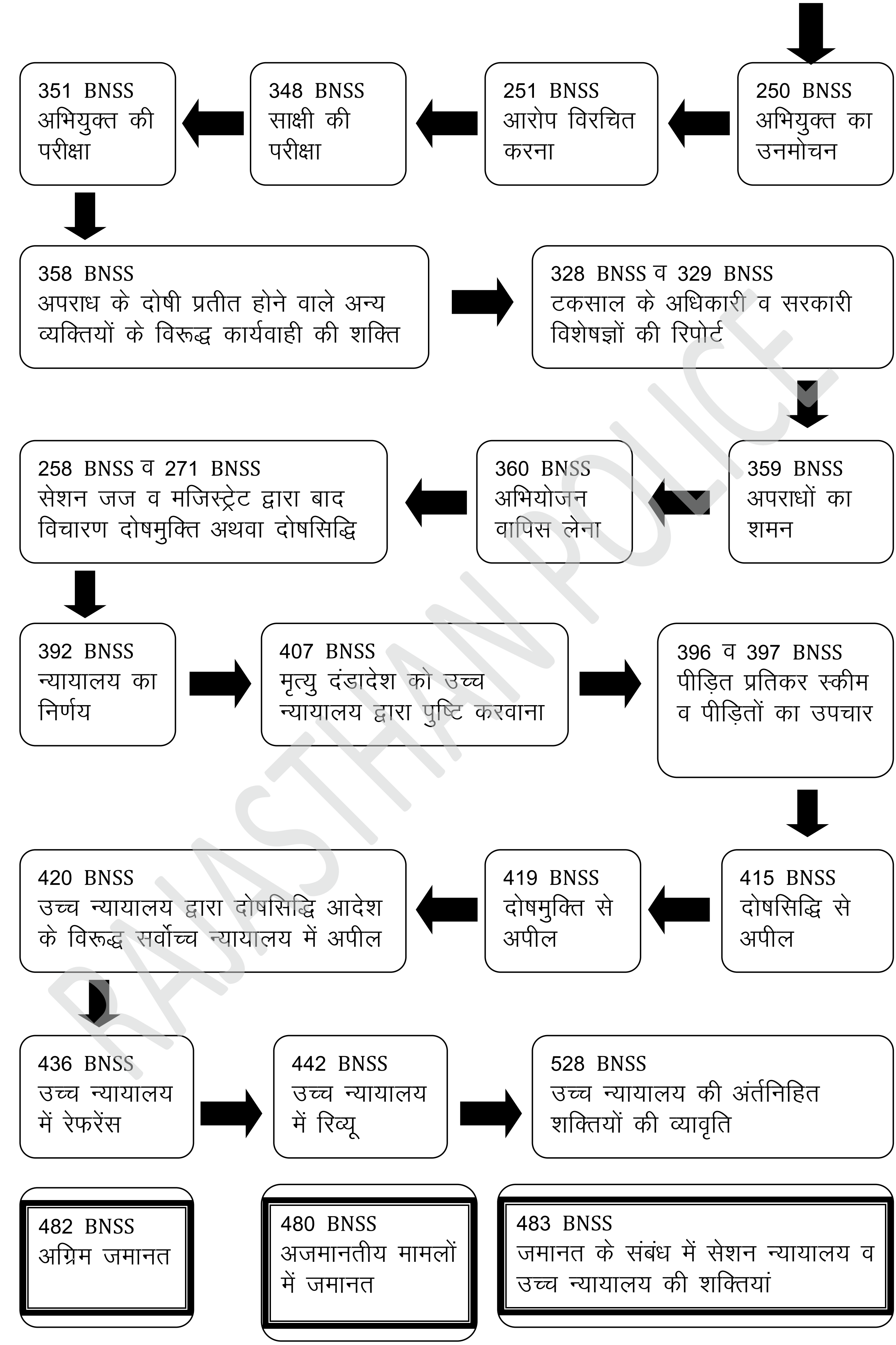

RAJASTHAN POLICE

संदर्भ ग्रथों की सूची

1. केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तीनों नये आपराधिक कानूनों के संबंध में जारी अधिसुचना।

2. न्यू क्रिमिनल मेजर एक्टस – पूजा लॉ हाउस

3. क्रिमिनल मेजर एक्टस – लेक्सस लेक्सस इंडिया

4.क्रिमिनल मेजर एक्टस – सचदेवा पब्लिकेशन

5. वृहद आपराधिक कानून – बी.एल. बाबेल

6. कॉम्पेन्डियम ऑन स्टेंडिग ऑर्डर्स एण्ड सर्कुलर्स – राजस्थान पुलिस अकादमी

7. फॉरेंसिक सांइस इन क्राईम इन्वेसटिगेशन– बी.एस. नाबार

8. फॉरेंसिक सांइस – डॉ.वी.पी. सिंह

9. फॉरेंसिक सांइस इन क्राईम इन्वेसटिगेशन एण्ड ट्रायल – बी.आर. शर्मा

10. फॉरेंसिक सांइस इन क्रिमिनल इन्वेसटिगेशन –बी.पी. मेथिल

11. अपराध अनवेषण हेतू विधि विज्ञान मार्गदर्शक पुस्तक – डॉ. जे.आर. गौड़, इंद्रराज सिंह

12. ऑबजेक्टिव फॉरेंसिक सांइस – शहबाज आलम

RAJASTHAN POLICE

राजस्थान पुलिस की लेटेस्ट
अपडेट के लिए हमसे जुड़ें
FOLLOW
US!
@PoliceRajasthan
@PoliceRajasthan
@PoliceRajasthan
@PoliceRajasthan
@PoliceRajasthan

rrprinters#9829388088

राजस्थान पुलिस द्वारा प्रकाशित